2022
अक्टूबर संस्करण

Adda247 UPSC

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

यूपीएससी, राज्य पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

अभ्यास प्रश्नों के साथ

Download Our App Now!

BILINGUAL
UPSC
UPSC CSE
KA MAHAPACK
Live Classes, Video Course,
Test Series & Ebooks
24 Months Validity

BILINGUAL
TARGET 28th May
UPSC CSE 2023 Prelims
(Paper I + II)
Complete Batch
Start Dec 19, 2022
7 PM

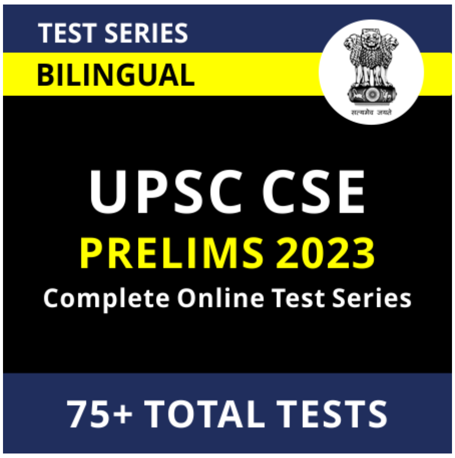
TEST SERIES
BILINGUAL
UPSC CSE
PRELIMS 2023
Complete Online Test Series
75+ TOTAL TESTS

BILINGUAL
NCERT
• Live Course
FOR UPSC & STATE PSC
Start Dec 15, 2022
12 PM to 2 PM

BILINGUAL
CSAT
Foundation Batch
for UPSC &
State PSC
• Live Classes
Starts Dec 20, 2022
12 PM to 2 PM

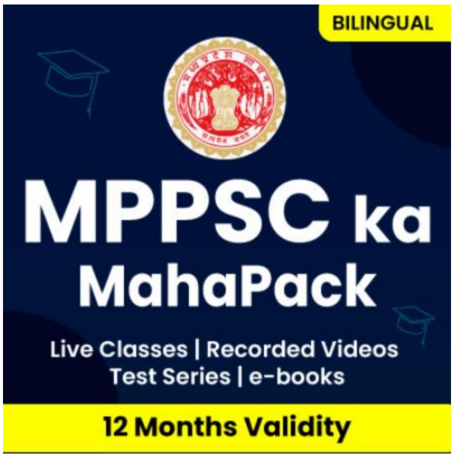
BILINGUAL
MPPSC ka
MahaPack
Live Classes | Recorded Videos
Test Series | e-books
12 Months Validity

BPSC
KA MAHAPACK
Live Classes, Video Course,
Test Series & Ebooks
12 Months Validity

UPPSC
UPPSC ka
Mahapack
Live classes, Video Courses,
Test Series, eBooks
12 Months Validity

Hinglish
HPSC HCS
KA MAHAPACK
Live Classes, Test Series,
eBooks

राजस्थान लोक सेवा आयोग
अजमेर
RPSC RAS
MAHAPACK
Live Classes, Video Course,
Test Series & Ebooks
12 Months Validity

BILINGUAL
वैशाली 2.0
68th BPSC
बिहार PCS Prelims (P.T.)
Final Selection batch
Start Dec 19, 2022
12 PM to 4 PM

TEST SERIES
BILINGUAL
Bihar Public Service Commission
68th BPSC 2023
Combined Competitive
Examination (CCE)
PRELIMS
70+ TOTAL TESTS

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

अक्टूबर 2022

Adda247

प्रस्तावना

यूपीएससी सिविल सेवा (मेन्स) 2022 परीक्षा हाल ही में सितंबर के महीने में आयोजित की गई थी और हाल ही में जारी यूपीएससी कैलेंडर 2023 के अनुसार, सिविल सेवा (प्रीलिम्स) परीक्षा 2023, 28 मई, 2023 को आयोजित की जाएगी। यूपीएससी सीएसई 2022 और 2023 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए, यह कहने की जरूरत नहीं है कि करंट अफेयर्स का गहन अध्ययन, समझ और संशोधन जरूरी है!

तैयारी को आसान बनाने के लिए, हम उम्मीदवारों के लिए मासिक करेंट अफेयर्स संकलन प्रदान कर रहे हैं। पत्रिका में व्यापक समाचार लेखों का विषय-वार वितरण शामिल है, जो पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस आदि जैसे स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित महत्वपूर्ण संपादकीय लेखों पर चर्चा करने के लिए एक अलग खंड - 'संपादकीय विश्लेषण' जोड़ा गया है।

इस पत्रिका के अंत में करेंट अफेयर्स एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न भी उपलब्ध कराए गए हैं। करंट अफेयर्स के अपने ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए, उम्मीदवारों को पत्रिका पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का प्रयास करना चाहिए।

"सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने की अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं"।

- जॉन मैक्सवेल

अनुक्रमणिका

भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन 8

- प्रस्तावना में "समाजवादी" एवं " पंथनिरपेक्ष" शब्द 8
- 4 नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में जोड़ा 9
- नागरिकता संशोधन अधिनियम 10
- मृत्यु दंड 11
- प्रारूप भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 12
- ई-गवर्नेंस 13
- ईडब्ल्यूएस कोटा 14
- केरल का लोकायुक्त संशोधन विवाद 16
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान (2018-19) 17
- आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) 18
- परख 19
- निवारक निरोध (प्रिवेंटिव डिटेंशन) कानून 19
- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 21
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 22
- आधारिक संरचना सिद्धांत 23
- सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर 24
- स्वच्छ टॉयकैथॉन 25
- 'सिम्फनी' सम्मेलन 26
- महिला एसएचजी सम्मेलन 27
- एलजीबीटीक्यू एवं मानवाधिकार 27
- नए दत्तक नियम 28
- दलित मुसलमानों एवं ईसाइयों के लिए एससी कोटा 30

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 31

- आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक 31
- ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 32
- पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) 33
- जी-20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की संयुक्त बैठक (जेईसीएमएम) 34
- भारत-बांग्लादेश संबंध 35
- भारत-यूएई के मध्य शिक्षा पर समझौता ज्ञापन 37
- बहु संरेखण की भारत की वर्तमान नीति 38
- भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद 39
- भारत-यूएई सीईपीए 40

- चेतना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 41
- आईडब्ल्यूए विश्व जल कांग्रेस 42
- JIMEX 22 43
- कुशियारा नदी संधि 43
- राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 44
- नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 45
- भारत एवं जापान के मध्य रणनीतिक साझेदारी 46
- आईपीईएफ का व्यापार स्तंभ 47
- यूएस स्टार्टअप सेतु 49
- एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी 49

अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास 51

- DESH विधेयक 2022 51
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 52
- आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 53
- आईएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना 53
- ओएनडीसी के साथ ओडीओपी पहल का एकीकरण 54
- लीड्स सर्वेक्षण 2022 55
- पैकेज्ड कमोडिटीज के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं 56
- राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी) 57
- नई विदेश व्यापार नीति 58
- पेटेंट प्रणाली 59
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 60
- पीएम प्रणाम 61
- स्केल ऐप 61
- विंडफॉल टैक्स 62
- सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना 63

सामाजिक समस्याएँ 64

- राष्ट्रीय पोषण माह 64
- एडीआईपी योजना 65
- भारत में शराब कानून 66
- एनीमिया एवं आयरन फोर्टिफिकेशन 66
- सहाय प्रदत्त आत्महत्या (असिस्टेड सुसाइड) 68
- हिजाब एवं अनिवार्यता का सिद्धांत 69
- कश्मीरी पंडित 70
- वृद्धावस्था की समस्याएं 71

Adda247

- पीएम श्री योजना 73
- पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान 74

पर्यावरण और पारिस्थितिकी 75

- आंगन 2022 सम्मेलन 75
- फ्लाई ऐश 75
- भारत का बढ़ता जल संकट 76
- पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 78
- पादप संधि (प्लांट ट्रीटी) 78
- कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का लोकार्पण 79
- पोषण वाटिका 80
- रॉटरडैम अभिसमय 81
- शून्य अभियान 81
- एकल-उपयोग प्लास्टिक 82
- सतत एवं हरित पर्यटन (सस्टेनेबल एंड ग्रीन टूरिज्म) 83
- स्वच्छ वायु दिवस 84
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 85

विज्ञान और प्रौद्योगिकी 87

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस - SURVEI 87
- सीएसआईआर- जिज्ञासा कार्यक्रम 87
- परमाणु घड़ियाँ 88
- अभ्यास "सिनर्जी" 89
- डार्क स्काई रिजर्व 90
- इन्फ्लेटेबल एयरोडायनामिक डिसेलेरेटर (आईएडी) 90
- कृतज्ञ हैकथॉन 2022 91
- नाविक (NavIC) 92
- एक जड़ी बूटी, एक मानक 93
- सचेत 94

आंतरिक सुरक्षा 95

- डेफएक्सपो 2022 95
- अभ्यास काकाडू 95
- आईएनएस विक्रांत 96
- सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 96

इतिहास, कला और संस्कृति 98

- अरत्तुपुझा वेलायुधा पनिकर 98

- दारा शिकोह ... 98
- इरोड वेंकटप्पा रामासामी ... 99
- मोहनजोदड़ो ... 100
- रामकृष्ण मिशन का 'जागृति' कार्यक्रम ... 101
- रंग स्वाधीनता ... 101

विविध ... 103

- सामाजिक कार्यकर्ता-लेखक अन्नाभाऊ साठे ... 103
- एशिया कप ... 104
- धारावी पुनर्विकास परियोजना ... 104
- फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 ... 105
- भारत एवं इसके सैन्य झंडे तथा चिन्हों को अपनाना ... 106
- कर्तव्य पथ ... 107
- शिक्षक दिवस 2022 ... 108
- ट्रिपल-डिप ला नीना ... 109
- द्वेष वाक् (हेट स्पीच) ... 110
- इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) ... 110

संपादकीय विश्लेषण ... 112

- इंगेज विद कॉशन ... 112
- फ्लड्स एंड फोज ... 112
- आंतरिक लोकतंत्र ... 113
- ओवर द टॉप ... 114
- रिफॉर्म्स एंड द टास्क ऑफ गेटिंग टीचर्स ऑन बोर्ड ... 114
- स्लो इंप्रूवमेंट ... 115
- जेंडर पे गैप, हार्ड ट्रुथ्स एंड एक्शन्स नीडेड ... 116
- द आउटलाइन ऑफ एन एसेंशियल ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी ... 117
- 1971 की आत्मा ... 119

अभ्यास प्रश्नावली ... 120

Adda247

UPSC adda247

यूपीएससी और पीएससी
परीक्षाओं की तैयारी करें

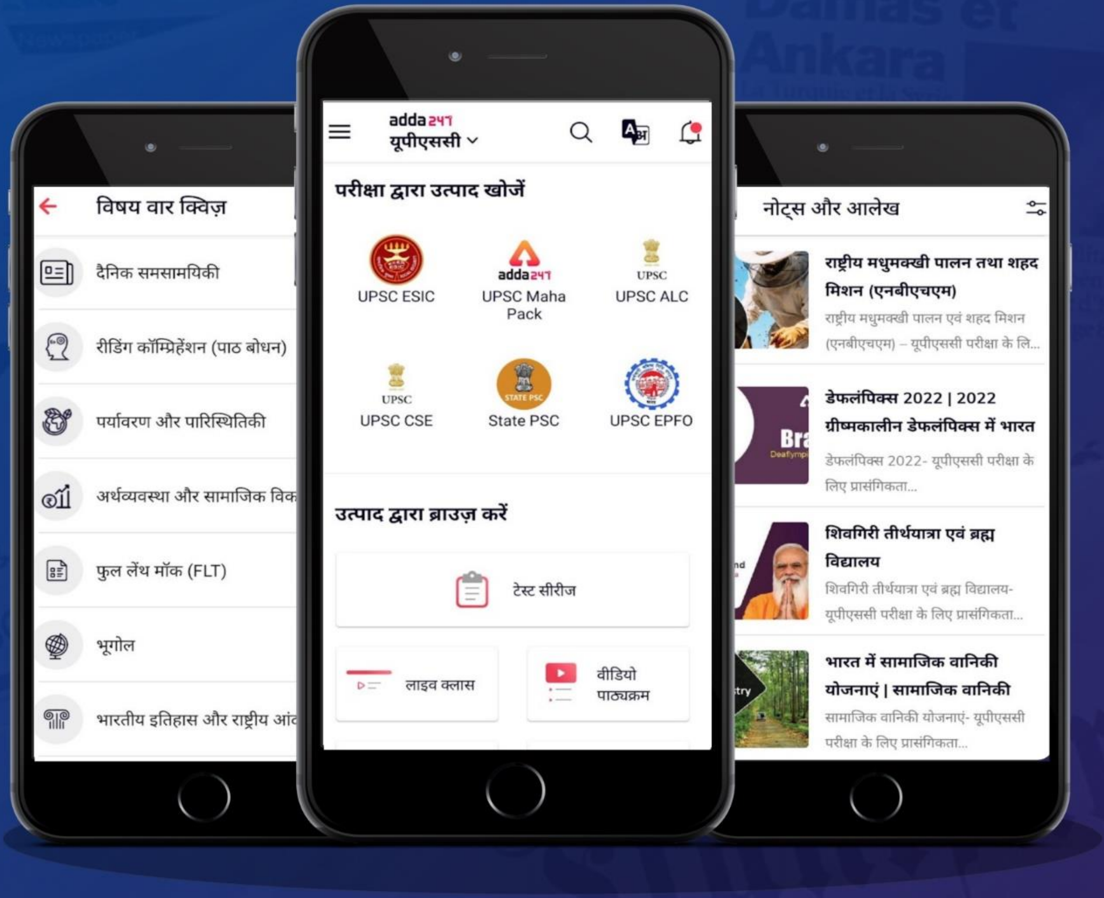

यूपीएससी Adda247 ऐप की विशेषताएं

- दैनिक शीर्ष समाचार और हेडलाइंस
- दैनिक करेंट अफेयर्स लेख
- दैनिक संपादकीय विश्लेषण
- सामान्य अध्ययन नोट्स
- दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी विस्तृत समाधान के साथ
- विषयवार जीएस और सीसैट क्विज़
- मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका
- योजना, कुरुक्षेत्र और डाउन टू अर्थ पत्रिकाओं का सार
- संसद टीवी चर्चाओं का विश्लेषण

Download Our App Now!

भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

प्रस्तावना में "समाजवादी" एवं " पंथनिरपेक्ष" शब्द

सर्वोच्च न्यायालय पूर्व सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से "समाजवादी" एवं "पंथनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने की मांग की गई थी।

- दो समान मामलों में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इन शब्दों को संविधान में समाविष्ट करने का अभिप्राय कभी नहीं था एवं यह कि इनका समावेश अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति से परे है।
- इसी तरह की याचिकाएं पूर्व समय में भी दायर की गई हैं एवं प्रस्तावना तथा संविधान में इनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में बहस को जन्म दिया है।

ये शब्द कैसे आए?

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के एक भाग के रूप में इन दो शब्दों को प्रस्तावना में समाविष्ट किया गया था।

प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है?
• एक प्रस्तावना एक दस्तावेज़ के परिचय के रूप में कार्य करती है एवं इसमें इसके मूल सिद्धांत कथा लक्ष्य सम्मिलित होते हैं।
• जब भारतीय संविधान का प्रारूप निर्मित किया जा रहा था, तो प्रस्तावना के समर्थन कारी आदर्शों को सर्वप्रथम 1947 में संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था।
• ये आदर्श संविधान के प्रारूपण के दौरान हुई कई बहसों से सामने आए।

प्रारंभ में, प्रस्तावना में कहा गया था:

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं इस के समस्त नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से संकल्प लेते हैं:

न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था एवं उपासना की स्वतंत्रता;

प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता;

प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए;

अपनी इस संविधान सभा में नवंबर, 1949 के इस छब्बीसवें दिन, एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

प्रस्तावना की प्रकृति

- संविधान लोकतांत्रिक विचार-विमर्श का उत्पाद था एवं औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप स्वयं भारत के लोगों द्वारा निर्धारित किया गया था।
- यहां वर्णित आदर्श नवीन लोकतांत्रिक राष्ट्र के मूल में थे।
- संविधान सभा की बहसों के दौरान, अनेक सुझाव प्रदान किए हुए थे - जिसमें यह भी शामिल है कि ईश्वर को प्रस्तावना में शामिल किया जाना चाहिए जैसा कि आयरलैंड के (आयरिश) संविधान में है, कि महात्मा गांधी का नाम शामिल किया जाना चाहिए, इत्यादि।

क्या यह संविधान का एक भाग है?

- प्रस्तावना संविधान का एक भाग है अथवा मात्र एक परिचय के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार-विमर्श किया गया है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें उल्लिखित उद्देश्यों का अर्थ एवं महत्व, जैसे कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, कानून के दृष्टिकोण से अस्पष्ट रहे।
- हालांकि, 1995 के प्रसिद्ध एलआईसी के वाद में अपने निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना जो संविधान का एक अभिन्न अंग एवं व्यवस्था है, संविधान के एक भाग के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करता है।
- इसके अतिरिक्त, प्रस्तावना में उल्लिखित किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन न्यायालय में जाने का कारण नहीं हो सकता है, जिसका अर्थ है कि प्रस्तावना "गैर-न्यायसंगत" है।
- यद्यपि, न्यायालयों के निर्णय इसे अपने तर्क में एक अतिरिक्त कारक के रूप में उद्धृत कर सकते हैं, यह देखते हुए कि यह संविधान की आत्मा का निर्माण करता है।

इससे पूर्व की बहस

- 2020 में एक सत्तारूढ़ सांसद ने प्रस्तावना से समाजवाद शब्द को हटाने की मांग करते हुए राज्यसभा में एक संकल्प प्रस्तुति किया है।
- इसने कहा कि सात दशकों तक देश पर शासन करने वाली पिछले राजनीतिक दल ने समाजवादी से कल्याणकारी होने की दिशा को नव-उदारवाद में बदल दिया है।
- 1990 के दशक में अपनाई गई इसकी नई उदार नीतियों ने अपने स्वयं की पूर्व स्थितियों को नकार दिया है।
- इससे पूर्व 2015 में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने "समाजवादी" तथा " पंथनिरपेक्ष" शब्दों के बिना भारतीय संविधान की प्रस्तावना की एक छवि का उपयोग किया, जिससे कुछ आलोचना हुई।

दक्षिणपंथी वृत्तांत

- ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। अब इस पर बहस किए जाने में में क्या हानि है?

Adda247 Publications

For More Study Material
Visit: adda247.com

- 2008 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'समाजवादी' शब्द को हटाने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।
- शीर्ष न्यायालय ने पूछा- आप समाजवाद को कम्युनिस्टों द्वारा परिभाषित संकीर्ण अर्थ में क्यों लेते हैं?
- व्यापक अर्थ में इसका अर्थ नागरिकों के लिए कल्याणकारी उपाय है। यह लोकतंत्र का एक पहलू है, न्यायालय ने कहा।
- इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। अलग-अलग समय में इसके अलग-अलग अर्थ होते हैं।

प्रस्तावना में किन परिस्थितियों में संशोधन किया गया?

- सरकार में अपने शासनकाल के दौरान, इंदिरा गांधी ने "गरीबी हटाओ" (निर्धनता उन्मूलन) जैसे नारों के साथ एक समाजवादी एवं गरीब-समर्थक छवि के आधार पर जनता के बीच अपनी स्वीकृति को मजबूत करने का प्रयास किया था।
- संविधान में 42वां संशोधन, 1976 में पारित हुआ जब आपातकाल लागू था, "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" शब्दों को "संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- इसने "राष्ट्र की एकता" को "राष्ट्र की एकता एवं अखंडता" में भी बदल दिया।

क्या स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 'पंथनिरपेक्ष' एवं 'समाजवादी' पर बहस हुई थी?

- संविधान सभा में बहस के दौरान के. टी. शाह एवं ब्रजेश्वर प्रसाद जैसे सदस्यों ने इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने की मांग उठाई थी।
- हालांकि, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने तर्क दिया: राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को उसके सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष में किस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए, यह ऐसे मामले हैं जिन्हें लोगों को समय तथा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं निर्धारित करना होगा।
- इसे संविधान में ही निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह लोकतंत्र को पूर्ण रूप से नष्ट कर रहा है।

क्या यह संविधान में समावेशित है?

- वास्तव में, पंथनिरपेक्षता एवं समाजवाद की पुष्टि करने वाले अनेक सिद्धांत मूल रूप से संविधान में, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित थे जो सरकार को उसके कार्यों में मार्गदर्शन करने हेतु निर्देशित हैं।
- कुछ उदाहरण "समुदाय के कल्याण हेतु भौतिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण" एवं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित प्रावधान हैं।
- इसी तरह, मौलिक अधिकारों में, जो किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता की अनुमति प्रदान करता है, साथ ही सरकारी नीतियों में जो समुदायों में धार्मिक अवसरों को मान्यता देते हैं, पंथनिरपेक्षता के एक भारतीय संस्करण का अनुसरण किया जाता है।
- पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के विपरीत, जो राज्य एवं धर्म को दृढ़ता से अलग करती है, भारतीय राज्य ने वर्षों से सभी धर्मों से संबंधित मामलों को स्वीकार किया है एवं स्वयं को इनमें शामिल किया है।

4 नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में जोड़ा

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों (शेड्यूल्ड ट्राइब्स/एसटी) की सूची में चार जनजातियों को जोड़ने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

1. हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरि क्षेत्र में हट्टी जनजाति,
2. तमिलनाडु की नारिकोरावन एवं कुरिविक्करन पहाड़ी जनजाति तथा
3. छत्तीसगढ़ में बिंझिया जनजाति, जिसे झारखंड एवं ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था किंतु छत्तीसगढ़ में नहीं

- कैबिनेट ने कर्नाटक में कडु कुरुबा जनजाति के पर्याय के रूप में 'बेट्टा-कुरुबा' को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

अनुसूचित जनजाति कौन हैं?

- 'अनुसूचित जनजाति' शब्द प्रथम बार भारत के संविधान में प्रदर्शित हुआ।
- अनुच्छेद 366 (25) ने अनुसूचित जनजातियों को "ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों अथवा ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों के रूप में परिभाषित किया है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है"।
- अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- जनजातीय समूहों में से अनेक ने आधुनिक जीवन को अपना लिया है किंतु ऐसे जनजातीय (आदिवासी) समूह भी हैं जो अधिक संवेदनशील हैं।
- ढेबर आयोग (1973) ने एक पृथक श्रेणी "आदिम जनजातीय समूह (प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स/पीटीजी)" का निर्माण किया, जिसका नाम परिवर्तित कर 2006 में "विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स/पीवीटीजी)" कर दिया गया।

जनजातियों को किस प्रकार अधिसूचित किया जाता है?

- किसी विशेष राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का प्रथम विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति के एक अधिसूचित आदेश द्वारा होता है।

- इन आदेशों को बाद में केवल संसद के एक अधिनियम के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है।

भारत में जनजातियों की स्थिति

- 2011 की जनगणना से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में अधिसूचित 705 नृजातीय समूह हैं।
- 10 करोड़ से अधिक भारतीय जनजातियों के रूप में अधिसूचित हैं, जिनमें से 1.04 करोड़ शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या का 8.6% एवं ग्रामीण जनसंख्या का 11.3% है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम

भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया/CJI) यू. यू. ललित के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की चुनौती पर सुनवाई करेगी।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट/CAA), 2019

- इस अधिनियम ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता के लिए पात्र बनाने हेतु नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने की मांग की।
- अन्य शब्दों में, इसका अभिप्राय भारत के तीन मुस्लिम-बहुल पड़ोसियों के गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए भारत का नागरिक बनना सरल बनाना है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत, देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवश्यकताओं में से एक यह है कि आवेदक विगत 12 माह के दौरान एवं साथ ही विगत 14 वर्षों में से 11 वर्षों के दौरान भारत में निवास कर रहा हो।
- संशोधन इन छह धर्मों एवं उपरोक्त तीन देशों के आवेदकों के लिए एक विशिष्ट शर्त के रूप में दूसरी अनिवार्यता को 11 वर्ष से 6 वर्ष तक शिथिल करता है।
- यह छह समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 एवं पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से उन्मुक्ति प्रदान करता है यदि उन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश किया हो।

अवैध प्रवासियों को परिभाषित करना

- अवैध प्रवासी वर्तमान कानूनों के अनुसार भारतीय नागरिक नहीं बन सकते।
- सीएए के तहत, एक अवैध प्रवासी एक विदेशी है जो: (i) पासपोर्ट एवं वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, अथवा (ii) वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, किंतु अनुमत समय अवधि से परे यहां रुकता है।
- अवैध प्रवासियों को विदेशी अधिनियम, 1946 एवं पासपोर्ट (भारत में प्रवेश (अधिनियम, 1920 के तहत जेल में डाला जा सकता है अथवा निर्वासित किया जा सकता है।

अपवाद

विधेयक में प्रावधान है कि चार शर्तों को पूरा करने वाले अवैध प्रवासियों को अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। वे शर्तें हैं:

1. वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई हैं।
2. वे अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं।
3. उन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया हो।
4. वे संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के कतिपय निश्चित जनजातीय (आदिवासी) क्षेत्रों अथवा "इनर लाइन" परमिट के तहत क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं नागालैंड में नहीं हैं। ।

अधिनियम के साथ विवाद

- मूल देश: अधिनियम केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को सम्मिलित करने हेतु प्रवासियों को उनके मूल देश के आधार पर वर्गीकृत करता है।
- अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की अनदेखी: यह स्पष्ट नहीं है कि मात्र छह निर्दिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के अवैध प्रवासियों को अधिनियम में क्यों सम्मिलित किया गया है।
- उद्देश्य की अवहेलना: भारत म्यांमार के साथ एक सीमा साझा करता है, जिसका एक धार्मिक अल्पसंख्यक, रोहिंग्या मुसलमानों के उत्पीड़न का इतिहास रहा है।
- प्रवेश की तिथि: यह भी स्पष्ट नहीं है कि भारत में प्रवेश करने की तिथि के आधार पर प्रवासियों के साथ पृथक रूप से व्यवहार क्यों किया जाता है, अर्थात क्या उन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पूर्व अथवा पश्चात में भारत में प्रवेश किया था।
- धर्मनिरपेक्षता की भावना के विरुद्ध: इसके अतिरिक्त, धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के विरुद्ध माना जाता है जिसे मूल संरचना के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है जिसे संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती

- चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर आश्रित है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है जो गारंटी देता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता के अधिकार या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के आधार पर कानून की जांच करने के लिए दो-आयामी परीक्षण विकसित किया है।

1. सर्वप्रथम, व्यक्तियों के समूहों के मध्य किसी भी विभेद को "बोधगम्य वैशिष्ट्य" (इंटेलिजिबल डिफरेंशिया) पर स्थापित किया जाना चाहिए।

2. दूसरा, उस वैशिष्ट्य का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

- सीधे शब्दों में कहें, तो कानून के लिए अनुच्छेद 14 के तहत शर्तों को पूरा करने के लिए, उसे पहले उन विषयों का "युक्तियुक्त वर्ग" निर्मित करना होगा जो कानून के तहत संचालित होना चाहते हैं।
- भले ही वर्गीकरण युक्तियुक्त हो, उस श्रेणी में आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

आगे क्या?

- सीएए चुनौती को सूचीबद्ध करने से संकेत मिलता है कि सुनवाई तेज हो जाएगी।
- न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने से पूर्व सभी दलीलें, लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की जाए एवं विपरीत पक्ष को तामील की जाएँ।
- कुछ याचिकाकर्ता एक बड़ी संविधान पीठ को इस वाद को संदर्भित किए जाने की मांग भी कर सकते हैं।
- यद्यपि, चुनौती एक क़ानून के लिए है एवं इसमें सीधे संविधान की व्याख्या सम्मिलित नहीं है।
- न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई के लिए समय आवंटित करने से पूर्व इन मुद्दों पर भी बहस होने की संभावना है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम: आगे की राह

- भारत एक आधारिक संरचना वाला संवैधानिक लोकतंत्र है जो समस्त भारतीयों के लिए एक सुरक्षित एवं विशाल घर का आश्वासन प्रदान करता है।
- धार्मिक आधार पर विभाजित होने के कारण, भारत को अपने पड़ोस में धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एक संतुलनकारी कार्य करना होगा।
- इन अल्पसंख्यकों पर लगातार उत्पीड़न एवं बर्बरता का खतरा मंडरा रहा है।
- भारत को पड़ोस में अभियोजित व्यक्तियों की रक्षा के लिए अपनी सभ्यता के कर्तव्यों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

मृत्यु दंड

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मृत्यु दंड के बुनियादी पहलुओं की पुनर्परीक्षा की आवश्यकता है।

- तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने स्वीकार किया कि भारत की मृत्युदंड व्यवस्था में गंभीर समस्याएं हैं, यह दर्शाता है कि मृत्युदंड की सजा की वर्तमान स्थिति असमर्थनीय है।

मृत्यु दंड क्या है?

- मृत्युदंड, जिसे फांसी की सजा (कैपिटल पनिशमेंट) के रूप में भी जाना जाता है, विश्व में कहीं भी मौजूद किसी भी आपराधिक कानून के तहत उपलब्ध सजा का सर्वाधिक कठोर रूप है।
- इसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना किए गए अतिरिक्त न्यायिक निष्पादन से पृथक किया जाना चाहिए।
- मृत्युदंड शब्द को कभी-कभी फांसी की सजा के साथ एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, हालांकि आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण की संभावना के कारण दंड के अधिरोपण के पश्चात सदैव मृत्युदंड नहीं दिया जाता है।

मृत्यु दंड: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973), फिर 'राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (1979), तथा अंत में 'बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य' (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की।
- इसमें कहा गया है कि यदि कानून में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है एवं प्रक्रिया निष्पक्ष, न्याय संगत तथा उचित है, तो दोषी को मृत्यु दंड दिया जा सकता है।
- यद्यपि, यह केवल "दुर्लभ से दुर्लभ" मामलों में होगा तथा न्यायालयों को किसी व्यक्ति को फांसी पर भेजते समय "विशेष कारण" प्रस्तुत करना चाहिए।

मौत

- शब्द फांसी की सजा ("कैपिटल पनिशमेंट") दंड के सर्वाधिक गंभीर रूप के लिए जानी जाती है।
- यह वह सजा है जो मानवता के विरुद्ध सर्वाधिक जघन्य, गंभीर एवं घृणित अपराधों के लिए दी जानी है।
- जबकि ऐसे अपराधों की परिभाषा एवं सीमा अलग-अलग होती है, मृत्युदंड का निहितार्थ हमेशा मौत की सजा रहा है।

मृत्युदंड: अंतर्राष्ट्रीय ढांचा

- **आईसीसीपीआर:** इस तथ्य के बावजूद कि 1960 के दशक के प्रारंभ में अधिकांश देशों में मृत्युदंड अभी भी चलन में था, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलीटिकल राइट्स/ICCPR) के प्रारूप ने अंतरराष्ट्रीय कानून में इसे समाप्त करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। यद्यपि आईसीसीपीआर का अनुच्छेद 6 प्रतिबंधित परिस्थितियों में मृत्युदंड के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है, किंतु यह भी कहता है कि इस अनुच्छेद में किसी भी बात को राज्य पक्षकार को मृत्युदंड को समाप्त करने से वर्तमान प्रसंविदा में विलंब करने अथवा बाधा डालने के लिए लागू नहीं किया जाएगा। ICCPR के दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल का उद्देश्य मृत्युदंड को समाप्त करना है।
- **संयुक्त राष्ट्र इकोसोक:** संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल) ने 1984 में यह सुनिश्चित करते हुए रक्षोपाय अधिनियमित किया कि मृत्युदंड का सामना करने वाले व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हैं।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रसंविदा को अंगीकृत करने के 33 वर्ष पश्चात 1989 में आईसीसीपीआर के दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि की, जिससे मृत्युदंड की समाप्ति को एक शक्तिशाली नवीन अभिवर्धन प्राप्त हुआ। प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ताओं के सदस्यों ने अपने कार्य क्षेत्र के भीतर किसी को भी मृत्युदंड नहीं देने का वचन दिया।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प**: महासभा ने राज्यों से अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने का आग्रह किया जो 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 एवं 2018 में अधिनियमित प्रस्तावों की एक श्रृंखला में मौत की सजा का सामना करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं तथा शनै शनै मृत्युदंड के रूप में दंडनीय अपराधों की संख्या को कम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में ICCPR के दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि की, जिससे मृत्युदंड की समाप्ति को एक शक्तिशाली नवीन अभिवर्धन प्राप्त हुआ। प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ताओं के सदस्यों ने अपने कार्य क्षेत्र के भीतर किसी को भी मृत्युदंड नहीं देने का वचन दिया।

मृत्युदंड क्यों समाप्त किया जाना चाहिए?

- निर्दोष व्यक्ति को फांसी: निर्दोष व्यक्तियों को अतीत में फांसी की सजा दी गई है एवं भविष्य में भी ऐसी सजा दी जाती रहेगी। 2000 एवं 2014 के मध्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने निचली अदालतों (ट्रायल कोर्ट) द्वारा मौत की सजा पाने वाले प्रत्येक पांचवें व्यक्तियों को रिहा कर दिया।
- स्वेच्छाचारिता: मौत की सजा को मनमाने ढंग से लागू किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी) दिल्ली की डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट 2016 (DPIR) के अनुसार, भारत में मौत की सजा पाने वाले सभी दोषियों में से लगभग 75% सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित श्रेणियों जैसे दलित, ओबीसी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों से हैं।
- आँख के बदले आँख: सुधारात्मक न्याय अधिक उत्पादक है, कि प्रतिशोध की तलाश में प्रायः निर्दोष व्यक्तियों को मार दिया जाता है तथा यह कि "आंख के बदले आंख संपूर्ण विश्व को अंधा बना देती है।
- निरोध एक मिथक है: मृत्यु दंड संगीन अपराधों के लिए एक निवारक नहीं है, यह कहते हुए कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मृत्यु दंड एक निवारक है।

निष्कर्ष

मृत्यु दंड विश्व में सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दों में से एक है एवं यह एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार बहस हो रही है। विश्व के 70% से अधिक देशों ने विधि अथवा व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। मृत्युदंड के विकल्पों के सफल निष्पादन के साथ-साथ पेशेवरों के परामर्श को सुनिश्चित करने के लिए नए उपयुक्त नियम बनाए जाने चाहिए।

प्रारूप भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022

प्रारूप भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 हाल ही में संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों एवं उद्योग संघों के परामर्श के आधार पर तैयार किया गया था।

- आगे परामर्श की सुविधा के लिए, प्रारूप दूरसंचार विधेयक का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने हेतु एक व्याख्यात्मक नोट भी तैयार किया गया है।

प्रारूप दूरसंचार विधेयक 2022

- **पृष्ठभूमि:** दूरसंचार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम/DoT) ने दूरसंचार क्षेत्र को शासित करने वाले ब्रिटिश-युग के कानूनों को समाप्त करने के लिए भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का प्रारूप जारी किया।
- **प्रारूप भारतीय दूरसंचार विधेयक के बारे में:** दूरसंचार क्षेत्र को शासित करने के तरीके में व्यापक परिवर्तन लाने हेतु, मुख्य रूप से केंद्र को ऐसा करने के लिए अनेक क्षेत्रों में अधिक शक्तियां प्रदान कर प्रारूप भारतीय दूरसंचार विधेयक अधिनियमित किया जा रहा है।
- **उद्देश्य:** प्रारूप भारतीय दूरसंचार विधेय (ड्राफ्ट इंडियन टेलीकॉम बिल) के माध्यम से, केंद्र का उद्देश्य स्पेक्ट्रम के प्रदत्त कार्य के अतिरिक्त दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार नेटवर्क एवं आधारिक अवसंरचना के प्रावधान, विकास, विस्तार तथा संचालन को शासित करने वाले वर्तमान कानूनों को समेकित तथा संशोधित करना है।

प्रारूप दूरसंचार विधेयक 2022 की प्रमुख विशेषताएं

- **मौजूदा कानूनों का समेकन:** प्रारूप दूरसंचार विधेयक तीन पृथक पृथक अधिनियमों - भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 एवं द टेलीग्राफ वायर्स, (गैरकानूनी संरक्षण) अधिनियम 1950 को समेकित करता है जो दूरसंचार क्षेत्र को शासित करते हैं।
- **दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा को व्यापक बनाना:** दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा में व्हाट्सएप, सिग्नल तथा टेलीग्राम सदृश नवीन युग के शीर्ष संचार सेवाओं को शामिल करने के माध्यम से।
- प्रारूप कानून के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं के प्रदाताओं को लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत कवर किया जाएगा एवं इन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों के समान नियमों के अधीन किया जाएगा।
- **ट्राई की अनुशंसात्मक शक्तियों को कम करना:** वर्तमान भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम (ट्राई अधिनियम) दूरसंचार विभाग को एक सेवा प्रदाता को नया लाइसेंस जारी करने से पूर्वक नियामक के विचारों को जानने हेतु अधिदेशित करता है।

  - प्रस्तावित दूरसंचार विधेयक इस प्रावधान को समाप्त करता है।
  - इसने उस प्रावधान को भी हटा दिया है जिसने ट्राई को यह संस्तुति करने हेतु आवश्यक जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सरकार से अनुरोध करने का अधिकार प्रदान किया था।
  - इसके अतिरिक्त, नया विधेयक उस प्रावधान को भी समाप्त करने का प्रस्ताव करता है जहां यदि दूरसंचार विभाग ट्राई की संस्तुतियों को स्वीकार नहीं कर सकता है या संशोधन की आवश्यकता है, तो उसे ट्राई द्वारा पुनर्विचार हेतु संस्तुति को वापस भेजना होगा।
- **दिवालियापन या दिवाला पर:** प्रारूप दूरसंचार विधेयक ने प्रस्तावित किया कि यदि स्पेक्ट्रम पर स्वामित्व वाली कोई दूरसंचार इकाई दिवालिएपन या दिवाला की स्थिति से गुजरती है, तो समनुदेशित स्पेक्ट्रम केंद्र के नियंत्रण में वापस आ जाएगा।
  - अब तक, दिवाला कार्यवाही में, इस बात पर स्पष्टता का अभाव रहा है कि क्या एक चूककर्ता (डिफॉल्टर) ऑपरेटर के स्वामित्व वाला स्पेक्ट्रम केंद्र का है या क्या बैंक इस पर नियंत्रण कर सकते हैं।
  - प्रारूप विधेयक केंद्र को वित्तीय तनाव, उपभोक्ता हित एवं प्रतिस्पर्धा बनाए रखने सहित अन्य बातों के अतिरिक्त असाधारण परिस्थितियों में किसी भी लाइसेंसधारी को स्थगित करने, इक्विटी में परिवर्तित करने, बट्टे खाते में डालने अथवा अनुतोष प्रदान करने राहत देने का अधिकार प्रदान करता है।
- **दूरसंचार विकास कोष (टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड/TDF) का निर्माण:** प्रारूप भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 में सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड/USOF) को दूरसंचार विकास कोष (TDF) से प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
  - दूरसंचार विकास कोष (टीडीएफ) का उद्देश्य अल्पसेवित शहरी क्षेत्रों, शोध एवं विकास (रिसर्च एंड डेवलपमेंट/आर एंड डी), कौशल विकास इत्यादि में संपर्क को वर्धित करना है।

ई-गवर्नेंस

दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल शासन के लिए एक व्यापक नीति रोडमैप के बारे में बात की।

डिजिटल गवर्नेंस क्या है?

इलेक्ट्रॉनिक शासन या ई-गवर्नेंस को सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं को प्रदान करने एवं सुविधा प्रदान करने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, संचार के संव्यवहार तथा विभिन्न स्वचालित प्रणालियों (स्टैंडअलोन सिस्टम) तथा सेवाओं के एकीकरण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी/आईसीटी) के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस

वैश्विक डिजिटल शासन में इन प्रौद्योगिकियों के विकास तथा उपयोग के आसपास के नियमन को आकार देने वाले मानदंड, संस्थान एवं मानक शामिल हैं। डिजिटल शासन के दीर्घकालिक वाणिज्यिक एवं राजनीतिक निहितार्थ हैं।

ई-गवर्नेंस: उद्देश्य

ई-गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य सरकार एवं उसके नागरिकों के मध्य एक मित्रतापूर्ण, वहनीय एवं कुशल अंतराफलक (इंटरफेस) प्रदान करना है। यह अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के बारे में है, जिसके परिणामस्वरूप लागत प्रभावी तथा उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवा प्राप्त होती है।

ई-गवर्नेंस: महत्व

- जी 20 के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पहले ही डिजिटल श्रम प्लेटफार्मों के लिए नियोजन कार्य समूह में एक अंतरराष्ट्रीय शासन प्रणाली विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है जो प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए न्यूनतम अधिकारों एवं सुरक्षा का निर्धारण करता है।
- इसी तरह, डिजिटल मुद्रा पर, निजी मुद्राओं में अविश्वास को दूर करने एवं केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए एक पुनर्जन्म वाले ब्रेटन वुड्स का पक्ष पोषण किया जा रहा है।
- अंत में, डिजिटल कराधान के गहन प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र में, ओईसीडी ने बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) वार्ता की सुविधा प्रदान की तथा वैश्विक समाधान पर पहुंचने में सहायता की।
- इंटरनेट अपखंडित हो रहा है एवं डिजिटल संप्रभुता अब आम बात हो गई है; फिर भी, देशों के लिए एक साथ आने तथा वैश्विक डिजिटल शासन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का इससे बेहतर समय नहीं है।

ई-गवर्नेंस: स्तंभ

- ई-प्रशासन: सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार
- ई-सेवाएं: नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से उनकी सरकार से जोड़ना
- ई-सोसाइटी: नागरिक समाज के साथ एवं नागरिक समाज के अंदर अंतः क्रिया का निर्माण।

ई-गवर्नेंस तथा विश्व

- वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सहयोग संरचना एवं समझौतों के अधीन हैं।अतः, डिजिटल अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु एक एकल बहुपक्षीय संगठन स्थापित करने का विचार अभूतपूर्व नहीं है।
- वैश्विक उड्डयन को 1903 से विनियमित किया गया है जब अंतर्राष्ट्रीय वायु नेविगेशन आयोग (इंटरनेशनल कमीशन फॉर

एयर नेविगेशन/ICAN) की प्रथम बैठक हुई, बाद में 1947 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन/ICAO) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- इसी प्रकार, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) द्वारा शासित होती है, जो एक संस्था है जिसे प्रारंभ में 1930 में युद्ध काल में स्थापित किया गया था ताकि वर्साय की संधि के तहत मित्र राष्ट्रों के लिए जर्मनी की क्षतिपूर्ति की निगरानी की जा सके। बीआईएस ने 1950 के दशक के प्रारंभ में एक अधिक वैश्विक अधिदेश प्राप्त किया एवं अब वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी है।
- चीन इस मॉडल के लिए "इंटरनेट को सुदृढ़ करने" की इच्छा के साथ मानक-वाहक के रूप में उभर रहा है। चीन "साइबर संप्रभुता" की अवधारणा का चैंपियन बनने का इच्छुक है, जिससे देशों को व्यक्तिगत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के बहाने इंटरनेट, सेंसर सामग्री एवं संस्थान डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को नियंत्रित करने की अनुमति प्राप्त होती है।
- यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन/जीडीपीआर) जो डिजिटल शासन के लिए अधिक लोकतांत्रिक अवधारणा प्रदान करता है। यह प्रतिमान (मॉडल) मुख्य रूप से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं एवं ऑनलाइन सामग्री उपभोक्ताओं की गोपनीयता तथा अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। 2014 में यूरोपीय संसद के भारी समर्थन के साथ अंगीकृत किया गया, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन मई 2018 में प्रभावी हुआ, जिससे डिजिटल तकनीकों पर विश्वास करने वाली व्यावसायिक कंपनियों (फर्मों) को अपने डेटा उपयोग तथा गोपनीयता नीतियों को संशोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) का अंगीकरण वैश्विक इंटरनेट शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है क्योंकि उपभोक्ताओं ने अपने डेटा पर इस तरह से अभूतपूर्व नियंत्रण प्राप्त किया है जिससे ऑनलाइन स्वतंत्रता तथा खुलेपन को संरक्षित किया जा सके।

निष्कर्ष

विश्व के तीव्र गति से हो रहे डिजिटलीकरण के साथ-साथ डिजिटल उत्पादों एवं सेवाओं के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विश्वास पर एक नया फोकस भारत तथा इसके युवाओं के लिए असीम अवसर प्रस्तुत करता है। नवीन भारत की आर्थिक क्षमता को प्राप्त करने हेतु अब हम सभी पर सामूहिक "सबका प्रयास" करना है।

ईडब्ल्यूएस कोटा

भारत के मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित के नेतृत्व में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस/ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% कोटा एवं मुसलमानों को आरक्षण देने वाले आंध्र प्रदेश कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

103वां संविधान संशोधन, 2019

- भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ 103वें संविधान संशोधन की वैधता पर विचार कर रही है।
- उक्त संशोधन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है।
- आर्थिक आरक्षण अनुच्छेद 15 एवं 16 में संशोधन करके तथा राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देने वाले खंडों को जोड़कर प्रारंभ किया गया था।

EWS कोटा: एक पृष्ठभूमि
• 10% आरक्षण 103 वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रारंभ किया गया था एवं जनवरी 2019 में प्रवर्तित किया गया था।
• इसने उन वर्गों के अतिरिक्त जो पूर्व से ही आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, नागरिकों के मध्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए विशेष प्रावधान प्रारंभ करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने हेतु अनुच्छेद 15 में खंड (6) जोड़ा।
• यह सार्वजनिक एवं निजी दोनों शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वह सहायता प्राप्त हो अथवा गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा संचालित संस्थानों को छोड़कर, अधिकतम 10% तक आरक्षण की अनुमति देता है।
• इसने रोजगार में आरक्षण की सुविधा के लिए अनुच्छेद 16 में खंड (6) भी जोड़ा।
• नवीन खंड यह स्पष्ट करते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त होंगे।

महत्व

- संविधान ने प्रारंभ में केवल सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति दी थी।
- सरकार ने उन लोगों के लिए सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम के एक नए वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस की अवधारणा प्रस्तुत की, जो समुदाय-आधारित कोटा के अंतर्गत आच्छादित या पात्र नहीं हैं।

मानदंड के बारे में न्यायालय के क्या प्रश्न हैं?

- **सामान्य श्रेणी में कटौती:** ईडब्ल्यूएस कोटा एक विवाद बना हुआ है क्योंकि इसके आलोचकों का कहना है कि यह कुल आरक्षण पर 50% की सीमा का उल्लंघन करने के अतिरिक्त, मुक्त श्रेणी के आकार को कम करता है।
- **आय सीमा को लेकर स्वेच्छाचारिता:** आय सीमा प्रति वर्ष 8 लाख रुपए निर्धारित किए जाने से भी न्यायालय चिंतित है। ओबीसी आरक्षण के लाभों से 'क्रीमी लेयर' को बाहर करने के लिए भी यही आंकड़ा उपयोग में है।
- **सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन:** एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सामान्य वर्ग के लोग, जिन पर ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होता है,

वे ओबीसी के रूप में वर्गीकृत लोगों के विपरीत सामाजिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित नहीं होते हैं।

- **महानगरीय मानदंड:** अन्य प्रश्न हैं कि क्या अपवादों को प्राप्त करने के लिए कोई अभ्यास किया गया था जैसे कि एक समान मानदंड महानगरीय एवं गैर-महानगरीय क्षेत्रों के मध्य अंतर क्यों नहीं करता है।
- **ओबीसी के समरूप मानदंड:** न्यायालय ने जो प्रश्न किया है वह यह है कि जब ओबीसी वर्ग सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तथा इसलिए उसे दूर करने के लिए अतिरिक्त बाधाएं हैं।
- **प्रासंगिक डेटा पर आधारित नहीं:** सर्वोच्च न्यायालय की ज्ञात स्थिति के अनुरूप कि कोई भी आरक्षण या अपवर्जन के मानदंड प्रासंगिक डेटा पर आधारित होने चाहिए।
- **आरक्षण की सीमा का उल्लंघन:** इंदिरा साहनी के वाद में रेखांकित आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा है। समानता को संतुलित करने का सिद्धांत आरक्षण को विहित करता है।

ईडब्ल्यूएस कोटा की वर्तमान स्थिति क्या है?

- केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को अब दूसरे वर्ष लागू किया जा रहा है।
- भर्ती परीक्षा परिणाम बताते हैं कि इस श्रेणी में ओबीसी की तुलना में कम कट-ऑफ अंक है, एक ऐसा बिंदु जिसने जाति के आधार पर आरक्षण के पारंपरिक लाभार्थियों को चिंतित किया है।
- स्पष्टीकरण यह है कि वर्तमान में मात्र कुछ व्यक्ति ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे हैं - किसी को राजस्व अधिकारियों से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा - एवं इसलिए कट-ऑफ कम है।
- हालांकि, जब समय के साथ संख्या बढ़ती है, तो कट-ऑफ अंक के बढ़ने की संभावना है।

ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ व्यावहारिक समस्याएं

ईडब्ल्यूएस कोटा शीघ्र ही न्यायिक जांच के दायरे में आएगा। किंतु यह केवल न्यायपालिका का मामला नहीं है, भारत की संसद को भी इस कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए।

- **अविचारित कानून:** यह कानून जल्दबाजी में पारित किया गया था। इसे 48 घंटे के भीतर दोनों सदनों में पारित कर दिया गया एवं अगले दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई।
- **अल्पसंख्यक तुष्टीकरण:** यह व्यापक रूप से तर्क दिया जाता है कि उच्च जाति समाज के एक निश्चित वर्ग को प्रसन्न करने एवं अल्पसंख्यक आरक्षण की मांगों को दबाने के लिए कानून पारित किया गया था।
- **नैतिकता पर प्रश्नचिह्न लगा:** कल्पना कीजिए! लक्षित समूह के परामर्श के बिना कुछ घंटों के विचार-विमर्श के साथ एक संवैधानिक संशोधन किया गया है। यह निश्चित रूप से संवैधानिक नैतिकता एवं औचित्य के विरुद्ध है।
- **पर्याप्त समर्थन अनुपस्थित है:** यह संशोधन गलत या असत्यापित आधार पर आधारित है। यह सबसे अच्छा एक अविवेचित अनुमान अथवा एक परिकलन है क्योंकि सरकार ने इस बात का समर्थन करने के लिए कोई डेटा तैयार नहीं किया है।
- **पिछड़े वर्गों का कम आरक्षण:** यह दावा इस तथ्य पर आधारित है कि हमारे पास अनुसूचित जाति (शेड्यूल्ड कास्ट/एससी), अनुसूचित जनजाति (शेड्यूल्ड ट्राइब्स/एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग(अदर बैकवर्ड कास्ट/ओबीसी) के निम्न प्रतिनिधित्व को सिद्ध करने हेतु अलग-अलग आंकड़े हैं। इसका तात्पर्य है कि 'उच्च' जातियों का प्रतिनिधित्व अधिक है (100 प्रतिशत में से आरक्षण को घटाने के साथ)।
- **10% का औचित्य:** इस संबंध में एक अन्य समस्या है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का कोटा उनकी कुल आबादी पर आधारित है। किंतु 10 प्रतिशत आरक्षण के औचित्य पर कभी चर्चा नहीं हुई।
- **समानता का सिद्धांत:** आर्थिक पिछड़ापन काफी तरल परिचय है। इसका पिछड़ा वर्ग के ऐतिहासिक अन्याय एवं देनदारियों से कोई लेना-देना नहीं है।

आगे की राह

- **योग्यता का संरक्षण:** हम अपने देश में योग्यता में बाधा डालने वाले आर्थिक पिछड़ेपन की दयनीय स्थिति से इंकार नहीं कर सकते।
- **तर्कसंगत मानदंड:** आर्थिक न्याय की अवधारणा को आकार देने के लिए समाज के कुछ वर्गों की आर्थिक कमजोरी को परिभाषित करने एवं मापने के लिए सामूहिक अवबोध होना चाहिए।
- **न्यायिक मार्गदर्शन:** न्यायिक व्याख्या ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतुआगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- **लक्षित हितग्राही:** इस आरक्षण प्रणाली के लक्षित लाभार्थियों का निर्धारण करने हेतु केंद्र को और अधिक तर्कसंगत मानदंडों का आश्रय लेने की आवश्यकता है। इस संबंध में जाति जनगणना के आंकड़े उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
- **आय का अध्ययन:** प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद अथवा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रय शक्ति में अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जबकि संपूर्ण देश के लिए एक ही आय सीमा तैयार की गई थी।

निष्कर्ष

- आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में समस्त नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक संवैधानिक योजना है।
- ऊपर चर्चा की गई अस्पष्टताओं के साथ ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षण के लिए संवैधानिक योजना का व्यवस्था भंजक है।

केरल का लोकायुक्त संशोधन विवाद

केरल विधानसभा ने बहिष्कार के बीच केरल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक पारित किया।

लोकपाल-लोकायुक्त कौन हैं?
• लोकपाल-लोकायुक्त शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट में किया गया था।
• नेताओं एवं सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल की प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार की व्यापकता के कारण इसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई थी।
• लोकपाल पर प्रथम विधेयक 1968 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था जो सदन के विघटन के साथ समाप्त हो गया था।
• अन्ना हजारे के आंदोलन एवं नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी ने सरकार पर अत्यधिक नैतिक दबाव उत्पन्न किया जिसके कारण अंततः 2013 में लोकपाल विधेयक को पारित किया गया।

लोकपाल का गठन

- लोकपाल कोई सामान्य जांच संस्था नहीं है।
- इसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं।
- इसमें आठ सदस्य होते हैं, जिनमें से चार न्यायिक सदस्य होते हैं।
- इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था न्यायाधीशों अथवा न्यायिक सदस्यों से भरी हुई होती है।
- लोकपाल के पास क्रमशः जांच एवं अभियोजन से संबंधित एक अन्वेषण स्कंध तथा एक अभियोजन स्कंध है।
- लोकपाल के निष्कर्षों के आधार पर अभियोजन निदेशक ने विशेष न्यायालय में वाद दायर करते हैं।

लोकपाल के दायरे में कौन आते हैं?

- लोकपाल के पास प्रधानमंत्री, मंत्रियों, संसद सदस्यों, ए, बी, सी तथा डी समूह के अधिकारियों एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है।
- जांच के निष्कर्ष के पश्चात, लोकपाल विशेष न्यायालय में वाद दाखिल कर सकता है यदि निष्कर्ष में प्रधान मंत्री, मंत्रियों या सांसदों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध प्रकट होता है।
- यद्यपि, लोकपाल के पास राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री अथवा किसी मंत्री को पद से हटाने के लिए कहने की शक्ति नहीं है।

राज्यों के संबंध में क्या है?

- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम राज्यों को सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए कानून द्वारा लोकायुक्त स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- कुछ राज्यों ने पूर्व में ही लोकायुक्त स्थापित कर लिए हैं। उदाहरण के लिए, 1971 में महाराष्ट्र एवं 1999 में केरल।

केरल का विवाद क्या है?

- केरल लोकायुक्त विवाद पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए, संसद द्वारा अधिनियमित लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम की योजना को समझना आवश्यक है।
- अधिनियम का लंबा शीर्षक कहता है: "कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए संघ हेतु लोकपाल एवं राज्यों के लिए लोकायुक्त के एक निकाय की स्थापना के लिए एक अधिनियम ..."।
- इस प्रकार, लोकपाल की कल्पना एक ऐसे निकाय के रूप में की जाती है जो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा।
- यह मूल रूप से एक जांच निकाय है जिसका कार्य त्वरित एवं निष्पक्ष जांच करना तथा भ्रष्टाचार के मामलों का अभियोजन करना है।

संशोधन से संबंधित मुद्दे

- संशोधन लोकायुक्त की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संबंधित थे।
- लोकायुक्त की ओर से मुख्यमंत्री के विरुद्ध किसी भी प्रतिकूल निर्णय के मामले में, सक्षम प्राधिकारी अब राज्यपाल के स्थान पर विधान सभा होगी जैसा कि वर्तमान अधिनियम में निर्धारित है।
- संशोधन राज्यपाल की शक्तियों को छीनने का प्रयास करता है।
- लोकायुक्त ने अपनी कुछ शक्तियों को छीनने के प्रयास पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

केरल सरकार के तर्क

- दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि संशोधन के माध्यम से मूल अधिनियम में एक प्रावधान जो असंवैधानिक है, उसे कर्तित किया गया है।
- इससे पूर्व इसने लोकायुक्त को राज्यपाल को, भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का निर्देश देने का अधिकार प्रदान किया था।
- इसका अर्थ यह हुआ कि लोकायुक्त को राज्यपाल के पद से ऊपर होना था।

विधिक एवं संवैधानिक निहितार्थ

- एक, एक जांच निकाय के पास अपने निष्कर्षों के आधार पर लोक सेवक को अपने पद से त्यागपत्र देने का निर्देश देने हेतु विधिक अधिकार नहीं है।

- यह केवल सक्षम प्राधिकारी को अपने निष्कर्ष संदर्भित कर सकता है अथवा जैसा कि लोकपाल अधिनियम में प्रावधान किया गया है, विशेष न्यायालय में मामला दर्ज कर सकता है।
- लोकायुक्त मूल रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए कुछ शक्तियों से युक्त एक जांच निकाय है।
- इस निकाय की एकमात्र विशेषता यह है कि इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करते हैं।
- किंतु यह एक जांच निकाय के रूप में लोकायुक्त के मूल चरित्र को नहीं बदलता है।
- मुख्यमंत्री अथवा मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं (अनुच्छेद 164)।
- भारत का संविधान राज्यपाल पर अपने प्रसादपर्यंत को वापस लेने के लिए किसी बाहरी दबाव पर विचार नहीं करता है।
- सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त कर सकता है जब वह विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है एवं पद त्याग करने से इनकार कर देता है।
- सरकारिया आयोग की इस संस्तुति को सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है।
- एक अन्य अवसर जब राज्यपाल अपना प्रसादपर्यंत वापस ले सकता है, वह यह है कि मुख्यमंत्री को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था एवं कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
- अन्य शब्दों में, एक मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत प्राप्त होने पर त्यागपत्र देने हेतु नहीं कहा जा सकता है।
- राज्यपाल, एक उच्च संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते, जहां तक उनके संवैधानिक कर्तव्यों एवं कार्यों का संबंध है, एक विशेष रीति से कार्य करने के लिए कानून द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है।

अन्य विवादास्पद प्रावधान

- कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जो विधिक जांच के दायरे में नहीं आ सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, इस कानून में 'लोक सेवक' की परिभाषा में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी सम्मिलित हैं।
- मूल रूप से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सरकार एवं संबद्ध एजेंसियों, वैधानिक निकायों, निर्वाचित निकायों इत्यादि में भ्रष्टाचार से संबंधित है।
- राजनीतिक दलों के पदाधिकारी इस कानून की सीमा के दायरे में नहीं आते हैं। अतः, यह समझना कठिन है कि उन्हें लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में किस प्रकार लाया जा सकता है।
- इस कानून में एक अन्य समस्यात्मक प्रावधान वह है जो लोकायुक्त (धारा 12) की रिपोर्ट से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि होने पर, कार्रवाई की संस्तुति के साथ निष्कर्षों को सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा, जिसके द्वारा लोकायुक्त की संस्तुति के अनुसार कार्रवाई करने की अपेक्षा है।
- इसमें आगे कहा गया है कि यदि लोकायुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं, तो वह मामले को बंद कर देंगे।
- प्रश्न यह है कि लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार के मामले को कैसे बंद कर सकता है जो एक आपराधिक मामला है तथा जिसमें तीन से सात वर्ष के कारावास का प्रावधान है।
- लोकपाल जांच के बाद न्यायालय में केस फाइल करता है। केंद्रीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत लोकपाल मामले को न्यायालय में पहुंचने से पूर्व ही बंद कर सकता है।
- लोकायुक्त के न्यायालय के रूप में न होने के कारण किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार के मामले को बंद करने की विधिक क्षमता नहीं है।

आगे की राह

- केरल लोकायुक्त अधिनियम की विधानसभा की एक समिति द्वारा पुनः जांच की जानी चाहिए एवं इसे लोकपाल अधिनियम के समान स्तर पर लाया जाना चाहिए।
- भ्रष्ट पदाधिकारियों को दंडित करने का प्रयास करने वाले विधान को विवादों से ऊपर रखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान (2018-19)

हाल ही में, नीति आयोग ने श्री राजेश भूषण, सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की उपस्थिति में 2018-19 के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों (नेशनल हेल्थ अकाउंट्स/एनएचए) अनुमानों के निष्कर्ष जारी किए।

स्वास्थ्य व्यय पर एनएचए अनुमान

- 2018-19 में केंद्र सरकार का स्वास्थ्य देखभाल व्यय सकल घरेलू उत्पाद (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट/जीडीपी) का 1.28% रह गया, जो विगत वर्ष के 1.35% के आंकड़े से गिर गया था।
- 2018-19 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के अनुमान बताते हैं कि देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हिस्से में वृद्धि हुई है।
    - यह 2013-14 में 1.15% से बढ़कर 2018-19 में 1.28% हो गया है।
- इसके अतिरिक्त, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हिस्से में भी समय के साथ वृद्धि हुई है।
    - 2018-19 में, सरकारी व्यय का हिस्सा 40.6% था, जो 2013-14 में 28.6% के हिस्से से काफी अधिक था।
- एनएचए के निष्कर्ष यह भी दर्शाते हैं कि वर्तमान स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकार का स्वास्थ्य व्यय 2013-14 में 23.2% से बढ़कर 2018-19 में 34.5% हो गया है।

- यह भी देखा गया है कि स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय 2013-14 से 74 प्रतिशत बढ़ गया है, अर्थात 2018-19 में 1042 रुपये से बढ़कर 1815 रुपये हो गया है।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक देखभाल वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय का 80% से अधिक गठित करता है।
    - 2013-14 एवं 2018-19 के मध्य, सरकार में प्राथमिक एवं माध्यमिक देखभाल की हिस्सेदारी 74% से बढ़कर 86% हो गई है।
- निजी क्षेत्र के मामले में, तृतीयक देखभाल के अंश में वृद्धि हुई है किंतु प्राथमिक एवं माध्यमिक देखभाल में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
    - समान अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक देखभाल का अंश 82 प्रतिशत से घटकर 70 प्रतिशत हो गया है।

आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) पर एनएचए का अनुमान

- कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में तुरत देय व्यय (आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर/ओओपीई) में 16% अंक की कमी आई है, जो 64.2% से 48.2% हो गई है।
- वर्तमान स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में तुरत देय व्यय भी समय के साथ 2013-14 में 69.1% से घटकर 2018-19 में 53.2% हो गया है।
- 2013-14 से देश में प्रति व्यक्ति तुरत देय व्यय 8% कम हो गया है, जो वर्तमान में 2,366 रुपये से 2,155 रुपये हो गया है।

एनएचए अनुमान 2018-19 अन्य संकेतकों पर निष्कर्ष

- सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर व्यय 6% से बढ़कर 9.6% हो गया है।
- एनएचए ने यह भी प्रकट किया है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा व्यय में 2013-14 के बाद से 167 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एनएचए अनुमान- स्वास्थ्य क्षेत्र में रुझान

संकेतक	2017-18 (करोड़ रुपये में)	2018-19 (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत में परिवर्तन
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)	1,70,90,042	1,88,99,668	11%
सामान्य सरकारी व्यय (जीजीई)	45,15,946	50,40,707	12%
कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई)	5,66,644	5,96,440	5%
सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई)	2,31,104	2,42,219	5%

राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता (एनएचए) अनुमान

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता (एनएचए) अनुमान के बारे में:** भारत 2018-19 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता (एनएचए) अनुमान एनएचएसआरसी द्वारा तैयार की गई लगातार छठी एनएचए अनुमान रिपोर्ट है।
    - एनएचएसआरसी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटेरिएट/एनएचएटीएस) के रूप में नामित किया गया था।
- **तत्परता:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन/डब्ल्यूएचओ) द्वारा विकसित स्वास्थ्य लेखा प्रणाली, 2011 के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक के आधार पर एक लेखा ढांचे का उपयोग करके एनएचए अनुमान तैयार किए जाते हैं।
- **महत्व:** एनएचए के वर्तमान अनुमान के साथ, भारत में अब 2013-14 से 2018-19 तक देश के लिए एनएचए अनुमानों की एक सतत श्रृंखला है।
    - ये अनुमान न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय हैं, बल्कि नीति निर्माताओं को देश के विभिन्न स्वास्थ्य वित्तपोषण संकेतकों में प्रगति का अनुश्रवण करने में सक्षम बनाते हैं।

आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में 34 नई दवाएं जोड़ी गईं एवं 26 पुरानी दवाओं को पिछली सूची से हटा दिया गया।

आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम): परिभाषा

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन/डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, आवश्यक दवाएं वे हैं जो जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
- अतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1996 में भारत की आवश्यक दवाओं की पहली राष्ट्रीय सूची तैयार की एवं जारी की जिसमें 279 दवाएं सम्मिलित थीं।
- यह सूची रोग की व्यापकता, प्रभावकारिता, सुरक्षा एवं दवाओं की तुलनात्मक लागत-प्रभावशीलता को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
- ऐसी दवाएं पर्याप्त मात्रा में, उचित खुराक रूपों में तथा सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के लिए अभिप्रेत हैं।

- उन्हें इस तरह से उपलब्ध होना चाहिए कि कोई व्यक्ति या समुदाय वहन कर सके।

भारत में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम)

- एनएलईएम के तहत सूचीबद्ध दवाएं - जिन्हें अधिसूचित दवाओं के रूप में भी जाना जाता है - सस्ती होंगी क्योंकि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी/एनपीपीए) दवा की कीमतों को सीमित करता है एवं मात्र थोक मूल्य सूचकांक-आधारित मुद्रास्फीति के आधार पर परिवर्तन करता है।
- सूची में मधुमेह के उपचार हेतु रोगजनक-रोधी (एंटी-इन्फेक्टिव) दवाएं जैसे इंसुलिन - एचआईवी, तपेदिक, कैंसर, गर्भनिरोधक, हार्मोनल दवाएं एवं निश्चेतक (एनेस्थेटिक्स) सम्मिलित हैं।
- 1.6 लाख करोड़ रुपये के घरेलू दवा बाजार में इनकी हिस्सेदारी 17-18 प्रतिशत है।
- गैर- अधिसूचित दवाओं का विक्रय करने वाली कंपनियां प्रत्येक वर्ष कीमतों में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं।
- आमतौर पर, एनएलईएम जारी होने के पश्चात, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषधि विभाग उन्हें औषधि मूल्य नियंत्रण प्रणाली (ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर) में जोड़ता है, जिसके बाद एनपीपीए कीमतों का निर्धारण करता है।

आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम):

- आवश्यक दवाओं की एक सूची (एसेंशियल मेडिसिंस लिस्ट/ईएमएल) तैयार करने से चिकित्सा देखभाल की बेहतर गुणवत्ता, दवाओं के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के लागत प्रभावी उपयोग के रूप में परिणत होने की संभावना है।
- यह भारत जैसे संसाधन सीमित देश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- आवश्यक दवाओं की सूची का उद्देश्य दवाओं की उपलब्धता एवं तर्कसंगत उपयोग पर सकारात्मक प्रभाव डालना है।

परख

केंद्र राज्य एवं केंद्रीय बोर्डों में "एकरूपता" लाने के लिए माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का मूल्यांकन करने हेतु एक मानक ढांचा 'परख' तैयार करने की योजना बना रहा है।

परख क्या है?

- परख (PARAKH) से तात्पर्य समग्र विकास के लिए ज्ञान के प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं विश्लेषण (परफॉर्मेंस असेसमेंट,रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हिस्टोरिक डेवलपमेंट) है।
- प्रस्तावित नियामक एनसीईआरटी की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा।
- इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (नेशनल अचीवमेंट सर्वे/एनएएस) एवं राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे आवधिक शिक्षण परिणाम परीक्षण आयोजित करने का भी कार्य सौंपा जाएगा।
- मानक मूल्यांकन ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी/एनईपी) 2020 द्वारा परिकल्पित रट कर अध्ययन करने पर बल देने को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा।
- प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी परख भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्ताव का हिस्सा है।

राज्यों से प्रतिक्रिया

- अधिकांश राज्यों ने वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें छात्रों को उनके प्राप्तांक में सुधार करने में सहायता करने हेतु एक परीक्षा भी शामिल है।
- गणित विषय के दो प्रकार के पेपर प्रारंभ करने के प्रस्ताव के संबंध में राज्य तैयार हैं - एक मानक परीक्षा, एवं दूसरा उच्च स्तर की योग्यता का परीक्षण करने हेतु।
- यह छात्रों के मध्य गणित के विषय को लेकर डर को कम करने तथा सीखने को प्रोत्साहित करने में सहायता करेगा।

परख (PARAKH)

- परख (PARAKH) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन/सीबीएसई) विद्यालयों में अपने सहपाठियों की तुलना में महाविद्यालय में प्रवेश के दौरान कुछ राज्य बोर्डों के छात्रों के नुकसान की समस्या से निपटने में सहायता करेगा।
- यह विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर परीक्षणों के "डिजाइन, संचालन, विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग के लिए तकनीकी मानकों" को विकसित तथा कार्यान्वित करेगा।
- परख (PARAKH) अंततः सभी मूल्यांकन संबंधी सूचनाओं एवं विशेषज्ञता के लिए राष्ट्रीय एकल-बिंदु स्रोत बन जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर और जहां लागू हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी रूपों में अधिगम (सीखने) के मूल्यांकन का समर्थन करने हेतु अधिदेशित होगा।

निवारक निरोध (प्रिवेंटिव डिटेंशन) कानून

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो/एनसीआरबी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 1.1 लाख से अधिक लोगों को निवारक निरोध में रखने के साथ, 2021 में निवारक निरोध में एक वर्ष पूर्व की तुलना में 23.7% से अधिक की वृद्धि देखी गई।

निवारक निरोध क्या है?

- निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना ताकि उस व्यक्ति को किसी भी संभावित अपराध को कारित करने से रोका जा सके।

- दूसरे शब्दों में, निवारक निरोध प्रशासन द्वारा इस संदेह के आधार पर की गई कार्रवाई है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किए जा सकते हैं जो राज्य के लिए प्रतिकूल होंगे।

भारत में निवारक निरोध

एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एवं बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है यदि उसे कोई जानकारी मिलती है कि ऐसा व्यक्ति कोई अपराध कारित कर सकता है।

- निवारक निरोध कानून, 1950: इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निरुद्ध किया जा सकता है यदि उसकी स्वतंत्रता देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों, सार्वजनिक हितों अथवा देश के लिए अन्यथा आवश्यक है।
- गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट/यूएपीए) 1968: यूएपीए कानून के दायरे में भारतीय राज्य किसी भी संगठन को अवैध घोषित कर सकता है एवं यदि उक्त संगठन या व्यक्ति ने क्षेत्रीय रूप से भारतीय संप्रभुता की आलोचना की है/भारतीय संप्रभुता पर प्रश्न उठाया है तो किसी को भी पूछताछ के लिए कैद किया जा सकता है।

निवारक निरोध एवं गिरफ्तारी में क्या अंतर है?

- एक 'गिरफ्तारी' तब की जाती है जब किसी व्यक्ति पर अपराध कारित करने का आरोप लगाया जाता है।
- निवारक निरोध के मामले में, एक व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है क्योंकि उसे केवल कुछ ऐसा करने से प्रतिबंधित किया जाता है जिससे विधि-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत में एक गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के अनुसार:

- किसी व्यक्ति को यह बताए बिना गिरफ्तार एवं निरुद्ध नहीं लिया जा सकता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी पसंद के विधि व्यवसायी द्वारा बचाव करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करने का अधिकार है।
- गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।
- हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत मजिस्ट्रेट के प्राधिकार से उक्त अवधि से अधिक नहीं हो सकती है।

निवारक निरोध के अपवाद

अनुच्छेद 22(3) कहता है कि उपरोक्त सुरक्षा उपाय निम्नलिखित के लिए उपलब्ध नहीं हैं:

- यदि व्यक्ति उस समय शत्रु विदेशी है,
- यदि व्यक्ति को "निवारक निरोध" के उद्देश्य से बनाए गए एक निश्चित कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है।

संवैधानिक प्रावधान

- यह असाधारण है कि भारतीय संविधान के निर्माता, जिन्हें निवारक निरोध कानूनों के कारण सर्वाधिक क्षति उठानी पड़ी, ने संवैधानिक पवित्रता देने में संकोच नहीं किया।
- बी.आर. अम्बेडकर का मत था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के हितों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उन्होंने यह भी कहा था कि देश की स्वतंत्रता शैशवावस्था में थी एवं इसे सुरक्षित रखने हेतु निवारक निरोध आवश्यक था।

एनसीआरबी की रिपोर्ट

- निवारक निरोध में रखे गए 24,500 से अधिक व्यक्ति या तो हिरासत में थे या अभी भी 2021 के अंत तक निवारक निरोध में थे - 2017 के बाद से सबसे अधिक जब एनसीआरबी ने इस डेटा को अभिलेखित करना प्रारंभ किया।
- 483 से अधिक व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत निरुद्ध किया गया था, जिनमें से लगभग आधे (241) या तो हिरासत में थे या अभी भी 2021 के अंत तक निरुद्ध थे।
- 2017 में, एनसीआरबी की भारत में अपराध की रिपोर्ट में पाया गया कि उस वर्ष 67,084 लोगों को एक निवारक उपाय के रूप में निरुद्ध किया गया था।
- इनमें से 48,815 को उनकी निवारक निरोध की अवधि के एक से छह माह के बीच रिहा कर दिया गया था एवं 18,269 वर्ष के अंत तक या तो हिरासत में थे या अभी भी निवारक निरोध में थे।

निवारक निरोध के लिए लागू किए गए विभिन्न प्रावधान

1. अन्य कानूनों में, जिनके तहत एनसीआरबी ने निवारक निरोधों पर आंकड़ों को अभिलिखित किया है, वे हैं:
2. गुंडा अधिनियम (राज्य एवं केंद्र) (29,306),
3. मादक द्रव्य एवं स्वापक औषधि अधिनियम (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट), 1988 (1,331) में अवैध तस्करी की रोकथाम, तथा
4. "अन्य निरोध अधिनियम" के रूप में वर्गीकृत एक श्रेणी, जिसके तहत अधिकांश निरोध दर्ज किए गए थे (79,514)।

चिंताएं

- निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या 2017 के बाद - 2018 में 98,700 से अधिक एवं 2019 में 1.06 लाख से अधिक - 2020 में कम हो कर 89,405 (लॉकडाउन के कारण) होने से पूर्व से बढ़ रही है।
- निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या में 2021 में वृद्धि देखी गई है।

निवारक निरोध के साथ मुद्दे

- **स्वेच्छाचारिता**: पुलिस यह निर्धारित करती है कि क्या कोई व्यक्ति खतरा उत्पन्न करता है अथवा नहीं, इसका परीक्षण प्रमुख

साक्ष्यों द्वारा नहीं किया जाता है अथवा कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जांच नहीं की जाती है।

- **अधिकारों का उल्लंघन:** प्रायः, निरुद्ध किए गए व्यक्ति के लिए कोई मुकदमा (3 माह तक) नहीं होता है, कोई आवधिक समीक्षा नहीं होती है एवं कोई विधि सहायता उपलब्ध नहीं होती है।
- **दुर्व्यवहार:** यह कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है जैसे कि यातना एवं भेदभावपूर्ण उपचार के लिए बंदियों की संवेदनशीलता को कम करना एवं विध्वंसक गतिविधियों के लिए अधिकारियों द्वारा निवारक निरोध का दुरुपयोग करने से रोकना।
- **दमन के लिए उपकरण:** उचित सुरक्षा उपायों के अभाव में, विशेष रूप से दलितों एवं अल्पसंख्यकों के विरुद्ध निवारक निरोध का दुरुपयोग किया गया है।

शीर्ष न्यायालय के हालिया निर्णय

- सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए निवारक निरोध एक आवश्यक बुराई है, 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया।
- राज्य को सभी विविध " विधि एवं व्यवस्था" समस्याओं से निपटने के लिए स्वेच्छाचारी ढंग से "निवारक निरोध" का आश्रय नहीं लेना चाहिए, जिसे देश की सामान्य विधियों द्वारा हल किया जा सकता है।
- जब भी एक निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यवस्था को चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय को इसकी वैधता निर्धारित करने में एक प्रश्न पूछना चाहिए: क्या देश की सामान्य विधि स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त थी?
- यदि उत्तर सकारात्मक है, तो निरोध आदेश अवैध होगा।

अनुच्छेद 21
• निवारक निरोध अनुच्छेद 21 (विधि की सम्यक प्रक्रिया) के साथ अनुच्छेद 22 (मनमाने ढंग से गिरफ्तारी एवं निरुद्ध के प्रति सुरक्षा) एवं विचाराधीन क़ानून के चार कोनों के भीतर होना चाहिए, न्यायमूर्ति नरीमन ने यह निर्णय दिया।
• एक नागरिक की स्वतंत्रता हमारे पूर्वजों द्वारा लंबे, ऐतिहासिक एवं कठिन संघर्षों के पश्चात प्राप्त किया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है।

आगे की राह

- इस तरह के कृत्य करने से असामाजिक एवं विध्वंसक तत्वों पर निरोधात्मक प्रभाव पड़ता है।
- भारत एक विशाल देश है एवं राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अखंडता के विरुद्ध अनेक अलगाववादी प्रवृत्तियां मौजूद हैं तथा विध्वंसक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है।
- इन कृत्यों में निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है एवं निवारक निरोध से पूर्व उचित ध्यान दिया जाता है।
- राज्य के पास उन कृत्यों से निपटने के लिए बहुत प्रभावी शक्तियाँ होनी चाहिए जिनमें नागरिक शत्रुतापूर्ण गतिविधियों, जासूसी, बल प्रयोग, आतंकवाद इत्यादि में सम्मिलित हों।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम

गृह मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स/एमएचए) ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 को शासित करने वाले नियमों को अधिसूचित किया है।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022

- **पृष्ठभूमि:** आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 मार्च 2022 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
- **आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम के बारे में:** आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 को निरसित करने का प्रयास करता है, जो 100 वर्ष से अधिक पुराना है।
- **आवश्यकता:** पुराने अधिनियम का विस्तार क्षेत्र एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर अभिशस्त (सजायाफ्ता) कैदियों एवं गिरफ्तार तथा गैर-दोषी व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के उंगली के निशान, पैरों के निशान तथा तस्वीरें लेने तक सीमित था।
  - विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के वक्तव्य में कहा गया है कि उन्नत देशों में प्रयोग की जा रही नवीन 'माप' तकनीक सत्याभासी एवं विश्वसनीय परिणाम दे रही है तथा संपूर्ण विश्व में में मान्यता प्राप्त है।
  - इसने कहा कि 1920 का अधिनियम शरीर के इन मापों को लेने का प्रावधान नहीं करता है क्योंकि तब अनेक तकनीकों तथा प्रौद्योगिकियों का विकास नहीं हो पाया था।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 की प्रमुख विशेषताएं

- **पात्र प्राधिकार:** अधिनियम किसी भी व्यक्ति को माप देने के लिए एक दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) को निर्देश देता है, जो अब तक दोषियों एवं जघन्य अपराधों में सम्मिलित व्यक्तियों हेतु आरक्षित था।
  - यह पुलिस को हेड कांस्टेबल के पद तक के किसी भी व्यक्ति द्वारा माप लेने में सक्षम बनाता है जो व्यक्ति माप देने का विरोध करता है अथवा मना करता है।
- **डेटा रिपोजिटरी:** गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो/एनसीआरबी) गिरफ्तार व्यक्तियों के डेटा को संग्रहित एवं संरक्षित करने हेतु एकमात्र एजेंसी होगी।
  - राज्य सरकारें भी डेटा का संग्रह कर सकती हैं, किंतु यह एनसीआरबी के साथ माप या माप के रिकॉर्ड को साझा करने के लिए संगत एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान करेगी।
- **अभिलेखों को समाप्त करना:** अभिलेखों को नष्ट करने तथा निपटाने की प्रक्रिया अभी तक एनसीआरबी द्वारा निर्दिष्ट नहीं की गई है।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 को शासित करने वाले नियम

- **मापन की परिभाषा: आपराधिक प्रक्रिया (पहचान)** नियम 2022 के अनुसार, "माप" में शामिल हैं-
    - उंगलियों के निशान, हथेली के निशान, पदचिह्न, फोटोग्राफ, आईरिस एवं रेटिना स्कैन, भौतिक, जैविक नमूने तथा
    - उनका विश्लेषण, व्यवहार संबंधी विशेषताएं जिनमें हस्ताक्षर, लिखावट या कोई अन्य परीक्षा शामिल है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 53 अथवा धारा 53 ए में संदर्भित है।
- **डीएनए प्रोफाइलिंग:** यद्यपि यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जैविक नमूनों के विश्लेषण में डीएनए प्रोफाइलिंग भी सम्मिलित हो सकती है।
- **निवारक निरोध:** अधिसूचित नियमों में कहा गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (सीआरपीसी) की निवारक धाराओं के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्तियों के नमूने तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक कि ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय किसी अन्य अपराध के संबंध में आरोपित या गिरफ्तार नहीं किया जाता है।
    - उपरोक्त संदर्भ सीआरपीसी की 107, 108, 109, 110, 144, 145 एवं 151 जैसी निवारक धाराओं पर लागू होंगे।
- **डेटा संग्रह:** नियम बताते हैं कि एनसीआरबी माप के संग्रह के लिए स्टैंड एसओपी जारी करेगा जिसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों अथवा युक्तियों के विनिर्देश, विनिर्देश एवं माप के डिजिटल तथा भौतिक प्रारूप इत्यादि सम्मिलित होंगे।
    - यदि कोई माप भौतिक रूप में अथवा गैर-मानक डिजिटल प्रारूप में एकत्रित किया जाता है, तो इसे मानक डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया जाएगा एवं उसके बाद एसओपी के अनुसार डेटाबेस में अपलोड किया जाएगा।
    - केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही गूढलेखित (एन्क्रिप्टेड) प्रारूप में केंद्रीय डेटाबेस में माप अपलोड कर सकते हैं।
- **अभिलेखों को विनष्ट किया जाना:** नियमों में कहा गया है कि अभिलेखों को नष्ट करने का कोई भी अनुरोध संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी से किया जाएगा।
    - नोडल अधिकारी यह सत्यापित करने के पश्चात अभिलेखों को विनष्ट किए जाने की सिफारिश करेगा कि माप का ऐसा अभिलेख किसी अन्य आपराधिक मामले से जुड़ा नहीं है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके तहत युगल (जोड़े) अंतर-धार्मिक एवं अंतरजातीय विवाह के लिए शरण लेते हैं।

विशेष विवाह अधिनियम 1954

- विशेष विवाह अधिनियम 1954 (स्पेशल मैरिज एक्ट/एसएमए) को विभिन्न धर्मों को मानने वाले युगलों (जोड़ों) के विवाह की सुविधा के लिए एवं एक नागरिक विवाह को प्राथमिकता देने के लिए अधिनियमित किया गया था।
    - हालांकि ऐसे विवाहों को पंजीकृत करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- इस पर काबू पाने के लिए अनेक व्यक्ति उनमें से एक के वैयक्तिक विधि (पर्सनल लॉ) के तहत विवाह हेतु तैयार हो जाते हैं जबकि अन्य धर्म परिवर्तन का विकल्प चुनते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में याचिका

- सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम(स्पेशल मैरिज एक्ट/एसएमए) के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसके तहत युगल अंतर-धार्मिक एवं अंतर-जातीय विवाह के लिए शरण लेते हैं।
- रिट याचिका में इन प्रावधानों को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया गया है, जो निजता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।
    - इस अधिनियम के तहत, युगलों को जनता से आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए विवाह की तिथि से 30 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है।
- प्रावधान धर्म, नस्ल, जाति एवं लिंग के आधार पर विभेद के निषेध पर अनुच्छेद 14 के साथ-साथ समानता के अधिकार पर अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करते हैं क्योंकि ये आवश्यकताएं व्यक्तिगत विधियों में अनुपस्थित हैं।

न्यायालय का निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता अब एक पीड़ित पक्ष नहीं था क्योंकि उसने पहले ही विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह को विधिवत् अनुष्ठापित कर दिया था।
- याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा कि वे अब इस मुकदमे को अन्य पीड़ितों से जुड़े एक जनहित याचिका के माध्यम से शुरू करने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण पर विचार कर रहे थे।
    - एक अन्य रिट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में स्वीकार किया एवं सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

चुनौती दिए गए प्रावधान

- विशेष विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत विवाह करने वाले युगलों को विवाह की तिथि से 30 दिन पूर्व विवाह अधिकारी को नोटिस देना होता है।
- धारा 6 में ऐसी सूचना को विवाह अधिकारी द्वारा अनुरक्षित विवाह सूचना पुस्तिका में दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जिसका निरीक्षण करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

- इन नोटिसों को विवाह अधिकारी के कार्यालय में "विशिष्ट स्थान" पर भी अधिस्थित किया (लगाया) जाना है ताकि कोई भी विवाह पर आपत्ति उठा सके।
- धारा 7 आपत्ति करने की प्रक्रिया प्रदान करती है जैसे कि किसी भी पक्ष के पास जीवित पति या पत्नी है, "मानसिक रूप से अस्वस्थता" के कारण सहमति देने में असमर्थ है या मानसिक विकार से पीड़ित है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति विवाह या संतानोत्पत्ति हेतु अयोग्य है।
  - धारा 8 आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद की जाने वाली जांच प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है।

कारण

- प्रावधान व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक जांच के लिए खोल देते हैं। इससे निगरानी की जा सकती है।
- यह उसकी व्यक्तिगत जानकारी एवं इन सूचनाओं पर उसकी पहुंच पर नियंत्रण रखने के अधिकार को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाता है।
- युगलों के व्यक्तिगत विवरण को सभी के लिए सुलभ बनाकर, युगलों के अपने विवाह के निर्णय निर्माण के अधिकार को राज्य द्वारा बाधित किया जा रहा है।
- इन सार्वजनिक नोटिसों का प्रयोग असामाजिक तत्वों ने विवाह करने वाले युगलों को परेशान करने के लिए किया है।
  - अनेक व्यक्ति जो प्रायः अपने माता-पिता की सहमति के बिना विवाह करते हैं, उनके जीवन के लिए यह खतरा उत्पन्न कर सकता है।
- अनेक राज्य अपनी वेबसाइटों पर विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने वाले युगलों का विवरण सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं।
- अनेक व्यक्ति एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में भी शिकायत करते हैं जो प्रायः आवेदनों को हटा देते हैं अथवा विलंब करते हैं एवं विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने से युगलों को रोकते हैं।
- धर्मांतरण विरोधी (या तथाकथित लव-जिहाद) कानून पारित करने वाले 11 राज्यों के साथ, माता-पिता एवं राज्य अब ऐसे युगलों को दंडित करने तथा परेशान करने के लिए सशक्त हैं।

आधारिक संरचना सिद्धांत

आधारिक संरचना सिद्धांत एक निर्धारित बहुसंख्यक शासन के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति के अभिकथन में एक उच्च वॉटरमार्क का गठन करता है।

संविधान की आधारिक/मूल संरचना क्या है?
• आधारिक संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान से संबंधित मौलिक न्यायिक सिद्धांतों में से एक है।
• आधारिक संरचना का सिद्धांत यह मानता है कि भारतीय संविधान का एक बुनियादी ढांचा है एवं भारत की संसद मूलभूत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है।

संविधान की आधारिक संरचना: महत्व

- आधारिक संरचना का सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक नवाचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि संविधान में संशोधन की शक्ति का संसद द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाए।
- विचार यह है कि भारत के संविधान की मूल विशेषताओं को इस सीमा तक परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया में संविधान की मूल पहचान खो जाए।

संविधान की आधारिक संरचना: पृष्ठभूमि

- हमारे संविधान के अंतर्गत न्यायालयों को न केवल कार्यपालिका के आदेशों को अमान्य करने का अधिकार है, बल्कि ऐसे विधायी अधिनियम भी को अमान्य करने का अधिकार भी है जो संविधान के भाग III (अधिकारों के विधेयक) में प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के किसी भी भाग का उल्लंघन करते हैं।
- किंतु क्या उन्हें भी आवश्यक विशेष बहुमत के साथ पारित एवं अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए संवैधानिक संशोधनों की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार है, इस विषय पर संविधान मौन है।

संविधान की आधारिक संरचना: ऐतिहासिक विकास

संविधान ने संसद को अनुच्छेद 368 के रूप में संविधान में संशोधन करने हेतु एक तंत्र प्रदान किया किंतु संविधान के संशोधन की इस शक्ति की प्रकृति की एवं दायरे पर अनेक अवसरों पर सर्वोच्च न्यायालय में सवाल उठाया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला दी जो अंततः संभवतः सर्वाधिक ऐतिहासिक निर्णय- आधारिक संरचना सिद्धांत निर्णय में परिणत हुई।

- प्रसाद वाद- 1951
- गोलकनाथ वाद- 1967
- केशवानंद भारती वाद- 1973
- मिनर्वा मिल्स वाद- 1980
- आई. आर. कोएल्हो वाद- 2007

अवलोकन हेतु प्रासंगिक अनुच्छेद

- अनुच्छेद 13(2) - भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को न्यून करने वाला कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा।
- अनुच्छेद 368 - संविधान में संशोधन की प्रक्रिया।
- अनुच्छेद 19 (एफ) - संपत्ति के अधिग्रहण, धारण एवं विक्रय की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 31 - संपत्ति का अधिकार

अधिकार लोकहित में युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन थे तथा प्रतिबंध न्यायिक समीक्षा के अधीन थे।

महत्वपूर्ण निर्णय

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)

इस मामले में, **प्रथम संशोधन अधिनियम (1951) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।**

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।
- अनुच्छेद 13 में 'कानून' शब्द में केवल सामान्य कानून सम्मिलित हैं, न कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम)संविधान कानून)। अतः, संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को न्यून कर अथवा छीन सकती है तथा ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं होगा ।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

इस वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या न्यून नहीं कर सकती है।

- न्यायालय ने कहा कि **निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं** किया जा सकता है।
- गोलकनाथ वाद (1967) में 24वें संशोधन अधिनियम (1971) तथा 25 वें संशोधन अधिनियम (1971) को लागू करके संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।
- 24वें संशोधन अधिनियम ने घोषणा की कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके किसी भी मौलिक अधिकार को न्यून करने अथवा छीनने की शक्ति है।
- **25 वें संशोधन अधिनियम में एक नया अनुच्छेद 31 सी समाविष्ट** किया गया जिसमें निम्नलिखित दो प्रावधान शामिल थे:
- अनुच्छेद 39 (बी) एवं (सी) में निर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा।
- ऐसी नीति को प्रभावी करने की घोषणा वाले किसी भी विधि को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं बनाता है।

केशवानंद भारती

- उन्होंने 1970 में केरल **भूमि सुधार कानून** को चुनौती दी, जिसने धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया था।
- विवाद को संविधान के **अनुच्छेद 26 के तहत** चुनौती दी गई जो सरकार के हस्तक्षेप के बिना **धार्मिक स्वामित्व वाली संपत्ति के प्रबंधन के अधिकार** से संबंधित था।
- ऐतिहासिक निर्णय 24 अप्रैल 1973 को 7:6 के क्षीण बहुमत से दिया गया था, जिसमें बहुमत ने कहा था कि **भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को संसद द्वारा संशोधित** किया जा सकता है ताकि नागरिकों को प्रत्याभूत सामाजिक-आर्थिक दायित्वों को पूरा किया जा सके जैसा प्रस्तावना में वर्णित है, बशर्ते कि इस तरह के संशोधन ने **संविधान की आधारिक संरचना में परिवर्तन न किया हो**।
- अल्पसंख्यक, यद्यपि, उनकी असहमति के मत में, संसद को संशोधन शक्ति प्रदान करने के प्रति सजग थे।
- न्यायालय ने माना कि **24वां संविधान संशोधन पूर्ण रूप से वैध** था। किंतु इसने **25 वें संविधान संशोधन के दूसरे भाग को अधिकारातीत** पाया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 31 सी** को इस आधार पर असंवैधानिक एवं अमान्य घोषित कर दिया कि न्यायिक समीक्षा आधारिक संरचना है एवं इसलिए इसे हटाया नहीं जा सकता।
- इस निर्णय के बावजूद कि संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, अदालत ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाने वाले संशोधन को बरकरार रखा। अदालत ने फैसला सुनाया कि भावना में, संशोधन संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन नहीं करेगा।

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

मुख्य विषय: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है किंतु यह संविधान की "आधारिक संरचना" को परिवर्तित नहीं कर सकती है।

- मिनर्वा मिल्स वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संतुलन की आधारशिला पर स्थापित है। वे एक साथ सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता के केंद्र का गठन करते हैं।
- निर्देशक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदान किए गए साधनों को समाप्त किए बिना प्राप्त किया जाना है।
- अतः, वर्तमान स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों को निदेशक सिद्धांतों पर सर्वोच्चता प्राप्त है।
- फिर भी, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है।
- संसद निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जब तक कि संशोधन संविधान की आधारिक संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाता अथवा नष्ट नहीं करता है।

निष्कर्ष

राज्य के विधायी अंगों की संशोधन शक्तियों को सीमित कर, सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, जिन्हें राज्य का कोई भी अंग रद्द नहीं कर सकता। अपनी प्रकृति में गतिशील होने के कारण, यह पूर्ववर्ती निर्णयों की कठोर प्रकृति के विपरीत अधिक प्रगतिशील तथा समयानुसार परिवर्तन के लिए खुला है।

सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर

सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य से आश्वासन प्राप्त किया कि वह इस माह के भीतर सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण पर चर्चा करने के लिए हरियाणा समकक्ष से मुलाकात करेगा, जो दो दशकों से खराब है।

सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के बारे में
सतलुज यमुना लिंक नहर या इसे लोकप्रिय रूप रूप से एसवाईएल नाम से जाना जाता है, सतलुज एवं यमुना नदियों को जोड़ने के लिए भारत में 214 किलोमीटर लंबी एक निर्माणाधीन नहर है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- पंजाब के नहर के हिस्से के निर्माण के कारण 1980 के दशक में आतंकवादी हमले हुए थे।
- यह मुद्दा पंजाब में उत्तरवर्ती सरकारों के लिए एक राजनीतिक कांटा भी रहा था, इतना ही कि इसने 2004 के विवादास्पद पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वॉटर एग्रीमेंट्स एक्ट के राज्य के एकपक्षीय अधिनियमन को जन्म दिया।
- यद्यपि, इस कानून को 2016 में एक संविधान पीठ ने खारिज कर दिया था, जिसने पंजाब के किसानों की एसवाईएल नहर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि को पुनः प्राप्त करने की संभावनाओं को आघात पहुंचाया था।

एसवाईएल नहर का मुद्दा

- पुनर्गठन से पूर्व, 1955 में, रावी एवं ब्यास के 15.85 एमएएफ में से, केंद्र ने राजस्थान को 8 एमएएफ, अविभाजित पंजाब को 7.20 एमएएफ, जम्मू एवं कश्मीर को 0.65 एमएएफ आवंटित किया था।
- आवंटित 7.20 एमएएफ में से, पंजाब हरियाणा के साथ कोई जल साझा नहीं करना चाहता था एवं इस प्रकार 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के समय, दोनों राज्यों के मध्य नदी के जल के बंटवारे का मुद्दा सामने आया।
- पंजाब ने रावी एवं ब्यास के जल को हरियाणा के साथ साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि यह नदी तटीय (रिपेरियन) सिद्धांत के विरुद्ध है।
- मार्च 1976 में, जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था, केंद्र ने हरियाणा को 3.5 एमएएफ प्रदान करते हुए नए आवंटन को अधिसूचित किया।
- बाद में, 1981 में, ब्यास एवं रावी में प्रवाहित होने वाले जल को संशोधित किया गया एवं 17.17 एमएएफ आकलित किया गया, जिसमें से 4.22 एमएएफ पंजाब को, 3.5 एमएएफ हरियाणा को एवं 8.6 एमएएफ राजस्थान को आवंटित किया गया था।
- अंत में, हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों को जल के इस आवंटित हिस्से को प्रदान करने के लिए, सतलुज को यमुना से जोड़ने वाली एक नहर, राज्य के बीच से काटकर निर्मित करने की योजना निर्मित की गई थी।
- अंत में, 214 किलोमीटर एसवाईएल का निर्माण अप्रैल 1982 में प्रारंभ किया गया था, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब तथा शेष हरियाणा के माध्यम से प्रवाहित होना था।
- हरियाणा ने नहर के अपने हिस्से को पूरा कर लिया है, लेकिन पंजाब में कार्य तीन दशकों से अधिक समय से लंबित है।

सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब एवं हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को एसवाईएल नहर के मुद्दे पर समझौता करने एवं निपटाने का निर्देश देने के बाद यह मुद्दा पुनः महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गया है।
- शीर्ष न्यायालय ने केंद्र द्वारा मध्यस्थता करने के लिए उच्चतम राजनीतिक स्तर पर बैठक करने को कहा ताकि राज्य एसवाईएल नहर के पूरा होने पर आम सहमति तक पहुंच सकें।
- बैठक बेनतीजा रही एवं केंद्र ने यह विचार व्यक्त किया कि एसवाईएल नहर का निर्माण पूरा किया जाना चाहिए। किंतु पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रुप से इनकार कर दिया।

परियोजना से पंजाब की नाराजगी

- यह विवाद एसवाईएल नहर के आसपास के रक्त रंजित इतिहास पर आधारित है। पंजाब में आतंकवाद के संकटग्रस्त दिनों की शुरुआत 1980 के दशक के प्रारंभ में हुई जब एसवाईएल पर काम शुरू हुआ।
- पंजाब को प्रतीत होता है कि उसने अपने बहुमूल्य भूजल संसाधनों का उपयोग संपूर्ण देश में फसल के उत्पादन हेतु किया एवं उसे स्वयं के जल को साझा करने हेतु बाध्य नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह मरुस्थलीकरण का सामना कर रहा है।
- आशंका व्यक्त की जा रही है कि नहर का निर्माण पुनः प्रारंभ होते ही युवाओं को लगने लगेगा कि राज्य के साथ भेदभाव किया गया है।
- पंजाब के मुख्यमंत्री को भय है कि पाकिस्तान एवं अलगाववादी संगठन इसका फायदा उठा सकते हैं तथा राज्य में संकट उत्पन्न कर सकते हैं।

पंजाब में जल संकट

- गेहूं/धान एकचक्री (मोनोसाइकिल) के लिए अपने भूमिगत जलभृतों के अत्यधिक दोहन के कारण पंजाब गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है।
- केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के लगभग 79 प्रतिशत क्षेत्र में कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाता है।
- 138 ब्लॉकों में से 109 "अति-शोषित" हैं, दो "गंभीर" हैं, पांच "अर्ध-गंभीर" हैं तथा मात्र 22 ब्लॉक "सुरक्षित" श्रेणी में हैं।

पंजाब को नए न्यायाधिकरण की उम्मीद

- राज्य जल की उपलब्धता के नए समयबद्ध मूल्यांकन की मांग करने वाले एक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) की अपेक्षा करता है।
- राज्य कहता रहा है कि आज तक पंजाब नदी के जल का कोई अधिनिर्णयन अथवा वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं हुआ है।

स्वच्छ टॉयकैथॉन

हाल ही में, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स/MoHUA) ने **खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत स्वच्छ टॉयकैथॉन का शुभारंभ** किया है।

- सचिव, MoHUA, श्री मनोज जोशी ने MyGov पोर्टल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अनावरण तथा टूलकिट जारी करके स्वच्छ टॉयकैथॉन का शुभारंभ किया।

स्वच्छ टॉयकैथॉन

- **स्वच्छ टॉयकैथॉन के बारे में:** स्वच्छ टॉयकैथॉन कचरे को खिलौनों में रूपांतरित करने हेतु नवीन विचारों की एक प्रतियोगिता है।
    - स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ टॉयकैथॉन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है।
- **अधिदेश:** स्वच्छ टॉयकैथॉन का उद्देश्य खिलौना उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है एवं खिलौना क्षेत्र में वृत्तपरकता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।
    - स्वच्छ टॉयकैथॉन प्रतियोगिता खिलौनों के निर्माण अथवा उत्पादन में कचरे के उपयोग के समाधान तलाशने का प्रयास करती है।
- **भागीदारी:** स्वच्छ टॉयकैथॉन व्यक्तियों एवं समूहों के लिए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है।
- **विषय-वस्तु:** यह तीन व्यापक विषयों पर आधारित है-
    - **मनोरंजन एवं सीखना (फन एंड लर्न):** यह घर, कार्यस्थल एवं आसपास के कचरे से खिलौनों के डिजाइन तथा आरंभिक प्रोटोटाइप के लिए विचारों की तलाश करता है,
    - **उपयोग करें एवं आनंद लें (यूज एंड एंजॉय):** यह कचरे से निर्मित पार्क / खुले स्थानों में खेल के डिजाइन एवं मॉडल के लिए विचारों की तलाश करता है एवं
    - **नया तथा पुराना (न्यू एंड ओल्ड):** यह खिलौना उद्योग में वृत्तपरकता के लिए विचार/समाधान/कार्य मॉडल चाहता है।
- **मूल्यांकन के मानदंड:** मूल्यांकन मानदंड निम्नलिखित पर आधारित होंगे-
    - विचार की नवीनता
    - डिज़ाइन
    - सुरक्षा
    - अपशिष्ट सामग्री का उपयोग
    - मापनीयता एवं प्रतिकृति
    - भविष्य का अपशिष्ट एवं जलवायु तथा सामाजिक प्रभाव।
- **आयोजक:** आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टॉयकैथॉन का आयोजन किया जा रहा है।
    - सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, आईआईटी गांधीनगर पहल के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) का नॉलेज पार्टनर है, वे शिक्षा शास्त्र एवं रचनात्मकता के पहलुओं पर सहायता प्रदान करेंगे।

स्वच्छ अमृत महोत्सव क्या है?

- **स्वच्छ अमृत महोत्सव** 17 सितंबर 2022, सेवा दिवस, से 2 अक्टूबर 2022, स्वच्छता दिवस तक स्वच्छता के आसपास कार्रवाई को प्रोत्साहित करने हेतु क्रियाकलापों का एक पखवाड़ा है।

भारत का खिलौना उद्योग

- भारत में खिलौना उद्योग ऐतिहासिक रूप से आयात पर निर्भर रहा है। कच्चे माल, प्रौद्योगिकी, डिजाइन क्षमता इत्यादि के अभाव के कारण खिलौनों एवं उसके घटकों का भारी मात्रा में आयात हुआ।
- 2018-19 में, 371 मिलियन अमरीकी डालर (2960 करोड़ रुपये) के खिलौने हमारे देश में आयात किए गए थे। इन खिलौनों का एक बड़ा हिस्सा असुरक्षित, घटिया, नकली एवं तुच्छ थे।
- निम्न गुणवत्ता वाले एवं हानि कारक खिलौनों के आयात की समस्या को हल करने एवं खिलौनों के घरेलू निर्माण में वृद्धि करने हेतु, सरकार द्वारा अनेक रणनीतिक अंतःक्षेप किए गए हैं।
- कुछ प्रमुख पहलों में मूल सीमा शुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी) को 20% से बढ़ाकर 60% करना, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का क्रियान्वयन, आयातित खिलौनों का अनिवार्य नमूना परीक्षण, घरेलू खिलौना निर्माताओं को 850 से अधिक बीआईएस लाइसेंस प्रदान करना, खिलौना संकुलों का विकास इत्यादि सम्मिलित हैं।
- वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार तथा नए जमाने के डिजाइन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वदेशी खिलौनों को प्रोत्साहित करने हेतु द इंडिया टॉय फेयर 2021, टॉयकैथॉन 2021, टॉय बिजनेस लीग 2022 सहित कई प्रचार पहल आयोजित की गईं।

'सिम्फनी' सम्मेलन

हाल ही में, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन/DoNER), पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने दो दिवसीय आभासी सम्मेलन 'SymphoNE' का शुभारंभ किया।

'सिम्फनी' सम्मेलन

- **'सिम्फनी' सम्मेलन के बारे में:** विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 'सिम्फनी' सम्मेलन का आयोजन आभासी रूप से किया जा रहा है।
- **अधिदेश:** 'सिम्फनी' 2022 का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत की अनन्वेषित सुंदरता को प्रदर्शित करने एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु एक रोडमैप का निर्माण करना है।
- **भागीदारी:** यह विचार नेताओं, नीति विचारकों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यात्रा एवं टूर ऑपरेटरों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय एवं राज्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विचारों तथा सुझावों पर विचार, चर्चा एवं सूत्र तैयार करेगा।
- **महत्व:** 'सिम्फनी' का उद्देश्य पर्यटकों एवं टूर ऑपरेटरों के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्त बाधाओं को दूर करने हेतु एकल बिंदु (वन-स्टॉप) समाधान विकसित करना है, आगंतुकों के लिए संचालन करते समय-

- रसद एवं ढांचागत सुविधाओं को हल करना,
- पर्यटकों के मध्य पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता का अभाव तथा
- लोगों के मध्य आवश्यक जानकारी का प्रसार तथा विपणन/प्रचार गतिविधियां।

महिला एसएचजी सम्मेलन

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कराहल, श्योपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में भाग लिया।

- इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने पीएम कौशल विकास योजना के तहत चार विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स/पीवीटीजी) कौशल केंद्रों का भी उद्घाटन किया।
- प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बैंक ऋण स्वीकृति पत्र भी सौंपे एवं जल जीवन मिशन के तहत किट भी प्रधानमंत्री के द्वारा सौंपे गए।

महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सम्मेलन

- **महिला एसएचजी सम्मेलन के बारे में:** महिला एसएचजी सम्मेलन हजारों महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों / सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की उपस्थिति का साक्षी है, जिन्हें दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- **स्थान:** महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सम्मेलन 2022 का आयोजन कराहल, श्योपुर, मध्य प्रदेश में किया गया था।
- **भागीदारी:** लगभग एक लाख महिलाएं जो स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं, इस अवसर पर उपस्थित थीं एवं लगभग 43 लाख महिलाएं विभिन्न केंद्रों से जुड़ी हुई थीं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)
• डीएवाई-एनआरएलएम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को चरणबद्ध रीति से स्वयं सहायता समूहों में सम्मिलित करना एवं उनकी आजीविका में विविधता लाने तथा उनकी आय एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है।
• मिशन घरेलू हिंसा, महिला शिक्षा एवं अन्य लिंग संबंधी चिंताओं, पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य इत्यादि जैसे मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करने एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से महिला एसएचजी सदस्यों को सशक्त बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) क्या हैं?

- **स्वयं सहायता समूह के बारे में:** स्वयं सहायता समूह उन लोगों के अनौपचारिक संघ हैं जो अपने जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार के तरीके खोजने के लिए एक साथ आते हैं। वे निर्धनों, विशेषकर महिलाओं के मध्य सामाजिक पूंजी निर्माण में सहायता करते हैं।
- **सदस्य:** एसएचजी सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आम तौर पर समान होती है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के साथ स्वयं सहायता समूह निर्मित किए जाते हैं-
  - अपने सदस्यों को बचत करने हेतु प्रोत्साहित करना एवं प्रेरित करना,
  - उन्हें अतिरिक्त आय के सृजन के लिए एक सामूहिक योजना निर्मित करने हेतु राजी करना,
  - औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करना।
- **महत्व:** ऐसे समूह उन सदस्यों के लिए सामूहिक गारंटी प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं जो संगठित स्रोतों से उधार लेने का प्रस्ताव रखते हैं।
  - परिणाम स्वरूप, स्वयं सहायता समूह निर्धनों को सूक्ष्म-वित्त सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी तंत्र के रूप में उदित हुए हैं।
- **स्वयं सहायता समूहों के उदाहरण:** गुजरात में सेवा, कर्नाटक में मायराडा, तमिलनाडु में तनवा, झारखंड में रामकृष्ण मिशन, बिहार में अदिति।

एलजीबीटीक्यू एवं मानवाधिकार

LGBTQ के ऐतिहासिक निर्णय के 4 वर्ष पश्चात: पूर्ण नागरिकता की ओर मार्च। 6 सितंबर, 2018 को, ठीक चार वर्ष पूर्व, नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ में, सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सुंदर विस्तृत निर्णय में, एलजीबीटीक्यूआई भारतीयों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 377 के अंधकार से मुक्त कर दिया।

LGBTQ क्या है?
LGBTQ का अर्थ समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, उभयलिंगी एवं विपरीतलिंगी है। 1990 के दशक से उपयोग में, LGBTQ के साथ-साथ इसके कुछ सामान्य रूप, कामुकता एवं लैंगिक पहचान के लिए एक प्रछन्न शब्द के रूप में कार्य करते हैं।

क्या है आईपीसी की धारा 377?

- इसमें कहा गया है - अप्राकृतिक अपराध: जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला अथवा पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध शारीरिक संभोग करता है, उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित

किया जाएगा, जिसे दस वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा वह अर्थदंड (जुर्माना) का भी भागी होगा।

- संहिता में कहीं भी "शारीरिक संभोग" एवं "प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध" शब्दों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है।

न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका

- नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार (2009) में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय भारत में कामुकता एवं समानता न्यायशास्त्र के कानून में एक मील का पत्थर था।
- न्यायालय ने माना कि धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रतिष्ठापित समानता की गारंटी का उल्लंघन कर दी है, क्योंकि यह एक असंगत वर्गीकरण बनाता है एवं समलैंगिकों को एक वर्ग के रूप में लक्षित करता है।
- सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रतिगामी कदम में, भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड/आईपीसी) की धारा 377 को पुनर्स्थापित कर दिया।
- यद्यपि, नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि सहमति से समलैंगिक व्यवहार के लिए धारा 377 आईपीसी को लागू करना "असंवैधानिक" था।
- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारतीय व्यक्ति की पहचान एवं गरिमा की तलाश में एक बड़ी जीत है।
- इसने अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति के सिद्धांत को भी रेखांकित किया।

आगे क्या

- यौन अभिविन्यास, लैंगिक पहचान एवं अभिव्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म, आयु, विकलांगता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, राष्ट्रीयता सत्ता अन्य आधारों के आधार पर सभी व्यक्तियों को समानता की गारंटी देने के लिए सर्वसमावेशक कानून की आवश्यकता है।
- कानून को सभी व्यक्तियों, सार्वजनिक एवं निजी तथा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, भूमि एवं आवास तथा सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के क्षेत्रों में समानता एवं गैर-विभेद के दायित्वों को लागू करना चाहिए।
- इसमें भेदभावपूर्ण व्यवहार, लागत एवं हानि को रोकने के लिए नागरिक उपायों एवं क्षतिपूर्ति करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।
- हमें यह परिभाषित करने के लिए एक समानता कानून की आवश्यकता है कि समानता में क्या शामिल होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निजता के निर्णय में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में निर्धारित किया कि समानता एवं स्वतंत्रता को पृथक नहीं किया जा सकता है एवं समानता में गरिमा तथा बुनियादी स्वतंत्रता का समावेश शामिल है।

आगे की राह

- समुदाय की बेहतर समझ के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को पाठ्यक्रम में बदलाव लाना चाहिए।
- एक पृथक यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान के व्यक्ति प्रायः डराने धमकाने, भेदभाव, कलंक एवं सामाजिक रुप से बहिष्करण की दर्दनाक कहानियां सुनाते हैं।
- शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य स्थानों पर लैंगिक तटस्थ शौचालय (जेंडर न्यूट्रल रेस्ट रूम) अनिवार्य होना चाहिए।
- माता-पिता एवं अभिभावकों को भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि गलतफहमी तथा दुर्व्यवहार का प्रथम बिंदु प्रायः घर से प्रारंभ होता है, जिसमें किशोरों को "रूपांतरण" उपचारों को चयनित करने हेतु बाध्य किया जाता है।

निष्कर्ष

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने नवतेज सिंह जौहर वाद की चौथी वर्षगांठ एवं आगे की यात्रा पर बोलते हुए, बीटल्स क्लासिक "ऑल यू नीड इज लव" का हवाला देते हुए कहा कि "सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है"। अधिकार आवश्यक हैं जो समुदाय की गरिमा को बढ़ाएंगे।

नए दत्तक नियम

दत्तक ग्रहण करने (गोद लेने) के नए नियमों के कार्यान्वयन पर भ्रम की स्थिति है, जिसके लिए न्यायालयों से जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को गोद लेने की याचिकाओं को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है।

- डीएम को न्यायालय के स्थान पर दत्तक ग्रहण करने के आदेश देने का अधिकार दिया गया है।
- न्यायालयों में लंबित सभी मामलों को स्थानांतरित किया जाना है।
- देश में सैकड़ों दत्तक माता-पिता अब चिंतित हैं कि स्थानांतरण प्रक्रिया में और विलंब होगा जो पूर्व से ही एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है।
- ऐसे प्रश्न हैं कि क्या कार्यपालिका द्वारा पारित कोई आदेश तब पारित होगा जब एक दत्तक बच्चे के उत्तराधिकार एवं दाय पर अधिकारों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है।

भारत में दत्तक ग्रहण: एक पृष्ठभूमि
• 2015 में, तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी/CARA) को सशक्त बनाकर संपूर्ण दत्तक ग्रहण प्रणाली को केंद्रीकृत किया।
• इसे विभिन्न विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों, बच्चों का एक पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्री), भावी दत्तक माता-पिता

(अभिभावक) के साथ-साथ दत्तक ग्रहण करने से पूर्व उनका सुमेल करने का अधिकार दिया गया था।
• इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं मानव दुर्व्यापार की जांच करना था क्योंकि बाल देखभाल संस्थान एवं गैर सरकारी संगठन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात बच्चों को सीधे गोद लेने के लिए दे सकते थे।

दत्तक ग्रहण आदेश जारी करेंगे डीएम

- किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस/जेजे अधिनियम), 2015 में संशोधन करने के लिए संसद ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया।
- प्रमुख परिवर्तनों में जिला मजिस्ट्रेटों एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को "कोर्ट" (न्यायालय) शब्द को हटाकर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत दत्तक ग्रहण करने के आदेश जारी करने हेतु अधिकृत करना सम्मिलित है।
- एक सरकारी वक्तव्य के अनुसार, "मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि करने हेतु" ऐसा किया गया था।
- डीएम को अधिनियम के तहत बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण करने के साथ-साथ जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, बाल देखभाल संस्थानों इत्यादि के कामकाज का मूल्यांकन करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है।

संशोधित नियमों पर चिंता

- माता-पिता (अभिभावकों), कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं एवं दत्तक ग्रहण करने वाली एजेंसियों को स्थानांतरित करना होगा तथा प्रक्रिया को नए सिरे से आरंभ करना होगा।
- इस तरह के आदेश में विलंब का अर्थ प्रायः यह हो सकता है कि बच्चे को विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल सकता क्योंकि माता-पिता के पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है।
- माता-पिता (अभिभावक) एवं अधिवक्ता यह भी कहते हैं कि न तो न्यायाधीश एवं न ही जिलाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/डीएम) को किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) में बदलाव के बारे में पता है, जिससे व्यवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है एवं विलंब होता है।
- डीएम नागरिक मामलों को नहीं संभालते हैं जो एक बच्चे को विरासत एवं उत्तराधिकार के अधिकार प्रदान करते हैं।
- यदि बच्चे के 18 वर्ष का होने पर इन अधिकारों का विरोध किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक न्यायिक आदेश अधिक मान्य है कि बच्चा अपने अधिकारों से वंचित न रहे।
- सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) का कहना है कि देश में विभिन्न न्यायालयों में दत्तक ग्रहण करने के लगभग 1,000 मामले लंबित हैं।
- यह इतना बड़ा बोझ नहीं है।

भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया

- दत्तक ग्रहण दो कानूनों द्वारा शासित है:

1. **हिंदू दत्तक ग्रहण एवं निर्वाह अधिनियम, 1956 (हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट/HAMA):** यह एक माता-पिता (अभिभावक) केंद्रित कानून है जो उत्तराधिकार, विरासत, परिवार के नाम की निरंतरता एवं अंतिम संस्कार के अधिकारों के लिए पुत्रहीन को पुत्र प्रदान करता है एवं इसमें बाद में बेटियों को दत्तक ग्रहण करने को शामिल किया गया था क्योंकि कन्यादान हिंदू परंपरा में धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
2. **किशोर न्याय अधिनियम, 2015:** यह कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के साथ-साथ देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मुद्दों से संबंधित है एवं दत्तक ग्रहण करने पर मात्र एक छोटा अध्याय है।

- दत्तक माता-पिता के लिए दोनों कानूनों के अलग-अलग पात्रता मानदंड हैं।
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवेदन करने वालों को सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है जिसके बाद एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी एक गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करती है।
- इसके बाद उम्मीदवार को दत्तक ग्रहण करने हेतु योग्य पाया जाता है, दत्तक ग्रहण करने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित बच्चे को आवेदक को संदर्भित किया जाता है।
- हिंदू दत्तक ग्रहण एवं निर्वाह अधिनियम के तहत, एक "दत्तक होम" समारोह या एक गोद लेने का विलेख या एक न्यायालय का आदेश अपरिवर्तनीय दत्तक ग्रहण अधिकार प्राप्त करने हेतु पर्याप्त है।

भारत में बच्चे को गोद लेने के मुद्दे

- माता-पिता (अभिभावक) केंद्रितता: वर्तमान दत्तक ग्रहण करने का दृष्टिकोण अत्यधिक अभिभावक-केंद्रित है, किंतु माता-पिता को इसे बाल-केंद्रित बनाना चाहिए।
- बच्चे की आयु: अधिकांश भारतीय माता-पिता भी शून्य एवं दो वर्ष की आयु के बीच एक बच्चा चाहते हैं, यह मानते हुए कि यह तब होता है जब माता-पिता का बच्चे से बंधन बनता है।
- संस्थागत मुद्दे: चूंकि परित्यक्त बच्चों एवं संस्थागत देखभाल में बच्चों का अनुपात एकतरफा है, अतः दत्तक ग्रहण करने हेतु पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं हैं।
- वंश भेदभाव: अधिकांश भारतीयों का दत्तक ग्रहण करने के बारे में एक विकृत दृष्टिकोण है क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके जीन, रक्त एवं वंश को उनके बच्चों में आगे बढ़ाया जाए।
- लालफीताशाही: 2016 के किशोर न्याय नियम एवं 2017 के दत्तक ग्रहण नियम लागू होने के बाद बच्चे को गोद लेना भी कोई सरल कार्य नहीं है।

दत्तक ग्रहण करने में व्यावहारिक मुद्दे

- दत्तक ग्रहण करने का अनुश्रवण एवं बच्चों की सोर्सिंग की पुष्टि करने तथा माता-पिता (अभिभावक) दत्तक ग्रहण करने हेतु उपयुक्त हैं अथवा नहीं, यह निर्धारित करने के लिए कोई नियम नहीं हैं।
- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी/CARA) के तहत दत्तक ग्रहण करने की प्रणाली में अनेक समस्याएं हैं किंतु इसके मूल में यह तथ्य है कि इसके पंजीयन कार्यालय में बहुत कम बच्चे उपलब्ध हैं।
- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दत्तक ग्रहण करने वाले पूल में मात्र 2,188 बच्चे हैं, जबकि 31,000 से अधिक माता-पिता (अभिभावक) बच्चे को गोद लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

दलित मुसलमानों एवं ईसाइयों के लिए एससी कोटा

केंद्र शीघ्र ही हिंदू, बौद्ध एवं सिख धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों में धर्मांतरित होने वाले दलितों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन पर निर्णय ले सकता है।

- ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति (शेड्यूल कास्ट/एससी) आरक्षण लाभ की मांग करने वाली अनेक याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

दलित तथा कोटा लाभ

- अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के पीछे मूल तर्क यह था कि ये वर्ग अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई से पीड़ित थे, जो हिंदुओं में प्रचलित थी।
- संविधान के **अनुच्छेद 341** के तहत, राष्ट्रपति जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें...अनुसूचित जाति माना जाएगा।
- इस प्रावधान के तहत पहला आदेश 1950 में जारी किया गया था एवं इसमें केवल हिंदुओं को सम्मिलित किया गया था।
- सिख समुदाय की मांगों के बाद, 1956 में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति कोटे के लाभार्थियों में दलित मूल के सिख सम्मिलित थे।
- 1990 में, सरकार ने दलित मूल के बौद्धों की इसी तरह की मांग को स्वीकार कर लिया तथा आदेश को संशोधित कर कहा गया: **"कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से पृथक धर्म को मानता है, को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।"**

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1990 के पश्चात, इस उद्देश्य के लिए संसद में अनेक निजी सदस्य विधेयक लाए गए।
- 1996 में, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक नामक एक सरकारी विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था, किंतु विचारों की भिन्नता को देखते हुए, विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने दो महत्वपूर्ण पैनल गठित किए:
  - **रंगनाथ मिश्रा आयोग:** राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, जिसे लोकप्रिय रूप से रंगनाथ मिश्रा आयोग के रूप में जाना जाता है, अक्टूबर 2004 में गठित किया गया।
  - **सच्चर समिति:** मार्च 2005 में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।

संस्तुतियां

- सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि धर्मांतरण के पश्चात दलित मुसलमानों एवं दलित ईसाइयों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
- रंगनाथ मिश्रा आयोग, जिसने मई 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ने संस्तुति की कि अनुसूचित जाति का दर्जा धर्म से पूर्ण रूप से पृथक किया जाना चाहिए एवं अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की तरह पूर्ण रूप से धर्म-निरपेक्ष बनाया जाना चाहिए।

संस्तुतियों पर प्रतिक्रिया

- रिपोर्ट को 2009 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, किंतु अपर्याप्त क्षेत्रीय आंकड़ों तथा जमीन पर वास्तविक स्थिति के साथ पुष्टि के मद्देनजर इसकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किए गए कुछ अध्ययनों को भी अपर्याप्त डेटा के कारण विश्वसनीय नहीं माना गया था।

आगे की राह

- रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कुछ याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें दलित मूल के ईसाइयों एवं मुसलमानों के लिए आरक्षण लाभ की मांग की गई है।
- पिछली सुनवाई में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल को इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख प्रस्तुत करने हेतु तीन सप्ताह का समय दिया था।
- अगली सुनवाई प्रतीक्षित है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक

हाल ही में, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, एच.ई. पान सोरासाक, वाणिज्य मंत्री, कंबोडिया साम्राज्य ने आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक 2022 की सह-अध्यक्षता की।

आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक
• **19वीं आसियान** • **भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक** 16 सितंबर 2022 को स्याम रीप सिटी, कंबोडिया में आयोजित की गई थी।
• आसियान के सभी 10 देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम के आर्थिक मंत्रियों अथवा उनके प्रतिनिधियों ने आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक में भाग लिया।

आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक 2022

- **द्विपक्षीय व्यापार:** सदस्यों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आसियान एवं भारत के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 91.5 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया, जिसमें वर्ष प्रति वर्ष 39.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
  - मंत्रियों ने आसियान भारत व्यापार परिषद (आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल/एआईबीसी) द्वारा आसियान भारत आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने एवं 2022 में एआईबीसी द्वारा की गई गतिविधियों को बढ़ाने के लिए की गई सिफारिशों पर भी ध्यान दिया।
- **कोविड -19 पश्चात रिकवरी:** मंत्रियों ने महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने एवं एक स्थायी कोविड-19 पश्चात की पुनर्प्राप्ति की दिशा में कार्य करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- **आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण:** मंत्रियों ने आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला संपर्क प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई करने के लिए आसियान तथा भारत का स्वागत किया-
  - आसियान-भारत माल व्यापार समझौते (आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट/AITIGA) के उन्नयन वार्ता का शुभारंभ,
  - कोविड-19 टीकाकरण, टीकों के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवेक्षण एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकियों की पारस्परिक मान्यता, महामारी के पश्चात की पुनर्प्राप्ति प्रतिक्रियाओं के साथ आगे बढ़ने तथा भविष्य के स्वास्थ्य संकटों का सामना करने।
- **विश्व व्यापार संगठन में पारस्परिक सहयोग:** मंत्रियों ने जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 12-17 जून 2022 को आयोजित बारहवें विश्व व्यापार संगठन (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन/डब्ल्यूटीओ) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के सफल परिणामों का स्वागत किया।
  - उन्होंने विश्व व्यापार संगठन में सन्निहित नियम-आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण, मुक्त, निष्पक्ष, समावेशी, न्यायसंगत एवं पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए अपना समर्थन दोहराया।
- **आसियान-भारत माल व्यापार समझौते (AITIGA) को सुदृढ़ बनाना:** मंत्रियों ने AITIGA की समीक्षा के दायरे का समर्थन किया ताकि इसे व्यवसायों के लिए उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल, सरल एवं व्यापार सुविधा के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों सहित वर्तमान वैश्विक तथा क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके।
  - मंत्रियों ने आसियान-भारत माल व्यापार समझौते की समीक्षा में गति लाने हेतु AITIGA संयुक्त समिति को भी सक्रिय किया।

भारत-आसियान संबंध

स्वतंत्रता के पश्चात आसियान के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण भारत के आसियान के साथ अच्छे संबंध नहीं थे जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी गुट के साथ था। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात, भारत-आसियान संबंध सामान्य संकटों एवं आकांक्षाओं के कारण आर्थिक संबंधों से रणनीतिक ऊंचाइयों तक विकसित हुए हैं।

- 1996 - भारत एशिया में सुरक्षा वार्ता के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच (आसियान रीजनल फोरम/एआरएफ) का सदस्य बना जिसमें सदस्य वर्तमान क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं एवं क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहकारी उपाय विकसित कर सकते हैं।
- 2002- भारत एवं आसियान ने वार्षिक शिखर स्तरीय बैठकें प्रारंभ कीं।

- 2009- भारत-आसियान के मध्य वस्तुओं के लिए मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ।
- 2012- भारत-आसियान सामरिक साझेदारी संपन्न हुई।
- 2014- भारत एवं आसियान के मध्य कार्य बल तथा निवेश के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सेवाओं तथा निवेश में आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- 2018- भारत आसियान ने एक स्मारकीय शिखर सम्मेलन आयोजित करके अपने संबंधों के 25 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस परेड के लिए आसियान के सभी दस सदस्य देशों के नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

भारत-आसियान आर्थिक सहयोग

- आसियान भारत का चौथा सर्वाधिक वृहद व्यापारिक भागीदार है।
- आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र संपन्न हो गया है।
- भारत एवं आसियान देशों के प्रमुख निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों को एक मंच पर लाने के लिए 2003 में आसियान भारत व्यापार परिषद (आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल/AIBC) की स्थापना की गई थी।
- आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:
  - आसियान-भारत सहयोग कोष
  - आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष
  - आसियान-भारत हरित कोष
- दिल्ली घोषणा समुद्री क्षेत्र में सहयोग को अभिनिर्धारित करती है।
- **दिल्ली संवाद:** आसियान एवं भारत के मध्य राजनीतिक-सुरक्षा तथा आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक संवाद।
- **आसियान-भारत केंद्र)आसियान इंडिया सेंटर/एआईसी):** भारत एवं आसियान में संगठनों तथा थिंक-टैंक के साथ नीति अनुसंधान, पक्ष पोषण एवं नेटवर्किंग गतिविधियों को प्रारंभ करना।
- **राजनीतिक सुरक्षा सहयोग:** भारत ने आसियान को क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा तथा विकास के अपने हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण (इंडो-पेसिफिक विजन) के केंद्र में रखा है।

ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक

हाल ही में, श्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने ब्रिक्स सदस्य देशों की पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2022

- **भागीदारी:** ब्रिक्स देशों जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
- **थीम:** ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2022 ने हरित विकास, सतत विकास एवं लोचदार पुनर्प्राप्ति (ग्रीन ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रेजिलिएंट रिकवरी) थीम पर शासकीय सूचना को अपनाया।
- **ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता:** चीन ने भारत से 2022 में ब्रिक्स काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की।
  - 2021 में ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के दौरान धारणीयता, नवीकरणीय संसाधनों की ओर परिवर्तन, रोजगार सृजन, पर्यटन पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए हरित एवं सतत पर्यटन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने पर मुख्य बल दिया गया था।

ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2022 में भारत

- **हरित पर्यटन के लिए ब्रिक्स गठबंधन:** भारतीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि भारत ने 2021 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान हरित पर्यटन के लिए ब्रिक्स गठबंधन प्रारंभ किया था।
- **पर्यटन का सतत विकास:** भारत सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा को लागू करने एवं पर्यटन क्षेत्र में सतत विकास को प्रोत्साहित करने को भी बहुत महत्व देता है।
  - यह विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन में चुनौतियों को हल करने के लिए है।
- **भारतीय दृष्टिकोण:** भारत का दृष्टिकोण कोविड-19 पश्चात के विकास एवं पर्यटन क्षेत्र के विकास तथा सांस्कृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, एमआईसीई, चिकित्सा, कल्याण पर्यटन एवं ग्रामीण पर्यटन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है।
- उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित प्रमुख पहलों का अभिनिर्धारण किया गया है-
  - हरित विकास एवं सतत विकास
  - डिजिटल पर्यटन
  - गंतव्य प्रबंधन
  - पर्यटन एवं आतिथ्य, कौशल विकास तथा एमएसएमई विकास।
- यह 2022-23 में भारत की शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन/SCO) की अध्यक्षता एवं जी 20 की अध्यक्षता में भी प्रतिबिंबित होगा।

हरित पर्यटन के लिए ब्रिक्स गठबंधन

- **हरित पर्यटन के लिए ब्रिक्स गठबंधन के बारे में:** हरित पर्यटन के लिए ब्रिक्स गठबंधन उन उपायों को प्रोत्साहित करता है जो एक अधिक लोचशील, सतत एवं समावेशी पर्यटन क्षेत्र को आकार दे सकते हैं।
- **महत्व:** हरित पर्यटन के लिए ब्रिक्स गठबंधन धारणीय तर्ज पर पर्यटन की पुनः प्राप्ति एवं विकास में गति ला सकता है।

ब्रिक्स समूह

- **ब्रिक्स समूह के बारे में:** ब्रिक्स विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है।
- **पृष्ठभूमि:** 2001 में, गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ'नील ने "बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स" नामक एक शोध पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया था कि विश्व में भविष्य की जीडीपी वृद्धि चीन, भारत, रूस तथा ब्राजील से आएगी।
  - यद्यपि शोध पत्र ने किसी औपचारिक समूह की सिफारिश नहीं की, किंतु इसने कहा कि ब्रिक अर्थव्यवस्थाएं संयुक्त रूप से 2039 से पूर्व पश्चिमी प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था को पीछे छोड़ देंगी।
- **ब्रिक्स का गठन:** 2006 में, ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में जी-8 (जिसे अब जी-7 कहा जाता है) शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की एवं उस वर्ष ब्रिक को औपचारिक रूप दिया गया।
  - कुछ ही समय बाद, सितंबर 2006 में, ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान समूह को ब्रिक के रूप में औपचारिक रूप प्रदान किया गया, जो न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस के दौरान हुई थी।
  - पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन: 2009 में रूसी संघ में आयोजित हुआ तथा वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में सुधार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।
  - दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को BRIC में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद समूह ने BRICS का संक्षिप्त नाम अपनाया।
  - बाद में दक्षिण अफ्रीका ने 2011 में सान्या, चीन में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- **ब्रिक्स का मुख्यालय:** BRICS का कोई मुख्यालय नहीं है, बल्कि BRICS के सभी देशों के अपने-अपने देश में BRICS को समर्पित कार्यालय हैं।
- **ब्रिक्स की संरचना:** ब्रिक्स संगठन के रूप में अस्तित्व में नहीं है, किंतु यह पांच देशों के सर्वोच्च नेताओं के मध्य एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है।
- **ब्रिक्स की अध्यक्षता:** फोरम की अध्यक्षता को संक्षिप्त रूप से बी-आर-आई-सी-एस के अनुसार सदस्यों के मध्य वार्षिक रूप से क्रमावर्तित किया जाता है।
  - भारत के पास जनवरी 2021 से ब्रिक्स की अध्यक्षता थी।
  - वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता, चीन के पास है।
- **ब्रिक्स का महत्व:** ब्रिक्स के सदस्य देश एक साथ निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करते हैं-
  - वैश्विक जनसंख्या का 41%
  - वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% एवं
  - वैश्विक व्यापार का 16%

पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ)

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच (ईस्टर्न इकोनामिक फोरम)2022 को आभासी रूप से संबोधित किया।

पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ)?

- **पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में:** पूर्वी आर्थिक मंच (ईस्टर्न इकोनामिक फोरम) की स्थापना 2015 में रूस के सुदूर पूर्व (रशियाज फार-ईस्ट रीजन/RFE) में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। ईईएफ क्षेत्र में आर्थिक क्षमता, उपयुक्त व्यावसायिक परिस्थितियों तथा निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करता है।
- **अधिदेश:** पूर्वी आर्थिक मंच एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य रूस तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र के व्यापारिक समुदाय के सदस्यों, राजनीतिक हस्तियों, विशेषज्ञों एवं पत्रकारों के मध्य संचार एवं सहयोग को बढ़ावा देना है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** पूर्वी आर्थिक मंच का प्राथमिक उद्देश्य रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना है।
  - इस क्षेत्र में रूस का एक तिहाई क्षेत्र सम्मिलित है एवं यह मछली, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, हीरे तथा अन्य खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है।
- **फोकस क्षेत्र:** इस वर्ष, पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) 2022 का उद्देश्य सुदूर पूर्व को एशिया प्रशांत क्षेत्र से संपर्क स्थापित करना है।
- **प्रदर्शन:** ईईएफ में हस्ताक्षरित समझौते 2017 में 217 से बढ़कर 2021 में 380 समझौते हो गए, जो मूल्य के हिसाब से 3.6 ट्रिलियन रूबल है।
  - 2022 तक, रूस के सुदूर पूर्व (रशियाज फार-ईस्ट रीजन/RFE) क्षेत्र में लगभग 2,729 निवेश परियोजनाओं की योजना निर्मित की जा रही है।
  - समझौते आधारिक अवसंरचना, परिवहन परियोजनाओं, खनिज उत्खनन, निर्माण, उद्योग एवं कृषि पर केंद्रित हैं।

रूस का सुदूर पूर्व क्षेत्र क्या है?
• रूसी सुदूर पूर्व पूर्वोत्तर एशिया का एक क्षेत्र है।
• यह रूस का सर्वाधिक पूर्वी भाग है एवं इसे सुदूर पूर्वी संघीय जिले के हिस्से के रूप में प्रशासित किया जाता है, जो बैकाल झील तथा प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित है।
• यह अपने दक्षिण में मंगोलिया, चीन तथा उत्तर कोरिया के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व में जापान के साथ समुद्री सीमाएं एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बेरिंग जलडमरूमध्य के साथ अपने उत्तर-पूर्व में भूमि सीमाएँ साझा करता है।

चीन एवं पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ)

- चीन इस क्षेत्र में सर्वाधिक वृहद निवेशक है क्योंकि उसे रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र (आरएफई) में चीनी बेल्ट एवं रोड पहल तथा ध्रुवीय समुद्री मार्ग (पोलर सी रूट) को बढ़ावा देने की क्षमता दिखाई देती है।
- इस क्षेत्र में चीन का निवेश कुल निवेश का 90% है। रूस 2015 से चीनी निवेश का स्वागत कर रहा है; यूक्रेन में युद्ध के कारण हुए आर्थिक दबावों के कारण अब पहले से कहीं अधिक।
- ट्रांस-साइबेरियन रेलवे ने व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने में रूस एवं चीन की सहायता की है।
    - दोनों देश 4000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो उन्हें कुछ अवसंरचनात्मक सहायता के साथ एक-दूसरे के संसाधनों का दोहन करने में सक्षम बनाता है।
- चीन अपने हेइलोंगजियांग प्रांत को भी विकसित करना चाहता है जो आरएफई से जुड़ता है। चीन एवं रूस ने पूर्वोत्तर चीन तथा रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र (आरएफई) को विकसित करने के लिए एक कोष में निवेश किया है, ब्लैगोवेशचेंस्क तथा हेहे के शहरों को 1,080 मीटर सेतु के माध्यम से जोड़ने, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने एवं निज़नेलिनिनस्कॉय तथा टोंगजियांग शहरों को जोड़ने वाले एक रेल पुल पर सहयोग के माध्यम से निवेश किया है।

दक्षिण कोरिया एवं पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ)

- चीन के अतिरिक्त, दक्षिण कोरिया भी धीरे-धीरे इस क्षेत्र में अपने निवेश में वृद्धि कर रहा है।
- दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण परियोजनाओं, बिजली के उपकरणों के निर्माण, गैस-द्रवीकरण संयंत्रों, कृषि उत्पादन एवं मत्स्य पालन में निवेश किया है।
- 2017 में, कोरिया के निर्यात-आयात बैंक (एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ़ कोरिया) तथा सुदूर पूर्व विकास कोष ने तीन वर्षों की अवधि में रूसी सुदूर पूर्व में 2 बिलियन डॉलर का निवेश करने के अपने आशय की घोषणा की।

जापान एवं पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ)

- जापान सुदूर पूर्व में एक अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। 2017 में, 21 परियोजनाओं के माध्यम से जापानी निवेश की राशि 16 बिलियन डॉलर थी।
- शिंजो आबे के नेतृत्व में, जापान ने आर्थिक सहयोग के आठ क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया एवं निजी व्यवसायों को रूसी सुदूर पूर्व के विकास में निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
- फुकुशिमा में 2011 के मंदी के बाद जापान रूस के तेल एवं गैस संसाधनों पर निर्भर होना चाहता है, जिसके कारण सरकार को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा।
- जापान अपनी कृषि-प्रौद्योगिकियों के लिए एक बाजार भी देखता है जिसमें समान जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए आरएफई में फलने-फूलने की क्षमता है।
- यद्यपि, शिंजो आबे के साथ तत्समय उपस्थित व्यापार की गति योशिहिदे सुगा एवं फूमियो किशिदा के नेतृत्व के समय खो गई थी।
- जापान एवं रूस के मध्य व्यापार संबंध कुरील द्वीप विवाद से बाधित हैं क्योंकि दोनों देशों द्वारा इस पर दावा किया जाता है।

भारत एवं पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ)

- भारत रूसी सुदूर पूर्व में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है।
- मंच के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में व्यापार, संपर्क तथा निवेश के विस्तार में देश की तत्परता व्यक्त की।
- भारत ऊर्जा, औषधि क्षेत्र (फार्मास्यूटिकल्स), सामुद्रिक संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, हीरा उद्योग एवं आर्कटिक में अपने सहयोग को और ग्रहण करने का इच्छुक है।
- 2019 में, भारत ने इस क्षेत्र में आधारिक अवसंरचना को विकसित करने के लिए 1 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की भी पेशकश की।
- पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) के माध्यम से, भारत का लक्ष्य रूस के साथ एक मजबूत अंतर-राज्यीय संपर्क स्थापित करना है।
- गुजरात एवं सखा गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधियों ने हीरा तथा औषधि)फार्मास्यूटिकल्स) उद्योग में समझौते प्रारंभ किए हैं।

जी-20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की संयुक्त बैठक (जेईसीएमएम)

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने बाली, इंडोनेशिया में आयोजित जी-20 पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रियों की संयुक्त बैठक (जेईसीएमएम) में भाग लिया।

- उन्होंने भारत की जी 20 अध्यक्षता के दौरान अगली पर्यावरण प्रतिनिधि बैठक एवं जलवायु धारणीयता कार्य समूह से संबंधित कार्यक्रमों के लिए जी 20 के सभी देशों को हार्दिक तथा गर्मजोशी से आमंत्रित किया।

जी-20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2022 में भारत

- **सहकारी एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** भारत ने संपूर्ण विश्व में, किसी को पीछे छोड़े बिना विशेष रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्गों को मजबूत सुधार एवं लचीलापन के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- **सतत पुनर्प्राप्ति:** भारत ने जी-20 को स्मरण कराया कि सतत विकास के 2030 के एजेंडे के केंद्र में सतत पुनर्प्राप्ति है एवं इसे सतत विकास लक्ष्यों की ओर प्रेरित करना चाहिए।
- **सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएं (कॉमन बट डिफरेंसिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज/सीडीआरआरसी) का सिद्धांत:** भारत ने पुनः इस बात पर प्रकाश डाला कि समकालीन पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने हेतु कोई भी पहल राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं प्राथमिकताओं के आलोक में न्यायसंगतता तथा सीडीआरआरसी के सिद्धांत के आधार पर होनी चाहिए।
- **समृद्धि को पुनर्परिभाषित करें:** भारत ने सभी के लिए वहन योग्य, सेवा योग्य एवं धारणीय जीवन शैली सुनिश्चित करने के लिए समृद्धि को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **'संपूर्ण विश्व' दृष्टिकोण:** भारत एक 'संपूर्ण विश्व' दृष्टिकोण का समर्थन करता है जो देशों, अर्थव्यवस्थाओं एवं समुदायों की अन्योन्याश्रयता को मान्यता प्रदान करता है।

जी-20 शिखर सम्मेलन 2022

- **पृष्ठभूमि:** जी-20 का गठन 1999 में 1990 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया को दुष्प्रभावित किया था।
  - जी-20 का प्रथम शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था।
- **जी-20 के बारे में:** जी-20 एक वैश्विक समूह है जिसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है।
  - जी-20 शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त शेरपा बैठकें (जो समझौतों एवं आम सहमति निर्मित करने में सहायता करती हैं) एवं अन्य कार्यक्रम भी पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं।
- **जी-20 सदस्य:** जी-20 के पूर्ण सदस्य - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ हैं।
  - प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रपति अतिथि देशों को आमंत्रित करते हैं।
- **जी-20 सचिवालय:** जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
- **जी-20 शेरपा:** कार्य सूची एवं कार्यों का समन्वय जी-20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें 'शेरपा' के रूप में जाना जाता है, जो केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों तथा गवर्नरों के साथ मिलकर कार्य करते हैं।
  - भारत ने हाल ही में कहा था कि पीयूष गोयल के बाद नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर/सीईओ) अमिताभ कांत जी-20 शेरपा होंगे।
- **महत्व:** एक साथ, जी-20 देशों में विश्व की 60 प्रतिशत आबादी, वैश्विक जीडीपी का 80 प्रतिशत एवं वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत शामिल है।
- **जी-20 की अध्यक्षता:** जी-20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के मध्य क्रमावर्तित होती है। वर्तमान में जी-20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है।
- **जी-20 अध्यक्षता 2023:** भारत को वर्ष 2023 के लिए जी-20 की अध्यक्षता उत्तराधिकार में प्राप्त होगी।
  - जी-20 त्रि- नेतृत्व: जी-20 की अध्यक्षता वाले देश, विगत एवं आगामी अध्यक्षता-धारक के साथ मिलकर जी-20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 'त्रि- नेतृत्व' (ट्रोइका) बनाते हैं।
  - इटली, इंडोनेशिया तथा भारत अभी ट्रोइका देश हैं।

भारत-बांग्लादेश संबंध

हाल ही में, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा की।

भारत - बांग्लादेश संबंध 2022: प्रमुख परिणाम

- **बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति:** यह 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद एवं गंभीर रूप से घायल भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के 200 वंशजों के लिए पीएम शेख हसीना द्वारा प्रारंभ की गई थी।
- दोनों समकक्षों ने राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, रक्षा, सीमा प्रबंधन, व्यापार तथा संपर्क, जल संसाधन, विद्युत एवं ऊर्जा, विकास सहयोग, सांस्कृतिक तथा व्यक्तियों से व्यक्तियों के मध्य संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग क्षेत्रों पर चर्चा की।
  - वे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी/आईसीटी), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा एवं नीली अर्थव्यवस्था जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग करने पर भी सहमत हुए।
- **संपर्क सहयोग:** दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एवं उप-क्षेत्रीय रेल, सड़क एवं अन्य संपर्क पहलों को लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। दोनों पक्षों ने जारी द्विपक्षीय पहलों का स्वागत किया, जैसे-

- टोंगी-अखौरा लाइन के दोहरे गेज में परिवर्तन,
- रेलवे रोलिंग स्टॉक की आपूर्ति,
- बांग्लादेश रेलवे के कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण,
- बांग्लादेश रेलवे इत्यादि की बेहतर सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समाधान साझा करना।

- **सीमा प्रबंधन:** यह स्वीकार करते हुए कि भारत-बांग्लादेश सीमा का शांतिपूर्ण प्रबंधन एक साझा प्राथमिकता है, दोनों नेताओं ने अधिकारियों को शून्य रेखा (जीरो लाइन) के 150 गज के भीतर सभी लंबित विकास कार्यों को पूरा करने हेतु काम में गति लाने का निर्देश दिया।
  - इनमें शांतिपूर्ण एवं अपराध मुक्त सीमा बनाए रखने के उद्देश्य से त्रिपुरा सेक्टर से प्रारंभ होने वाली बाड़ लगाना शामिल है।
  - यह देखते हुए कि सीमा पर घटनाओं के कारण मौतों की संख्या में काफी कमी आई है, दोनों पक्षों ने संख्या को शून्य पर लाने की दिशा में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।
  - दोनों पक्षों ने हथियारों, मादक द्रव्यों एवं नकली नोटों की तस्करी के विरुद्ध तथा विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के अवैध मानव व्यापार को रोकने के लिए दोनों सीमा सुरक्षा बलों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
- **वाहन संपर्क:** दोनों नेता बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते के शीघ्र संचालन के माध्यम से द्विपक्षीय एवं उप-क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के प्रयासों में गति लाने पर सहमत हुए।
  - बांग्लादेश ने भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना की जारी पहल में भागीदार बनने के प्रति अपनी उत्सुकता को दोहराया।
- **आर्थिक सहयोग:** दोनों नेताओं ने हाल ही में एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन को अंतिम रूप देने का स्वागत किया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट/सीईपीए) दोनों देशों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
  - उन्होंने दोनों पक्षों के व्यापार अधिकारियों को कैलेंडर वर्ष 2022 के भीतर वार्ता प्रारंभ करने एवं एलडीसी स्थिति से बांग्लादेश के अंतिम परिणति हेतु शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
- **प्रमुख घोषणाएं:** यात्रा के दौरान निम्नलिखित का अनावरण/घोषणा/विमोचन किया गया:
  - मैत्री सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र (थर्मल पावर प्लांट), रामपाल, बांग्लादेश की यूनिट- I का अनावरण;
  - रूपशा रेलवे पुल का उद्घाटन;
  - खुलना-दर्शना रेलवे लाइन एवं परबोतीपुर-कौनिया रेलवे लाइन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की घोषणा।
  - प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 23 भारतीय एवं अन्य दक्षिण एशियाई देशों की 5 भाषाओं में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक '7 मार्च भाषण' के अनुवाद वाली पुस्तक की प्रस्तुति।
  - बांग्लादेश रेलवे को अनुदान के आधार पर 20 ब्रॉड गेज इंजनों की पेशकश के संबंध में घोषणा।
  - सड़क एवं राजमार्ग विभाग, बांग्लादेश सरकार को सड़क निर्माण उपकरण तथा मशीनरी की आपूर्ति के संबंध में घोषणा।

भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों एवं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए तथा उनका आदान-प्रदान किया गया:

- जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं जल संसाधन मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार के मध्य साझा सीमा नदी कुशियारा से भारत एवं बांग्लादेश द्वारा जल के आहरण पर समझौता ज्ञापन;
- भारत में बांग्लादेश रेलवे के कर्मियों के प्रशिक्षण पर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन;
- रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार के मध्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) जैसे एफओआईएस एवं बांग्लादेश रेलवे के लिए अन्य आईटी अनुप्रयोगों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल/सीएसआईआर), भारत एवं बांग्लादेश वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (बीसीएसआईआर), बांग्लादेश के मध्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन;
- न्यूजस्पेस इंडिया लिमिटेड एवं बांग्लादेश सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड के मध्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;

- प्रसारण में सहयोग पर प्रसार भारती तथा बांग्लादेश टेलीविजन (बीटीवी) के मध्य समझौता ज्ञापन; एवं
- भारत में बांग्लादेश न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत तथा बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के मध्य समझौता ज्ञापन।

भारत-यूएई के मध्य शिक्षा पर समझौता ज्ञापन

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं संयुक्त अरब अमीरात (यूनाइटेड अरब एमिरेट्स) सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

शिक्षा पर भारत-यूएई समझौता ज्ञापन

- **शिक्षा पर भारत-यूएई समझौता ज्ञापन की पृष्ठभूमि**
    - शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 2018 में समाप्त हो गया था।
    - 2019 में, दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों के मध्य एक बैठक में, यूएई पक्ष ने एक नवीन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा।
- **शिक्षा पर भारत-यूएई समझौता ज्ञापन के बारे में:** नया भारत-यूएई समझौता ज्ञापन भारत के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी/एनईपी) 2020 द्वारा लाए गए परिवर्तनों को शामिल करता है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** शिक्षा पर भारत-यूएई समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हमारे जारी शैक्षिक सहयोग को और सशक्त करना तथा हमारे जुड़ाव के दायरे को व्यापक बनाना है।
- **अधिदेश:** शिक्षा पर भारत-यूएई समझौता ज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
    - सूचना शिक्षा के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण (टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग/टीवीईटी) शिक्षण कर्मचारियों की क्षमता विकास,
    - यमलन (ट्विनिंग) की पेशकश के लिए दोनों देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग की सुविधा प्रदान करना
    - संयुक्त डिग्री एवं दोहरी डिग्री कार्यक्रम तथा ऐसे कोई अन्य क्षेत्र जिन पर सहमति स्थापित हो।

शिक्षा पर भारत-यूएई समझौता ज्ञापन

- नया समझौता ज्ञापन भारत के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा लाए गए परिवर्तनों को शामिल करता है।
- शिक्षा पर भारत-यूएई समझौता ज्ञापन शैक्षिक सहयोग को पुनः जीवंत करेगा एवं इन योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता को प्रोत्साहित करने हेतु सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के अतिरिक्त भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के मध्य अकादमिक गतिशीलता को बढ़ाएगा।
    - इसमें टीवीईटी में सहयोग भी शामिल है क्योंकि यूएई भारतीयों के लिए एक प्रमुख कार्य स्थल है।
- शिक्षा पर भारत-यूएई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा एवं दोनों पक्षों की सहमति से स्वतः रूप से नवीकरणीय होगा।
    - एक बार हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात, यह समझौता ज्ञापन 2015 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षरित पूर्व के समझौता ज्ञापन का स्थान लेगा, जो तब प्रभावी नहीं रहेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बारे में प्रमुख बिंदु

- यह हमारे देश की **तीसरी शिक्षा नीति** है। पूर्ववर्ती दो शिक्षा नीतियों को **1968 एवं 1986** में प्रारंभ किया गया था।
    - यह राष्ट्रीय नीति 34 वर्षों के अंतराल के पश्चात आई है।
- यह **कस्तूरीरंगन समिति** की सिफारिशों पर आधारित है।
- इसने **मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय** कर दिया।
- यह **5+3+3+4 पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक संरचना** का प्रस्ताव करता है।

चरण	वर्ष	कक्षा	विशेषताएँ
आधारभूत	3-8	3 वर्ष पूर्व-प्राथमिक एवं 1-2	लचीली, बहु-स्तरीय, गतिविधि-आधारित शिक्षण
प्रारंभिक	9-11	3-5	हल्की पाठ्यपुस्तकें, अधिक औपचारिक किंतु संवादात्मक कक्षा शिक्षण
मध्य	12-14	6- 8	अधिक अमूर्त अवधारणाओं, अनुभवात्मक अधिगम को सीखने के लिए विषय शिक्षकों का प्रारंभ
माध्यमिक	15-18	9-12	पूर्णता से पढ़ना, आलोचनात्मक विचार, जीवन की आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान देना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का कार्यान्वयन

- **भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया/एचईसीआई)** नामक एक शीर्ष निकाय होगा, जो निम्नलिखित निकायों के मध्य विवादों का समाधान करेगा।

निकाय	विशेषताएं
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण(नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी/NHERA)	हल्का किंतु सख्त विनियमन
राष्ट्रीय प्रत्यायन आयोग (नेशनल एक्रीडिटेशन कमीशन/NAC)	मेटा-मान्यता प्राप्त एजेंसी
उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन/HEGC)	वित्तपोषण के लिए उत्तरदायी
सामान्य शिक्षा परिषद (जनरल एजुकेशन काउंसिल/GEC)	उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित शिक्षण परिणामों की रूपरेखा तैयार करना।

बहु संरेखण की भारत की वर्तमान नीति

समरकंद, उज्बेकिस्तान में आगामी शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन/एससीओ) शिखर सम्मेलन भारत को बहु संरेखण की ओर ले जा रहा है।

पृष्ठभूमि

गुटनिरपेक्षता के संस्थापक से बहु-संरेखण तक भारत की विदेश नीति की यात्रा। अपनी पुस्तक द इंडिया वे में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत की "गुटनिरपेक्षता" की पारंपरिक नीति की आलोचना प्रस्तुत करते हैं, जहां वे अतीत के "आशावादी गुटनिरपेक्षता" के मध्य अंतर करते हैं, जो उन्हें लगता है कि विफल हो गया है, जो अधिक यथार्थवादी "भविष्य के बहुल अनुबंधों" को मार्ग प्रदान करें।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)
• शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संगठन है।
• यह विश्व का सर्वाधिक वृहद क्षेत्रीय संगठन है,
• विश्व जनसंख्या का 40%,
• वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% से अधिक।
• सदस्य: 8-चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस एवं ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत तथा पाकिस्तान।

एससीओ शिखर सम्मेलन, 2022

- मेजबान- उज्बेकिस्तान,
- उज्बेकिस्तान सम्मेलन के पूर्ण रूप से मेजबानी करेगा: चार मध्य एशियाई राज्यों, चीन, भारत, पाकिस्तान एवं रूस के आठ सदस्य राज्यों सहित 15 नेतृत्वकर्ता, प
- र्यवेक्षक राज्य: बेलारूस, मंगोलिया एवं ईरान (जो इस वर्ष सदस्य बनेंगे) -
- अफगानिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया है।
- अतिथि देशों के नेता - आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की एवं तुर्कमेनिस्तान।

गुटनिरपेक्षता क्या है?
• यह एक नीति है, जो नेहरू के मस्तिष्क की उपज है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ।
• गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी महाशक्ति, सोवियत संघ (यूएसएसआर) अथवा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) के साथ गठबंधन नहीं करना है। एशिया एवं अफ्रीका के औपनिवेशीकृत राष्ट्र मोटे तौर पर इस समूह का हिस्सा थे।

गुटनिरपेक्षता की भारत की नीति

- 1955 में बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में प्रारंभ हुआ।
- गुटनिरपेक्षता की नीति के साथ भारत ने यूएसए या यूएसएसआर की ओर आकर्षित होने से इनकार कर दिया।
- भारत गुटनिरपेक्षता का नेतृत्वकर्ता था।

भारत की बहु-संरेखण की वर्तमान नीति क्या है?

- 2014 से अपने कार्यकाल के प्रारंभ के पश्चात से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुटनिरपेक्ष के किसी भी सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए हैं।
- विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अपनी पुस्तक 'द इंडियन वे' में गुटनिरपेक्षता की आलोचना की है।
- पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले के शब्दों में भारत अब गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहा।

एक बहु संरेखण नीति कैसी है?

- भारत प्रत्येक वृहद समूह का हिस्सा बनकर वास्तव में बहु गठबंधन या सभी से जुड़ा हुआ है।
- भारत ब्रिक्स का हिस्सा है एवं प्रधानमंत्री मोदी समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
- प्रतिद्वंद्वी समूहों के समानांतर भारत भी क्वाड एवं हिंद प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) आर्थिक ढांचे का हिस्सा है।
- भारत रियायती दरों पर रूसी तेल का क्रय रहा है एवं पश्चिमी देशों तथा अमेरिका के दबाव में झुकने से इनकार कर रहा है।
- S-400 की खरीद हो रही है एवं भारत ने अमेरिका से प्रतिबंधों की गोली से बचकर निकल गया है।
- भारत ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते का चयन कर रहा है तथा आरसीईपी एवं हाल ही में आईपीईएफ जैसे समूहों से हट गया है। यह नीति भारत के आर्थिक हित में बताई जा रही है।

बहु संरेखण के लाभ

- भारत अब P5 सुरक्षा परिषद से चूकने की गलती को दोहराना नहीं चाहता ("द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पांच राज्यों को उनके महत्व के आधार पर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी)।
- यदि कोई समूह आपके हित के प्रतिकूल कार्य करता है तो बाहर रहने एवं कुछ न करने के स्थान पर समूह का हिस्सा बनना बेहतर है।
- पीछे हटने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके ढहते आधिपत्य के साथ विश्व अनेक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है।

क्षति

- गुटनिरपेक्षता से प्रमुख हानि यह है कि मित्र देशों की प्रतिकूल नीति पर अब आपका प्रभाव नहीं है।
- उदाहरण के लिए, रूस भारत को S-400 का विक्रय करता है किंतु वह चीन को भी वही हथियार बेचता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत रणनीतिक रूप से दिन-प्रतिदिन करीब आ रहे हैं किंतु यूएसए ने हाल ही में पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर के एफ-16 लड़ाकू विमानों के विक्रय को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

निष्कर्ष

- बहु संरेखण भारत के सर्वोत्तम राष्ट्रीय हित के निमित्त सेवा प्रदान करेगा।
- अब तक भारत ने अपने विदेश नीति के उद्देश्यों को सुरक्षित करने हेतु विश्व स्तर पर प्रतिद्वंद्वी दलों को प्रबंधित किया है, किंतु रूसी आक्रामकता एवं चीनी दावे तथा विभाजित विश्व भारत की बहु संरेखण नीति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करेंगे।

भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद

हाल ही में, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लिया।

- 2019 में उद्घाटन संवाद स्थापित होने के बाद भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक प्रथम 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक थी।

भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता

- **पृष्ठभूमि:** 2+2 प्रारूप में प्रथम भारत-जापान वार्ता भारत एवं जापान के मध्य नवंबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
- **भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के बारे में:** भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता रणनीतिक एवं सुरक्षा मुद्दों पर भारत तथा जापान के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है।
- **उद्देश्य:** भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक का उद्देश्य एक ऐसा तंत्र निर्मित करना है जिसके तहत रक्षा, सुरक्षा एवं आसूचना तंत्र के और अधिक एकीकरण के साथ द्विपक्षीय संबंध एक निर्णायक रणनीतिक मोड़ लेते हैं।

2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद क्या है?
• **2+2 संवाद के बारे में:** 2+2 संवाद रणनीतिक एवं सुरक्षा मुद्दों पर भारत तथा उसके सहयोगियों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है।
• **महत्व:** एक 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद भागीदारों को दोनों पक्षों के राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक-दूसरे की रणनीतिक चिंताओं एवं संवेदनशीलताओं को बेहतर ढंग से समझने तथा उनकी प्रशंसा करने में सक्षम बनाता है।
○ यह तीव्र गति से परिवर्तित होते वैश्विक परिवेश में एक मजबूत, अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध के रूप में परिणत होता है।
• **साझेदार देश:** भारत के चार प्रमुख रणनीतिक साझेदारों: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं रूस के साथ 2+2 संवाद हैं।
○ रूस के अतिरिक्त अन्य तीन देश क्वाड में भी भारत के भागीदार हैं।

भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद-संयुक्त वक्तव्य

- **नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था:** मंत्रियों ने एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की जो राष्ट्रों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती है।
  - उन्होंने सभी देशों को धमकी अथवा बल प्रयोग या यथास्थिति को एक पक्षीय रूप से परिवर्तित करने के किसी भी प्रयास का आश्रय लिए बिना अंतरराष्ट्रीय विधियों के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
- **स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत:** मंत्रियों ने एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को प्राप्त करने के एक सामान्य रणनीतिक लक्ष्य

के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जो समावेशी एवं लोचशील, विधि के शासन पर आधारित तथा बल प्रयोग से मुक्त है।

- **हिंद-प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण (आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पेसिफिक/एओआईपी) के लिए समर्थन:** मंत्रियों ने आसियान की एकता एवं केंद्रीयता के लिए अपने दृढ़ समर्थन एवं हिंद-प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण (आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पेसिफिक/एओआईपी) के लिए अपने पूर्ण समर्थन को दोहराया।
    - हिंद-प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण विधि के शासन, खुलेपन, स्वतंत्रता, पारदर्शिता एवं समावेशिता जैसे सिद्धांतों को अक्षुण्ण बनाए रखता है।
- **रक्षा सहयोग:** अपनी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए जापान के दृढ़ संकल्प को स्वीकार करते हुए, भारतीय पक्ष ने वर्धित सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग की दिशा में कार्य करने हेतु अपना समर्थन व्यक्त किया।
    - मंत्रियों ने बहुपक्षीय अभ्यास मिलन में पहली बार जापान की भागीदारी का स्वागत किया।
    - मंत्रियों ने "धर्म गार्जियन", जिमेक्स एवं "मालाबार" सहित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अभ्यासों को जारी रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
    - मंत्रियों ने जापान के संयुक्त सैन्य बलों एवं भारतीय एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के मध्य संयुक्त सैन्य कार्मिक वार्ता प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की।
- मंत्रियों ने एचए/डीआर पर गहन सहयोग तथा संक्रामक रोगों एवं महामारियों की प्रतिक्रिया के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

निष्कर्ष

मंत्रियों ने इस बात का स्वागत किया कि गहन चर्चा के माध्यम से 2+2 बैठकों ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी में वृद्धि करने हेतु एक रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया है तथा भारत में आगामी 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है।

भारत-यूएई सीईपीए

हाल ही में, सरकार ने सूचित किया कि, भारत-संयुक्त अरब अमीरात (यूनाइटेड अरब एमिरेट्स/यूएई) व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट/सीईपीए) जो 1 मई 2022 को प्रवर्तन में आया, पूर्व से ही भारत-यूएई व्यापार पर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है।

भारत-यूएई व्यापार पर भारत-यूएई सीईपीए का प्रभाव

- संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय निर्यात, पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, जून-अगस्त 2021 के दौरान 5.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जून-अगस्त 2022 के दौरान 5.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 14% की वृद्धि को दर्शाता है।
- यह ध्यान देने योग्य है कि इसी अवधि (जून-अगस्त 2022) के दौरान भारत के वैश्विक गैर-पेट्रोलियम निर्यात में वार्षिक आधार पर 3% की वृद्धि हुई।
    - इसका तात्पर्य यह है कि संयुक्त अरब अमीरात को भारत के गैर-पेट्रोलियम निर्यात की वृद्धि दर विश्व में भारत के गैर-पेट्रोलियम निर्यात का लगभग 5 गुना है।
- पेट्रोलियम से संबंधित आयातों को छोड़कर, संयुक्त अरब अमीरात से भारतीय आयात उसी तीन माह की अवधि के दौरान 5.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जून-अगस्त 2021) से बढ़कर 5.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जून-अगस्त 2022) या प्रतिशत के संदर्भ में 1% की वृद्धि हुई।

हाल के दिनों में भारत की निर्यात वृद्धि प्रक्षेपवक्र

- वर्ष-प्रति-वर्ष आधार पर भारत के गैर-तेल निर्यात में लगभग 14% की वृद्धि महत्वपूर्ण वृहत अर्थशास्त्र संबंधी प्रतिकूल दशा (मैक्रोइकॉनॉमिक हेडविंड) के संदर्भ में आती है जैसे-
    - यूक्रेन में संघर्ष,
    - चीन में कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन,
    - मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव,
    - विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षित नीतिगत कटौती करना,
    - वैश्विक विकास में मंदी एवं परिणामस्वरूप मांग में कमी,
    - वैश्विक व्यापारिक व्यापार में कमी (2022 की पहली तिमाही में वृद्धि घटकर 3.2% हो गई, जबकि 2021 की चौथी तिमाही में 5.7%) इत्यादि।

भारत-यूएई सीईपीए: प्रमुख विशेषताएं

- **प्रशुल्कों में कमी:** भारत-यूएई मुक्त व्यापार समझौता (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट/एफटीए) 80 प्रतिशत वस्तुओं के लिए प्रशुल्कों में कमी करने एवं संयुक्त अरब अमीरात को भारत के निर्यात के 90 प्रतिशत तक शून्य - चुंगी पहुंच (जीरो-ड्यूटी एक्सेस) देने के लिए तैयार है।
  - भारत से लगभग 26 बिलियन डॉलर का वार्षिक निर्यात, जो वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में 5 प्रतिशत आयात शुल्क को आकर्षित करता है, लाभान्वित होने के लिए तैयार है।
- **विस्तार क्षेत्र:** भारत-यूएई सीईपीए समझौता निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करता है-
  - वस्तुएं,
  - सेवाएं,
  - उद्गम के नियम,
  - सीमा शुल्क प्रक्रिया,
  - सरकारी अधिप्राप्ति,
  - बौद्धिक संपदा अधिकार, एवं
  - ई-कॉमर्स।
- **उद्गम के नियम (रूल्स ऑफ ओरिजिन):** भारत-यूएई सीईपीए में दोनों अर्थव्यवस्थाओं को तीसरे देशों द्वारा समझौते के दुरुपयोग से सुरक्षित करने हेतु उद्गम के मजबूत नियम सम्मिलित हैं, जिसमें किसी भी देश से घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों के रूप में अर्ह होने के लिए इस्पात निर्यात के लिए "मेल्ट एंड पोर" की आवश्यकता शामिल है।
- **सुरक्षा तंत्र:** समझौता दोनों देशों में व्यवसायों की रक्षा के लिए एक स्थायी सुरक्षा तंत्र भी प्रदान करता है ताकि "किसी विशेष उत्पाद (आयात) की मात्रा में किसी भी अनावश्यक अथवा अनुचित वृद्धि को रोका जा सके।
- **चिकित्सा उत्पादों हेतु शीघ्र नियामक अनुमोदन:** भारत-यूएई सीईपीए के तहत, यूएई भारतीय दवा उत्पादों एवं चिकित्सा उत्पादों के लिए 90 दिनों के भीतर बाजार पहुंच तथा नियामक अनुमोदन की सुविधा के लिए सहमत हुआ।
  - यह सुविधा उन उत्पादों के लिए उपलब्ध है जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित क्षेत्राधिकारों में अनुमोदित किया गया है।
- **प्रौद्योगिकी एवं स्थिरता पर ध्यान केंद्रण:** न्यू इंडिया-यूएई साझेदारी में प्रौद्योगिकी, डिजिटल व्यापार एवं स्थिरता पर व्यापक ध्यान है।
- "खाद्य सुरक्षा गलियारा पहल" के संबंध में संयुक्त अरब अमीरात की ओर से एपीडा, डीपी वर्ल्ड तथा अल दहरा के मध्य एक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है, जिसके तहत भारत संयुक्त अरब अमीरात की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।

चेतना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

हाल ही में, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने निम्हांस (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान), बेंगलुरु में चेतना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

- उन्होंने इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग, निम्हांस, बेंगलुरु में उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस/सीओई) परियोजना का भी उद्घाटन किया।
- उत्कृष्टता केंद्र परियोजना का उद्घाटन आयुष मंत्रालय के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम "आयुर्स्वास्थ्य योजना" के एक भाग के रूप में किया गया था।

चेतना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- **चेतना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में:** चेतना पर सम्मेलन निम्नलिखित को एक साथ लाएगा-
  - भौतिकी, जीव विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, कृत्रिम प्रज्ञान, साइबरनेटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं संबद्ध क्षेत्रों के साथ-साथ क्षेत्रों में कुछ सर्वाधिक प्रख्यात शोधकर्ता तथा
  - आविष्कारक प्रमुख भारतीय आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक विषयों तथा सिद्धांतों के विद्वान एवं आध्यात्मिक शिक्षक।
- **आयोजन निकाय:** चेतना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया फाउंडेशन एवं निम्हांस द्वारा आयोजित किया जा रहा है एवं आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित है।
- **थीम:** चेतना पर सम्मेलन 2022 की थीम "एक्सप्लोरिंग कॉन्शियसनेस- फ्रॉम नॉन-लोकैलिटी टू नॉन-ड्यूलिटी: द मैन-मशीन डिबेट" है।

निम्हांस में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) परियोजना

- **निम्हांस में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) परियोजना के बारे में:** शिक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं नवाचार तथा अन्य क्षेत्रों में आयुष पेशेवरों की दक्षताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस/सीओई) परियोजना प्रारंभ की गई थी।
- **प्रमुख उद्देश्य:** निमहांस में उत्कृष्टता केंद्र परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं-
  - एकीकृत योग एवं आयुर्वेद उपचार दृष्टिकोण की प्रभावकारिता, सुरक्षा तथा प्रस्तावित तंत्र की स्थापना करने हेतु चार स्नायु-मनोरोग विकारों में नैदानिक परीक्षण आयोजित करना।
  - स्नायु-मनोरोग विकारों (न्यूरो साइकाइट्रिक डिसऑर्डर) ("डोशिक-ब्रेन") के एकीकृत स्नायु जीवविज्ञान (इंटीग्रेटिव न्यूरोबायोलॉजी) को समझना,
  - एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस निर्मित करना तथा
  - पारंपरिक एवं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से मस्तिष्क-स्वास्थ्य की जांच करने में विशिष्ट कौशल- समुच्चय रखने वाले चिकित्सक-वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित तथा विकसित करना।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) - प्रमुख बिंदु

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के बारे में:** मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में रोगी देखभाल तथा अकादमिक खोज के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज/राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान) एक बहु-विषयक संस्थान है।
  - **मुख्यालय:** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारत में स्थित एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है।
  - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान देश में मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान शिक्षा का शीर्ष केंद्र है।
- **मूल मंत्रालय:** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान संस्थान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित होता है।
- **राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान: निम्हांस, बैंगलोर अधिनियम 2012,** निम्हांस को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित करता है एवं इसके निगमन तथा उससे जुड़े मामलों का प्रावधान करता है।
  - इससे पूर्व, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान की प्रतिष्ठित शैक्षणिक स्थिति, विकास एवं योगदान को मान्यता प्रदान की तथा इसे 1994 में 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' घोषित किया।

आईडब्ल्यूए विश्व जल कांग्रेस

जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके डेनमार्क समकक्ष ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल संघ (इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन/आईडब्ल्यूए) विश्व जल कांग्रेस एवं प्रदर्शनी 2022 में 'भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य' पर एक श्वेतपत्र का विमोचन किया।

भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र

- श्वेतपत्र भारत-डेनमार्क द्विपक्षीय हरित रणनीतिक साझेदारी का परिणाम है, जो हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन पर केंद्रित है।
- 'भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य' पर श्वेत पत्र का उद्देश्य भारत में अपशिष्ट जल उपचारण की वर्तमान स्थिति को समग्र रूप से प्रग्रहित करना है।
- 'भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य' पर श्वेत पत्र का उद्देश्य भविष्य के उपचारण संरचनाओं, सह-निर्माण एवं सहयोग हेतु संभावित मार्ग निर्मित करना है।

आईडब्ल्यूए वर्ल्ड वाटर कांग्रेस 2022

- **आईडब्ल्यूए विश्व जल कांग्रेस के बारे में:** आईडब्ल्यूए विश्व जल कांग्रेस एवं प्रदर्शनी जल पेशेवरों के लिए पूर्ण जल चक्र को समाहित करने वाला वैश्विक कार्यक्रम है। कांग्रेस स्वाभाविक रूप से चर्चा हेतु एक वैश्विक मंच है।
- **अवस्थिति:** आईडब्ल्यूए विश्व जल कांग्रेस एवं प्रदर्शनी 2022 का आयोजन 12 सितंबर, 2022 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में किया गया था।
- **आयोजन प्राधिकरण:** आईडब्ल्यूए विश्व जल कांग्रेस एवं प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा आहूत की गई है।
- **अधिदेश: आईडब्ल्यूए** विश्व जल कांग्रेस 2022 सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स/SDGs) पर जल क्षेत्र की प्रगति पर रिपोर्ट करेगा।
  - जल एवं स्वच्छता के लिए समर्पित सतत विकास लक्ष्य 6 पर बल देने के साथ, कांग्रेस सभी 17 वैश्विक लक्ष्यों के साथ जल के परस्पर संबंध को भी उजागर करेगी तथा उसका आकलन करेगी।
- **भागीदारी:** विश्व जल कांग्रेस एवं प्रदर्शनी को जल पेशेवरों को एक साथ लाने तथा जल का उपभोग करने वाले उद्योग, कृषि, वास्तुकारों एवं शहरी योजनाकारों, जलविज्ञानियों तथा मृदा एवं भूजल विशेषज्ञों, समाज सेवकों इत्यादि को भी सम्मिलित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - 10,000 से अधिक प्रमुख जल पेशेवरों एवं कंपनियों ने आईडब्ल्यूए विश्व जल कांग्रेस एवं प्रदर्शनी 2022 में भाग लिया।
  - 6 दिनों के दौरान, वैचारिक- नेतृत्वकर्ता, निर्णय निर्माता, प्रमुख शोधकर्ता एवं जल क्षेत्र के भीतर तथा बाहर के व्यापारिक प्रतिनिधि हमारे जल भविष्य को आकार देने के लिए जल समाधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय जल संघ (आईडब्ल्यूए)

- **पृष्ठभूमि:** 1999 में, अंतर्राष्ट्रीय जल सेवा संघ एवं जल गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने जल प्रबंधन के विज्ञान तथा अभ्यास को एक साथ लाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ (इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन/आईडब्ल्यूए) के निर्माण हेतु शक्तियों में में शामिल हो गए।
  - अंतर्राष्ट्रीय जल संघ (आईडब्ल्यूए) के बारे में: अंतर्राष्ट्रीय जल संघ (आईडब्ल्यूए) जल क्षेत्र के लिए एक गैर-लाभकारी संगठन एवं ज्ञान केंद्र है जो जल पेशेवरों तथा भागीदारों के एक अंत:विषय नेटवर्क के साथ कार्य करता है ताकि जल प्रज्ञ विश्व निर्मित किया जा सके।
- **अधिदेश:** आईडब्ल्यूए विशेषज्ञ जल संसाधनों को कम करने, पुन: उपयोग करने एवं पुनर्भरण करने में हमारी सहायता करने हेतु संपूर्ण जल चक्र में व्यावहारिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए अपने ज्ञान का सहयोग तथा संयोजन करते हैं।

- **प्रमुख कार्य:** अंतर्राष्ट्रीय जल संघ (आईडब्ल्यूए) के महत्वपूर्ण कार्य नीचे सूचीबद्ध हैं-
  - आईडब्ल्यूए कार्यक्रम जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन के समाधान पर केंद्रित अनुसंधान तथा परियोजनाओं का विकास करते हैं;
  - आईडब्ल्यूए विश्व स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन करता है जो व्यापक स्तर पर जल क्षेत्र में नवीनतम विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं सर्वोत्तम अभ्यास लाते हैं;
  - आईडब्ल्यूए वैश्विक राजनीतिक एजेंडे पर जल को लाने एवं विनियमन तथा नीति निर्माण में सर्वोत्तम अभ्यास को प्रभावित करने हेतु कार्य करता है।

JIMEX 22

हाल ही में, जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 के छठे संस्करण, JIMEX 22 को भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था।

- JIMEX 2022 का समापन पारंपरिक प्रवाष्प प्रयाण के साथ दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को विदाई देने के साथ किया।

जापान भारत समुद्री अभ्यास (JIMEX)

- **पृष्ठभूमि:** जापान एवं भारत के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ जनवरी 2012 में नौसैनिक अभ्यासों की JIMEX श्रृंखला प्रारंभ हुई।
  - पहला जापान-भारत समुद्री अभ्यास (JIMEX) 19 दिसंबर से 22 दिसंबर 2013 तक बंगाल की खाड़ी (भारत) में आयोजित किया गया था।
- **जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 (JIMEX 22) के बारे में:** जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 (JIMEX 22) भारत एवं जापान के मध्य नौसेना सहयोग को सुदृढ़ करने तथा भारत एवं जापान की नौसेनाओं के मध्य साख एवं विश्वास निर्मित करने हेतु एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।
- **अधिदेश:** JIMEX का उद्देश्य कार्रवाई (परिचालन) प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करना एवं भारत तथा जापान की नौसेनाओं के मध्य अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना है।
  - यह सतह, उप-सतह एवं वायु क्षेत्र में सामुद्रिक कार्रवाईयों के पूरे स्पेक्ट्रम में अभ्यास के संचालन के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
- **महत्व:** समय के साथ, जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 (JIMEX 22) ने दोनों नौसेनाओं के मध्य आपसी समझ एवं अंतःक्रियाशीलता को समेकित किया है।

JIMEX 22

- **भागीदारी:** निम्नलिखित अधिकारियों के नेतृत्व में दोनों देशों ने सप्ताह भर चलने वाले JIMEX अभ्यास 2022 में भाग लिया।
  - भारतीय नौसेना के जहाज रियर एडमिन संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के नेतृत्व में एवं
  - जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (JMSDF) के जहाज इजुमो और ताकानामी, रियर एडमिरल हिरता तोषीयुकी, कमांडर एस्कॉर्ट फ्लोटिला फोर के नेतृत्व में।
- **प्रमुख गतिविधियां:**
  - JIMEX 22 ने दोनों नौसेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से किए गए कुछ सर्वाधिक जटिल अभ्यासों का साक्षी बना।
  - दोनों पक्ष उन्नत स्तर के पनडुब्बी रोधी युद्ध, अस्त्रों से फायरिंग एवं वायु रक्षा अभ्यास में संलग्न हुए।
  - इस अभ्यास में पोत जनित (शिप बोर्न) हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान एवं पनडुब्बियों ने भी भाग लिया।
  - आपूर्ति एवं सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान (रिसिप्रोकल प्रोविजन फॉर सप्लाई एंड सर्विसेज/RPSS) के समझौते के तहत भारतीय नौसेना एवं जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाजों ने समुद्र में एक-दूसरे की पुनः पूर्ति की।

कुशियारा नदी संधि

26 वर्षों में पहली बार, भारत एवं बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण सीमा-पारीय (ट्रांस बाउंड्री) नदी, कुशियारा के जल को साझा करने के लिए सहमत हुए, जबकि तीस्ता नदी के जल को साझा करने के लिए एक लंबे समय से विलंबित समझौते पर वार्ता, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, अभी भी जारी है।

भारत-बांग्लादेश जल विवाद

- तीस्ता नदी एवं गंगा नदी विवाद भारत तथा बांग्लादेश के मध्य लंबे समय से चले आ रहे दो मुख्य जल संघर्ष हैं।
- दोनों नदियाँ दोनों देशों में मछुआरों, किसानों एवं नाविकों हेतु जल की महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता हैं।
- चूंकि पवित्र नदी भारत से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, गंगा नदी विवाद विगत 35 वर्षों से दोनों देशों के मध्य विवाद का स्रोत रहा है।
- अनेक दौर की द्विपक्षीय वार्ता विफल होने के बावजूद प्रस्तावित जल के बंटवारे का कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है।
- आगामी 30 वर्षों के लिए जल बंटवारे की व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1996 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जो कि समाप्त होने वाली है।

कुशियारा नदी संधि

- 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर के पश्चात से इस तरह का पहला समझौता, भारत एवं बांग्लादेश कुशियारा नदी के लिए जल के बंटवारे पर एक अंतरिम समझौते पर पहुंचे।
- भारत ने रहीमपुर नहर के माध्यम से बांग्लादेश द्वारा कुशियारा नदी के जल की निकासी पर अपनी आपत्ति वापस ले ली।
- विगत शताब्दी में, बराक नदी का प्रवाह इस प्रकार से परिवर्तित हो गया है कि नदी का अधिकांश जल कुशियारा नदी में प्रवाहित हो जाता है जबकि शेष सूरमा में चला जाता है।
- समझौते का उद्देश्य उस समस्या के एक हिस्से को हल करना है जो नदी की बदलती प्रकृति ने बांग्लादेश के समक्ष प्रस्तुत की है क्योंकि यह मानसून के दौरान बाढ़ लाती है।

- यह सर्दियों के दौरान सूख जाती है जब सिलहट में फसल चक्र के कारण जल की मांग में वृद्धि हो जाती है।

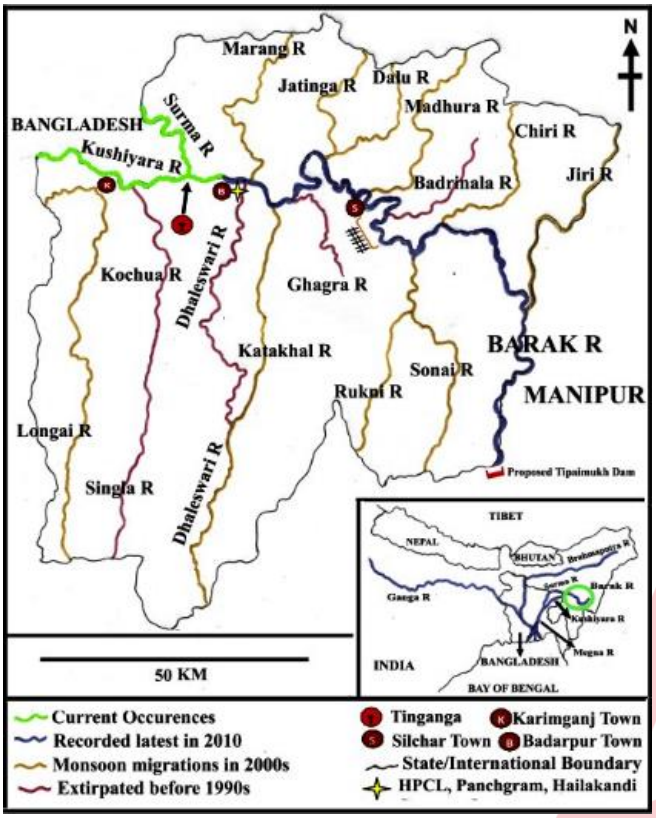

संधि की शर्तें

- इस समझौता ज्ञापन के तहत, बांग्लादेश शीत ऋतु में नदी में उपस्थित लगभग 2,500 क्यूसेक जल में से कुशियारा नदी से 153 क्यूसेक (प्रति सेकंड क्यूबिक फीट) जल की निकासी करने में सक्षम होगा।
- समझौता शीत ऋतु के दौरान नदी के किनारे जल की आपूर्ति पर बांग्लादेश की चिंता को हल करता है, किंतु कुशियारा नदी के बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

बांग्लादेश को लाभ

- सिलहट में रहीमपुर नहर परियोजना के माध्यम से कुशियारा नदी का जल पहुंचाया जाएगा।
- आठ किलोमीटर लंबी नहर कुशियारा नदी से इस क्षेत्र में जल की एकमात्र आपूर्तिकर्ता है एवं बांग्लादेश ने जल की निकासी हेतु एक पंप हाउस तथा अन्य व्यवस्थाएं निर्मित की हैं जिनका अब उपयोग किया जा सकता है।
- सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि सिलहट में नहरों के एक संजाल (नेटवर्क) के माध्यम से प्रवाहित होने वाले जल से लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि एवं लाखों लोगों को लाभ प्राप्त होगा।
- यह बोरो चावल में शामिल किसानों को लाभान्वित करेगा, जो मूल रूप से दिसंबर से फरवरी के शुष्क मौसम के दौरान खेती की जाने वाली एवं ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काटा जाने वाला चावल है।
- बांग्लादेश की शिकायत रही है कि इस क्षेत्र में बोरो चावल की खेती को नुकसान हो रहा था क्योंकि भारत ने उसे कुशियारा नदी से आवश्यक जल की निकासी हेतु अनुमति प्रदान नहीं की थी।

रहीमपुर नहर के लिए कुशियारा नदी का जल इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
• कुशियारा नदी के जल का उपयोग सिलहट के जकीगंज, कनैघाट एवं बेनी बाजार क्षेत्रों जैसे सिलहट के अनुमंडलों में सदियों से किया जाता रहा है।
• किंतु बांग्लादेश ने देखा है कि क्षीण मौसम के दौरान नहर में जल का प्रवाह एवं मात्रा कम हो गई है।
• शीत ऋतु के दौरान नदी एवं नहर की उपयोगिता कम हो गई थी, जिससे चावल की खेती के साथ-साथ सब्जियों की एक विस्तृत विविधता प्रभावित हुई, जिसके लिए सिलहट प्रसिद्ध है।

रहीमपुर नहर पर भारत की आपत्ति

- भारत ने नहर की सफाई एवं तलकर्षण (ड्रेजिंग) पर आपत्ति व्यक्त की।
- इसने दावा किया कि बांध एवं अन्य आधारिक अवसंरचना ने सीमा सुरक्षा में हस्तक्षेप किया क्योंकि कुशियारा नदी स्वयं दोनों पक्षों के मध्य की सीमा का हिस्सा निर्मित करता है।
- यद्यपि, समझौता इंगित करता है कि नदी से संभावित आर्थिक लाभ सुरक्षा से अधिक हो गए हैं।

तीस्ता समझौते की बाधाएं

- तीस्ता नदी की तुलना में कुशियारा समझौता अपेक्षाकृत आकार में छोटा है जिसमें पश्चिम बंगाल सम्मिलित है, जिसमें प्रस्ताव के साथ समस्या है।
- कुशियारा नदी समझौते को असम जैसे किसी भी राज्य से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, जहां से बराक नदी का उद्गम होता है एवं कुशियारा और सूरमा में शाखाएं होती हैं।

राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया।

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमारे कुछ कम ज्ञात पर्यटन स्थलों को अनावृत करने हेतु "नई राहें नई मंजिलें" योजना भी प्रारंभ की है।

राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

- **राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में:** पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार देश में पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 से 20 सितंबर 2022 तक राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है।

- **स्थान:** हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
- **संबद्ध मंत्रालय:** पर्यटन, संस्कृति एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास विभाग के मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
- **भागीदारी:** राज्य पर्यटन मंत्रियों के तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री, केंद्र सरकार के राज्यपाल, प्रशासक तथा वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार एवं पर्यटन तथा आतिथ्य संघों के प्रमुख सम्मिलित होंगे।
- **विषय-वस्तु:** राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को निम्नलिखित विषयगत सत्रों में विभाजित किया गया है-
    - पर्यटन अवसंरचना का विकास,
    - सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन,
    - हिमालयी राज्यों में पर्यटन,
    - सतत एवं उत्तरदायी पर्यटन,
    - पर्यटन स्थलों के विपणन एवं प्रचार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका,
    - भारतीय आतिथ्य क्षेत्र में होमस्टे का बढ़ता महत्व,
    - आयुर्वेद, कल्याण, और चिकित्सा मूल्य यात्रा, तथा
    - वन एवं वन्य जीव पर्यटन।

नई राहें नई मंजिलें योजना

- नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार राज्य में पर्यटन में विविधता लाने के उद्देश्य से अनन्वेषित एवं अप्रयुक्त पर्यटन स्थलों की पहचान करेगी।
- नई राहें नई मंजिलें योजना ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इन पर्यटन स्थलों में पर्यटन को प्रोत्साहित करेगी।
- नई राहें नई मंजिल योजना का कुल बजटीय आवंटन 50 करोड़ रुपये है।
- "नई राहें नई मंजिलें" योजना के तहत प्रथम चरण में कांगड़ा जिला में बीर बिलिंग, शिमला जिला के चांशल तथा मंडी जिला के जंजैहली क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है।

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन

रूस ने जर्मनी के लिए एक प्रमुख पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को पुन: प्रारंभ करने से इनकार कर दिया है क्योंकि इसके लिए उसने जो कारण बताए वह तत्काल रखरखाव कार्य की आवश्यकता थी।

- यूरोपीय देशों में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि रूस मास्को के विरुद्ध मौजूदा प्रतिबंधों के प्रत्युत्तर में अपनी गैस आपूर्ति बंद कर देगा।

नॉर्ड स्ट्रीम 1 क्या है?

- यह रूस से जर्मनी तक बाल्टिक सागर के नीचे परिचालित अपतटीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की एक प्रणाली है।
- नॉर्ड स्ट्रीम 1 1,224 किलोमीटर लंबी जलमग्न, एक गैस पाइपलाइन है जो उत्तर पश्चिमी रूस में वायबोर्ग से बाल्टिक सागर के माध्यम से पूर्वोत्तर जर्मनी में लुबमिन तक जाती है।
- उस्त-लुगा से लुबमिन तक परिचालित निर्माणाधीन दो अन्य पाइपलाइनों को नॉर्ड स्ट्रीम 2 कहा जाता है।
- अधिकांश रूसी ऊर्जा दिग्गज गाज़प्रोम के स्वामित्व में, पाइपलाइन प्राथमिक मार्ग है जिसके माध्यम से इसकी गैस जर्मनी में प्रवेश करती है।

यूरोप के लिए चिंता

- इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि यूरोपीय गैस आपूर्ति पर और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- यूरोपीय देश अपनी ठंडी शीत ऋतु के लिए रूसी ऊर्जा पर निर्भर हैं।
- किंतु अब उनका मानना है कि रूस यूक्रेन में संघर्ष के कारण उनके द्वारा आरोपित प्रतिबंध के प्रत्युत्तर में उनकी निर्भरता को हथियार बना सकता है।

यूरोप के ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं?

- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में, यूरोपीय देशों ने तेजी से अमेरिका की ओर रुख किया है, जिससे वे जहाजों के माध्यम से आने वाली तरल प्राकृतिक गैस (लिक्विड नेचुरल गैस/एलएनजी) खरीदते हैं।

- चूंकि जहाज के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली गैस अधिक महंगी होती है, इसलिए नॉर्वे एवं अजरबैजान से गैर-रूसी पाइपलाइन गैस प्राप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
- जबकि यूरोपीय संघ के देश पूर्व में जीवाश्म ईंधन को क्रमिक रूप से समाप्त करने एवं ऊर्जा के नवीकरणीय रूपों पर बल देने की मांग कर रहे थे, अनेक यूरोपीय देश अब ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कोयले की ओर लौट रहे हैं।

भारत एवं जापान के मध्य रणनीतिक साझेदारी

चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताएं एवं क्षेत्रीय विवादों पर हठ धर्मिता भारत एवं जापान के बिगड़ते माहौल के केंद्र में हैं।

भारत एवं सहयोगियों के मध्य 2+2 वार्ता
• 2+2 संवाद रणनीतिक एवं सुरक्षा मुद्दों पर भारत तथा उसके सहयोगियों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है।
• 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद भागीदारों को दोनों पक्षों के राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक-दूसरे की रणनीतिक चिंताओं एवं संवेदनशीलताओं को बेहतर ढंग से समझने तथा उनकी सराहना करने में सक्षम बनाता है।
• यह तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में एक मजबूत, अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध निर्मित करने में सहायता करता है।
• भारत के चार प्रमुख रणनीतिक साझेदारों: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं रूस के साथ 2+2 संवाद हैं।

भारत-जापान संबंधों में हाल के घटनाक्रम

- हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान ने औपचारिक रूप से आपूर्ति श्रृंखला प्रत्यास्थता पहल प्रारंभ की। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभुत्व का प्रतिरोध करने हेतु पहल प्रारंभ की गई थी।
- इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को रोकना है जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया है। यह पहल मुख्य रूप से निवेश के विविधीकरण एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने पर केंद्रित होगी।
- 2017 में स्थापित एक्ट ईस्ट फोरम का उद्देश्य भारत की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" एवं जापान की "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक विजन" के तहत भारत-जापान सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है।
- एक्ट ईस्ट फोरम की दूसरी बैठक में, दोनों पक्ष उत्तर पूर्व में जापानी भाषा के विस्तार, तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम/टीआईटीपी) के तहत प्रशिक्षण देखभालकर्ताओं, बांस मूल्य श्रृंखला विकास तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमत हुए।
- आरंभिक भारत-जापान अंतरिक्ष वार्ता बाह्य अंतरिक्ष में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने एवं संबंधित अंतरिक्ष नीतियों पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए दिल्ली में आयोजित की गई थी।
- जापान तथा भारत ने 75 बिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय व्यवस्था प्रारंभ की है जो देश की क्षमता में वृद्धि करेगा क्योंकि यह रुपये के कीमतों में भारी गिरावट से जूझ रहा है।
- एक मुद्रा विनिमय दो पक्षों के बीच एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए एक मुद्रा में नामित नकदी प्रवाह की एक श्रृंखला का आदान-प्रदान करने के लिए एक समझौता है।
- यह समझौता दोनों देशों को रुपये को स्थिर करने के लिए अमेरिकी डॉलर के लिए अपनी मुद्राओं का विनिमय करने में सहायता करेगा, जिसमें हाल के वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है।

जापान की रणनीति

- क्षमता निर्माण: चीनी शक्ति से निपटने के लिए तीन व्यापक तत्व शामिल हैं जो जापान की कूटनीति का पुनः अभिमुखीकरण करते हैं, आक्रामकता को रोकने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ावा देना एवं रक्षा साझेदारी को गहन करना।
- यथार्थवाद कूटनीति: इस जून में सिंगापुर में वार्षिक शांगरी ला संवाद (डायलॉग) के अपने संबोधन में, जापानी प्रधान मंत्री फूमियो किशिदा ने एक नई "यथार्थवाद कूटनीति" की बात की, जो जापान को व्यावहारिकता एवं दृढ़ता के माध्यम से नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की अनुमति प्रदान करेगी।
- बजट में वृद्धि: शक्ति संतुलन के प्रश्न पर, किशिदा ने "आगामी पांच वर्षों के भीतर जापान की रक्षा क्षमताओं को मौलिक रूप से सुदृढ़ करने एवं इसे प्रभावित करने हेतु जापान के रक्षा बजट में आवश्यक पर्याप्त वृद्धि को सुरक्षित करने" के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की।
- कोई क्षमायाचना नहीं: जापान अब स्वयं की रक्षा करने के अपने नए दृढ़ संकल्प के बारे में क्षमाप्रार्थी नहीं है। अलग-अलग कारणों से, टोक्यो एवं दिल्ली दोनों ही चीन के प्रति बहुत अधिक सम्मानजनक थे एवं बीजिंग की अस्वीकार्य कार्रवाइयों को बंद करने को बोलने से हिचकिचाते थे।

सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग

- **QUAD**: 2007 में गठित एवं 2017 में पुनर्जीवित किया गया चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग/QSD, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है) संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के मध्य एक अनौपचारिक रणनीतिक संवाद है।
- **मालाबार अभ्यास**: यह संवाद एक अभूतपूर्व पैमाने के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के समान था, जिसका शीर्षक मालाबार अभ्यास था।
- **JIMEX**: महामारी के बावजूद, जापान भारत समुद्री अभ्यास (JIMEX 2020) एवं PASSEX सहित सभी कार्यक्षेत्र में जटिल

अभ्यास आयोजित किए गए, जो नौसेनाओं के मध्य विश्वास और अंतरप्रचालनीयता को प्रदर्शित करते हैं।

चुनौतियां

- दोनों देश स्वयं के तथा चीन के मध्य किसी भी टकराव में सार्थक भागीदार बनने से अत्यधिक दूर हैं।
- चीन का मुकाबला करने में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी साझेदारी में सैन्य क्षमता अथवा कूटनीतिक शक्ति नहीं है।
- राजनयिक स्तर पर, न तो उस तरह की शक्ति खींचती है जो बीजिंग का प्रतिरोध कर सकती है एवं यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वे चीन के विपरीत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल/यूएनएससी) के सदस्य नहीं हैं।
- जापान में स्पष्ट रूप से एक अत्यंत ही उन्नत उच्च-प्रौद्योगिकी औद्योगिक क्षेत्र है, इसका सैन्य उद्योग महत्वहीन है। डीआरडीओ का आह्वान न करना ही बेहतर है।

आगे की राह

- यद्यपि कोविड-19 की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, किंतु दोनों देशों के मध्य व्यक्तियों से व्यक्तियों के मध्य आदान-प्रदान भी उन्नत हो रहा है।
- जापान आत्मरक्षा बलों एवं भारतीय सशस्त्र बलों के मध्य संयुक्त अभ्यास सहित सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग ने अत्यधिक प्रगति की है।
- विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पर्याप्त उच्च तकनीक कौशल, अपनी महत्वपूर्ण संपत्ति का लाभ उठाते हुए, जापान को काफी हद तक भारत के स्वाभाविक सहयोगी के रूप में माना जाता है।
- यदि जापान एवं भारत अपने संबंधों में ठोस सुरक्षा सामग्री जोड़ना जारी रखते हैं, तो उनकी रणनीतिक साझेदारी संभावित रूप से एशिया में गेम-चेंजर हो सकती है।

निष्कर्ष

दोनों को भारत एवं जापान के मध्य रणनीतिक साझेदारी में पर्याप्त सैन्य सामग्री को शामिल करना चाहिए। क्योंकि अपनी साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए दिल्ली एवं टोक्यो मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं।

आईपीईएफ का व्यापार स्तंभ

भारत लॉस एंजिल्स में अमेरिका के नेतृत्व वाले भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा (इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क/आईपीईएफ) मंत्रिस्तरीय बैठक के व्यापार स्तंभ पर संयुक्त घोषणा से बाहर रहा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विरुद्ध संभावित भेदभाव पर चिंताओं का हवाला दिया।

भारत ने व्यापार स्तंभ से बाहर निकलने का विकल्प क्यों चुना?

- व्यापार स्तंभ से बाहर रहने का एक कारण यह था कि ढांचे की रूपरेखा अभी तक प्रकट नहीं हुई थी।
- यह विशेष रूप से उस तरह की प्रतिबद्धता के बारे में है जिसे प्रत्येक देश को "पर्यावरण, श्रम, डिजिटल व्यापार एवं सार्वजनिक क्रय" पर करना होगा।
- भारत का निर्णय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप/RCEP) से सात वर्ष की वार्ता के पश्चात बाहर निकलने के निर्णय को भी प्रदर्शित करता है।

आईपीईएफ क्या है?

- यह भाग लेने वाले देशों के लिए अपने संबंधों को मजबूत करने एवं क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक तथा व्यापार मामलों, जैसे कि महामारी से पस्त लोचशील आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण में संलग्न होने के लिए अमेरिकी-नेतृत्व वाला एक ढांचा है।
- यह एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। कोई बाजार पहुंच या प्रशुल्क कटौती की रूपरेखा तैयार नहीं की गई है, यद्यपि विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यापार सौदों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

आईपीईएफ के सदस्य

- सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम सम्मिलित हैं।
- इसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान), सभी चार क्वाड देशों एवं न्यूजीलैंड के 10 में से सात सदस्य सम्मिलित हैं।
- सम्मिलित रूप से ये देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

आईपीईएफ के चार स्तंभ

1. व्यापार जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी, श्रम प्रतिबद्धताएं, पर्यावरण, व्यापार सुविधा, पारदर्शिता एवं समुचित नियामक प्रथाएं तथा कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व, सीमा पारीय डेटा प्रवाह एवं डेटा स्थानीयकरण पर मानक सम्मिलित होंगे;
2. आपूर्ति श्रृंखला प्रत्यास्थता "अपनी तरह का प्रथम आपूर्ति श्रृंखला समझौता" विकसित करने के लिए जो व्यवधानों का पूर्वानुमान लगाएगा एवं रोकथाम करेगा;
3. स्वच्छ ऊर्जा एवं विकार्बनीकरण (डीकार्बोनाइजेशन) जिसमें "उच्च-महत्वाकांक्षा प्रतिबद्धताओं" जैसे नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, कार्बन समाप्ति क्रय प्रतिबद्धताओं, ऊर्जा दक्षता मानकों एवं मीथेन उत्सर्जन से निपटने हेतु नवीन उपाय सम्मिलित होंगे; तथा

4. कर एवं भ्रष्टाचार विरोधी, "प्रभावी कर, धन शोधन विरोधी, [अमेरिकी] मूल्यों के अनुरूप रिश्वत विरोधी योजनाओं को लागू करने तथा प्रवर्तित करने की प्रतिबद्धताओं के साथ"।

सदस्य किस प्रकार भाग लेते हैं?

- देश किसी भी निर्धारित स्तंभ के तहत पहल में सम्मिलित होने (अथवा सम्मिलित नहीं होने) के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु एक बार नामांकन करने के पश्चात सभी प्रतिबद्धताओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।
- वार्ता प्रत्येक स्तंभ के तहत प्रावधानों को निर्धारित करने एवं सूचीबद्ध करने एवं देशों के लिए अपनी 'प्रतिबद्धताओं' को चयनित करने हेतु वार्ता प्रारंभ करने हेतु होती है।
- भविष्य में सम्मिलित होने के इच्छुक अन्य देशों के लिए ढांचा खुला होगा बशर्ते वे निर्धारित लक्ष्यों एवं अन्य आवश्यक दायित्वों का पालन करने के इच्छुक हों।

आईपीईएफ के निर्माण के कारण

- खोई हुई विश्वसनीयता हासिल कर रहा अमेरिका: आईपीईएफ को एक ऐसे साधन के रूप में भी देखा जाता है जिसके द्वारा ट्रंप के प्रशांत पारीय साझेदारी (ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप/टीपीपी) से हटने के पश्चात अमेरिका इस क्षेत्र में विश्वसनीयता हासिल करने प्रयत्न कर रहा है।
- चीन का बढ़ता प्रभाव: तब से इस क्षेत्र में चीन के आर्थिक प्रभाव का प्रतिरोध करने हेतु एक विश्वसनीय अमेरिकी आर्थिक एवं व्यापार रणनीति के अभाव पर चिंता व्यक्त की जा रही है।
- प्रतियोगी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी: यह 14-सदस्यीय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में भी सम्मिलित है, जिसका अमेरिका सदस्य नहीं है (भारत रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप/RCEP से हट गया)।
- "एशिया की ओर धुरी" रणनीति: अमेरिका ने अपने आर्थिक एवं भू-राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को और गहन कर दिया है।

आईपीईएफ के बारे में भारत की धारणा
• प्रधानमंत्री मोदी ने समूह को हिंद-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न हुआ बताया।
• भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा एवं रचनात्मक समाधान का आह्वान किया है।

इसका चीन से क्या संबंध है?

- अमेरिकी रणनीतिकारों का मानना है कि 2017 के पश्चात से इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव का प्रतिरोध करने हेतु अमेरिका के पास आर्थिक एवं व्यापारिक रणनीति का अभाव है।
- अमेरिकी कंपनियां चीन में विनिर्माण करने से दूर जाना चाहती हैं।
- अतः भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा भाग लेने वाले देशों को एक लाभ प्रदान करेगा, जिससे वे उन व्यवसायों को अपने क्षेत्र में ला सकेंगे।
- यद्यपि, इसमें सम्मिलित होने की इच्छा एवं आर्थिक योग्यता के बावजूद ताइवान को आधिकारिक तौर पर बाहर रखा गया।
- यह वाशिंगटन की भू-राजनीतिक सतर्कता को प्रदर्शित करता है।

विरोधियों की प्रतिक्रिया

- चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस पहल की आलोचना करते हुए इसे चीन से आर्थिक रूप से पृथक करने का प्रयास बताया।
- उन्होंने तर्क दिया कि इस पहल एवं समग्र रूप से यूएस इंडो-पैसिफिक रणनीति ने विभाजन उत्पन्न किया तथा टकराव को प्रेरित किया। अंततः असफल होना पूर्वनिर्दिष्ट है।
- इंडोनेशिया जैसे प्रमुख "फेंस-सीटर" (तटस्थ) देशों को प्रसन्न करने हेतु ताइवान को बाहर रखा गया था, जिनकी सरकारों को चीन को नाराज करने का भय था।

आईपीईएफ ढांचे से संबंधित मुद्दे

- आईपीईएफ न तो 'मुक्त व्यापार समझौते' का गठन करेगा, न ही प्रशुल्क कटौती या बाजार पहुंच में वृद्धि करने पर चर्चा करने के लिए एक मंच का गठन करेगा।
- एक पारंपरिक व्यापार समझौते के विपरीत, अमेरिकी प्रशासन को आईपीईएफ के तहत कार्य करने के लिए कांग्रेस के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अतः इसकी विधिक स्थिति संदिग्ध है।
- यह संभावित प्रतिभागियों के मध्य समझौते के तहत महत्वपूर्ण रियायतों की पेशकश करने की अनिच्छा के बारे में भी संदेह उत्पन्न करता है।
- अमेरिकी घरेलू राजनीति की अस्थिरता ने आईपीईएफ के स्थायित्व के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
- पारंपरिक एफटीए के विपरीत, आईपीईएफ एकल उपक्रम सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, जहां एजेंडा पर सभी मदों पर एक साथ वार्ता की जाती है।

अमेरिकी राजनीति की विभाजनकारी प्रकृति को देखते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि आईपीईएफ बाइडेन प्रशासन से आगे निकल पाएगा या नहीं।

आगे की राह

- टोक्यो में आईपीईएफ का शुभारंभ प्रतीकात्मक प्रकृति का था; आईपीईएफ को सफल बनाने में महत्वपूर्ण घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां सम्मिलित होंगी।
- कांग्रेस द्वारा अनुसमर्थन के बिना, आईपीईएफ की सफलता अनिश्चय की स्थिति में रहेगी।

- आगे बढ़ते हुए, अमेरिका एवं संस्थापक भागीदारों को प्रक्रिया तथा मानदंड विकसित करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा क्षेत्र के अन्य देशों को आईपीईएफ पर वार्ता में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

यूएस स्टार्टअप सेतु

हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र में यूएस स्टार्टअप सेतु - सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया।

- यूएस स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम को भारत में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित लंच पर अंतः क्रिया के दौरान विमोचित किया गया था।

यूएस स्टार्टअप सेतु

- **यूएस स्टार्टअप सेतु के बारे में:** यूएस स्टार्टअप सेतु पहल भारत में स्टार्ट-अप को यूएस-आधारित निवेशकों एवं स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के नेतृत्वकर्ताओं को वित्त पोषण, बाजार पहुंच तथा व्यावसायीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श एवं सहायता के साथ जोड़ेगी।
- **अधिदेश:** सेतु को अमेरिका में स्थित उन परामर्शदाताओं के बीच भौगोलिक बाधाओं को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो भारत में उद्यमिता एवं नवोदित स्टार्टअप में निवेश करने के इच्छुक हैं।
- **आवश्यकता:** यह अनुमान है कि लगभग 90% स्टार्ट-अप एवं आधे से अधिक उचित रूप से वित्त पोषित स्टार्टअप अपने आरंभिक दिनों में विफल हो जाते हैं।
    - व्यवसाय को संभालने में अनुभव की कमी एक प्रमुख मुद्दा है तथा संस्थापकों को निर्णय लेने एवं नैतिक समर्थन के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
- **कार्यान्वयन:** स्टार्टअप इंडिया पहल मार्ग (MAARG) अथवा मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेसिलियंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम के तहत मेंटरशिप पोर्टल के माध्यम से अंतः क्रिया का समर्थन किया जाएगा।
- **महत्व:** सेतु कार्यक्रम परिवर्तन एवं अपस्किलिंग पहल के माध्यम से उद्यमियों का समर्थन करेगा।

मार्ग पहल

- **मार्ग पहल बारे में:** मार्ग पहल भारत में स्टार्टअप के लिए एकल बिंदु समाधान अन्वेषी है। MAARG संपूर्ण विश्व में परामर्श दाताओं से आवेदन आमंत्रित कर रहा है।
- **अधिदेश:** मार्ग (MAARG) पोर्टल को इस विचार के साथ विकसित किया गया है कि देश के प्रत्येक कोने से एक संरक्षक से जुड़ने के लिए पहुंच योग्य हो।
    - एक मेंटर स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करने में मानवीय बुद्धिमत्ता की पेशकश करेगा।
- **प्रदर्शन:** यह ध्यान दिया जा सकता है कि अब तक, संपूर्ण विश्व में 200 से अधिक परामर्श दाताओं को मार्ग पर सफलतापूर्वक शामिल किया गया है।
    - आवेदन उद्योग एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आए हैं।
- **प्रमुख कार्य:** मार्ग के मुख्य कार्य हैं-
    - पहुंच में सुगमता में सुधार करने हेतु, मैचमेकिंग के लिए कृत्रिम प्रज्ञान (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग करना, आभासी बैठक आयोजित करना, विशेष ट्यूशन सत्र आयोजित करना, प्रासंगिक सूचनाओं, वैश्लेषिकी (एनालिटिक्स), सुविधाओं इत्यादि के लिए एक विशिष्ट डैशबोर्ड प्रदान करना।
    - सहयोग-आधारित कार्यक्रमों की मेजबानी करना जो स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने वालों को कार्यक्रम का हिस्सा बनने एवं परिणाम संचालित गतिविधियों को सक्षम करने की अनुमति प्रदान करेगा।

एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी

हाल ही में, 16 सितंबर, 2022 को समरकंद, उज़्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन/एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में 2022-2023 की अवधि के दौरान वाराणसी को प्रथम एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है।

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लिया था।

वाराणसी प्रथम एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में

- **पृष्ठभूमि:** एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के नामित किए जाने के विनियमों को 2021 में दुशांबे एससीओ शिखर सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था।
- **उद्देश्य:** एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी को संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में एससीओ सदस्य राज्यों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंगीकृत किया गया है।
- **महत्व:** प्रथम एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी का नामांकन भारत एवं एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा।
    - यह एससीओ के सदस्य राज्यों, विशेष रूप से मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को भी रेखांकित करता है।
- **प्रमुख कार्यक्रमों की योजना:** एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी पहुंच कार्यक्रम की संरचना के अंतर्गत, 2022-23

के दौरान वाराणसी में अनेक कार्यक्रमों की मेजबानी की जाएगी, जिसके लिए एससीओ सदस्य राज्यों से मेहमानों को भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

- इन आयोजनों में भारतविद्, विद्वान, लेखक, संगीतकार एवं कलाकार, फोटो पत्रकार, यात्रा ब्लॉगर तथा अन्य आमंत्रित अतिथियों के आकर्षित होने की अपेक्षा है।

वाराणसी के बारे में
• वाराणसी को बनारस अथवा काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है।
• यह शहर हिंदू पौराणिक कथाओं तथा इतिहास के लिए जाना जाता है। काशी विश्वनाथ सदृश प्राचीन मंदिर यहां अवस्थित हैं।
• माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश वाराणसी (सारनाथ) में दिया था।
• यह शहर अध्यात्मवाद, योग, हिंदू पौराणिक कथाओं, संस्कृति तथा संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) - प्रमुख बिंदु

- **एससीओ के बारे में:** शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) 2002 में एससीओ चार्टर के माध्यम से निर्मित किया गया एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है एवं यह 2003 में प्रवर्तन में आया।
    - शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का पूर्ववर्ती संगठन शंघाई फाइव मैकेनिज्म था।
    - **प्रकार:** शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य संगठन है।
    - **एससीओ सचिवालय:** शंघाई, चीन।
    - **क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर/RATS) की कार्यकारी समिति:** ताशकंद।
- **अधिदेश:** शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) - सदस्य राज्य

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में नौ सदस्य राज्य सम्मिलित हैं (हाल ही में, ईरान को नौवें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है) अर्थात्-

1. भारत गणराज्य,
2. कजाकिस्तान गणराज्य,
3. चीन का जनवादी गणराज्य,
4. किर्गिज गणराज्य,
5. पाकिस्तान का इस्लामी गणराज्य,
6. रूसी संघ,
7. ताजिकिस्तान गणराज्य, एवं
8. उज़्बेकिस्तान गणराज्य
9. ईरान

Adda247

अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास

DESH विधेयक 2022

हाल ही में, विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ देश विधेयक पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा उद्यम एवं सेवा केंद्र (डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब/DESH) विधेयक, 2022 के विकास पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

देश विधेयक 2022- प्रमुख विशेषताएं

- नवीन देश (DESH) विधेयक 2022 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (स्पेशल इकोनामिक जोन/एसईजेड) को शासित करने वाले वर्तमान कानून को प्रतिस्थापित करेगा।
  - एक नए कानून की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फरवरी 2022 में केंद्रीय बजट में की गई थी।
- **विकास केंद्र:** ऐसे केंद्रों (हब) में मौजूदा एसईजेड भी शामिल होंगे। प्रारूप देश (DESH) विधेयक निम्नलिखित हेतु "विकास केंद्र" स्थापित करना चाहता है-
  - आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना,
  - रोजगार सृजित करना,
  - वैश्विक आपूर्ति एवं मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण तथा विनिर्माण एवं निर्यात प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना,
  - बुनियादी सुविधाओं का विकास करना,
  - शोध एवं विकास (रिसर्च एंड डेवलपमेंट/आर एंड डी) सहित निवेश को बढ़ावा देना।
- **उद्यम एवं सेवा केंद्र:** विकास केंद्रों को आगे उद्यम तथा सेवा केंद्रों में वर्गीकृत किया जाएगा।
  - जहां उद्यम केंद्र विनिर्माण एवं सेवा गतिविधियों दोनों की अनुमति प्रदान करेंगे, वहीं सेवा केंद्र मात्र सेवा गतिविधियों की अनुमति देंगे।
- **अवसंरचना की स्थिति:** सरकार की योजना इन केंद्रों को वित्त की पहुंच में सुधार तथा आसान शर्तों पर ऋण दाताओं से लंबी अवधि के ऋण को सक्षम करने हेतु, अवसंरचना जैसे कि सड़क, रेल जलमार्ग, हवाई अड्डों जैसे क्षेत्रों के समान दर्जा प्रदान करने की है।
- **सिंगल-विंडो पोर्टल:** हब की स्थापना एवं संचालन हेतु समयबद्ध अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रारूप देश विधेयक के तहत एक ऑनलाइन सिंगल-विंडो पोर्टल का प्रावधान भी किया गया है।
- **नियमों का सरलीकरण:** एंटरप्राइज एंड सर्विस हब (DESH) का विकास विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर बोझ डालने वाले अनेक नियमों से मुक्त हो जाएगा: उदाहरण के लिए-
  - उन्हें अब विदेशी मुद्रा का सकारात्मक लाभ उठाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं
  - उन्हें घरेलू बाजार में अधिक सरलता से विक्रय करने की अनुमति होगी।
- **विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप देश:** नए केंद्रों के भीतर संचालनरत इकाइयों को अब प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन से कोई लाभ नहीं होगा, जिसे समाप्त कर दिया जाएगा - एक ऐसा कदम जो यह केंद्रों को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप बना देगा।
- **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना:** विकास केंद्रों को सीमांकित क्षेत्र के बाहर या घरेलू बाजार में विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी, केवल अंतिम उत्पाद के स्थान पर आयातित आदान एवं कच्चे माल पर प्रशुल्कों का भुगतान किया जाएगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र: प्रमुख बिंदु

- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के बारे में:** यह एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यवसाय एवं व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं।
- **मुख्य उद्देश्य:** विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना विभिन्न उद्देश्यों जैसे व्यापार संतुलन (निर्यात को प्रोत्साहित कर), रोजगार, निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा प्रभावी प्रशासन के लिए की जाती है।
  - एसईजेड के आर्थिक विकास के लिए इंजन बनने की अपेक्षा है।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई छूट:** विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यवसायों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार विभिन्न वित्तीय नीतियां बनाती है। ये नीतियां आम तौर पर निवेश, कराधान, व्यापार, कोटा, सीमा शुल्क एवं श्रम नियमों से संबंधित होती हैं।
  - आरंभिक अवधि में, सरकार प्रायः कर अवकाश (कम कराधान की अवधि) प्रदान करती है।
  - सरकार इन क्षेत्रों में व्यापारिक सुगमता भी सुनिश्चित करती है।

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र

- **उद्गम:**
  - एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन/EPZ) 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था।
  - विशेष आर्थिक क्षेत्र संरचना में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों के समान हैं।
  - भारतीय एसईजेड चीन के एसईजेड की सफलता पर आधारित हैं।
  - सरकार ने 2000 में ईपीजेड की सफलता को सीमित करने वाली ढांचागत एवं नौकरशाही चुनौतियों के निवारण के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत एसईजेड स्थापित करना आरंभ किया।

- **विधायी समर्थन:** एसईजेड को विधायी सहायता प्रदान करने के लिए 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था।
    - अधिनियम 2006 में सेज नियमों के साथ लागू हुआ।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005:** "यह निर्यात को बढ़ावा देने एवं उससे संबंधित अथवा उसके प्रासंगिक मामलों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं प्रबंधन हेतु प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया गया है।"
    - 2000-2006 के बीच, सेज विदेश व्यापार नीति के तहत क्रियाशील थे।
- **वर्तमान स्थिति:** सरकार द्वारा 379 विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 265 क्रियाशील हैं।
- **भारत में SEZ का क्षेत्रीय वितरण:** लगभग 64% सेज पाँच राज्यों- तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में स्थित हैं।
- **बाबा कल्याणी समिति:** इसका गठन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत की मौजूदा एसईजेड नीति का अध्ययन करने के लिए किया गया था तथा नवंबर 2018 में इसने अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की थीं।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

भारत में व्यापारिक सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) निम्न बनी हुई है।

- हाल के सुधारों ने व्यापार के लिए वातावरण में कुछ हद तक सुधार किया है, किंतु अभी एक लंबा मार्ग तय करना है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्या है?
• यह विश्व बैंक द्वारा 190 अर्थव्यवस्थाओं को श्रेणीकृत ((रैंक) करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सूचकांक है।
• एक उच्च रैंक (1 के करीब) का तात्पर्य है कि देश का नियामक वातावरण व्यवसाय संचालन के अनुकूल है।
• 2020 में समग्र सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर था।
• विश्व बैंक ने अब व्यापारिक सुगमता सूचकांक)डूइंग बिजनेस इंडेक्स) को बंद कर दिया है।

रैंकिंग संकेतक

रैंकिंग की गणना संकेतकों के आधार पर की जाती है जैसे:

1. एक व्यवसाय प्रारंभ करना
2. निर्माण परमिट के साथ निपटना
3. विद्युत कनेक्शन पाना
4. संपत्ति का पंजीकरण प्राप्त करना
5. साख (ऋण/क्रेडिट) प्राप्त करना
6. अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करना, करों का भुगतान करना
7. सीमाओं के पार व्यापार करना
8. अनुबंधों का प्रवर्तन एवं
9. दिवालियापन का समाधान करना

'अनुबंधों का प्रवर्तन' किस प्रकार मापा जाता है?

- 2020 में, 'अनुबंधों को लागू करने' के मापदंडों में, भारत 2015 में 186 वें स्थान के मुकाबले 163 वें स्थान पर था। मापदंड न्यायिक प्रक्रिया के समय, लागत एवं गुणवत्ता पर विचार करता है।
- समय न्यायालयों में एक वाणिज्यिक विवाद को सुलझाने के लिए दिनों की संख्या पर विचार करता है।
- लागत दावा मूल्य के प्रतिशत के रूप में अधिवक्ताओं, न्यायालयों एवं प्रवर्तन के खर्चों को मापती है।
- गुणवत्ता सर्वोत्तम पद्धतियों के उपयोग अर्थात, न्यायालय की कार्यवाही, वाद प्रबंधन, वैकल्पिक परिवाद समाधान तथा न्यायालय स्वचालन पर विचार करती है जो दक्षता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा दे सकती है।
- तीनों संकेतकों में से प्रत्येक का 33.3% भारांक (वेटेज) है।

भारत का प्रदर्शन

- डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में लगभग 1,445 दिनों के वाणिज्यिक विवाद को हल करने में लगने वाले समय के साथ, 2020 में 163 वें स्थान पर, देश संघर्ष कर रहा है।
- यद्यपि, अगस्त 2022 तक, विधि मंत्रालय के आंकड़ों में नई दिल्ली में 744 दिनों एवं मुंबई में 626 दिनों में विवाद को हल करने में लगने वाले दिनों में लगभग 50% का उल्लेखनीय सुधार दिखाई देता है।

बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधार

- न्याय विभाग, सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के साथ-साथ 'अनुबंधों को लागू करने' संकेतक के लिए नोडल बिंदु, ने सुधारों की एक श्रृंखला प्रारंभ की है।
- कुछ कदमों में 3 लाख रुपए तक के मौद्रिक क्षेत्राधिकार के साथ समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना शामिल है।
- ऑनलाइन केस फाइलिंग, न्यायालय शुल्क का ई-भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन, आधारिक अवसंरचना परियोजना अनुबंध (इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स) के लिए विशेष न्यायालय, साथ ही साथ व्यावसायिक मामलों का स्वचालित एवं यादृच्छिक आवंटन भी मौजूद है जिससे मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है।

आगे की राह

- एक सक्षम न्यायपालिका निवेशकों में विश्वास सृजित करती है एवं लेनदेन की व्यावसायिक व्यवहार्यता का संकेत देती है।
- न्यायालयों में सुनवाई की संख्या भी कम से कम होनी चाहिए; प्रायः, अधिवक्ताओं को प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
- न्यायिक प्रणाली को संबंधित अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय के बाहर निपटान को प्रोत्साहित करना चाहिए जैसा कि उन्नत देशों में किया जाता है।
- यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका आर्थिक शासन से संबंधित मामलों को सरकारों पर छोड़ दे।

आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट (IDF WDS) 2022 का उद्घाटन किया।

आईडीएफ विश्व दुग्धोत्पादक सम्मेलन 2022

- **आईडीएफ विश्व दुग्धोत्पादक सम्मेलन 2022 के बारे में:** आईडीएफ विश्व दुग्धोत्पादक सम्मेलन 2022 (आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022) वैश्विक डेयरी क्षेत्र की एक वार्षिक बैठक है, जिसमें संपूर्ण विश्व से लगभग 1500 प्रतिभागियों को एक साथ लाया जाता है।
    - इस तरह का पिछला सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पूर्व 1974 में आयोजित किया गया था।
- **भागीदारी:** आईडीएफ विश्व दुग्धोत्पादक सम्मेलन 2022 में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है।
    - प्रतिभागी प्रोफाइल में डेयरी प्रसंस्करण कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर/सीईओ) एवं कर्मचारी, डेयरी किसान, डेयरी उद्योग के आपूर्तिकर्ता, शिक्षाविद, सरकारी प्रतिनिधि इत्यादि शामिल हैं।
- **थीम:** आईडीएफ विश्व दुग्धोत्पादक सम्मेलन 2022 की थीम 'डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड' है।
- **प्रमुख गतिविधियां:** आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी शिखर सम्मेलन वैज्ञानिक एवं तकनीकी सम्मेलनों तथा सामाजिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला से बना है जिसमें स्वागत समारोह, किसान रात्रिभोज, विशिष्ट रात्रिभोज के साथ-साथ तकनीकी एवं सामाजिक यात्राएं शामिल हैं।
    - प्रतिभागियों को व्यापक अर्थों में वैश्विक डेयरी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नवीनतम शोध निष्कर्षों एवं अनुभवों पर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।
- **अधिदेश:** आईडीएफ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 उद्योग के विशेषज्ञों को ज्ञान एवं विचारों को साझा करने हेतु एक मंच प्रदान करेगा कि किस प्रकार क्षेत्र सुरक्षित एवं सतत डेयरी के साथ विश्व को पोषण प्रदान करने में योगदान दे सकता है।

आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022- महत्व

- भारतीय डेयरी उद्योग विशिष्ट है क्योंकि यह एक सहकारी प्रतिमान पर आधारित है जो लघु एवं सीमांत डेयरी किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाता है।
    - प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार ने डेयरी क्षेत्र की बेहतरी हेतु अनेक कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप विगत आठ वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 44 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- भारतीय डेयरी उद्योग की सफलता की गाथा, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन का लगभग 23% हिस्सा गठित करता है, प्रतिवर्ष लगभग 210 मिलियन टन का उत्पादन करती है एवं 8 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को सशक्त बनाती है, आईडीएफ विश्व दुग्धोत्पादक सम्मेलन 2022 में प्रदर्शित की जाएगी।
- इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट (IDF WDS) 2022 भी भारतीय डेयरी किसानों को वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के संपर्क में आने में सहायता करेगा।

आईएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी/"आईएफएससीए") द्वारा विशिष्ट अनुदान के रूप में फिनटेक गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आईएफएससीए (फिनटेक प्रोत्साहन) योजना प्रारंभ की गई थी।

- आईएफएससीए का उद्देश्य भारत में जीआईएफटी (गिफ्ट/GIFT) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में एक विश्व स्तरीय फिनटेक केंद्र की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।

आईएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना 2022- अर्ह फिनटेक

आईएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना के निम्नलिखित के लिए खुली होगी-

- **घरेलू फिनटेक-**
    - विदेशी बाजारों तक पहुंच के लिए प्रयत्न करना;
    - आईएफएससीए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने के लिए प्रयत्न करना;
    - आईएफएससी को या तो प्राधिकरण या पंजीकरण के माध्यम से या नियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से व्यवसाय का विस्तार करना।
- **विदेशी फिनटेक:**
    - भारत में आईएफएससी के लिए बाजार पहुंच का प्रयत्न करना एवं प्राधिकरण के नियामक ढांचे के भीतर कार्य करना;
    - अंतर- व्यवहार्य (इंटर-ऑपरेबल) नियामक सैंडबॉक्स (आईओआरएस) ढांचे के तहत घरेलू बाजार तक पहुंच की मांग करना;

आईएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन

पात्र आवेदकों के लिए प्रोत्साहन के प्रकार हैं:

- **फिनटेक स्टार्ट-अप अनुदान-** इस अनुदान का उपयोग किसी उत्पाद या सेवा को विकसित करने एवं संबंधित 'गो-टू मार्केट' पहल के लिए एक नवीन फिनटेक विचार या समाधान के साथ स्टार्ट-अप के लिए किया जाएगा, जिसमें विचार को एमवीपी में परिवर्तित करने पर ध्यान दिया जाएगा।
- **अवधारणा का प्रमाण (प्रूफ आफ कॉन्सेप्ट/पीओसी) अनुदान-** इस अनुदान का उपयोग घरेलू बाजार या विदेशों में एक प्रारंभिक अथवा परिपक्व फिनटेक इकाई (एफई) द्वारा पीओसी आयोजित करने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
- **सैंडबॉक्स अनुदान-** इस अनुदान का उपयोग फिनटेक इकाई द्वारा सैंडबॉक्स में नवीन उत्पादों अथवा सेवाओं के साथ प्रयोग करने के लिए किया जाएगा।

- **हरित फिनटेक अनुदान-** इस अनुदान का उपयोग 'पर्यावरण, सामाजिक तथा शासन (एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस/ईएसजी)' निवेश सहित स्थायी वित्त और सातत्य से जुड़े वित्त की सुविधा प्रदान करने वाले समाधान विकसित करने के लिए किया जाएगा।
- **उत्प्रेरक (एक्सेलेरेटर) अनुदान-** इस अनुदान का उपयोग आईएफएससी में क्षमता निर्माण, सलाहकारों के आसपास क्षमताओं का निर्माण करने, निवेशकों को लाने, अधिक परियोजनाओं या पीओसी लाने, विलय (टाई अप) इत्यादि के लिए त्वरक का समर्थन करने के लिए किया जाएगा।
- **सूचीबद्ध समर्थन अनुदान -** अनुदान का उपयोग प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने के इच्छुक घरेलू एफई को समर्थन देने के लिए किया जाएगा।

फिनटेक प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए मानदंड

फिनटेक प्रोत्साहन योजना के तहत अपेक्षित अनुदान पात्र फिनटेक संस्थाओं (एफईएस) के लिए उपलब्ध होगा:

- जो प्राधिकरण के नियामक या नवोन्मेषी सैंडबॉक्स का हिस्सा हैं;
- जिन्हें एक समकक्ष नियामक के साथ फिनटेक ब्रिज व्यवस्था के तहत प्राधिकरण को संदर्भित किया जाता है;
- जिन्होंने प्राधिकरण द्वारा समर्थित या मान्यता प्राप्त किसी त्वरक या समूह या विशेष कार्यक्रम में या तो भाग लिया है या भाग ले रहे हैं; या
- जिन्हें संस्था (ओं) द्वारा संदर्भित किया जाता है, जिसमें समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग/एमओयू) या प्राधिकरण के साथ सहयोग या विशेष व्यवस्था वाले नियामक या पर्यवेक्षी निकाय सम्मिलित हैं।

ओएनडीसी के साथ ओडीओपी पहल का एकीकरण

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने डिजिटल कॉमर्स हेतु वक्त नेटवर्क (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स/ONDC) के साथ एक जिला एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट/ODOP) पहल के एकीकरण का आह्वान किया।

- ओएनडीसी क्रेताओं एवं विक्रेताओं को एक लोकतांत्रिक मंच पर एक साथ लाकर ओडीओपी की सीमाओं को और विस्तारित करने में सहायता प्रदान करेगा।
- मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, निर्यात केंद्र के रूप में जिला इत्यादि को ओडीओपी के दृष्टिकोण के साथ जोड़ा जाए।
- उन्होंने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से पूरक पहलों के माध्यम से ओडीओपी के अधिदेश को और विस्तारित करने में सहायता करने हेतु कहा।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) क्या है?

- **डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) के बारे में:** ओपन प्रोटोकॉल पर आधारित एक नेटवर्क है जो गतिशीलता, किराना, फूड ऑर्डर एवं डिलीवरी, होटल बुकिंग तथा यात्रा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य को सक्षम करेगा, जिसे किसी भी नेटवर्क-सक्षम अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) द्वारा खोजा एवं संबंधित किया जा सकता है।
- **अधिदेश:** ओएनडीसी मंच का उद्देश्य नवीन अवसर सृजित करना, डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाना एवं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों एवं छोटे व्यापारियों का समर्थन करना तथा उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में सहायता करना है।
- **संबद्ध मंत्रालय:** ओएनडीसी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड/DPIIT) की एक पहल है।

ओएनडीसी किस प्रकार कार्य करेगा?

- ओएनडीसी पहल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) परियोजना की भांति कार्य करेगी।
- जिस तरह यूपीआई ने लोगों को भुगतान प्लेटफॉर्म पर ध्यान दिए बिना पैसे भेजने या प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है, ओएनडीसी पहल ई-कॉमर्स बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं को लेनदेन करने की अनुमति देगी, चाहे वे किसी भी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हों।

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल क्या है?

- **पृष्ठभूमि:** एक जिला एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट/ओडीओपी) पहल का परिचालन रूप से 'निर्यात केंद्र के रूप में जिलों' पहल के साथ विलय कर दिया गया है।
- **वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) पहल के बारे में:** वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) एक पहल है जिसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जाता है।
- **अधिदेश:** एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना का उद्देश्य एक जिले की वास्तविक क्षमता को वास्तविकता में परिवर्तित करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना एवं रोजगार तथा ग्रामीण उद्यमिता सृजित करना है।
- **कार्यान्वयन:** ओडीओपी पहल डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग द्वारा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड/डीपीआईआईटी) के साथ एक प्रमुख हितधारक के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।
    - वाणिज्य विभाग डीजीएफटी के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद की पहल को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ जुड़ रहा है।
    - ओडीओपी पहल के तहत राज्यों में राज्य निर्यात संवर्धन समिति (स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी/एसपीईसी) एवं

For More Study Material
Visit: adda247.com

जिला निर्यात संवर्धन समिति (डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी/डीईपीसी) का गठन किया गया है।
  - जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन पश्चिम बंगाल राज्य के जिलों को छोड़कर भारत के सभी जिलों में किया गया है।
- **विपणन मार्ग:** ओडीओपी योजना के तहत सभी उत्पाद नेफेड बाजार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं संपूर्ण भारत के प्रमुख खुदरा विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध होंगे।

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) - प्रमुख उद्देश्य

- **जिलों को निर्यात केंद्र में परिवर्तित करना:** एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से देश के प्रत्येक जिले को एक निर्यात केंद्र में परिवर्तित करना है-
  - जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करना,
  - इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करना,
  - विनिर्माण को बढ़ाने एवं भारत के बाहर संभावित खरीदारों को खोजने के लिए स्थानीय निर्यातकों / निर्माताओं का समर्थन करना।
- **उद्योग एवं निर्यात को प्रोत्साहित करना:** एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल का उद्देश्य अभिनिर्धारित किए गए उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ जिले में विनिर्माण एवं सेवा उद्योग को प्रोत्साहित करना है।
- **रोजगार सृजित करना:** एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के प्रमुख लक्ष्यों में से एक जिले में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित करना है।

लीड्स सर्वेक्षण 2022

हाल ही में, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सम्भारिकी प्रभाग ने लीड्स 2022 (विभिन्न राज्यों में सम्भारिकी सुगमता) के लिए सर्वेक्षण पूरा किया।

लीड्स सर्वेक्षण 2022

- **पृष्ठभूमि: प्रथम** विभिन्न राज्यों में सम्भारिकी सुगमता)लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स/LEAD) रिपोर्ट 2018 में जारी की गई थी।
  - कोविड-19 महामारी के कारण लीड्स 2020 रैंकिंग जारी नहीं की गई थी।
- **लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) रिपोर्ट के बारे में:** "विभिन्न राज्यों में सम्भारिकी सुगमता (LEADS)" सर्वेक्षण देश के सम्भारिकी क्षेत्र में विभिन्न सुधारों का आकलन करने एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाने वाला एक वार्षिक अभ्यास है।
  - 2021 की वार्षिक लीड्स रिपोर्ट में, गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब क्रमशः राज्यों में शीर्ष तीन स्थानों पर पर थे।
  - दूसरी ओर, जम्मू कश्मीर, सिक्किम एवं मेघालय क्रमशः उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष तीन में थे।
- **अधिदेश:** लीड्स सर्वेक्षण का उद्देश्य भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक मजबूत एवं लागत प्रभावी सम्भारिकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- **मूल मंत्रालय:** लीड्स सर्वेक्षण उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड/DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के रसद (सम्भारिकी) विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है।
- **लीड्स सर्वेक्षण 2022:** लीड्स 2022 अभ्यास सितंबर 2022 के अंत तक पूरा निर्धारित है, जिसके बाद अक्टूबर 2022 में लीड्स 2022 रिपोर्ट जारी की जाएगी।
- **प्रयुक्त मापदंड:** लीड्स सर्वेक्षण निम्नलिखित आठ मानकों पर आधारित है-
  - आधारभूत संरचना,
  - सेवाएं,
  - समयबद्धता,
  - खोज एवं अनुरेखन,
  - मूल्य निर्धारण की प्रतिस्पर्धात्मकता,
  - कार्गो की सुरक्षा,
  - संचालन वातावरण तथा
  - नियामक प्रक्रिया।

लीड्स सर्वेक्षण मूल्यांकन एवं रैंकिंग प्रक्रिया

- लीड्स सर्वेक्षण देश में रसद पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 'सक्षमकर्ताओं' एवं 'बाधाओं' को समझने के लिए मूल्य श्रृंखला में विभिन्न उपयोगकर्ताओं तथा हितधारकों के दृष्टिकोण का आकलन करता है।
- रसद मूल्य श्रृंखला में विभिन्न हितधारक पोत वणिक (शिपर्स), टर्मिनल अवसंरचना सेवा प्रदाता, रसद सेवा प्रदाता, परिवाहक (ट्रांसपोर्टर) एवं सरकारी एजेंसियां हैं।
- वार्षिक लीड्स सर्वेक्षण हितधारकों (अवगम डेटा) एवं राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (उद्देश्य डेटा) से प्राप्त डेटा को संसाधित करता है तथा एक सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग करके प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के रसद पारिस्थितिकी तंत्र को रैंक करता है।

सर्वेक्षण 2022 का महत्व

- लीड्स 2022 सर्वेक्षण, पीएम गति शक्ति योजना के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के साथ, संधान कक्ष (साइलो) को तोड़ना एवं देश की रसद दक्षता में सुधार करने हेतु है।
  - लीड्स 2022 सर्वेक्षण पीएम-गति शक्ति द्वारा परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाता है।
- यह विश्व बैंक द्वारा द्विवार्षिक रूप से आयोजित लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) जैसे अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों पर भी सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित करेगा।

- लीड्स सर्वेक्षण उन मुद्दों एवं बाधाओं की पहचान करता है जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है तथा आपूर्ति श्रृंखला में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

पैकेज्ड कमोडिटीज के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं

उपभोक्ता मामले विभाग, विधिक माप विज्ञान प्रभाग (लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन) ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स 2011 में संशोधन के प्रारूप को अधिसूचित किया है, जिसमें कुछ बाध्यताएं हैं।

लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तहत अनिवार्य प्रावधान

नियमों के तहत कई घोषणाओं को सुनिश्चित करना अनिवार्य है, जैसे:

1. निर्माता/पैक करने वाले/आयातक का नाम एवं पता।
2. उद्गम देश।
3. वस्तु का सामान्य या वर्गीय नाम।
4. शुद्ध मात्रा।
5. निर्माण का माह एवं वर्ष।
6. अधिकतम खुदरा मूल्य (मैक्सिमम रिटेल प्राइस/एमआरपी)।
7. उपभोक्ता देखभाल से संबंधित जानकारी।

- उपभोक्ता-उन्मुख नीति के रूप में, सभी पूर्व-पैक वस्तुओं का भी निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- नियम 9(1)(ए) में प्रावधान है कि पैकेज पर घोषणा सुपाठ्य तथा सुस्पष्ट होनी चाहिए।
- जब पैकेज पर महत्वपूर्ण घोषणाओं को सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता है तो उपभोक्ताओं के 'सूचित होने के अधिकार' का उल्लंघन होता है।

क्या हैं प्रस्तावित संशोधन?

- चूंकि अनिल मिश्रित खाद्य एवं प्रसाधन संबंधी (कॉस्मेटिक) उत्पाद बाजार में विक्रय किए जाते हैं, अतः उत्पाद पैकेजिंग पर प्रमुख घटकों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, पैकेज के सामने वाले भाग में विशिष्ट विक्रय प्रस्ताव (यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन/यूएसपी) की संरचना का प्रतिशत होना चाहिए।
- साथ ही, प्रमुख घटकों को प्रदर्शित करने वाले पैकेजों को उत्पाद निर्मित करने हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री का प्रतिशत प्रदर्शित करना चाहिए।
- नवीन संशोधनों ने सुझाव दिया है कि कम से कम दो प्रमुख घटकों को ब्रांड नाम के साथ पैकेज के सामने की तरफ प्रकट किया जाना चाहिए।
- वर्तमान में, निर्माता केवल पैकेजिंग के पीछे सामग्री एवं पोषण संबंधी जानकारी सूचीबद्ध करते हैं।
- इस घोषणा में उत्पाद के यूएसपी का प्रतिशत/मात्रा भी उसी फ़ॉन्ट आकार में शामिल होना चाहिए जो यूएसपी के प्रदर्शित किए जाने के रूप में है। हालांकि, यांत्रिक या विद्युत वस्तुओं को इस उप-नियम से बाहर रखा गया है।

पैक की गई वस्तुओं को लेकर विसंगतियां

- प्रभाग ने देखा है कि अनेक निर्माता/पैक करने वाले/आयातक पैकेज्ड वस्तुओं के सामने आवश्यक विवरण अथवा प्रमुख घटकों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करते हैं।
- उपभोक्ताओं के लिए यह मान लेना आम बात है कि ब्रांड के दावे सही हैं, किंतु ऐसे दावे आमतौर पर भ्रामक होते हैं।
- उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के प्रकटीकरण को आवश्यक माना जाता है।

उपभोक्ता अधिकार

उपभोक्ता अधिकार इस बात की एक अंतर्दृष्टि है कि जब वस्तु उपलब्ध कराने वाले विक्रेता की बात आती है तो उपभोक्ता के पास क्या अधिकार होते हैं।

भारत में उपभोक्ताओं के अधिकार नीचे सूचीबद्ध हैं:

(1) सुरक्षा का अधिकार

- इसका अर्थ है जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन से सुरक्षा का अधिकार।
- क्रय किए गए वस्तु एवं सेवाओं को न केवल उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक हितों को भी पूरा करना चाहिए।
- क्रय करने से पूर्व, उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादों एवं सेवाओं की गारंटी पर बल देना चाहिए। उन्हें आईएसआई, एगमार्क इत्यादि जैसे गुणवत्ता वाले चिह्नित उत्पादों को प्राथमिकता से क्रय करना चाहिए।

(2) सूचित किए जाने का अधिकार

- इसका अर्थ है माल की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभावशीलता, शुद्धता, मानक एवं कीमत के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षित किया जा सके।
- उपभोक्ताओं को चुनाव या निर्णय लेने से पूर्व उत्पाद या सेवा के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने पर बल देना चाहिए।
- यह उसे बुद्धिमत्तापूर्वक एवं जिम्मेदारी से कार्य करने में सक्षम करेगा तथा उसे उच्च दबाव युक्त विक्रय तकनीकों के शिकार होने से रोकने में भी सक्षम करेगा।

(3) चयन का अधिकार

- इसका अर्थ है प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार। एकाधिकार के मामले में, इसका अर्थ है उचित मूल्य पर संतोषजनक गुणवत्ता एवं सेवा का आश्वासन पाने का अधिकार।
- इसमें बुनियादी वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकार भी सम्मिलित है। इसका कारण यह है कि अल्पसंख्यक के चयन के अप्रतिबंधित

अधिकार का अर्थ उसके उचित हिस्से के बहुसंख्यक हेतु इनकार हो सकता है।

(4) सुनवाई का अधिकार

- इसका अर्थ है कि उपयुक्त मंचों पर उपभोक्ता के हितों पर समुचित रूप से विचार किया जाएगा। इसमें उपभोक्ता के कल्याण पर विचार करने हेतु गठित विभिन्न मंचों में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी सम्मिलित है।

(5) निवारण का अधिकार

- इसका अर्थ है अनुचित व्यापार प्रथाओं अथवा उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध निवारण का अधिकार। इसमें उपभोक्ता की वास्तविक शिकायतों के उचित निपटान का अधिकार भी शामिल है।
- उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक शिकायतों के लिए शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कई बार उनकी शिकायत कम महत्व की हो सकती है किंतु समग्र रूप से समाज पर इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक हो सकता है।

(6) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

- इसका अर्थ है जीवन भर एक संसूचित उपभोक्ता होने हेतु ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने का अधिकार।
- उपभोक्ताओं, विशेषकर ग्रामीण उपभोक्ताओं की अज्ञानता उनके शोषण हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है।

राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी)

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय रसद नीति (नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी/एनएलपी) का शुभारंभ किया।

- प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय रसद नीति के प्रारंभ को भारत के विकसित देश होने के 'प्रण' को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी)

- **पृष्ठभूमि:** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2020-21 के भाषण में एक व्यापक राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी) की आवश्यकता का उल्लेख किया।
- **आवश्यकता:** राष्ट्रीय रसद नीति की आवश्यकता अनुभव की गई क्योंकि भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में रसद लागत अधिक है।
  - घरेलू एवं निर्यात दोनों बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हेतु भारत में रसद लागत को कम करना अनिवार्य है।
  - कम रसद लागत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता में सुधार करती है, मूल्यवर्धन एवं उद्यम को प्रोत्साहित करती है।
- **राष्ट्रीय रसद नीति के बारे में:** राष्ट्रीय रसद नीति संपूर्ण रसद पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक व्यापक अंत:विषय, पार-क्षेत्रीय एवं बहु-क्षेत्राधिकार संरचना को निर्धारित करके उच्च लागत एवं अक्षमता के मुद्दों को हल करने का एक व्यापक प्रयास है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** राष्ट्रीय रसद नीति 2022 का उद्देश्य संपूर्ण देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्बाध रूप से आवागमन सुनिश्चित करना तथा उच्च रसद लागत में कटौती करना है, जिसे भारत में प्रायः बाहरी तथा आंतरिक व्यापार दोनों के लिए सर्वाधिक वृहद संरचनात्मक बाधा माना जाता है।
  - राष्ट्रीय रसद नीति 2022 का लक्ष्य आगामी कुछ वर्षों में देश की रसद लागत को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 13-14 प्रतिशत से एक अंक तक कम करना है।
- **मूल मंत्रालय:** राष्ट्रीय रसद नीति का निर्माण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है ।

राष्ट्रीय रसद नीति (नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी/एनएलपी) 2022 का महत्व

- राष्ट्रीय रसद नीति (नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी/एनएलपी) भारत में व्यापारिक सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) तथा जीवन निर्वाह की सुगमता (ईज ऑफ लिविंग) दोनों को बेहतर बनाने में सहायता करेगी।
- नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, आर्थिक विकास को वर्धित करने तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है।
- राष्ट्रीय रसद नीति अन्य पहलों जैसे कि पीएम गति शक्ति परियोजना एवं भारतमाला पहल को बाधाओं को समाप्त करने एवं देश की रसद दक्षता में सुधार करने के लिए पूरक होगी।
- राष्ट्रीय रसद नीति 2022 भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगी, अधिक संख्या में रोजगार का सृजन करेगी, वैश्विक रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन में सुधार करेगी तथा भारत के लिए रसद केंद्र बनने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी) 2022 की प्रमुख विशेषताएं

नई रसद नीति 2022 में चार महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं-

- **डिजिटल प्रणाली का एकीकरण (इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम/आईडीएस):** सड़क परिवहन, रेलवे, सीमा शुल्क, विमानन, विदेश व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालयों सहित सात अलग-अलग विभागों की विभिन्न प्रणालियों को डिजिटल रूप से एकीकृत किया जाएगा।
  - इससे लघु कार्गो के आवागमन में सुधार होगा।
- **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप):** यह परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल में लाएगा, जिससे निर्यातकों को अत्यधिक लंबी एवं बोझिल प्रक्रियाओं से मुक्त किया जा सकेगा।
  - इससे कार्गो का आवागमन भी सुगम होगा।
- **लॉजिस्टिक्स की सुगमता (इज ऑफ लॉजिस्टिक/ईएलओजी):** नियमों को सरल बनाने एवं रसद (लॉजिस्टिक्स) व्यवसाय को सरल बनाने हेतु एक नवीन नीति लागू की जाएगी।

- इस पोर्टल के माध्यम से उद्योग संघ ऐसे किसी भी मामले को सीधे तौर पर उठा सकते हैं जिससे उनके संचालन एवं प्रदर्शन में समस्या आ रही हो।
- ऐसे मामलों के त्वरित समाधान के लिए संपूर्ण व्यवस्था भी की गई है।
- **सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप (SIG):** रसद से संबंधित सभी परियोजनाओं का नियमित रूप से अनुश्रवण करना तथा सभी बाधाओं से निपटना।

भारत में रसद क्षेत्र की स्थिति

- भारत का रसद क्षेत्र अत्यधिक विभाजित स्थिति में है एवं इसका उद्देश्य रसद लागत को जीडीपी के वर्तमान 14% से 2022 तक 10% से कम करना है।
- भारत का रसद क्षेत्र 20 से अधिक सरकारी एजेंसियों, 40 पीजीए, 37 निर्यात प्रोत्साहन परिषदों, 500 प्रमाणन, 10000 वस्तुओं, 160 बिलियन बाजार आकार के साथ अत्यधिक जटिल है।
- इसमें 12 मिलियन रोजगार आधार, 200 पोत परिवहन (शिपिंग) एजेंसियां, 36 रसद सेवाएं, 129 आईसीडी, 168 सीएफएस, 50 आईटी पारिस्थितिकी तंत्र एवं बैंक तथा बीमा एजेंसियां सम्मिलित हैं।
- इसके अतिरिक्त, एक्जिम के लिए 81 प्राधिकरण एवं 500 प्रमाणपत्रों की आवश्यकता है।
- भारतीय रसद क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है एवं इस क्षेत्र में सुधार से अप्रत्यक्ष रसद लागत में 10% की कमी आएगी जिससे निर्यात में 5 से 8% की वृद्धि होगी।
- इसके अतिरिक्त, यह अनुमान है कि भारतीय रसद बाजार का मूल्य आगामी दो वर्षों में लगभग 215 बिलियन अमरीकी डॉलर होगा, जो वर्तमान में लगभग 160 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

नई विदेश व्यापार नीति

सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति (फॉरेन ट्रेड पॉलिसी/FTP) (2022-27) के प्रारंभ को छह और महीनों के लिए बढ़ा दिया है एवं वर्तमान नीति को जारी रखेगी।

नई विदेश व्यापार नीति: विलंब

- केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भू-राजनीतिक स्थिति दीर्घकालिक विदेश व्यापार नीति के लिए उपयुक्त नहीं है।
- वर्तमान में अमेरिका एवं यूरोप जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आशंका ने निवेशकों में घबराहट में वृद्धि कर दी है।
- विदेशी निवेशकों ने इक्विटी से अपना धन निकालना आरंभ कर दिया है।
- अमेरिकी डॉलर 22 वर्ष के उच्च स्तर पर है, जबकि रुपया 81.6 डॉलर के अब तक के सर्वाधिक निचले स्तर पर पहुंच गया है।
- व्यापार घाटा विगत वर्ष की समान अवधि में 53.78 अरब डॉलर की तुलना में 2 गुना से अधिक बढ़कर 125.22 अरब डॉलर (अप्रैल-अगस्त 2022) हो गया।

विदेश व्यापार नीति क्या है?
• भारत की विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) आयातित एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए दिशानिर्देशों का एक समुच्चय है।
• इन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय (डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड/DGFT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्यात तथा आयात के प्रोत्साहन एवं सुविधा के लिए नियामक निकाय द्वारा विकसित किया गया है।
• विदेश व्यापार नीति, विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 के तहत प्रवर्तनीय हैं।

भारत की विदेश व्यापार नीति

- 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्किल इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' एवं व्यापारिक सुगमता पहल ('ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव') के अनुरूप, विदेश व्यापार नीति (2015-20) 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ की गई थी।
- यह देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने, नौकरियों के सृजन तथा मूल्यवर्धन में वृद्धि करने के लिए एक संरचना प्रदान करता है।
- विदेश व्यापार नीति वक्तव्य बाजार एवं उत्पाद रणनीति के साथ-साथ व्यापार को प्रोत्साहित करने, आधारिक अवसंरचना के विस्तार एवं संपूर्ण व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा तैयार करता है।
- इसका उद्देश्य तीव्र गति से परिवर्तित होते अंतरराष्ट्रीय व्यापार आधारिक अवसंरचना के शीर्ष पर रहते हुए भारत को बाहरी समस्याओं का उत्तर देने में सहायता करना तथा व्यापार को देश की आर्थिक वृद्धि एवं विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाना है।

विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के मुद्दे

- वाशिंगटन के विरोध पर कार्रवाई करते हुए, डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान पैनल ने 2019 में निर्णय दियाकि भारत के निर्यात सब्सिडी के उपाय डब्ल्यूटीओ मानदंडों का उल्लंघन हैं तथा इसे निरस्त किया जाना चाहिए।
- लोकप्रिय मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS) (अब इसका नाम परिवर्तित कर RODTEP योजना कर दिया गया है) एवं सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (SEIS) कार्यक्रम के तहत कर प्रोत्साहन उनमें से थे।
- पैनल ने पाया कि चूंकि भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति वर्ष 1,000 डॉलर से अधिक है, इसलिए यह अब निर्यात प्रदर्शन के आधार पर सब्सिडी प्रदान नहीं कर सकता है।

आगे की राह

- क्लाउड में एमईआईएस एवं एसईआईएस के तहत प्रोत्साहन के साथ, डब्ल्यूटीओ-अनुपालन कर लाभ अनिवार्य हैं।
- ऋण उपलब्धता लंबे समय से निर्यातकों, विशेषकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज/एमएसएमई) की आवश्यकता रही है।
- चीन के बंदरगाहों, मोटरमार्गों एवं द्रुत गति रेलगाड़ियों (हाई-स्पीड ट्रेनों) का संजाल, जो विश्व में सर्वाधिक विशाल हैं, ये इसका एक कारण है कि यह एक विनिर्माण एवं निर्यात का पावर हाउस है।
- कोविड -19 के पुराने आपूर्ति चैनलों को तोड़ने के परिणामस्वरूप भारत को नवीन व्यापारिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता है।

पेटेंट प्रणाली

पेटेंट आवेदनों के प्रक्रमण की दक्षता में वृद्धि करना एवं व्यापक अकादमिक-उद्योग सहयोग पेटेंट प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

एक पेटेंट प्रणाली क्या है?

एक पेटेंट प्रणाली एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जो अपने स्वामित्व धारी को आविष्कार के एक सक्षम प्रकटीकरण को प्रकाशित करने के बदले में सीमित समय के लिए एक आविष्कार का निर्माण, उपयोग करने अथवा विक्रय करने से दूसरों को बाहर करने का कानूनी अधिकार प्रदान करती है।

पेटेंट का महत्व

- एक पेटेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे आविष्कार को सुरक्षित रखने में सहायता कर सकता है। यह किसी भी उत्पाद, डिजाइन या प्रक्रिया की रक्षा कर सकता है जो इसकी मौलिकता, व्यावहारिकता, उपयुक्तता एवं उपादेयता के अनुसार कुछ विशिष्टताओं को पूरा करता है।
- अधिकांश मामलों में, एक पेटेंट 20 वर्ष तक के लिए एक आविष्कार की रक्षा कर सकता है।

एक पेटेंट किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है?

- पेटेंट प्राप्त करने के लिए, पेटेंट आवेदन में आविष्कार के बारे में तकनीकी जानकारी जनता के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए।
- पेटेंट का स्वामित्व धारक पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर आविष्कार का उपयोग करने के लिए अन्य पक्षों को अनुमति या लाइसेंस प्रदान कर सकता है।
- स्वामित्व धारक आविष्कार के अधिकार को किसी अन्य को भी विक्रय कर सकता है, जो तब पेटेंट का नया स्वामित्व धारी बन जाएगा।
- एक बार पेटेंट समाप्त होने के पश्चात, सुरक्षा समाप्त हो जाती है एवं एक आविष्कार सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश करता है; अर्थात कोई भी पेटेंट का उल्लंघन किए बिना आविष्कार का व्यावसायिक उपयोग कर सकता है।

पेटेंट की शर्तें

- प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में, दैनिक जीवन के रसोई के बर्तन से लेकर नैनोटेक्नोलॉजी चिप तक आविष्कारों के लिए पेटेंट प्रदान किया जा सकता है।
- एक आविष्कार एक उत्पाद - जैसे कि एक रासायनिक यौगिक, या एक प्रक्रिया, उदाहरण के लिए - या एक विशिष्ट रासायनिक यौगिक के उत्पादन की प्रक्रिया हो सकता है।
- पेटेंट सुरक्षा एक सीमित अवधि, सामान्य तौर पर आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है।
- पेटेंट क्षेत्रीय अधिकार हैं। सामान्य तौर पर, अनन्य अधिकार मात्र उस देश या क्षेत्र में लागू होते हैं जिसमें पेटेंट दायर किया गया है तथा उस देश या क्षेत्र के कानून के अनुसार प्रदान किया गया है।

पेटेंट प्रणाली: आविष्कारकों के लिए महत्व

- पेटेंट आविष्कारकों को उनके व्यावसायिक रूप से सफल आविष्कारों के लिए मान्यता प्रदान करते हैं एवं उन्हें पुरस्कृत करते हैं। इस प्रकार वे आविष्कारकों को आविष्कार करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करते हैं। एक पेटेंट के साथ, एक आविष्कारक अथवा लघु व्यवसाय जानता है कि यह एक अच्छा अवसर है कि उन्हें एक प्रौद्योगिकी विकसित करने में निवेश किए गए समय, प्रयास तथा धन पर लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में, इसका अर्थ है कि वे अपने काम से जीविकोपार्जन कर सकते हैं।
- जब एक नई तकनीक बाजार में आती है, तो समग्र रूप से समाज को लाभ होता है - दोनों, प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि यह हमें कुछ ऐसा करने में सक्षम बनाता है जो पहले संभव नहीं था, एवं अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक अवसरों (व्यवसाय विकास तथा रोजगार) के संदर्भ में जो इसके माध्यम से प्रवाहित हो सकते हैं।
- व्यावसायिक रूप से सफल पेटेंट-संरक्षित प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न राजस्व आगे तकनीकी अनुसंधान एवं विकास (रिसर्च एंड डेवलपमेंट/आर एंड डी) को वित्तपोषित करना संभव बनाता है, जिससे भविष्य में और भी बेहतर तकनीक उपलब्ध होने की संभावना में सुधार होता है।
- एक पेटेंट प्रभावी रूप से एक आविष्कारक के ज्ञान को व्यावसायिक रूप से व्यापार योग्य संपत्ति में परिवर्तित कर देता है, उदाहरण के लिए, लाइसेंसिंग एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से व्यवसाय के विकास तथा रोजगार सृजन के अवसर खोलता है।

- एक पेटेंट रखने से एक छोटा व्यवसाय उन निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो जाता है जो एक प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- पेटेंट प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न तकनीकी सूचनाएं एवं व्यावसायिक बुद्धिमत्ता नवीन विचारों को जन्म दे सकती है एवं नए आविष्कारों को प्रोत्साहित कर सकती है जिससे हम सभी लाभान्वित हो सकते हैं तथा जो बदले में पेटेंट संरक्षण के लिए योग्य हो सकते हैं।
- एक पेटेंट अनैतिक तृतीय पक्षों को आविष्कारक के प्रयासों पर निशुल्क लाभ प्राप्त करने से रोकने में सहायता कर सकता है।

कपिला पहल क्या है?
• KAPILA कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपदा) लिटरेसी एंड अवेयरनेस का संक्षिप्त नाम है।
• इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अपने आविष्कार के पेटेंट के लिए आवेदन प्रक्रिया की उचित प्रणाली की जानकारी प्राप्त होगी एवं वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे।
• यह कार्यक्रम महाविद्यालयों एवं संस्थानों को अधिक से अधिक छात्रों को पेटेंट दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की सुविधा प्रदान करेगा।

पेटेंट प्रणाली: आगे की राह

- चूंकि पेटेंट प्रणाली राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश से भारत की नवाचार क्षमता को सशक्त करने में सहायता मिलेगी।
- पेटेंट आवेदनों की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने हेतु एवं अकादमिक तथा उद्योग जगत के मध्य सहयोग के लिए उचित हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)

हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस/NSO) ने अप्रैल-जून, 2022 की अवधि के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट जारी की।

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट में पाया गया कि अप्रैल-जून 2022 में बेरोजगारी दर घटकर 7.6% हो गई।

15वें त्रैमासिक बुलेटिन के निष्कर्ष

- **शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर:** शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल-जून 2022 के दौरान एक वर्ष पूर्व 12.6 प्रतिशत से घटकर 7.6 प्रतिशत हो गई।
    - जनवरी-मार्च 2022 में 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में 8.2% थी।
- **पुरुष/महिला (शहरी) में बेरोजगारी दर:** शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु) में बेरोजगारी दर अप्रैल-जून, 2022 में घटकर 9.5% हो गई, जो एक वर्ष पूर्व 14.3% थी। जनवरी-मार्च 2022 में यह 10.1% थी।
    - पुरुषों में, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अप्रैल-जून 2022 में घटकर 7.1% हो गई, जो एक वर्ष पूर्व 12.2% थी। जनवरी-मार्च 2022 में यह 7.7% थी।
- **शहरी क्षेत्रों में सीडब्ल्यूएस)करंट वीकली स्टेटस/वर्तमान साप्ताहिक स्थिति) में श्रम बल की भागीदारी दर:** 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, 2022 की अप्रैल-जून तिमाही में यह बढ़कर 47.5% हो गई, जो एक वर्ष पूर्व समान अवधि में 46.8% थी।
    - जनवरी-मार्च 2022 में यह 47.3% थी।
- **शहरी क्षेत्रों में सीडब्ल्यूएस में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (वर्कर पॉपुलेशन रेश्यो /डब्ल्यूपीआर):** 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, यह अप्रैल-जून, 2022 में 43.9% था, जो एक वर्ष पूर्व समान अवधि में 40.9% था। जनवरी-मार्च 2022 में यह 43.4% थी।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)

- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के बारे में:** अधिक लगातार समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) प्रारंभ किया।
- **उद्देश्य:** पीएलएफएस के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं:
    - केवल 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) में शहरी क्षेत्रों के लिए तीन माह के कम समय अंतराल में प्रमुख रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतक (अर्थात WPR, LFPR, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना।
    - ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में वार्षिक 'सामान्य स्थिति' (पीएस+एसएस) एवं सीडब्ल्यूएस दोनों में रोजगार तथा बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।
- **पीएलएफएस की वार्षिक रिपोर्ट:** पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए जारी की जाती है, जिसमें सामान्य स्थिति तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) दोनों में रोजगार एवं बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों का अनुमान होता है।
    - पीएलएफएस में एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर, पीएलएफएस की चार वार्षिक रिपोर्टें जुलाई 2017 - जून 2018, जुलाई 2018 - जून 2019, जुलाई 2019 - जून 2020 एवं जुलाई 2020 - जून 2021 की अवधि के अनुरूप जारी की गई हैं।

- **पीएलएफएस त्रैमासिक रिपोर्ट:** पीएलएफएस के आधार पर एक त्रैमासिक बुलेटिन निकाला जाता है जिसमें निम्नलिखित का अनुमान लगाया जाता है-
  - श्रम बल संकेतक अर्थात बेरोजगारी दर,
  - श्रमिक जनसंख्या अनुपात (वर्कर पापुलेशन रेशियो/WPR), श्रम बल भागीदारी दर (लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो/एलएफपीआर), सीडब्ल्यूएस में रोजगार एवं काम के उद्योग में व्यापक स्थिति के आधार पर श्रमिकों का वितरण।

पीएम प्रणाम

राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने हेतु, केंद्र सरकार ने एक नई योजना - पीएम प्रणाम आरंभ करने की योजना बनाई है, जिसका अर्थ कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों का पीएम संवर्धन (पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट) है।

पीएम प्रणाम योजना क्या है?
• प्रस्तावित योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है।
• यदि इस बोझ में वृद्धि हुई तो 2022-2023 में बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो विगत वर्ष के 1.62 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से 39 प्रतिशत अधिक है।
• इस योजना का पृथक बजट नहीं होगा एवं उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत "मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत" द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

पीएम प्रणाम: सब्सिडी

इसके अतिरिक्त, 50% सब्सिडी बचत राज्य को अनुदान के रूप में पारित की जाएगी जो धन की बचत करता है एवं योजना के तहत प्रदान किए गए अनुदान का 70% वैकल्पिक उर्वरकों की तकनीक को अपनाने से संबंधित परिसंपत्ति निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

- यह गांव, प्रखंड एवं जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों का निर्माण करेगा।
- शेष 30% अनुदान राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है जो उर्वरक उपयोग में कमी तथा जागरूकता उत्पन्न करने में सम्मिलित हैं।
- सरकार एक वर्ष में यूरिया में राज्य की वृद्धि या कमी की तुलना विगत तीन वर्षों के दौरान यूरिया की औसत खपत से करेगी।

भारत की उर्वरक आवश्यकता

- खरीफ मौसम (जून-अक्टूबर) भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन का लगभग आधा, दालों का एक तिहाई एवं लगभग दो-तिहाई तिलहन का उत्पादन करता है।
- इस मौसम के लिए उर्वरक की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है।
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रत्येक वर्ष फसल की ऋतु के आरंभ से पूर्व उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है तथा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को सूचित करता है।
- आवश्यक उर्वरक की मात्रा प्रत्येक माह मांग के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, जो फसल की बुवाई के समय पर आधारित होती है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, यूरिया की मांग जून-अगस्त की अवधि के दौरान चरम पर होती है, किंतु मार्च एवं अप्रैल में अपेक्षाकृत कम होती है तथा सरकार इन दो महीनों का उपयोग खरीफ मौसम के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक तैयार करने के लिए करती है।

पीएम प्रणाम: आवश्यकता

- विगत 5 वर्षों में देश में उर्वरक की बढ़ती मांग के कारण, सरकार द्वारा सब्सिडी पर कुल व्यय में भी वृद्धि हुई है।
- उर्वरक सब्सिडी का अंतिम आंकड़ा 2021-22 में 1.62 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- चार उर्वरकों की कुल आवश्यकता - यूरिया, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश/पोटाश का म्यूरेट), एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम) - 2017-2018 एवं 2021-2022 के मध्य 528.86 लाख मीट्रिक टन (LMT) से 640.27 लाख मीट्रिक टन की 21% की वृद्धि हुई।
- पीएम प्रणाम, जो रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना चाहता है, संभवतः सरकारी राजकोष (खजाने) पर बोझ कम करेगा।
- प्रस्तावित योजना विगत कुछ वर्षों में उर्वरकों या वैकल्पिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने पर सरकार के फोकस के अनुरूप है।

स्केल ऐप

हाल ही में, शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट/सीएलआरआई), चेन्नई में चर्म क्षेत्र में कौशल विकास के लिए चमड़ा कर्मचारियों के लिए कौशल प्रमाणन मूल्यांकन (स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एंप्लाइज/SCALE) ऐप का विमोचन किया।

स्केल ऐप
• **स्केल ऐप के बारे में:** स्केल ऐप को चर्म उद्योग के कौशल, अधिगम, मूल्यांकन एवं रोजगार की आवश्यकताओं हेतु एकल बिंदु (वन-स्टॉप) समाधान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

• **डिजाइन एवं विकास:** चर्म उद्योग में प्रशिक्षुओं को कौशल विकास कार्यक्रमों को डिजाइन तथा वितरित करने की रीति को परिवर्तित करने हेतु चमड़ा कौशल क्षेत्र परिषद ने एंड्रॉइड ऐप स्केल विकसित किया।
• **महत्व:** लेदर एसएससी द्वारा विकसित स्केल स्टूडियो ऐप चर्म के शिल्प में रुचि रखने वाले सभी आयु वर्ग के लोगों को अपने कार्यालय में अत्याधुनिक स्टूडियो से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कक्षाओं तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करता है।
○ चर्म (चमड़ा) क्षेत्र देश में व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है जिसमें वर्तमान में 44 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं।

सीएसआईआर-सीएलआरआई की भूमिका सीएसआईआर-सीएलआरआई

- सीएसआईआर-सीएलआरआई इस क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिसमें अकादमिक तथा कौशल विकास का उचित मिश्रण है।
- सीएलआरआई युवाओं के मध्य उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर रहा है एवं अनेक स्टार्टअप कंपनियों की स्थापना में सहायता कर रहा है।
  - यह चल रहे अमृत काल के दौरान हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में सक्षम होगा जिससे भारतीय स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो जाएंगे।

आगे की राह

- **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन/एनएसडीसी) एवं सीएसआईआर-सीएलआरआई को चमड़ा क्षेत्र की कौशल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।
  - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, एनएसडीसी, सीएलआरआई तथा चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद चेन्नई सहित संपूर्ण भारत में सामान्य स्थापना एवं कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग करेंगे।
- **क्षमता निर्माण पर ध्यान:** अग्रणी क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवरों की क्षमता में वृद्धि करने हेत सीएसआईआर-सीएलआरआई में राष्ट्रीय स्तर का क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** अग्रणी क्षेत्र में युवा पेशेवरों को रोजगार प्रदान करने वाला बनने के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार, उद्यमिता का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
  - उन्हें ई-कॉमर्स सहित डिजिटल स्पेस में उपलब्ध अवसरों से संपर्क स्थापित करने हेतु शिल्पकारों का साथ देना चाहिए।

विंडफॉल टैक्स

वित्त मंत्री ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर केंद्र द्वारा लगाए गए अप्रत्याशित कर का बचाव करते हुए कहा है कि यह एक तदर्थ कदम नहीं था बल्कि उद्योग जगत के साथ पूर्ण परामर्श के पश्चात लागू किया गया कदम था।

अप्रत्याशित कर (विंडफॉल टैक्स) क्या है?
• अप्रत्याशित (विंडफॉल) करों को एक बाहरी, कभी-कभी अभूतपूर्व घटना से प्राप्त होने वाले लाभ पर कर आरोपित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है - उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप ऊर्जा मूल्य-वृद्धि।
• ये से लाभ हैं जिन्हें कंपनी द्वारा सक्रिय रूप से किए गए किसी निवेश रणनीति अथवा व्यवसाय के विस्तार के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
• यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) एक अप्रत्याशित लाभ को "बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनर्जित, अप्रत्याशित लाभ" के रूप में परिभाषित करता है।
• एक क्षेत्र जहां इस तरह के करों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है, वह है तेल बाजार, जहां कीमतों में उतार-चढ़ाव से उद्योग के लिए अस्थिर अथवा अनिश्चित लाभ प्राप्त होता है।

भारत ने विंडफॉल टैक्स कब प्रारंभ किया?

- इस वर्ष जुलाई में, भारत ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर अप्रत्याशित कर की घोषणा की, जो मानते थे कि वे तेल की ऊंची कीमतों का लाभ उठा रहे हैं।
- इसने डीजल, पेट्रोल तथा वायु टरबाइन ईंधन (एयर टरबाइन फ्यूल/एटीएफ) के निर्यात पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी आरोपित किया।
- साथ ही, भारत का मामला अन्य देशों से अलग था, क्योंकि वह अभी भी रियायती रूसी तेल का आयात कर रहा था।

विंडफॉल टैक्स किस प्रकार लगाया जाता है?

- सामान्य तौर पर सरकारें इसे कर की सामान्य दरों के ऊपर एकमुश्त कर के रूप में पूर्वव्यापी रूप से आरोपित करती हैं।
- केंद्र सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपए प्रति टन का अप्रत्याशित लाभ कर आरंभ किया है, जिसे बाद में अब तक हर पखवाड़े में चार बार संशोधित किया गया था।
- नवीनतम संशोधन 31 अगस्त को किया गया था, जब इसे 13,000 रुपए से बढ़ाकर 13,300 रुपए प्रति टन कर दिया गया था।

भारत में विंडफॉल टैक्स की आवश्यकता

- विश्व भर में सरकारों के लिए अप्रत्याशित करों को लागू करने हेतु अलग-अलग तर्क हैं जैसे:
  1. अप्रत्याशित लाभ का पुनर्वितरण जब उपभोक्ताओं की कीमत पर उच्च कीमतों से उत्पादकों को लाभ प्राप्त होता है,
  2. सामाजिक कल्याण योजनाओं का वित्तपोषण, एवं
  3. सरकार के लिए अनुपूरक राजस्व स्रोत।

विंडफॉल टैक्स एवं विश्व

- तेल, गैस एवं कोयले की कीमतों में विगत वर्ष से तथा चालू वर्ष की पहली दो तिमाहियों में तीव्र वृद्धि देखी गई है, यद्यपि हाल ही में इनमें कमी आई है।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप महामारी से उबरने एवं आपूर्ति के मुद्दों ने ऊर्जा की मांग में वृद्धि कर दी, जिसके परिणाम स्वरुप वैश्विक कीमतों में तेजी आई है।
- बढ़ती कीमतों का पर्थ ऊर्जा कंपनियों के लिए भारी एवं रिकॉर्ड लाभ था, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी एवं छोटी अर्थव्यवस्थाओं में घरों के लिए गैस तथा बिजली के भारी बिल थे।
- चूंकि लाभ आंशिक रूप से बाहरी परिवर्तन से उत्पन्न हुआ है, अतः अनेक विश्लेषकों ने उन्हें अप्रत्याशित लाभ कहा है।

विंडफॉल टैक्स: इस प्रकार के करों को आरोपित करने में समस्याएं

- कर व्यवस्था में निश्चितता एवं स्थिरता होने पर कंपनियां किसी क्षेत्र में निवेश करने में विश्वास रखती हैं।
- चूंकि अप्रत्याशित कर (विंडफॉल टैक्स) पूर्वव्यापी रूप से आरोपित किए जाते हैं तथा प्रायः अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित होते हैं, वे भविष्य के करों के बारे में बाजार में अनिश्चितता उत्पन्न कर सकते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड/आईएमएफ) का कहना है कि मूल्य वृद्धि के उत्तर में कर डिजाइन-उनके समीचीन एवं राजनीतिक प्रकृति को देखते हुए समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं।
- इसमें कहा गया है कि एक अस्थायी अप्रत्याशित लाभ कर आरंभ करने से भविष्य के निवेश में कमी आती है क्योंकि संभावित निवेशक निवेश निर्णय लेते समय संभावित करों की संभावना को आंतरिकता प्रदान कर देंगे।
- इस बारे में एक अन्य तर्क है कि वास्तव में वास्तविक अप्रत्याशित लाभ क्या होता है; यह किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है एवं किस स्तर का लाभ सामान्य अथवा अत्यधिक है।
- एक अन्य मुद्दा यह है कि यह कर किस पर आरोपित किया जाना चाहिए - केवल बड़ी कंपनियां जो उच्च कीमत युक्त थोक विक्रय के लिए उत्तरदायी हैं अथवा छोटी कंपनियों भी- यह प्रश्न उठाती हैं कि क्या एक निश्चित सीमा से नीचे के राजस्व या लाभ वाले उत्पादकों को छूट दी जानी चाहिए।

सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' पर उत्पादन सहलग्न प्रोत्साहन योजना (किश्त II) के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

- 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' पर पीएलआई योजना को लागू करने का प्रस्ताव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अग्रसारित किया गया था।

'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' पर पीएलआई योजना

- **उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में:** उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- **संबद्ध मंत्रालय:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।
- **वित्त पोषण:** इसके तहत, सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया है।
- **चयन प्रक्रिया एवं कालावधि:** सौर पीवी निर्माताओं का चयन पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
    - पीएलआई का वितरण 5 वर्ष के लिए सौर पीवी विनिर्माण संयंत्रों के चालू होने के बाद घरेलू बाजार से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विक्रय पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- **महत्व:** उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत पहल को सुदृढ़ करेगा तथा रोजगार सृजन करेगा।
    - उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश की आयात निर्भरता को कम करने में सहायता करेगा।

पीएलआई योजना के संबद्ध लाभ/परिणाम

इस योजना से अपेक्षित परिणाम/लाभ इस प्रकार हैं:

- यह अनुमान है कि पूर्ण एवं आंशिक रूप से एकीकृत लगभग 65,000 मेगावाट प्रति वर्ष, सौर पीवी मॉड्यूल की विनिर्माण क्षमता स्थापित की जाएगी।
- इस योजना से लगभग 94,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश आएगा।
- ईवीए, सोलर ग्लास, बैकशीट इत्यादि सामग्री के संतुलन के लिए निर्माण क्षमता का निर्माण।
- लगभग 1,95,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा लगभग 7,80,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।
- लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपये का आयात प्रतिस्थापन।
- सौर पीवी मॉड्यूल में उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन।

सामाजिक समस्याएँ

राष्ट्रीय पोषण माह

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1 से 30 सितंबर 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मना रहा है।

राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के बारे में

- **राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में:** राष्ट्रीय पोषण माह पोषण एवं अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **लक्ष्य:** 5 वें राष्ट्रीय पोषण माह में माननीय प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए जन आंदोलन को जन भागीदारी में परिवर्तित करना है।
- **उद्देश्य:** इस वर्ष, राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का उद्देश्य "महिला एवं स्वास्थ्य" तथा "बच्चा और शिक्षा" पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने के साथ पोषण पंचायत के रूप में ग्राम पंचायतों के माध्यम से पोषण माह को प्रेरित करना है।
- **मूल मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों तथा स्थानीय सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के आयोजन हेतु उत्तरदायी है।
- **प्रमुख गतिविधियां:** 'स्वस्थ भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, माह भर चलने वाले राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कार्यक्रम के माध्यम से जमीनी स्तर पर पोषण के बारे में जागरूकता हेतु संपूर्ण देश में गहन गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा-
  - संवेदीकरण अभियान,
  - पहुंच कार्यक्रम,
  - गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं, छह वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं किशोर बालिकाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ पहचान अभियान, शिविर तथा मेले।
- **जागरूकता अभियान:** आंगनवाड़ी सेवाओं एवं अच्छी स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जाएंगे।
  - अधिक लाभार्थियों को आंगनवाड़ी सेवाओं के दायरे में लाने के लिए वृद्धि माप अभियान चलाया जाएगा।
  - स्वस्थ बालक स्पर्धा के तहत राज्यों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, जिला पदाधिकारियों एवं लायंस क्लब, रोटरी क्लब इत्यादि एजेंसियों की सहायता से वृद्धि मापन अभियान संचालित किया जाएगा।
  - किशोरियों के लिए विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों में रक्ताल्पता (एनीमिया) जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।

विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय पोषण माह 2022

- **राष्ट्रीय स्तर पर** आंगनबाड़ी केन्द्रों में सीखने के लिए देशी एवं स्थानीय खिलौनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खिलौना निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।
- **राज्य स्तरीय:** राज्य स्तरीय गतिविधियों के तहत पारंपरिक पौष्टिक व्यंजनों की 'अम्मा की रसोई' या दादी की रसोई का आयोजन किया जाएगा।
  - माह के दौरान स्थानीय त्योहारों के साथ पारंपरिक खाद्य पदार्थों को जोड़ने के लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे।
  - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र महिला एवं बाल विकास विभाग अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, विभिन्न विषयगत क्रियाकलापों को कार्यान्वित करेगा एवं महिलाओं तथा बच्चों के स्वस्थ भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पूरे महीने समग्र पोषण के महत्व का संदेश को प्रसारित करेगा।
- **पंचायत स्तर :** संबंधित जिला पंचायती राज अधिकारियों एवं सीडीपीओ के मार्गदर्शन में स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।
  - पोषण पंचायत समितियां क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं (एफएलडब्ल्यू) - आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम के साथ मिलकर कार्य करेंगी।
  - यह आंगनबाड़ी केंद्रों (AWCs), ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (VHNDs) तथा अन्य प्रासंगिक प्लेटफार्मों के माध्यम से समस्या निवारण एवं सेवा वितरण को सक्षम करने में सहायता करने हेतु है।
  - इसका उद्देश्य सभी गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं, छह वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं किशोरियों को बुनियादी एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्राप्त करना सुनिश्चित करना है।

पोषण अभियान

- **पोषण अभियान के बारे में:** पोषण अभियान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है।
- **पोषण का पूर्ण रूप:** समग्र पोषण अभियान के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना (प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान)।
- **अधिदेश:** पोषण अभियान का उद्देश्य मिशन-मोड में कुपोषण की चुनौती को हल करना है।
- **मिशन पोषण 2.0:** पोषण अभियान के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0) आरंभ किया गया है।
  - यह पोषण संबंधी सामग्री, वितरण, पहुंच एवं परिणामों को मजबूत करने हेतु एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है, जो विकासशील पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो स्वास्थ्य, कल्याण एवं रोग तथा कुपोषण के प्रति प्रतिरक्षा का पोषण करते हैं।

एडीआईपी योजना

हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने राष्ट्रीय वयोश्री तथा एडीआईपी (विकलांग व्यक्तियों की सहायता) योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को निशुल्क उपकरण तथा सामग्रियां प्रदान की।

एडीआईपी (ADIP) योजना
• **एडीआईपी (ADIP) योजना के बारे में:** टिकाऊ, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता तथा उपकरणों की खरीद में जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ एडीआईपी योजना 1981 से चल रही है।
○ ये उपकरण विकलांगों के प्रभाव को कम करके एवं उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करेंगे।
• **अधिदेश:** एडीआईपी योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करना है ताकि विकलांगों के प्रभाव को कम किया जा सके एवं उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जा सके।
• **कार्यान्वयन मंत्रालय:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों की सहायता (असिस्टेंट टू डिजेवर्ल्ड पर्सन्स/एडीआईपी) योजना लागू की जा रही है।
○ एडीआईपी योजना कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे गैर सरकारी संगठनों, इस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों एवं एलिम्को (सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम/पीएसयू) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

एडीआईपी योजना के तहत लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला विकलांग व्यक्ति अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से एडीआईपी योजना के तहत सहायता हेतु पात्र होगा:

- वह किसी भी आयु का भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह विकलांग है तथा निर्धारित सहायता/उपकरण का उपयोग करने के लिए उपयुक्त है। 40% विकलांगता प्रमाण पत्र धारण करता है।
- व्यक्ति जो कार्यरत/स्व-नियोजित है अथवा पेंशन प्राप्त कर रहा है एवं जिसकी सभी स्रोतों से मासिक आय 20,000/- रूपए प्रति माह से अधिक नहीं है।
- आश्रितों के मामले में, माता-पिता/अभिभावकों की आय 20,000/- रूपए प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जिन व्यक्तियों को समान उद्देश्य के लिए विगत 3 वर्षों के दौरान सरकार, स्थानीय निकायों एवं गैर-सरकारी संगठनों से सहायता प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह सीमा 1 वर्ष की होगी।

कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

निम्नलिखित एजेंसियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से योजना को लागू करने हेतु पात्र होंगी, जो निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन हैं:

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी एवं उनकी शाखाएं, पृथक रूप से यदि कोई हों।
- पंजीकृत धर्मार्थ न्यास (ट्रस्ट)।
- जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं जिला परिषद के जिला कलेक्टर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अन्य स्वायत्त निकाय।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत एलिम्को सहित राष्ट्रीय/शीर्ष संस्थान।
- राज्य विकलांग विकास निगम।
- स्थानीय निकाय- जिला परिषद, नगर पालिकाएं, जिला स्वायत्त विकास परिषदें तथा पंचायतें।
- राज्य/केंद्र सरकार की संस्तुति के अनुसार पृथक इकाई के रूप में पंजीकृत अस्पताल।
- नेहरू युवा केंद्र।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) - प्रमुख बिंदु

- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के बारे में:** राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता एवं जीवन-सहायक उपकरण प्रदान करने की एक योजना है।
- **मंत्रालय:** राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- **वित्त पोषण:** राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के कार्यान्वयन का व्यय "वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष" से वहन किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इसे एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी - कृत्रिम अंग निर्माण निगम (आर्टिफिशियल लिंब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन/ALIMCO), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- **पात्रता:** वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) योजना का पूरा लाभ पाने हेतु प्रमुख मानदंड यह है कि उन्हें बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए एवं उनके पास संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी वैध बीपीएल कार्ड होना चाहिए।

भारत में शराब कानून

दिल्ली की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी शराब नीति 2021-22, जो उपभोक्ताओं के लिए बड़ी छूट लेकर आई थी, नीति के प्रारूपण एवं कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार कथा अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई थी।

- नवीन नीति को समाप्त करने के पश्चात, दिल्ली सरकार ने 'पुरानी आबकारी व्यवस्था' को वापस लाने का निर्णय लिया जो पूर्व से लागू थी।

भारत में शराब कानून: एक पृष्ठभूमि
• भारत में शराब पीने की कानूनी उम्र एवं शराब के विक्रय तथा उपभोग को नियंत्रित करने वाले कानून अलग-अलग राज्यों में काफी भिन्न हैं।
• भारत में, बिहार, गुजरात, नागालैंड एवं मिजोरम राज्यों में शराब का सेवन प्रतिबंधित है।
• मणिपुर के कुछ जिलों में शराब पर आंशिक प्रतिबंध है।
• अन्य सभी भारतीय राज्य शराब के सेवन की अनुमति प्रदान करते हैं किंतु शराब पीने की कानूनी उम्र निर्धारित करते हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग आयु होती है।
• कुछ राज्यों में विभिन्न प्रकार के मादक पेय के लिए शराब पीने की कानूनी आयु भिन्न हो सकती है।

विनियमन

- शराब भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का एक विषय है।
- अतः, शराब को नियंत्रित करने वाले कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं।
- भारत में शराब आमतौर पर शराब की दुकानों, रेस्तरां, होटल, बार, पब, क्लब एवं डिस्को में बेची जाती है किंतु ऑनलाइन नहीं।
- कुछ राज्य, जैसे केरल एवं तमिलनाडु, निजी पक्षों को शराब की दुकानों के स्वामित्व भारत होने से रोकते हैं, जिससे राज्य सरकार उन राज्यों में शराब की एकमात्र खुदरा विक्रेता बन जाती है।
- कुछ राज्यों में, किराने का सामान, डिपार्टमेंटल स्टोर, बैंक्वेट हॉल एवं/या फार्म हाउस में शराब बेची जा सकती है।
- कुछ पर्यटन क्षेत्रों में समुद्र तटों एवं हाउसबोटों पर शराब की बिक्री की अनुमति देने वाले विशेष कानून हैं।

शुष्क दिवस (ड्राई डेज)
• शुष्क दिवस वे विशिष्ट दिन होते हैं जब शराब के विक्रय की अनुमति नहीं होती है।
• अधिकांश भारतीय राज्य इन दिनों को गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) एवं गांधी जयंती (2 अक्टूबर) जैसे प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों / अवसरों पर मनाते हैं।
• भारत में चुनावों के दौरान भी शुष्क दिवस मनाया जाता है।

शराब पर कराधान

- अधिकांश राज्य या तो मूल्य वर्धित कर (वैल्यू एडेड टैक्स/वैट) या उत्पाद शुल्क अथवा दोनों लगाते हैं। .
- उत्पाद शुल्क एक उत्पाद के उपभोग को हतोत्साहित करने हेतु आरोपित किया जाने वाला कर है।
- इसकी गणना प्रति इकाई के आधार पर की जाती है। अर्थात, यदि आप 1 लीटर शराब का क्रय करते हैं, तो आप 15 रुपये का एक निश्चित उत्पाद शुल्क का भुगतान करते हैं।
- उत्पाद के अनुपात में मूल्य वर्धित कर लगाया जाता है। यदि एक बोतल की कीमत 100 रुपये है एवं राज्य 10 प्रतिशत वैट लगाता है, तो कीमत बढ़कर 110 रुपये हो जाती है।

विभिन्न राज्यों में कर की दरें

- भारत में 29 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शराब पर अलग-अलग तरीके से कर आरोपित करते हैं।
- उदाहरण के लिए, गुजरात ने 1961 से अपने नागरिकों के शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- किंतु विशेष लाइसेंस धारक बाहरी लोग अभी भी शराब खरीद सकते हैं।
- दूसरी ओर, पुडुचेरी को अपना अधिकांश राजस्व शराब के व्यापार से प्राप्त होता है।
- बिहार ने शराब के सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, अर्थात शराब के सेवन से राज्य का राजस्व शून्य है।
- इसका पड़ोसी उत्तर प्रदेश शराब पर सर्वाधिक उत्पाद शुल्क अर्जित करता है।
- राज्य वैट नहीं बल्कि शराब पर एक विशेष शुल्क आरोपित करता है, विशेष उद्देश्यों के लिए धन एकत्र करता है।

एनीमिया एवं आयरन फोर्टिफिकेशन

हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे/एनएफएचएस -5) के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 2019-21 में महिलाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) की दर 53 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत एवं बच्चों में 58 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गई।

एनीमिया: परिभाषा
विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन/डब्ल्यूएचओ) एनीमिया को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जहां लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या अथवा उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होती है। यह प्रतिरक्षा को जोखिम में डालता है तथा संज्ञानात्मक विकास में अवरोध उत्पन्न करता है।

एनीमिया: एक चिंता

- एनीमिया के प्रतिकूल प्रभाव सभी आयु समूहों को दुष्प्रभावित करते हैं, बच्चों एवं किशोरों में अल्प शारीरिक एवं संज्ञानात्मक

विकास तथा सतर्कता एवं सीखने तथा खेलने की निम्न क्षमता, उत्पादक नागरिकों के रूप में उनकी भविष्य की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

- किशोरियों में रक्ताल्पता (59.1 प्रतिशत) मातृ रक्ताल्पता में विकसित होता है एवं एक समुदाय में मातृ तथा शिशु मृत्यु दर एवं सामान्य रुग्णता तथा खराब स्वास्थ्य का एक प्रमुख कारण है।

एनीमिया: कारण

- असंतुलित आहार: मांस, मछली, अंडे तथा गहरे हरी पत्तेदार सब्जियों (डीजीएलएफ) जैसे लौह युक्त खाद्य समूहों की अपेक्षाकृत कम खपत के साथ अनाज केंद्रित आहार, एनीमिया के उच्च स्तर से जुड़ा हो सकता है।
- अंतर्निहित कारक: एनीमिया के उच्च स्तर को प्रायः जल एवं स्वच्छता की स्थिति की खराब गुणवत्ता जैसे अंतर्निहित कारकों से भी जोड़ा जाता है जो शरीर में लौह के अवशोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- लौह (आयरन) की कमी एक प्रमुख कारण है: ऐसा आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन, फोलिक एसिड अथवा विटामिन बी 12 न हो, एनीमिया का एक सामान्य कारण बनता है।
- कुछ अन्य स्थितियां: इनसे एनीमिया हो सकता है जिसमें गर्भावस्था, अत्यधिक मासिक धर्म, रक्त विकार अथवा कैंसर, आनुवांशिक विकार तथा संक्रामक रोग सम्मिलित हैं।

भारत में एनीमिया

- विटामिन का उपयुक्त मात्रा में सेवन ना करना: लौह की कमी एवं विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया, भारत में एनीमिया के दो सामान्य प्रकार हैं।
- उच्च जनसंख्या तथा पोषण की कमी: महिलाओं में, मासिक धर्म में आयरन की कमी तथा गर्भावस्था के दौरान बढ़ते भ्रूण की उच्च आयरन की मांग के कारण पुरुषों की तुलना में आयरन की कमी का प्रचलन अधिक है।
- अनाज पर अधिक बल: चावल एवं गेहूं पर अधिक निर्भरता के कारण आहार में बाजरा की कमी, हरी तथा पत्तेदार सब्जियों की अपर्याप्त खपत भारत में एनीमिया के उच्च प्रसार के कारण हो सकते हैं।

लौह प्रबलीकरण (आयरन फोर्टिफिकेशन) क्या है?
लौह की कमी को दूर करने के लिए संपूर्ण विश्व में भोजन का आयरन फोर्टिफिकेशन एक तरीका है। लौह प्रबलीकरण कार्यक्रमों में आमतौर पर गेहूं के आटे जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों का अनिवार्य, केंद्रीकृत सामूहिक प्रबलीकरण शामिल होता है।

लौह प्रबलीकरण: आवश्यकता

- लौह हीनता रक्ताल्पता आयरन की कमी के कारण होता है।
- पर्याप्त आयरन के बिना, शरीर लाल रक्त कोशिकाओं में पर्याप्त पदार्थ का उत्पादन नहीं कर सकता है जो उन्हें ऑक्सीजन (हीमोग्लोबिन) ले जाने में सक्षम बनाता है।
- गर्भावस्था के दौरान गंभीर रक्ताल्पता से अपरिपक्व (समय से पूर्व) जन्म का खतरा बढ़ जाता है, जन्म के समय कम वजन वाला बच्चा एवं प्रसवोत्तर अवसाद होता है। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि जन्म से तुरंत पहले या बाद में शिशु मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।

एनीमिया मुक्त भारत

- इस योजना का उद्देश्य भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करना है।
- यह आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को द्वि साप्ताहिक आयरन, फोलिक एसिड की पूरकता प्रदान करता है।
- साथ ही, यह बच्चों एवं किशोरों के लिए द्विवार्षिक कृमिहरण (डीवर्मिंग) प्रदान करता है। यह योजना एनीमिया के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना भी करती है।
- यह एनीमिया के गैर-पौष्टिक कारणों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

एनीमिया: ध्यान देने योग्य क्षेत्र

- रोगनिरोधी आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण।
- वर्ष भर गहन व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान (सॉलिड बॉडी, स्मार्ट माइंड)।
- शिशु तथा छोटे बच्चे को भोजन कराने की उचित विधि।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के दोहन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आहार विविधता/मात्रा/आवृत्ति एवं/ प्रबलीकृत खाद्य पदार्थों के माध्यम से आयरन युक्त भोजन के सेवन में वृद्धि।
- गर्भवती महिलाओं एवं विद्यालय जाने वाली बालिकाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ डिजिटल तरीकों एवं देखभाल उपचार का उपयोग करके एनीमिया का परीक्षण तथा उपचार।
- सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन और फोलिक एसिड प्रबलीकृत (फोर्टिफाइड) खाद्य पदार्थों का अनिवार्य प्रावधान।

एनीमिया: आगे की राह

- भारत के पोषण कार्यक्रमों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।
- एकीकृत बाल विकास सेवा (इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज/आईसीडीएस), जिसे राष्ट्र के पोषण संबंधी कल्याण के संरक्षक के रूप में माना जाता है, को स्वयं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए एवं महत्वपूर्ण अंतःक्षेप अंतराल को वैचारिक तथा कार्यक्रमात्मक रूप से (प्रोग्रामेटिक) हल करना चाहिए तथा शीघ्रता से परिणाम प्रदान करने चाहिए।
- पोषण संबंधी कमी जिसे बड़ी चिंता का सूचक माना जाना चाहिए, को आमतौर पर नीति निर्माताओं एवं विशेषज्ञों द्वारा उपेक्षित कर दिया जाता है। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, पोषण संबंधी संकेतकों में तेजी से सुधार नहीं हो सकता।

एनीमिया: निष्कर्ष

जब कोई व्यक्ति रक्ताल्पता पीड़ित (एनीमिक) होता है, तो उसकी रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। इससे

व्यक्ति की उत्पादकता कम हो जाती है जो बदले में देश की अर्थव्यवस्था को दुष्प्रभावित करती है। अतः, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एनीमिया को कवर करना अत्यंत आवश्यक है।

सहाय प्रदत्त आत्महत्या (असिस्टेड सुसाइड)

एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी फिल्म निर्माता की इस सप्ताह के प्रारंभ में 91 वर्ष की आयु में इच्छा मृत्यु से मृत्यु हो गई।

सहाय प्रदत्त आत्महत्या: परिभाषा
• सहायप्रदत आत्महत्या एवं इच्छा मृत्यु ऐसी प्रथाएं हैं जिनके तहत एक व्यक्ति जानबूझकर दूसरों की सक्रिय सहायता से अपना जीवन समाप्त कर लेता है।
• ये लंबे समय से बहस के विवादास्पद विषय रहे हैं क्योंकि इनमें नीतिसंगत, नैतिक एवं कुछ मामलों में, धार्मिक प्रश्नों का एक जटिल समुच्चय सम्मिलित होता है।
• अनेक यूरोपीय राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्य एवं दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया कुछ परिस्थितियों में सहाय प्रदत्त आत्महत्या एवं इच्छामृत्यु की अनुमति प्रदान करते हैं।

सहाय प्रदत आत्महत्या एवं इच्छा मृत्यु: अंतर

- इच्छामृत्यु पीड़ा को दूर करने के लिए जानबूझकर जीवन समाप्त करने का कार्य है - उदाहरण के लिए एक डॉक्टर द्वारा प्रशासित एक घातक इंजेक्शन।
- जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं को मारने में सहायता करना सहायप्रदत्त आत्महत्या के रूप में जाना जाता है।
- इसमें किसी व्यक्ति को अपने जीवन को समाप्त करने के लिए कठोर शामक प्रदान करना या स्विट्जरलैंड के लिए टिकट खरीदना शामिल हो सकता है (जहां सहाय प्रदत्त आत्महत्या कानूनी है)।
- अपने जीवन को समाप्त करने के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु के अभ्यास में रोगी या परिवार के किसी सदस्य या रोगी का प्रतिनिधित्व करने वाले करीबी मित्र की सहमति से जीवन रक्षक उपचार या चिकित्सा अंतःक्षेप को रोकना शामिल है।
- सक्रिय इच्छामृत्यु, जो केवल कुछ देशों में कानूनी है, रोगी के जीवन को समाप्त करने के लिए पदार्थों के उपयोग की आवश्यकता होती है।

सहाय प्रदत्त आत्महत्या एवं भारत

- एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को यह कहते हुए वैध कर दिया कि यह 'जीवित इच्छा' (लिविंग विल) का मामला था।
- निर्णय के अनुसार, अपनी चेतन अवस्था में एक वयस्क को चिकित्सा उपचार से इनकार करने या कुछ शर्तों के तहत, प्राकृतिक तरीके से मृत्यु का वरण करने हेतु स्वेच्छा से चिकित्सा उपचार नहीं लेने का निर्णय लेने की अनुमति है।
- 538 पृष्ठ के अपने निर्णय में, न्यायालय ने 'लिविंग विल' के लिए दिशा-निर्देशों का एक समुच्चय निर्धारित किया एवं निष्क्रिय इच्छामृत्यु तथा इच्छा मृत्यु को भी परिभाषित किया।
- इसने मानसिक रूप से अस्वस्थ रोगियों द्वारा बनाए गए 'लिविंग विल' के लिए दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए, जो पहले से ही स्थायी निष्क्रिय अवस्था)वेजिटेटिव स्टेट) में जाने की संभावना के बारे में जानते हैं।
- न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि ऐसे मामलों में रोगी के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार) के दायरे से बाहर नहीं होंगे।

अरुणा शानबाग वाद
• अरुणा शानबाग वाद)मामले) की ओर से एक याचिका पर निर्णय देते हुए न्यायालय ने उस परिचारिका (नर्स) के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति प्रदान की थी, जो दशकों से निष्क्रिय अवस्था में थी।
• शानबाग भारत में मृत्यु के अधिकार एवं इच्छामृत्यु की वैधता पर बहस का केंद्र बन गई थीं।
• शानबाग की मार्च 2015 में 66 वर्ष की आयु में निमोनिया से मृत्यु हो गई, जिसमें से 42 वर्ष उन्होंने मुंबई के के. ई. एम. अस्पताल के एक कमरे में बिताए थे, एक क्रूर बलात्कार के बाद वे एक स्थायी निष्क्रिय अवस्था में चली गई थीं।

भारत में हाल के मामले

- 2018 में, मुंबई के एक बुजुर्ग दंपति ने तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिखकर सक्रिय इच्छामृत्यु या सहाय प्रदत्त आत्महत्या की अनुमति मांगी, हालांकि दोनों में से कोई भी जानलेवा रोग से पीड़ित नहीं था।
- दंपति ने अपनी याचिका में कहा कि वे एक सुखी जीवन जी रहे थे एवं बुढ़ापे में रोगों के लिए अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे।

इच्छामृत्यु/सहाय प्रदत्त आत्महत्या का औचित्य

- यह अत्यधिक दर्द को दूर करने का एक तरीका प्रदान करता है।
- इच्छामृत्यु महत्वपूर्ण अंगों के दान से कई अन्य व्यक्तियों के जीवन की रक्षा कर सकता है।

समस्याएं

- इच्छामृत्यु का दुरुपयोग किया जा सकता है।
- अनेक मनोचिकित्सकों का मत है कि एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो वृद्ध है एवं एक असाध्य रोग से पीड़ित है, वह प्रायः निर्णय लेने के लिए उचित मानसिक अवस्था में नहीं होता है।
- रोगी की ओर से निर्णय लेने वाले परिवार के सदस्य भी इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाले कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह कुछ व्यक्तिगत हितों के कारण हो सकता है।

हिजाब एवं अनिवार्यता का सिद्धांत

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय की सत्यता पर बहस की सुनवाई कर रही है, जिसने कर्नाटक में छात्रों द्वारा हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है, जो अनिवार्यता के सिद्धांत पर सवाल उठाता है।

'अनिवार्यता का सिद्धांत' क्या है?

सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 1954 में शिरूर मठ के वाद में "अनिवार्यता" के सिद्धांत का आविष्कार किया। न्यायालय ने माना कि "धर्म" शब्द एक धर्म के लिए "अभिन्न" सभी अनुष्ठानों एवं प्रथाओं को शामिल करेगा।

अनिवार्यता का सिद्धांत: महत्व

विधिक ढांचे में, अनिवार्यता का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो उन धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के लिए विकसित हुआ है जो आवश्यक अथवा अभिन्न हैं एवं किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते भारत में अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं हैं एवं किसी को भी वंचित करना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

क्या हिजाब अनिवार्य है?

- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च 2022 को यह घोषणा की कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब (सिर पर दुपट्टा) पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है एवं यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्याभूत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षित नहीं है।
- कुरान मुस्लिम महिलाओं एवं और पंकज पुरुषों को शालीनता से कपड़े पहनने का निर्देश देता है एवं कुछ के लिए, हिजाब मुस्लिम लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा असंबंधित पुरुषों से लज्जा एवं गोपनीयता बनाए रखने के लिए पहना जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम वर्ल्ड के अनुसार, शील (लज्जा) पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के "घूरने, चाल, वस्त्र तथा जननांग" से संबंधित है।

अनिवार्य धार्मिक कार्यों का अभिनिर्धारण

न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि कोई विशेष प्रथा धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, यह परीक्षण होना चाहिए कि क्या इस प्रथा का अभाव है।

अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के परीक्षण के उदाहरण

- जबकि इन मुद्दों को व्यापक पैमाने पर समुदाय-आधारित समझा जाता है, ऐसे उदाहरण हैं जिनमें न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी परीक्षण लागू किया है।
- 2004 के एक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आनंद मार्ग संप्रदाय को सार्वजनिक सड़कों पर तांडव नृत्य करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं था क्योंकि यह संप्रदाय की एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा का गठन नहीं करता था।
- उदाहरण के लिए, 2016 में, सर्वोच्च न्यायालय ने दाढ़ी रखने के लिए भारतीय वायु सेना से एक एयरमैन की बर्खास्तगी को बरकरार रखा।
- इसने एक मुस्लिम एयरमैन के मामले को सिखों से अलग किया जिन्हें दाढ़ी रखने की अनुमति प्राप्त है।
- 2015 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश पर रोक लगाकर जैन धार्मिक प्रथा संथारा / सल्लेखना (मृत्यु पर्यंत एक कर्मकांड उपवास) को बहाल कर दिया।

अनुच्छेद 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा।

अनिवार्यता के सिद्धांत पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- "अनिवार्यता" के सिद्धांत का आविष्कार सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने 1954 में 'शिरूर मठ' के वाद में किया था।
- यह केवल ऐसी धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा विकसित एक विवादास्पद सिद्धांत है जो धर्म के लिए अनिवार्य तथा अभिन्न थे।
- न्यायालय ने माना कि "धर्म" शब्द एक धर्म के लिए "अभिन्न" सभी अनुष्ठानों एवं प्रथाओं को शामिल करेगा, तथा एक धर्म की अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य प्रथाओं को निर्धारित करने की जिम्मेदारी स्वयं पर ली।
- अयोध्या वाद का उल्लेख करते हुए, संविधान पीठ ने 1994 में निर्णय दिया था कि एक मस्जिद इस्लाम धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है एवं मुसलमानों द्वारा नमाज (प्रार्थना) कहीं भी, यहां तक कि खुले में भी की जा सकती है।

अनिवार्यता के सिद्धांत पर तर्क

- सर्वोच्च न्यायालय के 'अनिवार्यता सिद्धांत' की अनेक संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई है।
- संवैधानिक कानून के विद्वानों ने तर्क दिया है कि अनिवार्यता/अखंडता सिद्धांत न्यायालय को एक ऐसे क्षेत्र में ले जाने की प्रवृत्ति रखता है जो उसकी क्षमता से परे है तथा न्यायाधीशों को विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रश्नों का विनिश्चयन करने की शक्ति प्रदान करता है।
- परिणामस्वरूप, वर्षों से, न्यायालय इस प्रश्न पर परस्पर विरोधी रहे हैं - कुछ मामलों में उन्होंने अनिवार्यता निर्धारित करने के लिए धार्मिक ग्रंथों पर विश्वास व्यक्त किया है।
- अन्य में यह अनुयायियों के अनुभवजन्य व्यवहार पर निर्भर करता था तथा अन्य में, इस आधार पर कि धर्म की उत्पत्ति के समय यह प्रथा मौजूद थी या नहीं।

मुद्दे

- प्रारंभ में, न्यायालय इस प्रश्न से संबंधित थे कि क्या मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंधों में अभिव्यक्त अस्पृश्यता "हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा" थी।
- चुनिंदा हिंदू ग्रंथों की जांच करने के पश्चात, यह निष्कर्ष निकला कि अस्पृश्यता एक अनिवार्य हिंदू प्रथा नहीं थी।
- केवल धर्म के उन तत्वों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का विचार, जिन्हें न्यायालय "आवश्यक" मानता है, समस्याग्रस्त है क्योंकि यह मानता है कि धर्म का एक तत्व या अभ्यास अन्य तत्वों या प्रथाओं से स्वतंत्र है।
- अतः, जबकि अनिवार्यता परीक्षण कुछ प्रथाओं को दूसरों पर विशेषाधिकार प्रदान करता है, वास्तव में, सभी प्रथाओं को एक साथ लिया जाता है जो एक धर्म का निर्माण करते हैं।

समाज पर प्रभाव

- धार्मिक रीति-रिवाजों के लिए सुरक्षा उपायों को सीमित करना: इसने न्यायालय को धार्मिक रीति-रिवाजों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों की सीमा को कम करने की अनुमति दी है, जो कि समूहों की स्वायत्तता पर प्रत्यक्ष तौर पर यह निर्धारित करने के लिए कि वे क्या मूल्यवान मानते हैं, इस प्रक्रिया में, नैतिक स्वतंत्रता के उनके अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- अस्वीकृत किए गए कानून जो अन्यथा सामाजिक न्याय के निमित्त को बढ़ा सकता है: इसने उस कानून को भी अस्वीकृत कर दिया है जो अन्यथा सामाजिक न्याय के निमित्त को बढ़ा सकता है कि ऐसे कानून किसी भी परिस्थिति में किसी धर्म के पालन के अभिन्न मामलों पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1962 में, न्यायालय ने एक बॉम्बे कानून को निरस्त कर दिया, जो दाऊदी बोहरा समुदाय के द्वारा किए गए बहिष्कार को प्रतिबंधित करता था, जब यह माना जाता था कि बहिष्कृत करने की शक्ति विश्वास का एक अनिवार्य पहलू है एवं सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से कोई भी उपाय किसी धर्म को उसके अस्तित्व से बाहर नहीं सुधार सकता है।
- बहिष्करण विरोधी का सिद्धांत: इसे लागू किए जाने के लिए न्यायालय को यह मान लेना होगा कि एक धार्मिक समूह द्वारा दावा की गई प्रथा वास्तव में, उसके विश्वास के समर्थकों के लिए आवश्यक है। किंतु इस तरह के आधार पर ध्यान दिए बिना, संविधान इस प्रथा को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा यदि यह लोगों को जाति, लिंग अथवा अन्य विभेदकारी मानदंडों के आधार पर अपवर्जित करता है।

निष्कर्ष

अभी के लिए, किसी भी न्यायालय में आस्था के मामले से संबंधित वाद की सुनवाई करने का कार्य न केवल कानून के विशेषज्ञ के रूप में बल्कि धर्म के विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य करना है।

कश्मीरी पंडित

घाटी में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों एवं अन्य हिंदुओं की लक्षित हत्याओं की हालिया घटनाओं ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया जिसने एक बार पुनः उनके लौटने के अधिकार तथा घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सवाल को सबके समक्ष ला दिया।

कश्मीरी पंडित
• कश्मीरी पंडित उच्चतम श्रेणी वाली ब्राह्मण जातियों में से एक हैं जो घाटी के मूल निवासी हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से पंडितों के रूप में जाना जाता है।
• वे घाटी में अल्पसंख्यक थे, जो कुल आबादी का मात्र 5% हिस्सा था।
• वे परंपरागत रूप से कृषि एवं लघु पैमाने के व्यवसाय पर निर्भर तथा प्रशासन में पसंदीदा वर्गों में से एक थे।

संघर्ष

- कट्टरपंथी इस्लामवादियों एवं आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना आरंभ किया।
- 1990 के दशक में आतंकवाद के विकास ने कश्मीरी पंडितों को अधिक संख्या में घाटी छोड़ने के लिए बाध्य किया तथा इस तरह वे दूसरे राज्यों में पलायन करने लगे, अपनी सभी संपत्तियों को पीछे छोड़कर दूसरे हिस्सों में शरण लेने लगे।
- जबकि उनमें से अनेकों ने पलायन करना प्रारंभ कर दिया, कुछ ने अपनी जन्मभूमि में रहने का निर्णय लिया।
- कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन एवं हिंदुओं के मध्य संघर्ष उत्पन्न हुआ, जिसके कारण कश्मीरी हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं हुईं।
- 1990 के दशक में घाटी से पंडितों के पलायन के पश्चात, इस सदी के कुछ आरंभिक वर्षों में पंडितों को घाटी में वापस भेजने के सरकारी प्रयास देखे गए।
- प्रधानमंत्री की कश्मीरी प्रवासियों की वापसी एवं पुनर्वास योजना के तहत, कश्मीरी पंडित "प्रवासी" युवाओं के लिए घाटी में सरकारी पदस्थापना प्रारंभ हुई।
- अधिकांश, शिक्षक एवं ये सरकारी कर्मचारी संरक्षित उच्च सुरक्षा वाले अंतस्थ क्षेत्रों (एन्क्लेव) में रहे हैं, किंतु उनके काम के लिए उन्हें इन एन्क्लेवों को छोड़कर बाकी आबादी के साथ घुलना-मिलना पड़ता है।
- एक अन्य वर्ग, जिसे "गैर-प्रवासी" पंडितों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी घाटी नहीं छोड़ी, राज्य द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के बिना, अपने घरों में रहते हैं।

सीडीआर क्या है?
• सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएशन (सीडीआर) मार्च 2001 में समाविष्ट एक दिल्ली स्थित थिंक टैंक है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में शांति के लिए उत्प्रेरक बनना है।

- जम्मू कश्मीर में शांति निर्माण प्रक्रिया हेतु क्रियाशील सीडीआर ने गलतियों को स्वीकार करते हुए स्व-मूल्यांकन के एक हिस्से के रूप में दोनों समुदायों के मध्य वार्ताओं की पहल का समर्थन किया।

कश्मीर में सीडीआर ने क्या किया?

- सीडीआर ने दो प्रमुख युवा कश्मीरियों द्वारा प्रस्तावित एक संवाद के लिए पहल का समर्थन किया, एक मुस्लिम एवं दूसरा एक पंडित, दोनों जिन्होंने 1990 और उसके बाद के वर्षों की हिंसा देखी है।
- उनका मानना है कि वार्ता के सिद्धांत से उपचार संभव हो सकता है।
- इसने दिसंबर 2010 में सीडीआर की 'साझा साक्षी', एक पंडित-मुस्लिम संवाद श्रृंखला का नेतृत्व किया।
- सार्वजनिक बुद्धिजीवी एवं दोनों समुदायों के अन्य प्रभावशाली व्यक्ति सहभागी थे।

संवाद के अवलोकन

- संवाद प्रधान मंत्री की रोजगार/नौकरी योजना के शुभारंभ के साथ सन्निपतित हुआ।
- संवादों ने एक सामाजिक वातावरण निर्मित किया जिसने कश्मीरी पंडितों को घाटी में सरकारी पोस्टिंग लेने में सक्षम बनाया।
- उन्होंने 1990 एवं उसके आसपास की घटनाओं तथा उन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने पंडित समुदाय के विस्थापन को गति दी।
- तीसरे संवाद तक, प्रतिभागी व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहे थे जो उस कथा में उपयुक्त नहीं बैठ रहे थे जो प्रत्येक समुदाय ने दूसरे के बारे में बनाया था।
- बातचीत की प्रक्रिया ने उन्हें संघर्ष के पीछे के वास्तविक कारण के बारे में सोचने हेतु प्रेरित किया, क्या यह सांप्रदायिक मतभेद थे, या यह मात्र धर्म था?

पंडितों की दुर्दशा

- पंडित इस बात से दुखी थे कि मुसलमानों ने पंडितों की हत्याओं का विरोध नहीं किया, तब भी नहीं जब हत्यारों ने उन हत्याओं का दावा किया था। वह व्यापक जिम्मेदारी मुसलमानों की थी क्योंकि वे बहुसंख्यक थे।
- यदि कुछ सामाजिक संगठनों ने त्वरित कार्रवाई की होती, तो पलायन को रोका जा सकता था।
- उन्होंने देखा कि पंडित समुदाय भी नेतृत्व की कमी से पीड़ित था।
- वे उनसे क्षमा याचना की मांग करते हैं एवं संभावित "सत्य आयोग" की स्थापना की मांग करते हैं।

मुसलमान क्या कहते हैं?

- मुस्लिम प्रतिभागियों ने यह महसूस किया कि पंडित घाटी में मुसलमानों के संघर्ष से इनकार कर रहे थे, जो व्यवस्था की ओर से हिंसा का सामना कर रहे थे।
- कश्मीरी मुस्लिम को सदैव पाकिस्तान द्वारा गुमराह, सहायता प्रदान करने एवं उकसाए जाने वाले समुदाय के रूप में चित्रित किया गया था।
- कश्मीर में विरोध धर्म के विरुद्ध नहीं बल्कि सत्ता एवं उत्पीड़न के ढांचे के विरुद्ध था।

वर्तमान स्थिति

कश्मीर के पंडितों की लक्षित हत्याओं की ताजा बाढ़ ने भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया एवं कश्मीर घाटी में उनके पुनर्वास को एक बड़ा झटका दिया।

आगे की राह:

- हमें एक बार पुनः कश्मीर में समुदायों के मध्य तत्काल नागरिक समाज की भागीदारी की आवश्यकता है।
- सरकार इसे सक्षम कर सकती है, किंतु व्यक्तियों एवं नागरिक समाज को धरातल पर ऐसी स्थितियां निर्मित करने की आवश्यकता होगी। उन्हें लोगों को दोषारोपण के खेल को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

वृद्धावस्था की समस्याएं

भारत को आसन्न चुनौती- जनसंख्या के काल प्रभावन का सामना करना पड़ेगा। निकट भविष्य में वृद्ध लोगों के लिए जीवन की एक समुचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने की चुनौती, इसकी योजना निर्मित करना तथा इसकी व्यवस्था करना, आज से ही प्रारंभ होना चाहिए।

पृष्ठभूमि

- भारत में जीवन प्रत्याशा स्वतंत्रता के पश्चात से 1940 के दशक के अंत में लगभग 32 वर्षों से आज 70 वर्ष या उससे भी अधिक हो गई है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
- इसी समान अवधि में, प्रजनन दर प्रति महिला लगभग छह बच्चों से घटकर मात्र दो रह गई है, जिसने महिलाओं को निरंतर बच्चे पैदा करने तथा बच्चे की देखभाल के चक्र से मुक्त कर दिया है।

जनसंख्या काल प्रभावन

- जनसंख्या काल प्रभावन (जरण) किसी देश की जनसंख्या के वितरण में वृद्धावस्था की ओर एक परिवर्तन है।
- प्रजनन दर में गिरावट एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। दीर्घ जीवन में वृद्धि से जीवित वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि से जनसंख्या की औसत आयु में वृद्धि हो जाती है।
- बढ़ती उम्र का प्रभाव श्रम आपूर्ति की कमी, बचत एवं निवेश के पैटर्न में बदलाव, बिगड़ते राजकोषीय संतुलन, समुचित कल्याण प्रणाली का अभाव इत्यादि में देखा जा सकता है।
- सामाजिक सुरक्षा, बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल, परिवार पर निर्भरता इत्यादि वृद्ध आयु की आबादी की कुछ चुनौतियां हैं।

भारत में स्थिति

- जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, बुजुर्गों (60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों) की हिस्सेदारी 2011 में 9% के करीब थी।
- यह तेजी से वृद्धि कर रहा है एवं 2036 तक यह 18% तक पहुंच सकता है।

वृद्धजनों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

- अवसाद: तमिलनाडु में अब्दुल लतीफ जमील फाउंडेशन के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के 30-50% लोगों में अवसाद के लक्षण पाए जाते हैं। अवसाद के लक्षणों का अनुपात पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अत्यधिक है एवं आयु में वृद्धि होने के साथ तेजी से वृद्धि करते हैं। अधिकांश मामलों में, अवसाद अनियंत्रित तथा अनुपचारित रहता है।
- अकेलापन: अकेलापन अवसाद के प्रमुख कारकों में से एक है। अकेले रहने वाले बुजुर्गों में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से विधवाएं हैं।
- आयु की कठिनाई: मौद्रिक सहायता निश्चित रूप से अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में सहायता कर सकती है।
- निर्धनता एवं खराब स्वास्थ्य: वृद्धावस्था पेंशन महत्वपूर्ण हैं। नकद सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करता है।

वृद्धजनों के लिए सरकारी योजनाएं

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
• यह भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजनाओं में से एक है।
• 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिज़ाइन की गई, इस प्रधान मंत्री वरिष्ठ नागरिक योजना की पॉलिसी अवधि दस वर्ष तक है।
• पेंशनभोगी भुगतान की आवृत्ति - मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक चुन सकते हैं।
• आप इस योजना पर 8% प्रतिवर्ष का ब्याज अर्जित कर सकते हैं।
• पेंशन की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा क्रमशः 3,000 रुपये प्रतिमाह एवं 10,000 रुपये प्रतिमाह है।

वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली/एनपीएचसीई)

- 2010 में आरंभ की गई, यह योजना स्वास्थ्य के समग्र रखरखाव के लिए रोगनिरोधी के साथ-साथ प्रोत्साहन देखभाल पर केंद्रित है।
- यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष उपस्थित होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया था।
- जिला स्तर के उद्देश्यों में राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के माध्यम से जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर/सीएचसी(, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (प्राइमरी हेल्थ सेंटर/पीएचसी) एवं उप-केंद्रों (सब-सेंटर/एससी) स्तरों में समर्पित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।
- ये सुविधाएं निशुल्क अथवा उच्च सब्सिडी वाली हो सकती हैं।

वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी

- यह पॉलिसी वरिष्ठ जनों को दवाओं, रक्त, एम्बुलेंस शुल्क एवं अन्य निदान संबंधी शुल्कों की लागत को कवर करके सहायता प्रदान करती है।
- 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को पूरा करने में सहायता करता है।
- प्रीमियम के भुगतान के लिए आयकर लाभ अनुमन्य है।
- यद्यपि पॉलिसी की अवधि एक वर्ष की है, आप नवीनीकरण को 90 वर्ष की आयु तक बढ़ा सकते हैं।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

- यह योजना बीपीएल (निर्धनता रेखा से नीचे) श्रेणी के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को शारीरिक सहायता एवं सहायक जीवन उपकरण प्रदान करती है।
- यदि वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनके पास बीपीएल कार्ड अवश्य होना चाहिए।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है एवं पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

- वित्त मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई यह पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है।
- इस योजना को संचालित करने का प्राधिकार एलआईसी ऑफ इंडिया के पास है।
- इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए कोई चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल चेक-अप) आवश्यक नहीं है।
- यह 10 वर्षों तक 8% प्रति वर्ष की गारंटीकृत ब्याज दर के साथ सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है।
- आप मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक एवं वार्षिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं - यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे प्राप्त करना चाहते हैं।

वयोश्रेष्ठ सम्मान

यह योजना उन वरिष्ठ जनों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है एवं उनके प्रयासों को मान्यता दी है। इसे 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कार में अपग्रेड किया गया था एवं तब से, तेरह श्रेणियों के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

निष्कर्ष

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निश्चित रूप से,वरिष्ठ जनों के लिए एक सम्मानजनक जीवन की दिशा में पहला कदम है।
- उन्हें अन्य सहायता एवं सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य देखभाल, विकलांगता सहायता तथा दैनिक कार्यों में सहायता, मनोरंजन के अवसर एवं एक अच्छा सामाजिक जीवन की भी आवश्यकता होती है।

- वे जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए वर्षों के अनुभव तथा परामर्श के साथ अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदानकर्ता हो सकते हैं।

पीएम श्री योजना

प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि पीएम श्री योजना के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के घटकों को प्रदर्शित करने हेतु संपूर्ण भारत में 14,500 विद्यालयों को "अपग्रेड" किया जाएगा।

पीएम श्री योजना क्या है?
• राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 14,500 विद्यालयों को केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी/एनईपी(, 2020 की प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित करने हेतु पुनर्विकसित किया जाएगा, जिसे पीएम एसएचआरआई स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) के रूप में जाना जाता है।
• गुजरात के गांधीनगर में जून में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के दौरान इस योजना पर सर्वप्रथम राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के साथ चर्चा आयोजित की गई थी।
• जबकि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जैसे अनुकरणीय विद्यालय हैं, पीएम श्री "एनईपी लैब" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रयोगशाला) के रूप में कार्य करेंगे।

विद्यालयी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति विभिन्न चरणों में विभाजित एक पाठ्यचर्या संरचना एवं शिक्षण शैली- मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य एवं माध्यमिक की परिकल्पना करता है।
- आधारिक वर्षों (विद्यालय-पूर्व एवं कक्षा I, II) में खेल-आधारित शिक्षा सम्मिलित होगी।
- प्रारंभिक स्तर (III-V) पर, कुछ औपचारिक कक्षा शिक्षण के साथ सरल पाठ्य पुस्तकों को प्रारंभ किया जाना है। विषय शिक्षकों को मध्य स्तर (VI-VIII) पर पेश किया जाना है।
- माध्यमिक चरण (IX-XII) प्रकृति में बहु-विषयक होगा जिसमें कला एवं विज्ञान तथा अन्य विषयों के मध्य कोई दृढ़ विभाजन नहीं होगा।

पीएम श्री विद्यालय केंद्रीय विद्यालयों अथवा जवाहर नवोदय विद्यालयों से किस प्रकार भिन्न होंगे?

- केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह से केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित हैं।
- जबकि केंद्रीय विद्यालय (केवी) बड़े पैमाने पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, देश के ग्रामीण हिस्सों में प्रतिभाशाली छात्रों के पोषण के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) की स्थापना की गई थी।
- इसके विपरीत, पीएम श्री विद्यालय केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित मौजूदा विद्यालयों का उन्नयन होंगे।
- इसका अनिवार्य रूप से अर्थ यह है कि पीएम श्री विद्यालय या तो केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राज्य सरकार के विद्यालय अथवा यहां तक कि नगर निगमों द्वारा संचालित हो सकते हैं।

कहां बनेंगे पीएम श्री विद्यालय?

- केंद्र ने अभी तक उन विद्यालयों की सूची जारी नहीं की है जिन्हें इस उद्देश्य के लिए चयनित किया गया है, हालांकि यह घोषणा की गई है कि पीएम श्री विद्यालय अपने आसपास के अन्य विद्यालयों को भी "परामर्श की पेशकश" करेंगे।
- ये विद्यालय प्रयोगशाला, स्मार्ट कक्षा, लाइब्रेरी, खेल उपकरण (स्पोर्ट्स इक्विपमेंट), कला कक्ष (आर्ट रूम) इत्यादि सहित आधुनिक अवसंरचना से लैस होंगे।
- इसे जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ऊर्जा दक्ष आधारिक संरचना एवं पाठ्यक्रम में जैविक जीवन शैली के एकीकरण के साथ हरित विद्यालयों के रूप में भी विकसित किया जाएगा।

केंद्र प्रायोजित योजना क्या है?

- एक केंद्र प्रायोजित योजना वह है जहां कार्यान्वयन की लागत केंद्र सरकार एवं राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य 60:40 के अनुपात में विभाजित होने की संभावना है।
- उदाहरण के लिए, मध्याह्न भोजन योजना (पीएम पोषण) या पीएम आवास योजना केंद्र प्रायोजित योजनाओं के उदाहरण हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर तथा बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, केंद्र का अंशदान 90 प्रतिशत तक हो सकता है।

पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान

हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आभासी रूप से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया।
- राष्ट्रपति ने नि-क्षय मित्र पहल की भी शुरुआत की।

पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान

- **पृष्ठभूमि:** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में 'दिल्ली एंड टीबी समिट' में सतत विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स/एसडीजी) लक्ष्य 2030 से पांच वर्ष पूर्व देश में टीबी को समाप्त करने का आह्वान किया था।
- **प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में:** प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की परिकल्पना समस्त सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने हेतु की गई है ताकि टीबी उपचार पर लोगों को सहयोग प्रदान करने हेतु किया जा सके तथा टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाई जा सके।
- **उद्देश्य:** प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को पुनः जीवंत करना है।
- **भागीदारी:** पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान पहल के तहत, व्यक्ति, संगठन, व्यावसायिक घराने , सहकारी संगठन, निर्वाचित नेता एवं गैर सरकारी संगठन टीबी से प्रभावित व्यक्तियों को गोद लेकर सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- **महत्व:** विमोचन समारोह का उद्देश्य एक सामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को प्रकट करना है जो 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एक जन आंदोलन में एक साथ लाता है।
  - प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान रोगी केंद्रित स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में सामुदायिक समर्थन जुटाने की दिशा में एक कदम है।

नि-क्षय मित्र पहल
• **नि-क्षय मित्र पहल के बारे में:** नि-क्षय मित्र पहल पीएम टीबी मुक्त भारत का एक महत्वपूर्ण घटक है।
• **नि-क्षय मित्र पोर्टल:** यह दाताओं को टीबी के उपचाराधीन व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
• **कार्यकरण:** नि-क्षय मित्र पहल त्रि-आयामी समर्थन प्रदान करती है जिसमें सम्मिलित हैं-
○ पोषण संबंधी सहायता,
○ अतिरिक्त नैदानिक सहायता, एवं
○ व्यावसायिक समर्थन।
• **नि-क्षय मित्र:** दानकर्ता, जिन्हें नि-क्षय मित्र कहा जाता है, निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, व्यावसायिक घरानों, गैर सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों से लेकर हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है।

राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)

- **राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के बारे में:** सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (नेशनल हेल्थ मिशन/एनएचएम) के तत्वावधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम/एनटीईपी) लागू किया है।
- **उद्देश्य:** वैश्विक लक्ष्यों से पांच वर्ष पूर्व, 2025 तक टीबी से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, कार्यक्रम ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना लागू की है:
  - टीबी रोगियों का शीघ्र निदान, गुणवत्ता सुनिश्चित दवाओं एवं उपचार के पथ्यापथ्य नियमों के साथ शीघ्र उपचार।
  - निजी क्षेत्र में देखभाल करने वाले रोगियों के साथ जुड़ने हेतु।
  - उच्च जोखिम/संवेदनशील आबादी में सक्रिय मामले का पता लगाने तथा संपर्क अनुरेखण सहित रोकथाम रणनीतियाँ।
  - वायु जनित संक्रमण नियंत्रण।
  - सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने हेतु बहु-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया।
- **प्रदर्शन:** राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) योजना के तहत, 2018 से 62 लाख से अधिक टीबी रोगियों को 1,651 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इसमें मरीज के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रुप से 500 रुपये हस्तांतरित करना सम्मिलित है।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

आंगन 2022 सम्मेलन

हाल ही में, ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार ने आंगन 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया।

- आंगन 2022 (आंगन 2.0) सम्मेलन उस आयोजन का दूसरा संस्करण है जो इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट (बीईईपी) के तहत आयोजित किया गया है।
- बीईई के प्रथम राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता रोडमैप फॉर मूवमेंट टु अफोर्डेबल एंड नेचुरल हैबिटेट (निर्माण) पुरस्कार के विजेताओं को आंगन 2.0 में सम्मानित किया गया।

आंगन 2022 सम्मेलन

- **आंगन 2.0 सम्मेलन के बारे में:** आंगन 2.0 एक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो विश्व में सतत, वहन योग्य एवं पर्यावरण के अनुकूल आवास बनाने पर विचार-विमर्श करता है।
  - **आंगन 2022 सम्मेलन** भवन क्षेत्र में अनुप्रयोज्य विभिन्न निम्न कार्बन उत्पादों, प्रौद्योगिकियों एवं नवाचारों की एक प्रदर्शनी का आयोजन भी करता है।
  - **आंगन का पूर्ण रूप:** आंगन का पूर्ण रूप ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट है।
  - **आंगन 2.0 का शीर्षक:** आंगन 2022 का शीर्षक "इमारतों में शून्य-कार्बन संक्रमण निर्माण" है।
- **उद्देश्य:** आंगन 2.0 सम्मेलन का उद्देश्य एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ (लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट) एवं पंचामृत पर ग्लासगो में सीओपी 26 में किया था, जिसका लक्ष्य 2070 तक भारत को निवल शून्य बनाना है।
- **आयोजन निकाय:** भारत-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट (बीईईपी) के तहत स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (एसडीसी) के सहयोग से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी/बीईई), ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आंगन 2022 का आयोजन किया जा रहा है।
- **भागीदारी:** आंगन सम्मेलन में वास्तुकार,अभियंता, बिल्डर, भवन निर्माण सामग्री उद्योग, शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों सहित 500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
- **प्रमुख कार्यक्रम:** आंगन 2022 सम्मेलन में "अनलॉकिंग फाइनेंस फॉर लो-कार्बन बिल्डिंग", "आवासीय भवनों में तापीय सुविधा एवं जलवायु लोचशीलता" जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।
  - सम्मेलन में "संसाधन दक्षता वार्तालाप में महिलाएं" विषय पर विशेष सत्र थे।
- **महत्व:** आंगन 2022 सम्मेलन सह प्रदर्शनी से निम्न कार्बन, ऊर्जा दक्ष आवास को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सहयोग, साझेदारी, नेटवर्क एवं सूचना विनिमय को प्रोत्साहन प्राप्त होने की संभावना है।

निर्माण पुरस्कार
• निर्माण (NEERMAN) पुरस्कारों को बीईई की इको-निवास संहिता (ईएनएस) एवं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड/ईसीबीसी) का अनुपालन करने वाले अनुकरणीय भवन डिजाइनों को स्वीकार करने तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्थागत रूप दिया गया है।
• निर्माण पुरस्कार ने जम्मू एवं कश्मीर से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तक संपूर्ण देश में परियोजनाओं के निर्माण में भागीदारी देखी है।

भारत स्विट्जरलैंड भवन ऊर्जा दक्षता परियोजना (इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट/बीईईपी)

- इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट (बीईईपी) भारत सरकार एवं स्विट्जरलैंड सरकार के मध्य एक सहयोगी परियोजना है।
- बीईईपी ने बीईई को इको-निवास संहिता (आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड), लगभग 50 भवनों के डिजाइन एवं 5000 से अधिक भवन क्षेत्र के पेशेवरों को प्रशिक्षित करने में तकनीकी सहायता प्रदान की है।

फ्लाई ऐश

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/एनजीटी) ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फ्लाई ऐश के उपयोग एवं निस्तारण में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है।

फ्लाई ऐश क्या है?
• फ्लाई ऐश कोयले के दहन का एक उप-उत्पाद है एवं इसमें एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड (SiO_2), कैल्शियम ऑक्साइड (CaO), आयरन के ऑक्साइड, मैग्नीशियम तथा सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं तांबा सदृश विषाक्त धातुएँ होती हैं।
• भारत अगले दशक में अपने उर्जा उत्पादन को दोगुना करने के लिए तैयार है एवं कोयले के ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का सर्वाधिक वृहद स्रोत होने के कारण फ्लाई ऐश की समस्या में भी वृद्धि होने वाली है।

फ्लाई ऐश: पर्यावरणीय समस्याएं

- फ्लाई ऐश में पाई जाने वाली सभी भारी धातुएं - निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, सीसा इत्यादि - प्रकृति में विषाक्त होती हैं एवं संभावित रूप से आसपास की मृदा में

निक्षालित हो सकती हैं तथा खाद्य-श्रृंखला में भी प्रवेश कर सकती हैं।

- फ्लाई ऐश श्वास के माध्यम से सरलता से अंतर्ग्रहित हो जाती है, जिससे दमा (अस्थमा), स्नायविक विकार जैसे अनेक रोग हो जाते हैं।
- हवा में निलंबित फ्लाई ऐश वैश्विक तापन के कारक के रूप में कार्य करता है एवं पृथ्वी की सतह को गर्म करता है।
- फ्लाई ऐश पत्तियों एवं फसलों पर स्थिर हो जाती है एवं फसल की उत्पादकता को कम कर देता है।
- यह भूजल को प्रदूषित करता है।
- शीत ऋतु में में घना कोहरा निर्मित कर दृश्यता कम कर देता है।

फ्लाई ऐश: प्रबंधन

- सरकार का आदेश है कि सभी कोयला ऊर्जा संयंत्र (कोल पावर प्लांट/सीपीपी) फ्लाई ऐश के 100% उपयोग तक पहुंचें एवं कोयला ऊर्जा संयंत्र (सीपीपी) को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज/एमएसएमई) को ईंटों, टाइलों के निर्माण के लिए एक निश्चित मात्रा में फ्लाई ऐश निशुल्क देनी चाहिए तथा शेष फ्लाई ऐश को अन्य उद्योगों को विक्रय किया जाना चाहिए।
- कोयला विद्युत संयंत्र (सीपीपी) को हवा में इसके निलंबन को कम करने के लिए फ्लाई ऐश तालाबों को अनुरक्षित रखना होगा किंतु ये सभी कदम जोखिमों का शमन करने हेतु अत्यंत कम हैं।
- फ्लाई ऐश का मूल्य निर्धारण एक विवादास्पद मुद्दा बनता जा रहा है जो इसके लाभकारी उपयोग में बाधा बन रहा है।
- फ्लाई ऐश निस्तारण के साथ जोखिमों का मूल्यांकन करने का वर्तमान दृष्टिकोण अत्यधिक सीमित है एवं वे वास्तविक जोखिमों को कम करके आंक सकते हैं।
- फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए सरकार, अनेक गैर-सरकारी एवं अनुसंधान तथा विकास संगठनों द्वारा की गई पहल के बावजूद, देश में फ्लाई ऐश के उपयोग का स्तर मात्र 38% है जो वैश्विक मानकों से कम है।
- अतः, नियामकों की चेतावनियों के बावजूद, फ्लाई ऐश का उपयोग करने के स्थान पर भंडारित किया जा रहा है।
- भंडारण स्थानों में जमा होने से जल एवं मृदा पर उनकी खनिज संरचना के साथ-साथ आकारिकी तथा निस्यंदन गुणों के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- कोल विद्युत संयंत्रों (सीपीपी) में ऐश-प्रबंधन इकाइयां जल की सर्वाधिक वृहद उपभोक्ता हैं। सरकार फ्लाई ऐश के लिए लगभग 1:5 के रूप में डिजाइन किए गए राख (ऐश)- जल के अनुपात की वकालत करती है, किंतु अवलोकित किया गया अनुपात लगभग 1:20 रहा है।
- कुछ राज्यों ने सार्वजनिक कार्यों में मिश्रित सीमेंट एवं फ्लाई ऐश ईंटों के उपयोग को हतोत्साहित किया है।

फ्लाई ऐश: आगे की राह

मुद्दों को निम्नलिखित द्वारा हल किया जा सकता है-

- अधिक नियामक निरीक्षण एवं मूल्य नियंत्रण।
- सीमेंट सम्मिश्रण मानकों में संशोधन।
- फ्लाई ऐश की गुणवत्ता में सुधार हेतु शोध कार्य।
- परिवहन की लागत को कम करना।
- सूचना विषमताओं पर नियंत्रण पाने के लिए प्रावधान।
- फ्लाई ऐश के ईंटों के उत्पादन के लिए ईंट भट्टों में उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- इस मामले में प्रमुख निर्णयकर्ताओं को समग्र रूप से संवेदनशील बनाना।
- इसे राख (फ्लाई ऐश) के तालाबों पर डंप करने के स्थान पर, पॉज़ोलन के रूप में इसके पुन: उपयोग एवं हाइड्रोलिक सीमेंट द्वारा पोर्टलैंड सीमेंट के प्रतिस्थापन के कारण निर्माण हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- इसके दानों के आकार के वितरण, वर्धित क्षमता पारगम्यता के कारण, इसका उपयोग सड़क निर्माण, घाटघर बांध जैसे कंक्रीट बांधों पर तटबंधों के निर्माण के लिए किया जा सकता है।
- उन उत्पादन इकाइयों के लिए कठोर दंड का प्रावधान जो उचित निस्यंदन उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं।
- कोयला आधारित तापीय उत्पादन से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की ओर अग्रसर होना।

निष्कर्ष

- फ्लाई ऐश का उपयोग न केवल संभव है बल्कि आवश्यक भी है।
- "भारत सरकार का फ्लाई ऐश मिशन" एक मंद किंतु स्थिर शुरुआत है, जिसकी गति को तेज करने की आवश्यकता है।
- फ्लाई ऐश आधारित सीमेंट या कंक्रीट की धारणा में सुधार के लिए संबंधित हितधारकों द्वारा एक ईमानदार प्रयास की आवश्यकता है; विशेष रूप से सरकारी कार्यों के लिए इसके उपयोग में वृद्धि एवं फ्लाई ऐश, इसके उपयोग तथा संभावित प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना।

भारत का बढ़ता जल संकट

2022 की संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट ने नदियों, झीलों, जलभृतों एवं मानव निर्मित जलाशयों से स्वच्छ जल की निकासी में तीव्र वृद्धि, महत्वपूर्ण जल संकट तथा विश्व के विभिन्न भागों में अनुभव की जा रही जल के अभाव पर वैश्विक चिंता व्यक्त की है।

संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है?

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट (वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट/WWDR) यूएन- वाटर की ओर से यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की जाती है तथा इसका प्रकाशन यूनेस्को विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम (वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम/WWAP) द्वारा समन्वित किया जाता है।

भारत में जल संकट का स्तर क्या है?

- वैश्विक सूखा जोखिम एवं जल संकट मानचित्र (2019): यह दर्शाता है कि भारत के प्रमुख हिस्से, विशेष रूप से पश्चिम, मध्य एवं प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से जल की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्र हैं तथा जल के अभाव का अनुभव करते हैं।
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (2018): नीति आयोग द्वारा जारी किया गया सूचकांक यह दर्शाता है कि 600 मिलियन से अधिक लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं।
- भारत विश्व का सर्वाधिक वृहद भूजल निष्कर्षक देश है: कुल के 25 प्रतिशत हिस्से के निष्कर्षण के लिए उत्तरदायी है। हमारे 70 प्रतिशत जल स्रोत दूषित हैं तथा हमारी प्रमुख नदियाँ प्रदूषण के कारण समाप्त हो रही हैं।

भारत में जल का ग्रामीण से शहरी स्थानांतरण एक मुद्दा क्यों बनता जा रहा है?

- बढ़ती शहरी जनसंख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 34% है। यह अनुमान है कि विश्व शहरीकरण प्रत्याशा, 2018 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या घटक 2030 तक 40% के चिन्ह एवं 2050 तक 50% के चिन्ह को पार कर जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में जल का उपयोग: शहरी क्षेत्रों में जल के उपयोग में वृद्धि हो गई है क्योंकि अधिक से अधिक लोग शहरी क्षेत्रों में चले गए हैं। इन केंद्रों में प्रति व्यक्ति जल के उपयोग में वृद्धि हो रही है, जिसमें जीवन स्तर में सुधार के साथ वृद्धि होती रहेगी।
- शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों का स्थानांतरण: जैसे-जैसे शहर बढ़ता है एवं जल प्रबंधन बुनियादी ढांचे का विकास होता है, निर्भरता भूजल से सतही जल में परिवर्तित होती जाती है। उदाहरण के लिए: अहमदाबाद में 1980 के दशक के मध्य तक 80% से अधिक जलापूर्ति भूजल स्रोतों से होती थी।
- भूजल के इस तरह के अत्यधिक दोहन के कारण सीमित जलभृतों में भूजल स्तर की गहराई 67 मीटर तक पहुंच गई। शहर अब अपनी अधिकांश जलापूर्ति के लिए नर्मदा नहर पर निर्भर है।
- जल स्रोतों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर शहरी क्षेत्रों की निर्भरता एवं जल पर ग्रामीण-शहरी विवाद: शहर व्यापक स्तर पर जल की आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर हैं, जिसमें ग्रामीण-शहरी विवाद को प्रज्वलित करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए: नागपुर एवं चेन्नई ग्रामीण-शहरी जल विवादों की समस्या का सामना करते हैं।

विवादों के लिए उत्तरदायी कारण

- संसाधन का पथांतरण: ग्रामीण क्षेत्रों की कीमत पर शहरी क्षेत्रों में पानी पहुँचाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण दैनिक उपयोग के लिए जल की आवश्यकता अत्यधिक है।
- औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल की उच्च मांग: शहरी क्षेत्रों में जल का व्यापक उपयोग उद्योगों में जल का अभाव उत्पन्न करने वाले उद्योगों में किया जाता है।
- उच्च कृषि निर्भरता: ग्रामीण क्षेत्रों में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है एवं कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जल अत्यंत आवश्यक है।
- जल प्रदूषण: शहरों में, इस जल का अधिकांश हिस्सा दूषित जल के रूप में होता है, जिसकी बहुत कम पुनर्प्राप्ति अथवा पुन: उपयोग होता है, जो अंततः जल प्रदूषण में योगदान देता है।
- खराब शासन: वोट बैंक के लिए भूजल का राजनीतिकरण एवं जल विशेष क्षेत्रों का विषम वितरण। उदाहरण के लिए: आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना।

जलवायु परिवर्तन ग्रामीण-शहरी विवादों को बढ़ाता है

- वर्षा पैटर्न को दुष्प्रभावित कर रहा है: जलवायु परिवर्तन उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा को दुष्प्रभावित करता है जो सतही जल एवं भूजल दोनों का प्रमुख स्रोत है।
- सतही जल पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि: उच्च तापमान के कारण झीलों, नदियों, नहरों इत्यादि के सतही जल को उच्च वाष्पीकरण जल हानि का सामना करना पड़ता है।
- ग्लेशियरों का पिघलना: हिमनद (ग्लेशियर) भारत की बारहमासी नदियों के स्रोत हैं। वैश्विक तापमान के कारण हिमनद पिघल रहे हैं और इसलिए नदियों की बारहमासी प्रकृति को दुष्प्रभावित कर रहे हैं।
- बार-बार सूखा: यह भूजल पुनर्भरण प्रक्रिया एवं सतही जल के सूखने को प्रभावित करता है जिससे जल का अभाव उत्पन्न हो जाता है। यह ग्रामीण-शहरी संघर्ष को और तीव्र करता है।

आगे की राह

- विकास, आधारिक अवसंरचना के निवेश, ग्रामीण-शहरी साझेदारी को बढ़ावा देने एवं जल प्रबंधन में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर व्यापक चर्चा के साथ जल के पुनर्वितरण को जोड़ने के लिए एक प्रणाली परिप्रेक्ष्य एवं जलग्रहण स्तर आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है।
- सरकार अकेले जल संकट का प्रबंधन नहीं कर सकती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए व्यापक स्तर पर जनता सहित नागरिक समाज, निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र एक ही भंडार, अर्थात देश के जल संसाधन से जल का उपयोग करते हैं। अतः, शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के हितों को सुरक्षित करके एक लाभकारी स्थिति के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। ऐसी लाभप्रद स्थिति को प्राप्त करने की कुंजी सुशासन है।

पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

हाल ही में, 23-24 सितंबर, 2022 को गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रियों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

- राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा आभासी रूप से किया गया था।

पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

- **विषय-वस्तु:** पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन छह विषयों के तहत आयोजित किया गया था जिसमें निम्नलिखित टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था-
  - जीवन एवं जलवायु परिवर्तन का मुकाबला (उत्सर्जन के शमन एवं जलवायु प्रभावों के अनुकूलन हेतु जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं को अद्यतन करना);
  - परिवेश (एकीकृत हरित स्वीकृति हेतु एकल बिंदु सिस्टम/ PARIVESH);
  - वानिकी प्रबंधन;
  - प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण;
  - वन्यजीव प्रबंधन;
  - प्लास्टिक तथा अपशिष्ट प्रबंधन।
- **भागीदारी:** देश भर के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रियों ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।
  - राज्यों के वन एवं पर्यावरण मंत्रियों, संबंधित राज्य सचिवों के साथ-साथ पीसीसीएफ के साथ-साथ राज्य पीसीबी / पीसीसी के अध्यक्षों ने भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन (एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज/ईएफ एंड सीसी) के मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य परिणाम

- गुजरात के एकता नगर में दो दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र में तीन प्रतिज्ञाएँ ली गईं:
- जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए, प्रधान मंत्री के सक्षम नेतृत्व में, हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करने का संकल्प लेते हैं।
- हम वन्य जीवन, वन संरक्षण एवं हरित क्षेत्रों में वृद्धि करने का संकल्प लेते हैं।
- अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं-
  - काष्ठ एवं संबंधित उत्पादों को संरक्षित करने हेतु,
  - कृषि-वाणिज्य के अवसरों की पहचान करने हेतु,
  - वैज्ञानिक अवसंरचना से संबंधित नीतिगत ढांचे को सक्षम बनाने हेतु एवं
  - किसानों, जनजातीय समूहों तथा स्थानीय समुदायों के रोजगार एवं आय के अवसरों में वृद्धि करने हेतु।

परिवेश क्या है?

- **PARIVESH का पूर्ण रूप:** PARIVESH का पूर्ण रूप "प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंट सिंगल विंडो हब" है।
- **पृष्ठभूमि:** स्वीकृति प्रदान करने में लगने वाले समय को कम करने के माननीय प्रधानमंत्री के विजन को प्राप्त करने हेतु PARIVESH को अगस्त 2018 में विमोचित किया गया था।
- **परिवेश के बारे में:** PARIVESH एक प्रौद्योगिकी संचालित, पेशेवर रूप से प्रबंधित संस्थागत तंत्र है, जो सभी हरित अनुमतियों (ग्रीन क्लीयरेंस) के क्रियान्वयन तथा बाद के अनुपालन प्रबंधन के लिए 'सिंगल विंडो' प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा।
- **अधिदेश:** PARIVESH का उद्देश्य सत्य का एक ही स्रोत, प्रक्रिया एवं डेटा समक्रमण (सिंक्रनाइज़ेशन) के माध्यम से प्रभावशीलता, पारदर्शी एवं संसूचित निर्णय निर्माण तथा "न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन" को सुदृढ़ करना है।
  - वर्तमान में परिकल्पित परिवेश (PARIVESH) विकास कार्य प्रगति पर है एवं इसे 2022 के अंत तक प्रारंभ करने की योजना है।
- **प्रमुख मॉड्यूल:** PARIVESH में परिकल्पित कुछ प्रमुख मॉड्यूल विन्यास योग्य व्यवस्थापक मॉड्यूल, निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS), अपने अनुमोदन को जानें (KYA), CAMPA प्रबंधन, हेल्पडेस्क प्रबंधन, विधि ज्ञान कोष, अंकेक्षक प्रबंधन, सत्व लेखा बही (एंटिटी लेजर एवं भुगतान गेटवे हैं।

पादप संधि (प्लांट ट्रीटी)

खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर/ITPGRFA) के शासी निकाय का नौवां सत्र हाल ही में नई दिल्ली में आरंभ हुआ है।

प्लांट ट्रीटी: थीम

बैठक की थीम 'सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिटी: टुवड्र्स ए इनक्लूसिव पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क' है।

पादप संधि क्या है?
• खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 3 नवंबर, 2001 को अंगीकृत किया गया था।
• यह 2001 में मैड्रिड में हस्ताक्षरित किया गया था तथा 29 जून 2004 को प्रवर्तन में आया।
• यह विश्व की खाद्य फसलों के पारंपरिक संरक्षक के रूप में स्वदेशी व्यक्तियों तथा छोटे जोत वाले किसानों के व्यापक

योगदान को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला विधिक रूप से बाध्यकारी पहला अंतर्राष्ट्रीय साधन है।
• यह राष्ट्रों से उन बीजों को सुरक्षित करने एवं उपयोग करने के अपने अधिकारों की रक्षा तथा प्रोत्साहित करने का भी आह्वान करता है जिनकी उन्होंने सदियों से देखभाल की है।
• कृषि जैव विविधता एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा के शासन पर चर्चा करने के लिए इस संधि के पक्षकार लगभग तीन वर्षों के बाद एक साथ आए हैं।

पादप संधि: उद्देश्य

संधि का उद्देश्य है:

1. संरक्षण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की गारंटी देना
2. खाद्य एवं कृषि के लिए विश्व के पादप आनुवंशिक संसाधनों का आदान-प्रदान तथा सतत उपयोग (प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर/पीजीआरएफए)
3. इसके उपयोग से होने वाले उचित तथा न्यायसंगत लाभ के वितरण, साथ ही साथ
4. किसानों के अधिकारों की मान्यता।

पादप संधि: मुख्य विशेषता: अनुच्छेदक 1 फसलें

- संधि ने खाद्य सुरक्षा एवं अन्योन्याश्रितता हेतु आवश्यक कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य एवं चारा फसलों में से 64 की सूची के लिए उन देशों के मध्य पहुंच एवं लाभ साझा करने की एक बहुपक्षीय प्रणाली (एमएलएस) लागू की है जो संधि का अनुसमर्थन करते हैं।
- पीढ़ी एवं प्रजातियों को संधि के अनुच्छेद 1 में सूचीबद्ध किया गया है। संधि खाद्य फसलों एवं उनकी आनुवंशिक सामग्री के अनवरत मुक्त आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है।
- संधि की बहुपक्षीय प्रणाली में सम्मिलित पादप आनुवंशिक सामग्री की सूची प्रमुख खाद्य फसलों एवं चारा से निर्मित है।
- चारा फसलों को फलियां चारा (लेग्यूम फोरेज) तथा घास चारा (ग्रास फोरेज) में भी विभाजित किया गया है।
- उन्हें खाद्य सुरक्षा तथा देश की अन्योन्याश्रयता के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए चयनित किया गया था।

कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का लोकार्पण

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान से आरंभ होकर बड़ी बिल्लियों को पुनः प्रवेशित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना में, भारत पहुंचे आठ में से तीन चीतों को लोकार्पित कर दिया।

- पीएम मोदी ने भी चीतों के दौरे से पूर्व जनता से धैर्य रखने की अपील की।
- पीएम मोदी ने कहा कि यद्यपि भारत ने 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था, किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दशकों तक उन्हें फिर से लाने के लिए कोई रचनात्मक प्रयास नहीं किया गया।

भारत में चीतों के पुन: प्रवेश का पता लगाना

- **प्रारंभ:** आंध्र प्रदेश के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 1955 में राज्य के दो जिलों में प्रायोगिक आधार पर नीति का सुझाव दिया था।
- **पुन: प्रवेश पर सरकार का रुख:** 1970 के दशक में, पर्यावरण विभाग ने औपचारिक रूप से ईरान से कुछ चीतों के लिए अनुरोध किया, जिसके पास उस समय 300 एशियाई चीते थे।
    - यद्यपि, ईरान के शाह को किसी भी समझौते पर पहुँचने से पूर्व ही हटा दिया गया था।
- **मांग का पुनः प्रवर्तन:** भारत में चीतों को लाने के प्रयासों को 2009 में एक बार फिर से पुनर्जीवित किया गया एवं भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने चीता के पुनः प्रवेश की व्यवहार्यता पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की।
    - अनेक स्थलों का चयन किया गया, जिनमें से कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया।
    - ऐसा इसलिए था क्योंकि इस क्षेत्र में एक वृहद पर्यावास क्षेत्र उपलब्ध था एवं इस स्थल पर निवास करने वाले ग्रामीणों को विस्थापित करने के लिए पहले ही महत्वपूर्ण निवेश किया जा चुका था।
- **चीता के पुनः प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय का मत:** सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में चीता को कुनो-पालपुर में पुनः प्रवेश के आदेश पर रोक लगा दी थी क्योंकि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को इस मामले की जानकारी नहीं थी।
    - न्यायालय ने कहा कि एशियाई सिंह के पुन प्रवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है।
    - 2020 में, सरकार द्वारा एक याचिका का उत्तर देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रयोगात्मक आधार पर अफ्रीकी चीतों को "सावधानीपूर्वक चयनित किए गए स्थान" में प्रवेशित किया जा सकता है।
- **चीतों का पुनः प्रवेश:** हाल ही में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आठ में से तीन चीतों का लोकार्पण किया।
    - इन चीतों को नामीबिया की राजधानी विंडहोक से लाया गया था। भारत लाए गए आठ जंगली चीतों में पांच मादा तथा तीन नर हैं।

भारत में चीता- भारत में चीता के विलुप्त होने की यात्रा का पता लगाना

- **चीतों के साथ शिकार:** चीता, जिसे वश में करना अपेक्षाकृत सरल था एवं बाघों की तुलना में कम खतरनाक था, प्राय: भारतीय कुलीन वर्ग द्वारा आखेट के लिए उपयोग किया जाता था।
    - भारत में शिकार के लिए उपयोग किए जाने वाले चीतों के लिए सर्वप्रथम उपलब्ध अभिलेख, 12 वीं शताब्दी के संस्कृत पाठ मानसोल्लास में प्राप्त होता है, जिसे कल्याणी के चालुक्य शासक, सोमेश्वर III (1127-1138 ईस्वी से शासन किया गया) द्वारा निर्मित किया गया था।

- सम्राट अकबर, जिसने 1556-1605 तक शासन किया, विशेष रूप से इस गतिविधि के शौकीन थे एवं कुल मिलाकर 9,000 चीतों को एकत्र करने का रिकॉर्ड है।
- सम्राट जहांगीर (1605-1627 तक शासन) ने अपने पिता का अनुसरण किया एवं कहा जाता है कि पालम के परगना में चीते के द्वारा 400 से अधिक मृगों को पकड़ा गया था।
- शिकार के लिए जंगली चीतों को पकड़ने तथा उन्हें कैद में रखने में कठिनाई के कारण अंग्रेजों के प्रवेश से पूर्व ही चीतों की आबादी में गिरावट आ रही थी।

- **ब्रिटिश राज के तहत विलुप्त होने के करीब:** वे बाघ,जंगली भैंसा एवं हाथियों जैसे बड़े जानवरों का शिकार करना पसंद करते थे।
  - ब्रिटिश राज के तहत, जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ किया गया, ताकि बस्तियों का विकास किया जा सके एवं नील, चाय तथा कॉफी के बागान स्थापित किए जा सकें।
  - इसके परिणामस्वरूप बड़ी बिल्लियों के लिए पर्यावास की हानि हुई, जिससे उनकी संख्या में गिरावट में योगदान दिया।
  - ब्रिटिश अधिकारियों ने चीतों को "पीड़क जीव" के रूप में माना एवं कम से कम 1871 के बाद से चीतों की हत्या के लिए मौद्रिक पुरस्कार भी वितरित किए। .
  - इनामी शिकार के कारण पुरस्कारों से चीतों की संख्या में गिरावट आई, क्योंकि यहां तक कि एक छोटी संख्या को हटाने से जंगली चीतों की जीवित रहने के लिए आवश्यक निम्नतम स्तर पर भी प्रजनन करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  - परिणामस्वरूप, 20वीं शताब्दी तक भारत में जंगली चीते अत्यंत दुर्लभ हो गए।
- **भारत से चीता का विलुप्त होना:** 1952 में, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया। माना जाता है कि कोरिया, मध्य प्रदेश के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में भारत में दर्ज अंतिम तीन चीतों को मार डाला था।

पोषण वाटिका

जारी पोषण माह 2022 के तहत देश भर में बैकयार्ड कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन इकाइयों के साथ पोषक उद्यान अथवा रेट्रो-फिटिंग पोषण वाटिका स्थापित करने के क्रियाकलाप बड़े स्तर पर संपादित किए जा रहे हैं।

न्यूट्री-गार्डन- प्रमुख उपलब्धियां

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से प्रारंभ किए गए विभिन्न अंत:क्षेपों के तहत, करीब 4.37 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों ने पोषण वाटिका स्थापित की है।
  - इसके अतिरिक्त, अब तक 6 राज्यों के कुछ चयनित जिलों में 1.10 लाख औषधीय पौधे भी लगाए जा चुके हैं।
- अब तक, पोषण वाटिका को बैकयार्ड कुक्कुट पालन एवं मत्स्य इकाइयों के साथ रेट्रोफिटिंग पर 1.5 लाख से अधिक घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है।
- साथ ही बाजरे एवं बैकयार्ड किचन गार्डन को प्रोत्साहित करने हेतु 75 हजार से अधिक संवेदीकरण शिविर आयोजित किए गए हैं।
- दिलचस्प बात यह है कि नए आंगनबाड़ी केंद्रों में/आसपास पोषण वाटिका के मॉडल को दोहराने के लिए पोषण माह के तहत पोषक उद्यानों/पोषण वाटिका के लिए अब तक 40 हजार के करीब भूमि पहचान अभियान संचालित किए जा चुके हैं।

पोषक-उद्यान (न्यूट्री गार्डन) क्या हैं?
• अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करने हेत व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपभोग के लिए पोषक तत्वों से समृद्ध फसलों को उगाने के लिए एक पोषक-उद्यान परियोजना एक लागत प्रभावी मॉडल है।
• यह एक सतत जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर अल्प-पोषण एवं अति-पोषण दोनों से निपटने में सहायता करता है।
○ न्यूट्री गार्डन ओडिशा ऐसा ही एक सफल मॉडल है।
• फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों एवं जड़ी-बूटियों तक सरल एवं वहन योग्य पहुँच प्रदान करने हेतु संपूर्ण देश में न्यूट्री-गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं।
• विचार सरल है; महिलाओं एवं बच्चों को स्थानीय रूप से उत्पादित फलों, सब्जियों तथा औषधीय पौधों की ताजा एवं नियमित आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्र पर या उसके निकट एक पोषक उद्यान से सीधे प्रदान करना।

पोषक - उद्यान/पोषण वाटिका का महत्व

- पोषण वाटिका स्थानीय फलों एवं सब्जियों के माध्यम से प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करके आहार विविधता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- पोषण वाटिका वास्तविक स्तर पर अभिसारी कार्रवाई का एक अच्छा उदाहरण है।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध स्वस्थ उपज के प्रतिफल से परे, यह बाहरी निर्भरता को कम करेगा एवं समुदायों को उनकी पोषण सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बना देगा।

पोषण वाटिका- प्रमुख लाभ

- यह पौष्टिक भोजन प्रदान करता है जो बच्चों में **सूक्ष्म एवं स्थूल पोषक तत्वों** की कमी तथा **प्रच्छन्न भूख** इस समस्या को हल कर सकता है।
- यह विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों (AWCs) में **बेकार पड़ी रिक्त पड़ी भूमि का बेहतर उपयोग** प्रदान करता है।
- यह ताजी सब्जियों की एक **सस्ती, नियमित एवं सरल आपूर्ति** भी सुनिश्चित करता है, जो पोषण के लिए मूलभूत हैं।
- यह सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में मध्याह्न **भोजन के मेनू में विविधता** लाता है।

- यह **बच्चों को उत्प्रेरक में परिवर्तित कर देता है** जो समाज में जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं।

रॉटरडैम अभिसमय

दो नए हानिकारक कीटनाशकों - Iprodione एवं Terbufos - के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सिफारिश रॉटरडैम अभिसमय के तहत "पूर्व सूचित सहमति" (प्रायर इनफॉर्म्ड कंसेंट/PIC) प्रक्रिया के लिए की गई है।

- भारत में, 2015 अनुपम वर्मा समिति की रिपोर्ट द्वारा इन रसायनों के उपयोग की अनुमति मदान की गई थी। देश Terbufos के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।
- ये रसायन मनुष्यों एवं जलीय जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं।

रॉटरडैम अभिसमय

- रॉटरडैम अभिसमय को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ हानिकारक रसायनों एवं कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित अभिसमय के रूप में जाना जाता है।
- यह हानिकारक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक बहुपक्षीय संधि है।
- अभिसमय सूचना के मुक्त आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है एवं हानिकारक रसायनों के निर्यातकों को उचित लेबलिंग का उपयोग करने के लिए कहता है, सुरक्षित संचालन पर निर्देश शामिल करता है तथा क्रेताओं को किसी भी ज्ञात प्रतिबंध अथवा निषेध के संबंध में सूचित करता है।
- हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र यह निर्धारित कर सकते हैं कि संधि में सूचीबद्ध रसायनों के आयात को अनुमति प्रदान की जाए अथवा उन पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं निर्यातक देश यह सुनिश्चित करने हेतु बाध्य हैं कि उनके क्षेत्राधिकार में उत्पादक इनका अनुपालन करते हैं।
- भारत 161 अन्य पक्षकारों के साथ अभिसमय का एक पक्षकार है।

रॉटरडैम अभिसमय: पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) प्रक्रिया

- पूर्व सूचित सहमति (प्रायर इनफॉर्म्ड कंसेंट/पीआईसी) प्रक्रिया हानिकारक रसायनों के भविष्य के शिपमेंट प्राप्त करने की इच्छा पर आयात करने वाले पक्षों के निर्णयों को औपचारिक रूप से प्राप्त करने एवं प्रसारित करने हेतु एक तंत्र है।
- पीआईसी प्रक्रिया आयात करने वाले पक्षों के निर्णयों को औपचारिक रूप से प्राप्त करने एवं प्रसारित करने के लिए एक तंत्र है कि क्या वे अभिसमय में सूचीबद्ध उन रसायनों के भविष्य के शिपमेंट प्राप्त करना चाहते हैं।
- अनुलग्नक III में सूचीबद्ध प्रत्येक रसायन के लिए एवं पीआईसी प्रक्रिया के अधीन एक निर्णय मार्गदर्शन दस्तावेज (डिसीजन गाइडेंस डॉक्यूमेंट/डीजीडी) तैयार किया जाता है तथा सभी पक्षकारों को भेजा जाता है।
- सभी पक्षकारों को यह निर्णय लेने की अनिवार्यता है कि वे अभिसमय के अनुबंध III में प्रत्येक रसायन के भविष्य के आयात की अनुमति प्रदान करेंगे अथवा नहीं।
- इन निर्णयों को आयात प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है।

रॉटरडैम अभिसमय: नए रसायन

- Iprodione, लताओं, फलों, वृक्षों एवं सब्जियों पर प्रयुक्त होने वाले कवकनाशी को कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ (कार्सिनोजेनिक) एवं प्रजनन के लिए विषाक्त पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- Terbufos एक मृदा कीटनाशक है जो आमतौर पर ज्वार, मक्का, चुकंदर एवं आलू पर प्रयोग किया जाता है। इसकी विषाक्तता के कारण जलीय जीवों के लिए भी यह हानिकारक पाया गया है।
- दोनों कीटनाशक, जो कृषि में उपयोग किए जाते हैं, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर उनके हानिकारक प्रभावों के लिए जाने जाते हैं।

शून्य अभियान

हाल ही में, नीति आयोग ने भारत के शून्य प्रदूषण ई-गतिशीलता अभियान, शून्य के एक वर्ष की वर्षगांठ मनाने के लिए एक दिवसीय मंच का आयोजन किया।

- कार्यक्रम के दौरान उन्नत रसायन विज्ञान सेल (एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल/एसीसी) ऊर्जा भंडारण (भाग III) रिपोर्ट पर राष्ट्रीय कार्यक्रम भी विमोचित किया गया।
- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 2030 तक 106-260 गीगा वाट प्रति घंटे की अनुमानित संचयी बैटरी मांग को पूरा करने के लिए उन्नत रसायन विज्ञान सेल (ACC) ऊर्जा भंडारण हेतु भारत की 2.5 बिलियन डॉलर की उत्पादन- सहलग्न प्रोत्साहन (प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव/PLI) योजना महत्वपूर्ण है।
- यह विद्युत वाहनों (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स/ईवी) को अपनाने एवं ग्रिड विकार्बनीकरण (डीकार्बोनाइजेशन) के लिए देश के दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक साकार करने के लिए है।

शून्य अभियान की आवश्यकता

- तीव्र वैश्विक शहरीकरण एवं ई-कॉमर्स की बिक्री शहरी माल ढुलाई एवं गतिशीलता की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि कर रही है। भारत में, इन क्षेत्रों के 2030 तक 8% की सीएजीआर से बढ़ने की संभावना है।
- यदि यह मांग आंतरिक दहन वाहनों (इंटरनल कंबशन व्हीकल/आईसीई) द्वारा पूरी की जाती है, तो इससे स्थानीय वायु प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

- इलेक्ट्रिक वाहन इन चुनौतियों से निपटने का अवसर प्रदान करते हैं। आंतरिक दहन वाहनों की तुलना में, इलेक्ट्रिक वाहन टेलपाइप पर कणिकीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर/पीएम) अथवा नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) का उत्सर्जन नहीं करते हैं; वे 60% कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तथा उनकी परिचालन लागत 75% कम होती है।
- शून्य अभियान भारत में मौजूदा राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय विद्युत वाहन नीतियों के साथ-साथ कॉर्पोरेट प्रयासों को भी पूरक बनाता है, जिससे भारतीय शहरों में उपभोक्ता जागरूकता एवं शून्य प्रदूषण सवारी तथा वितरण की मांग उत्पन्न होती है।

शून्य अभियान

- **शून्य अभियान के बारे में:** शून्य राइड-हेलिंग एवं वितरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स/ईवी) के उपयोग को प्रोत्साहित कर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान है।
- **भागीदारी:** शून्य अभियान में 130 उद्योग भागीदार हैं, जिनमें राइड-हेलिंग, वितरण एवं इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां शामिल हैं।
- **प्रदर्शन:** अप्रैल 2022 तक, शून्य अभियान के माध्यम से कॉर्पोरेट भागीदारों द्वारा पूरी की गई इलेक्ट्रिक वितरण एवं सवारी की अनुमानित संख्या क्रमशः 20 मिलियन एवं 15 मिलियन के करीब थी।
  - यह 13,000 टन से अधिक की कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बचत का परिवर्तन करता है।
- **महत्व:** यदि भारत में सभी अंतिम बिंदु तक वितरण एवं सवारी शून्य होती, तो भारत वायु गुणवत्ता में सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य लागत को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने तथा अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर होता।
- **संभावना:** भारत में सवारी एवं वितरण सेक्टर का विद्युतीकरण लगभग 54 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, 16,800 टन कणिकीय पदार्थ उत्सर्जन तथा 537,000 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण को कम कर सकता है, जिससे एक वर्ष में व्यय में लगभग 5.7 लाख करोड़ की बचत होगी।
  - शून्य अभियान कार्बन उत्सर्जन को कम करने एवं इसके 2070 जलवायु लक्ष्यों को सुरक्षित करने हेतु सीओपी 26 में घोषित भारत के पांच सूत्री एजेंडा (पंचामृत) का समर्थन करते हुए, परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन में नाटकीय रूप से कमी ला सकता है।

एकल-उपयोग प्लास्टिक

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021, प्लास्टिक के थैलों (कैरी बैग) जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है, के निर्माण, आयात, भंडारा, वितरण, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।

सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है?

- **एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में:** एकल उपयोग प्लास्टिक (सिंगल-यूज प्लास्टिक) उन प्लास्टिक वस्तुओं को संदर्भित करता है जो एक बार उपयोग की जाती हैं एवं त्याग दी जाती हैं। विनिर्मित प्लास्टिक में सिंगल-यूज प्लास्टिक का अंश उच्चतम में से एक है।
  - मिंडेरू फाउंडेशन की 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संपूर्ण विश्व में उत्पादित सभी प्लास्टिक का एक तिहाई एकल उपयोग प्लास्टिक है, जिसमें 98% जीवाश्म ईंधन से निर्मित होते हैं।
- **अनुप्रयोग:** एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों (शैम्पू, डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन), पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, क्लिंग फिल्म, कचरा बैग, खाद्य पैकेजिंग इत्यादि तक में किया जाता है।

एकल-उपयोग प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव

- **पर्यावरणीय प्रभाव:** प्लास्टिक अपशिष्ट पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव डालते हैं।
  - कचरे में फेंकी गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का स्थलीय एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
  - पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक की तुलना में समुद्र में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के पहुंचने की अधिक संभावना है, जो समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं।
- **ग्रीनहाउस गैस (जीएचसी):** उत्पादन के वर्तमान प्रक्षेपवक्र पर, यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 5-10% हिस्सा ले सकता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारतीय पहल

- भारत ने 2019 में चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक प्रदूषण पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें वैश्विक समुदाय द्वारा इस मुद्दे को हल करने की तत्काल आवश्यकता को मान्यता दी गई थी।
  - इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अपनाया गया था।
- मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के हाल ही में संपन्न 5 वें सत्र में, भारत प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करने हेत एक प्रस्ताव पर आम सहमति विकसित करने के लिए सभी सदस्य राज्यों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा।

अन्य देशों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन

- एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत पहला देश नहीं है। जुलाई 2019 तक, 68 देशों में पृथक पृथक श्रेणी के प्रवर्तन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है।

- उदाहरण: 2002 में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला बांग्लादेश पहला देश बना; न्यूजीलैंड ने जुलाई 2019 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया।
- चीन ने 2020 में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध आरोपित किया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021- प्रमुख विशेषताएं

- **एकल-उपयोग वाले निम्नलिखित प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध:**
  - प्लास्टिक की छड़ियों के साथ ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरिन [थर्मोकोल];
  - प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के बक्सों में लपेटने अथवा पैक करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड एवं सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, विलोडक (स्टिरर)।
- **हल्के प्लास्टिक के थैलों (कैरी बैग) की मोटाई बढ़ाना:** सितंबर 2021 तक 75 माइक्रोन एवं 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक।
  - यह बढ़ी हुई मोटाई के कारण प्लास्टिक के थैलों के पुन: उपयोग की भी अनुमति प्रदान करेगा।
- **निर्माता, आयातक एवं ब्रांड के स्वामित्व धारकों (PIBO) का विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व:** वे पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधि से प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को एकत्रित करने एवं प्रबंधित करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
  - 2021 के नियम इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी/ईपीआर) के दिशा-निर्देशों को कानूनी बल प्रदान करते हैं।

आगे की राह

- **जागरूकता सृजित करना:** उपभोक्ता को विज्ञापनों, समाचार पत्रों या टीवी विज्ञापनों अथवा सोशल मीडिया के द्वारा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है।
- **शोध एवं विकास में निवेश:** स्थायी विकल्प खोजने के लिए, कंपनियों को शोध एवं विकास में निवेश करने की आवश्यकता है।
- **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का समाधान मात्र सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि उद्योगों, ब्रांडों, निर्माताओं और सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं की भी है।
- **हरित विकल्प का विकास एवं संवर्धन:** प्लास्टिक का विकल्प तलाशना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, यद्यपि, प्लास्टिक के हरित विकल्प को एक स्थायी विकल्प माना जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, कंपोस्टेबल एवं जैव निम्नीकरणीय योग्य प्लास्टिक क्या दी को एक विकल्प के रूप में माना जा सकता है।

निष्कर्ष

जबकि प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध एक अच्छा विचार प्रतीत होता है, इस समय इसकी व्यवहार्यता, विशेष रुप से व्यवहारिक विकल्पों के अभाव में मुश्किल लगती है।

सतत एवं हरित पर्यटन (सस्टेनेबल एंड ग्रीन टूरिज्म)

पर्यटन मंत्रालय ने नवोदित उद्योग के रूप में पर्यटन उद्योग की क्षमता को अभिनिर्धारित किया।

- पर्यटन विश्लेषकों को पर्यटन योजनाकारों को उत्तरदायी ठहराने की आवश्यकता है।

पर्यटन क्या है?
पर्यटन आनंद या व्यवसाय के लिए यात्रा है; दौरे का सिद्धांत एवं अभ्यास, पर्यटकों को आकर्षित करने, समायोजित करने एवं मनोरंजन करने का व्यवसाय तथा पर्यटन का व्यवसाय संचालन है।

पर्यटन के प्रकार

- घरेलू पर्यटन: अपने निवास के देश के भीतर एवं अपने घर के बाहर एक आगंतुक की गतिविधियों को संदर्भित करता है (उदाहरण के लिए भारत के अन्य हिस्सों में जाने वाला भारतीय)।
- आवक पर्यटन: निवास के देश के बाहर से एक आगंतुक की गतिविधियों को संदर्भित करता है (उदाहरण के लिए ब्रिटेन का दौरा करने वाला स्पेन देश का एक निवासी)।
- बहिर्गामी पर्यटन: एक निवासी आगंतुक की गतिविधियों को उनके निवास के देश के बाहर संदर्भित करता है (उदाहरण के लिए एक विदेशी देश का दौरा करने वाला भारतीय)।

सतत पर्यटन का क्या अर्थ है?

सतत पर्यटन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम/यूएनईपी) एवं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन) द्वारा परिभाषित किया गया है, "पर्यटन जो अपने वर्तमान एवं भविष्य के आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्ण रुप से ध्यान रखता है, आगंतुकों, उद्योग, पर्यावरण एवं मेजबान समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।"

पर्यटन का मुख्य महत्व क्या है?

पर्यटन अर्थव्यवस्था के राजस्व को बढ़ाता है, हजारों नौकरियां उत्पन्न करता है, देश की आधारिक अवसंरचना को विकसित करता हैएवं विदेशियों तथा नागरिकों के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान की भावना उत्पन्न करता है।

पर्यटन की आवश्यकता

पर्यटन एक सनक नहीं है। यह नए स्थानों की खोज करने की ललक से प्रेरित एक बाध्यता है। क्योंकि हमारे पास अज्ञात में उद्यम करने की यह विवशता है, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। जब मनुष्य

यात्रा करते हैं, मिलते हैं और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, तो सभ्यता पल्लवित होती है।

पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु क्या किया जाना चाहिए?

- राष्ट्रीय पर्यटन प्राधिकरण: विभिन्न पर्यटन संबंधी पहलों के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए एक पृथक राष्ट्रीय पर्यटन प्राधिकरण (नेशनल टूरिज्म अथॉरिटी/एनटीए) की स्थापना की जानी चाहिए। चपलता के लिए अनुमति देने हेतु सरल, लोचशील एवं सुरुचिपूर्ण प्रक्रियाएं निर्धारित की जाएंगी।
- राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार बोर्ड: देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण, मार्गदर्शन एवं दिशा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार बोर्ड (नेशनल टूरिज्म एडवाइजरी बोर्ड/एनटीएबी) की स्थापना की जानी चाहिए।
- पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य स्थापित करना: सरकार के विभिन्न स्तरों पर एवं निजी क्षेत्र के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु, एक उचित रूप से परिभाषित संरचना होना आवश्यक है।
- गुणवत्ता पर्यटन ढांचा: आवास प्रदाताओं, टूर ऑपरेटरों, साहसिक टूर ऑपरेटरों, सेवा प्रदाताओं जैसे स्पा एवं वेलनेस, गाइड, रेस्तरां इत्यादि जैसे सभी क्षेत्रों में उत्पादों एवं सेवाओं के गुणवत्ता प्रमाणन के लिए एक सुदृढ़ अवसंरचना निर्धारित की जानी चाहिए।
- मौजूदा लक्जरी पर्यटन उत्पादों को वर्धित करना: मौजूदा पर्यटन उत्पादों जैसे नीलगिरि माउंटेन रेलवे, पैलेस ऑन व्हील्स इत्यादि को वर्धित किया जाना चाहिए तथा उनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। लग्जरी ट्रेनों को व्यवहार्य बनाने के लिए ढुलाई प्रभारों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।
- रेलवे एक गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है: पर्यटन के लिए देश के अधिकांश हिस्सों में रेलवे की उपस्थिति है। देश के अधिकांश पर्यटन स्थल रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। रेलवे अधिक स्थानों को जोड़ने की प्रक्रिया में है, विशेष रूप से रणनीतिक स्थान जो वर्तमान में सीमित संपर्क वाले पर्यटन स्थल भी हैं। भारतीय रेलवे पर्यटकों के गंतव्यों को जोड़ने वाली अधिक ट्रेनों का संचालन करके देश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्यरत है एवं साथ ही लक्जरी पर्यटक ट्रेनों से लेकर बजट खानपान पर्यटक ट्रेनों तक उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान कर रहा है।

गुजरात का एमआईसीई पर्यटन क्या है?
• संक्षिप्त नाम "एमआईसीई" का अर्थ "मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जिबीशंस" है एवं यह अनिवार्य रूप से व्यावसायिक पर्यटन का एक संस्करण है जो घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को एक गंतव्य पर आकर्षित करता है।
• नीति का उद्देश्य गुजरात को देश के शीर्ष पांच एमआईसीई पर्यटन स्थलों में से एक बनाना है।

आगे की राह

- यात्रा, ठहरने एवं व्यय को बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को वर्धित करना।
- पर्यटन क्षेत्र में रोजगार एवं उद्यमशीलता के अवसर सृजित करना तथा दक्ष कार्यबल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना एवं निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना।
- देश के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा संवर्धन करना।
- देश में पर्यटन के सतत, उत्तरदायी एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

हम जानते हैं कि भारत में किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक पर्यटन क्षमता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास प्रत्येक तरीके के भूभाग एवं जलवायु क्षेत्र हैं तथा किसी भी अन्य राष्ट्र द्वारा अद्वितीय रीति-रिवाज, परंपराएं, व्यंजन, शिल्प, कला रूप एवं त्योहारों की एक श्रृंखला है। हमें एक व्यापक राष्ट्रीय पर्यटन नीति निर्मित कर अपनी क्षमता का मुद्रीकरण करना चाहिए।

स्वच्छ वायु दिवस

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'स्वच्छ वायु दिवस' ("स्वच्छ वायु नील गगन") के रूप में नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया।

स्वच्छ वायु दिवस

- **'स्वच्छ वायु दिवस ("स्वच्छ वायु नील गगन") के बारे में:** 'स्वच्छ वायु दिवस ("स्वच्छ वायु नील गगन") का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम/एनसीएपी) के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जागरूकता में वृद्धि करना तथा कार्यों को सुविधाजनक बनाना है।
- **प्रमुख दिशा निर्देश:** स्वच्छ वायु दिवस के आयोजन के दौरान, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज/MoEFCC) ने निम्नलिखित जारी किए हैं:
    - राष्ट्रीय, राज्य एवं शहर स्तर पर आयोजित किए जाने वाले क्षमता निर्माण तथा पहुंच कार्यक्रमों पर दिशानिर्देश, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी स्तरों पर हितधारकों को अभिनियोजित करने में सहायता करते हैं।
    - एनसीएपी के तहत निधियों को जारी करने एवं उपयोग करने हेतु दिशानिर्देश;
    - वायु गुणवत्ता घटक के लिए सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 15वें वित्त आयोग परिचालन दिशानिर्देश
    - एनसीएपी के तहत 8 शहरों की सर्वोत्तम पद्धतियों एवं सफलता की कहानियां। ये सर्वोत्तम पद्धतियां वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य शहरों द्वारा सतत दृष्टिकोण अपनाने **में सहायता करती हैं।**

नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022

- **नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 के बारे में:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जागरूकता में वृद्धि करने एवं वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को प्रोत्साहित करनेके उद्देश्य से 7 सितंबर को "नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में नामित किया है।
- **थीम:** नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम "द एयर वी शेयर" है।
- **अधिदेश:** नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई एवं क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की तात्कालिकता पर जागरूकता में वृद्धि करना है।

विगत नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

- **प्रथम 'नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस':** "सभी के लिए स्वच्छ हवा" (क्लीन एयर फॉर ऑल) की थीम के साथ पहला कार्यक्रम 7 सितंबर, 2020 को आयोजित किया गया था।
- **द्वितीय 'नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस':** नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 2021 की थीम "स्वस्थ वायु, स्वस्थ ग्रह" (हेल्दी एयर, हेल्दी प्लेनेट) है जो वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पहलुओं पर, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी को देखते हुए बल देती है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)

- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन कार्यक्रम (एनसीएपी) के बारे में:** राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन कार्यक्रम (नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम/एनसीएपी) 2019 में प्रारंभ किया गया था ताकि सभी के लिए स्वच्छ वायु, नागरिकों के लिए स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन सुनिश्चित किया जा सके तथा समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से 100 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
- **प्रमुख विशेषताएं:** राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 131 शहरों में कणिकीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर) के संकेंद्रण को 20-30% तक कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। इसमे समाविष्ट हैं-
  - 123 गैर-उपलब्धि शहर (नॉन-अटेनमेंट सिटीज/एनएसी) जो लगातार 5 वर्षों तक राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स/एनएएक्यूएस) से अधिक है एवं
  - 42 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर/शहरी समूह।
  - दोनों श्रेणियों में 34 शहर उभयनिष्ठ हैं।
- **अनुश्रवण:** कार्य योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्टिंग तथा अनुश्रवण प्राण (पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन-अटेनमेंट सिटीज/PRANA) पोर्टल (गैर-उपलब्धि शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए पोर्टल) के माध्यम से की जाती है।
- **प्रमुख उपलब्धियां:** देश के 131 शहरों ने खराब वायु गुणवत्ता जैसे वाहन, सड़क की धूल, निर्माण, उद्योग, तापीय ऊर्जा संयंत्र (थर्मल पावर प्लांट), कचरे को जलाने, निर्माण तथा विध्वंस इत्यादि जैसे अपशिष्ट में योगदान करने वाले विभिन्न स्रोतों को संबोधित करने के लिए नगर कार्य योजना (सिटी एक्शन प्लान) एवं सूक्ष्म कार्य योजना (माइक्रो एक्शन प्लान) विकसित किए हैं।
  - 2017 की तुलना में वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप 20 शहरों सहित 95 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में समग्र सुधार हुआ है।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण

हाल ही में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम/एनसीएपी) के तहत 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण- शहरों की रैंकिंग' पर दिशानिर्देश जारी किए गए।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण

- **स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में:** स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के एक भाग के रूप में तैयार की गई नगर कार्य योजना (सिटी एक्शन प्लान) को क्रियान्वित करने हेतु देश के 131 शहरों की रैंकिंग को प्रोत्साहित करता है।
- **संबद्ध मंत्रालय:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज/MoEFCC) शहरों की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग का समग्र कार्यान्वयन प्रारंभ करेंगे तथा अवलोकन करेंगे।
- **श्रेणियाँ:** स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग में जनसंख्या के आधार पर 131 शहरों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
  - पहले समूह में 47 शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है।
  - दूसरे समूह में 44 शहर हैं जिनकी आबादी 3 से 10 लाख के बीच है।
  - तीसरे समूह में 3 लाख से कम आबादी वाले 40 शहर सम्मिलित हैं।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के लिए रैंकिंग पद्धति

- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत, शहरों को PRANA ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए ढांचे के अनुसार स्व-मूल्यांकन करना आवश्यक है। यह मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है।
- शहरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क धूल प्रबंधन, निर्माण एवं विध्वंस कचरे के प्रबंधन, वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण तथा औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में किए गए क्रियाकलापों एवं उपायों के कार्यान्वयन की रिपोर्ट देनी होगी।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरी रैंकिंग का महत्व

- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग शहरों को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने कार्यों की योजनानिर्मित करने हेतु एक उपकरण प्रदान करती है।
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सिटी रैंकिंग शहरों को श्रेणीकृत करने के लिए वायु गुणवत्ता मानकों के माप पर आधारित नहीं है।
- यह विभिन्न डोमेन में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरों द्वारा की गई कार्रवाइयों पर आधारित है।
- शहरों द्वारा की गई कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
- इस प्रकार यह वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक योजना कार्यान्वयन उपकरण प्रदान करता है तथा शहरों का आकलन करता है कि उन्होंने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने कार्यों को कितनी बेहतर तरीके से संरेखित किया है।

पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

- **विषय-वस्तु:** पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन छह विषय वस्तुओं के तहत आयोजित किया गया था जिसमें निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था-
    - जीवन एवं जलवायु परिवर्तन का मुकाबला (उत्सर्जन के शमन तथा जलवायु प्रभावों के अनुकूलन के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं को अद्यतन करना);
    - परिवेश/PARIVESH (एकीकृत हरित स्वीकृति हेतु एकल बिंदु प्रणाली/सिंगल विंडो सिस्टम);
    - वानिकी प्रबंधन;
    - प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण;
    - वन्यजीव प्रबंधन;
    - प्लास्टिक तथा अपशिष्ट प्रबंधन।
- **भागीदारी:** देश भर के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रियों ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।
    - राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रियों, संबंधित राज्य सचिवों के साथ-साथ पीसीसीएफ के साथ-साथ राज्य पीसीबी / पीसीसी के अध्यक्षों ने भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज/ईएफ एंड सीसी) के मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस - SURVEI

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सैटेलाइट एंड अनमैन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव (सीओई-सर्वे) ने एक कृत्रिम प्रज्ञान (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)-आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो सैटेलाइट आकृतियों (इमेजरी) का उपयोग करके एक समय श्रृंखला में अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण सहित भूमि पर परिवर्तन का स्वचालित रूप से पता लगा सकता है।

सीओई-सर्वे (CoE- SURVEI)

- राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान में रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा स्थापित सीओई-सर्वे (CoE-SURVEI), सर्वेक्षण में नवीनतम तकनीकों का लाभ उठाता है जो प्रभावी भूमि प्रबंधन एवं शहरी नियोजन के लिए उपग्रह इमेजरी, ड्रोन इमेजरी तथा भू-स्थानिक उपकरण हैं।
- इस परिवर्तन का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर सीओई-सर्वे द्वारा नॉलेज पार्टनर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर/बीएआरसी), विशाखापत्तनम के सहयोग से विकसित किया गया है।
- वर्तमान में, यह टूल प्रशिक्षित सॉफ्टवेयर के साथ राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर/NRSC) कार्टोसैट -3 इमेजरी का उपयोग करता है।
- विभिन्न समयावधियों की उपग्रह इमेजरी का विश्लेषण करके परिवर्तनों का पता लगाया जाता है।

इसका उपयोग कहाँ किया जाता है?
• सीओई द्वारा 62 छावनियों में इस अनुप्रयोग का उपयोग किया गया है एवं हाल की अवधि में वास्तविक स्थिति के साथ तुलना की गई है।
• सॉफ्टवेयर अनधिकृत गतिविधियों के बेहतर नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, फील्ड स्टाफ की जवाबदेही सुनिश्चित करता है एवं भ्रष्ट प्रथाओं को कम करने में सहायता करता है।
• सीओई-सर्वे ने रिक्त भूमि विश्लेषण एवं पहाड़ी छावनियों के 3डी छवि विश्लेषण के लिए उपकरण भी विकसित किए हैं।

भूमि सर्वेक्षण में राष्ट्रीय संस्थान में उत्कृष्टता केंद्र

- राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एस्टेट्स ऑफ मैनेजमेंट/एनआईडीईएम) में भूमि सर्वेक्षण में उत्कृष्टता केंद्र का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को ड्रोन (/विषय/ड्रोन) सर्वेक्षण एवं उपग्रह आकृतियों (/विषय/उपग्रह इमेजरी) आधारित सर्वेक्षण जैसी उदीयमान सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करना है।
- आजकल डिजिटल फोटोग्रामितीय (फोटोग्राममेट्रिक) तकनीकों, उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह आकृतियां, हवाई एवं स्थलीय लेजर स्कैनर उपकरणों पर आधारित वास्तविक समय अनुश्रवण प्रणाली (रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम) ज्यामितीय सर्वेक्षण एवं प्रतिरूपण (मॉडलिंग) के लिए शक्तिशाली उपकरणों का एक समुच्चय प्रदान कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सर्वे की ऐसी नवीन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- नवीनतम तकनीकों में सर्वेक्षण के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र बनने के लिए उत्कृष्टता केंद्र को राष्ट्रीय क्षेत्र में लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सीएसआईआर- जिज्ञासा कार्यक्रम

हाल ही में, जिज्ञासा 2.0 कार्यक्रम के तहत चार दिवसीय "नवीकरणीय ईंधन के लिए जिज्ञासा" कार्यक्रम का आयोजन सिंधिया कन्या विद्यालय, ग्वालियर के ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए सफलतापूर्वक किया गया था।

- "नवीकरणीय ईंधन के लिए जिज्ञासा" कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अखाद्य वनस्पति तेलों, प्रयुक्त खाद्य तेल एवं अपशिष्ट प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के ईंधनों के उपयोग के लिए विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी देना है।

सीएसआईआर- जिज्ञासा कार्यक्रम

- **जिज्ञासा कार्यक्रम के बारे में:** जिज्ञासा कार्यक्रम प्लेटिनम जुबली वर्ष के दौरान की गई एक पहल है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नवीन भारत के दृष्टिकोण एवं सीएसआईआर के लिए वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (साइंटिफिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी/एसएसआर) से प्रेरणा के रूप में आई है।
  - जिज्ञासा कार्यक्रम को सीएसआईआर- जिज्ञासा कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है।
- **उद्देश्य:** जिज्ञासा का उद्देश्य विद्यालय जाने वाले छात्रों के लिए सुनियोजित अनुसंधान प्रयोगशाला आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके कक्षा शिक्षण का विस्तार करना है।
- **कार्यान्वयन:** सीएसआईआर ने प्रथम चरण (2017-20) के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के सहयोग से जिज्ञासा कार्यक्रम लागू किया।
  - दूसरे चरण में, जिज्ञासा 2.0 (वित्त वर्ष 2021 से) को आभासी प्रयोगशाला (वर्चुअल लैब) एकीकरण के साथ राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में विस्तारित किया गया है।
- **प्रदर्शन:** 2017 से, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं द्वारा लगभग 981 जिज्ञासा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
  - 2019 तक महामारी के प्रारंभ तक करीब 300,000 स्कूली छात्रों, 15,000 शिक्षकों ने सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में जाकर विभिन्न आस्थिति मॉड्यूल में भाग लिया।

- हाल ही में, सीएसआईआर ने एआईएम-नीति आयोग के साथ मिलकर 249 एटीएल (अटल टिंकरिंग लैब) को अंगीकृत किया।

- **महत्व:** जिज्ञासा कार्यक्रम विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्थापनाओं का मार्ग प्रशस्त करने, सीएसआईआर वैज्ञानिक ज्ञान आधार एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधा को सक्षम करने की परिकल्पना करता है।
  - जिज्ञासा कार्यक्रम जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक प्रकृति की संस्कृति की व्याख्या करेगा।
  - राष्ट्रीय स्तर पर सीएसआईआर जिज्ञासा कार्यक्रम के माध्यम से अपने वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (एसएसआर) को और विस्तृत एवं गहन कर रहा है।
- **सीएसआईआर- जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत संबद्धता के मॉडल**
  - छात्र आवासीय कार्यक्रम
  - वैज्ञानिक शिक्षक के रूप में एवं शिक्षक वैज्ञानिक के रूप में
  - प्रयोगशाला विशिष्ट गतिविधियां / ऑनसाइट प्रयोग
  - विद्यालयों/पहुंच कार्यक्रमों में वैज्ञानिकों का दौरा
  - विज्ञान एवं गणित क्लब
  - विद्यालयों में लोकप्रिय व्याख्यान श्रृंखला/प्रदर्शन कार्यक्रम
  - छात्र शिक्षुता कार्यक्रम
  - विज्ञान प्रदर्शनी
  - राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की परियोजनाएं
  - शिक्षक कार्यशाला
  - टिंकरिंग प्रयोगशालाएं

जिज्ञासा कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं

- 'जिज्ञासा' विद्यालय जाने वाले छात्रों एवं उनके शिक्षकों के मध्य एक तरफ जिज्ञासा की संस्कृति एवं दूसरी तरफ वैज्ञानिक सोच अंतर्निविष्ट करेगा।
- यह कार्यक्रम छात्रों एवं शिक्षकों को सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में जाकर तथा परियोजनाओं में भाग लेकर विज्ञान में सिखाई गई सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से जीने में सक्षम करेगा।
- इस कार्यक्रम से 1151 केन्द्रीय विद्यालयों को सीएसआईआर की 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से जोड़ने की संभावना है, जो प्रतिवर्ष 100,000 छात्रों एवं लगभग 1000 शिक्षकों को लक्षित करते हैं।
- विद्यालय जाने वाली छात्रों एवं वैज्ञानिकों को एक सुनियोजित अनुसंधान प्रयोगशाला आधारित शिक्षा के साथ छात्रों की कक्षा शिक्षण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह छात्रों एवं शिक्षकों को सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में जाकर तथा लघु विज्ञान परियोजनाओं में भाग लेकर विज्ञान में सिखाई गई सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से जीने में सक्षम बनाएगा।

परमाणु घड़ियाँ

पहली बार, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक दो उलझी हुई प्रकाशीय (ऑप्टिकल) परमाणु घड़ियों के नेटवर्क का प्रदर्शन करने में सक्षम हुए हैं।

- उच्च परिशुद्धता परमाणु घड़ियों एवं परिमाण (क्वांटम) उलझाव को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है।
- इसका तात्पर्य है कि उनकी आवृत्तियों को एक साथ मापने में अंतर्निहित अनिश्चितता अत्यधिक कम हो जाती है।

परमाणु घड़ियां क्या हैं?
• एक परमाणु घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो परमाणुओं की अनुनाद आवृत्तियों को अपने अनुनादक के रूप में उपयोग करती है।
• सीज़ियम समय निर्धारण प्रक्रिया (टाइमकीपिंग) में अविश्वसनीय रूप से परिशुद्ध है एवं इसका उपयोग परमाणु घड़ियों में किया जाता है।

उलझाव

- उलझाव (एंटेंगलमेंट) एक क्वांटम घटना है जिसमें दो या दो से अधिक कण एक साथ जुड़ जाते हैं, यहां तक कि विशाल दूरी पर भी जुड़ जाते हैं ताकि उन्हें अब स्वतंत्र रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता है।
- यह क्वांटम सिद्धांत द्वारा निर्धारित परिशुद्धता की मूलभूत सीमा तक पहुंचने की कुंजी है।
- पिछले प्रयोगों ने प्रदर्शित किया है कि मापन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक ही प्रणाली में दो परमाणु घड़ियों के मध्य उलझाव का उपयोग किया जा सकता है।
- यह प्रथम अवसर है जब शोधकर्ता दो पृथक पृथक, सुदूर से उलझी हुई प्रणालियों में घड़ियों के मध्य इसे प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं।

अंतरिक्ष में दिशा ज्ञान हेतु घड़ियों का उपयोग करें

- पृथ्वी से अंतरिक्ष यान की दूरी निर्धारित करने के लिए, मार्गनिर्देशक अंतरिक्ष यान को एक संकेत भेजते हैं, जो पुनः उसे पृथ्वी पर वापस भेज देता है।
- संकेत (सिग्नल) को उस दो-तरफा यात्रा के लिए आवश्यक समय पृथ्वी से अंतरिक्ष यान की दूरी को प्रकट करता है, क्योंकि सिग्नल एक ज्ञात गति (प्रकाश की गति) से यात्रा करता है।
- यद्यपि यह जटिल प्रतीत हो सकता है, हम में से अधिकांश प्रत्येक दिन इस अवधारणा का उपयोग करते हैं। किराने की दुकान आपके घर से 30 मिनट की पैदल दूरी पर हो सकती है।
- यदि आप जानते हैं कि आप 20 मिनट में लगभग एक मील चल सकते हैं, तो आप स्टोर की दूरी की गणना कर सकते हैं।
- अनेक संकेत भेजकर एवं समय के साथ कई माप लेकर, मार्गनिर्देशक (नेविगेटर) अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपवक्र की गणना कर सकते हैं: यह कहां है एवं यह कहां जा रहा है।

परमाणु घड़ियों की आवश्यकता

- एक मीटर के भीतर अंतरिक्ष यान की स्थिति जानने के लिए, मार्ग निर्देशकों को परिशुद्ध समय विश्लेषण के साथ घड़ियों की आवश्यकता होती है - ऐसी घड़ियाँ जो एक सेकंड के अरबवें हिस्से को माप सकती हों।
- मार्ग निर्देशक को ऐसी घड़ियों की भी आवश्यकता होती है जो अत्यधिक स्थिर हों।
- स्थिरता से तात्पर्य है कि कैसे एक घड़ी लगातार समय की एक इकाई को मापती है; उदाहरण के लिए, एक सेकंड की लंबाई का इसका माप दिनों एवं हफ्तों में समान (एक सेकंड के अरबवें हिस्से से बेहतर) होना चाहिए।

एक घड़ी में एक दोलित्र क्या होता है?

- अधिकांश आधुनिक घड़ियाँ, कलाई घड़ी से लेकर उपग्रहों पर उपयोग की जाने वाली घड़ियों तक, क्वार्ट्ज क्रिस्टल दोलित्र (ऑसिलेटर) का उपयोग करके समय का निर्धारण हैं।
- ये उपकरण इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक परिशुद्ध आवृत्ति पर कंपन करते हैं जब उन पर विद्युत संचालन शक्ति)वोल्टेज) उन पर आरोपित किया जाता है।
- क्रिस्टल के कंपन दादाजी की घड़ी के पेंडुलम की तरह कार्य करते हैं, जिससे पता चलता है कि कितना समय बीत चुका है।

घड़ियों में परमाणुओं की भूमिका

- अंतरिक्ष नेविगेशन मानकों के अनुसार, क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ियां अत्यधिक स्थिर नहीं हैं।
- मात्र एक घंटे के बाद, यहां तक कि सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले क्वार्ट्ज दोलित्र को एक नैनो सेकंड (एक सेकंड का एक अरबवां) द्वारा बंद किया जा सकता है।
- छह सप्ताह के बाद, वे एक पूर्ण मिली सेकंड (एक सेकंड का एक हजारवां) या 185 मील (300 किलोमीटर) की दूरी की त्रुटि से बंद हो सकते हैं।
- तीव्र गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान की स्थिति को मापने पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
- परमाणु घड़ियाँ अधिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणुओं के एक समूह के साथ एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल दोलित्र को जोड़ती हैं।

अभ्यास "सिनर्जी"

हाल ही में, सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी (सीएसए) के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सीईआरटी-इन ने साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी" को सफलतापूर्वक डिजाइन एवं संचालित किया।

- "सिनर्जी" अभ्यास परिदृश्य वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से लिया गया था, जिसमें एक घरेलू स्तर (सीमित प्रभाव) रैंसमवेयर घटना बढ़कर वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट में बदल जाती है।

साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी"

- **अभ्यास "सिनर्जी" के बारे में:** अभ्यास "सिनर्जी" एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जो अंतर्राष्ट्रीय रैनसमवेयर रोधी पहल- रेजिलिएशन वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट/एनएससीएस) के नेतृत्व में भारत द्वारा सिनर्जी साइबर सुरक्षा अभ्यास का नेतृत्व किया जा रहा है।
- **प्रतिभागी:** साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी" अंतर्राष्ट्रीय रोधी रैनसमवेयर पहल- रेजिलिएशन कार्य दल के हिस्से के रूप में 13 देशों के लिए आयोजित किया जा रहा है।
  - प्रत्येक राज्य ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन टीम के रूप में भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय सीईआरटी/सीएसआईआरटी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज/एलईए), सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) मंत्रालय तथा सुरक्षा एजेंसियों सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों की संरचना शामिल थी।
- **थीम:** "सिनर्जी" अभ्यास की थीम "रैंसमवेयर हमलों का मुकाबला करने के लिए नेटवर्क लचीलापन निर्माण" (बिल्डिंग नेटवर्क रेसिलियंसी टू काउंटर रैनसमवेयर अटैक्स) थी।
- **आयोजन निकाय:** अभ्यास "सिनर्जी" सीईआरटी-इन द्वारा अपने अभ्यास अनुरूपण (सिमुलेशन) प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था।
- **प्रमुख उद्देश्य:** सिनर्जी अभ्यास का विशिष्ट उद्देश्य रैंसमवेयर एवं साइबर जबरन वसूली के हमलों के प्रति नेटवर्क प्रत्यास्थता निर्मित करने हेतु सदस्य-राज्यों के मध्य रणनीतियों एवं पद्धतियों का आकलन करना, साझा करना एवं सुधार करना था।
- **उपलब्धियां:** अभ्यास "सिनर्जी" अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा एवं सीआरआई सदस्य राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय तथा सहयोग के लिए नेटवर्क प्रत्यास्थता एवं रैनसमवेयर रोधी हमलों का निर्माण करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान की।

कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन)

- **कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) के बारे में:** 2004 में स्थापित, कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम/सीईआरटी-इन) कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं के घटित होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए सीईआरटी-इन राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
  - सीईआरटी-इन का कार्य क्षेत्र भारतीय साइबर समुदाय है।
  - **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **मूल मंत्रालय:** इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक कार्यात्मक संगठन के रूप में कार्य करता है।

- **प्रमुख कार्य:** जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 द्वारा प्रावधान किया गया है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों को संपादित करने हेतु राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए सीईआरटी-इन को नामित किया गया है:

○ साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण एवं प्रसार।
○ साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान तथा अलर्ट।
○ साइबर सुरक्षा की घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय।
○ साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय।
○ सूचना से संबंधित दिशा-निर्देश, सलाह, भेद्यता नोट एवं श्वेत-पत्र जारी करना।
○ साइबर घटनाओं की सुरक्षा पद्धतियों, प्रक्रियाओं, रोकथाम, प्रतिक्रिया एवं रिपोर्टिंग।
○ साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कार्य जो विहित किए जाएं।

डार्क स्काई रिजर्व

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी/डीएसटी) ने अपनी तरह की प्रथम पहल में आगामी तीन माह में लद्दाख के हानले में भारत का प्रथम डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है।

डार्क स्काई रिजर्व क्या है?
• एक डार्क-स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है, जो आमतौर पर एक पार्क या वेधशाला के आसपास होता है जिसे कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण से मुक्त रखा जाता है।
• डार्क स्काई रिजर्व का उद्देश्य आमतौर पर खगोल विज्ञान को प्रोत्साहित करना है।
• चूंकि विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों ने अपने कार्यक्रम निर्मित करने हेतु स्वतंत्र रूप से कार्य किया है, पता क्षेत्रों का वर्णन करने हेतु पृथक पृथक शब्दावलियोंओं का उपयोग किया गया है।

इसे किस प्रकार नामित किया गया है?

- एक डार्क स्काई रिजर्व एक स्थान को दिया गया एक पदनाम है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां होती हैं कि भूमि या क्षेत्र के एक पथ में न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश अंतःक्षेप हो।
- इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन अमेरिका-आधारित एक गैर-लाभकारी संगठन है जो साइटों को अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई स्थानों, उद्यानों, अभ्यारण्यों तथा जैव अभ्यारण्य के रूप में नामित करता है, जो उनके द्वारा पूरे किए जाने वाले मानदंडों पर निर्भर करता है।
- ऐसे अनेक रिजर्व संपूर्ण विश्व में मौजूद हैं किंतु भारत में अभी तक ऐसा कोई रिजर्व नहीं है।

हेनले में डार्क स्काई रिजर्व

- हेनले, जो समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर ऊपर है, दूरबीनों को आयोजित करता है एवं इसे खगोलीय अवलोकन के लिए विश्व के सर्वाधिक इष्टतम स्थलों में से एक माना जाता है।
- हालांकि, यह सुनिश्चित करना कि स्थल खगोल विज्ञान के लिए भली प्रकार से उपयुक्त बनी हुई है, का अर्थ है रात्रि काल के आकाश को मौलिक बनाए रखना अथवा कृत्रिम प्रकाश स्रोतों जैसे कि बिजली की रोशनी एवं भूमि पर से वाहनों की रोशनी से दूरबीनों में न्यूनतम अंतःक्षेप सुनिश्चित करना।
- स्थल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतक्षेप के माध्यम से स्थानीय पर्यटन तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करने हेतु गतिविधियां होंगी।

भारत में स्थितियां

- भारतीय खगोलीय वेधशाला, आईआईए का उच्च तुंगता वाला स्टेशन, पश्चिमी हिमालय के उत्तर में समुद्र तल से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है।
- चांगथांग की हनले घाटी में नीलमखुल मैदान में सरस्वती पर्वत के ऊपर स्थित, यह विरल मानव आबादी वाला एक शुष्क, ठंडा मरुस्थल है।
- मेघ रहित आकाश एवं निम्न वायुमंडलीय जल वाष्प इसे प्रकाशीय (ऑप्टिकल), अवरक्त किरण (इन्फ्रारेड), सब-मिलीमीटर एवं मिलीमीटर तरंगदैर्घ्यों (वेवलेंथ) के लिए विश्व के सर्वाधिक उत्तम स्थलों में से एक बनाते हैं।

इन्फ्लेटेबल एयरोडायनामिक डिसेलेरेटर (आईएडी)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन/इसरो) ने एक ऐसी तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो प्रयुक्त किए गए रॉकेट चरणों की लागत प्रभावी पुनर्प्राप्ति एवं अन्य ग्रहों पर पेलोड को सुरक्षित रूप से लैंड करने में सहायता कर सकती है।

इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर (IAD) क्या है?

- स्फीतिशील वायुगतिकीय मंदक एक वायुमंडलीय प्रवेश नीतभार (पेलोड) के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है।
- एक स्फीतिशील आवरण एवं एक वायु पूरित (इन्फ्लेटेंट) (कुछ भी जो आवरण को वायु या हीलियम की तरह फुलाता है) स्फीतिशील वायुगतिकीय मंदक बनाते हैं।
- वायुमंडल में प्रवेश करते समय, यह गुब्बारे की तरह फुलाता है एवं लैंडर की गति को मंद कर देता है।
- वायु पूरित (इन्फ्लेटेंट) को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह स्फीतिशील आवरण को एक ऐसी स्थिति में भर दे कि यह किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में प्रवेश करने के लिए पेलोड को आवरित कर ले तथा वायुगतिकीय बल इसे मंद कर देते हैं।

- सरल शब्दों में, स्फीतिशील वायुगतिकीय मंदक (इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर/आईएडी) को किसी भी ग्रह पिंड, जैसे पृथ्वी, मंगल अथवा यहां तक कि चंद्रमा के वातावरण में प्रवेश करने पर विकर्ष बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका आकार एक बंद, गैस-दबाव वाले निकाय द्वारा बनाए रखा जाता है एवं आंतरिक रूप से स्फीतिशील गैस भी उत्पन्न होती है। कुछ संस्करण भी पलित वायु या दोनों का उपयोग करते हैं।

यह इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर (IAD) कितना महत्वपूर्ण है?
• नासा सहित कुछ अंतरिक्ष एजेंसियों ने पहले ही पराध्वनिक (सुपरसोनिक) एवं अतिध्वनिक (हाइपरसोनिक) प्रकारांतरों सहित प्रौद्योगिकी के उन्नत संस्करणों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
• हालांकि, इसरो के निकट भविष्य के मिशनों के लिए, इसका परीक्षण किया गया वर्तमान संस्करण आदर्श है।
• इसका उपयोग पहली बार नासा द्वारा 50 वर्ष पूर्व ग्रहों की प्रविष्टियों के लिए प्रस्तावित किया गया था।

इसरो के इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर (आईएडी)

- इसरो द्वारा परीक्षण किया गया IAD लगभग 84 किमी की ऊंचाई पर स्फीत किया गया था एवं परिज्ञापी रॉकेट का कार्गो वायुमंडल के माध्यम से उस पर अवनत हुआ।
- इसमें बूस्टर मोटर लगाई गई है। इसमें एक स्पिन रॉकेट भी है जो उत्क्षेपण योग्य (इजेक्टेबल) है।
- स्फीतिशील संरचना केवलर संरचना से निर्मित है, जो एक अत्यंत दृढ़ सिंथेटिक फाइबर है एवं वायुमंडलीय दबाव तथा तापमान परिवर्तन का सामना करने हेतु ताप प्रतिरोधी भी है।
- इसके ऊपर, अत्यधिक तापमान को सहन करने हेतु, यह पॉलीक्लोरोप्रिन, एक तेल एवं मोम प्रतिरोधी रबर के साथ लेपित है।
- स्फीतिशील प्रणाली में, यह एक पात्र में संग्रहित संपीड़ित नाइट्रोजन का उपयोग करता है।
- परीक्षण उड़ान के दौरान अपेक्षित प्रक्षेपवक्र को बनाए रखते हुए इसने वायुगतिकीय विकर्ष के माध्यम से पेलोड के वेग को निरंतर कम किया है।

इसरो इसका उपयोग कहां करना चाहता है?

- आईएडी इसरो को अनेक अंतरिक्ष कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने में सहायता करेगा जिसमें रॉकेट के प्रयुक्त किए गए चरणों की पुनर्प्राप्ति, अन्य ग्रह निकायों के मिशन पर नीतभार अवतरण (पेलोड लैंडिंग) के लिए शामिल है।
- यह प्रथम उदाहरण है जहां एक आईएडी विशेष रूप प्रयुक्त किए गए चरण की पुनर्प्राप्ति हेतु बनाया गया है।
- अतः अंतर-ग्रहीय मिशन निश्चित रूप से एक पहलू है इसरो जिसका अन्वेषण करना चाहता है।

कृतज्ञ हैकथॉन 2022

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च/आईसीएआर) अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना एवं फसल विज्ञान प्रभाग के साथ 'फसल सुधार के लिए गति प्रजनन' को प्रोत्साहित करने हेतु हैकथॉन 3.0 "कृतज्ञ" का आयोजन कर रही है।

कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन 2022

- **कृतज्ञ 3.0 के बारे में:** कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन कृषि के विकास एवं संवर्धन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु एक पहल है।
  - KRI-TA-GYA वर्णित करता है, KRI कृषि (कृषि) के लिए, TA तकनीक को (प्रौद्योगिकी) एवं GYA ज्ञान (ज्ञान) के लिए।
- **उद्देश्य:** कृतज्ञ हैकथॉन छात्रों/संकाय/उद्यमियों/नवोन्मेषकों एवं अन्य व्यक्तियों को फसल सुधार के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु नवीन दृष्टिकोण तथा प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।
  - कृतज्ञ हैकथॉन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाता है।
- **आयोजन निकाय:** कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा किया जाता है।
- **महत्व:** कृतज्ञ हैकथॉन अधिगम क्षमता, नवाचार एवं समाधान, नियोजनीयता एवं उद्यमिता के साथ फसल क्षेत्र में वांछित गति से परिणाम को बढ़ावा देगा।
  - यह देश में प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों को अधिक से अधिक अपनाने को भी प्रोत्साहित करेगा।
  - यह आयोजन आईसीएआर के समर्थन के माध्यम से कृषि व्यवसाय (एग्रीबिजनेस) इन्क्यूबेटर्स, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा अन्य निवेशकों के सहयोग से विजेताओं को उनके अवधारणा प्रस्तावों, इसकी मापनीयता एवं भविष्य की योजना में आगे विकास के लिए समर्थन प्रदान कर रहा है।
- **भागीदारी:** कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन में, देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय एवं नवप्रवर्तन कर्ता/उद्यमी आवेदन कर सकते हैं तथा एक समूह के रूप में कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
  - भाग लेने वाले समूह में अधिकतम 4 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिसमें एक से अधिक संकाय एवं / या एक से अधिक नवोन्मेषक अथवा उद्यमी नहीं होंगे।
  - भाग लेने वाले छात्र स्थानीय स्टार्ट-अप, प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं तथा 5 लाख रुपए तक जीत सकते हैं।

पिछला कृतज्ञ हैकथॉन

- 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान एनएएचईपी ने आईसीएआर के कृषि अभियांत्रिकी एवं पशु विज्ञान प्रभागों के सहयोग से क्रमशः कृषि मशीनीकरण तथा पशु विज्ञान में नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु हैकथॉन 1.0 एवं 2.0 का आयोजन किया।
- इन आयोजनों में संपूर्ण देश में व्यापक भागीदारी देखी गई जहां 784 से अधिक दलों अर्थात 3,000 प्रतिभागियों ने हैकाथॉन 1.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया एवं 269 से अधिक दलों ने हैकाथॉन 2.0 में भाग लिया।
- केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री तोमर द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 4 दलों (टीमों) को 9 लाख रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी/एनईपी) 2020

- यह हमारे देश की **तीसरी शिक्षा नीति** है। पूर्ववर्ती दो शिक्षा नीतियों को **1968 एवं 1986** में प्रारंभ किया गया था।
  - यह राष्ट्रीय नीति 34 वर्षों के अंतराल के पश्चात आई है।
- यह **कस्तूरीरंगन समिति** की सिफारिशों पर आधारित है।
- इसने **मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय** कर दिया।
- यह **5+3+3+4 पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक संरचना** का प्रस्ताव करता है।

चरण	वर्ष	कक्षा	विशेषताएँ
आधारभूत	3-8	3 वर्ष पूर्व-प्राथमिक एवं 1-2	लचीली, बहु-स्तरीय, गतिविधि-आधारित शिक्षण
प्रारंभिक	9-11	3-5	हल्की पाठ्यपुस्तकें, अधिक औपचारिक किंतु संवादात्मक कक्षा शिक्षण
मध्य	12-14	6- 8	अधिक अमूर्त अवधारणाओं, अनुभवात्मक अधिगम को सीखने के लिए विषय शिक्षकों का प्रारंभ
माध्यमिक	15-18	9-12	पूर्णता से पढ़ना, आलोचनात्मक विचार, जीवन की आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान देना

नाविक (NavIC)

केंद्र सरकार अपने घरेलू नौवहन प्रणाली (नेविगेशन सिस्टम) 'नाविक' के अनुकूल स्मार्टफोन बनाने के लिए टेक दिग्गजों को प्रेरित कर रही है।

नाविक (NavIC) क्या है?

- NavIC, या भारतीय नक्षत्र के साथ नौवहन (नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन) , भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन/ISRO) द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्वचालित (स्टैंड-अलोन) नौवहन उपग्रह प्रणाली है।
- नाविक को मूल रूप से 2006 में 174 मिलियन डॉलर की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- इसके 2011 के अंत तक पूरा होने की संभावना थी, किंतु यह 2018 में ही क्रियाशील हो पाया।
- NavIC में आठ उपग्रह होते हैं एवं यह भारत के संपूर्ण भूभाग एवं इसकी सीमाओं से 1,500 किमी (930 मील) तक की दूरी को कवर करता है।

तथ्य: इस नक्षत्र में उपग्रहों की संख्या विवादित है। इसे विभिन्न स्रोतों के आधार पर 7 तथा 8 बताया गया है। कुल नौ उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया, जिनमें से पहला (आईआरएनएसएस -1 ए) आंशिक रूप से विफल रहा क्योंकि इसकी परमाणु घड़ी में कुछ समस्या थी। एक अन्य एवं अंतिम उपग्रह का प्रक्षेपण विफल रहा। अतः इन उपग्रहों की संख्या 7/8 होती है।

केंद्र NavIC पर बल क्यों दे रहा है?

- वर्तमान में, NavIC का उपयोग सीमित है।
- इसका उपयोग भारत में सार्वजनिक वाहनों के ट्रैकिंग में किया जा रहा है।
- यह गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को जहां कोई स्थलीय नेटवर्क संपर्क उपलब्ध नहीं है एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित ट्रैकिंग तथा जानकारी प्रदान करने के लिए आपातकालीन चेतावनी अलर्ट प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है।
- स्मार्टफोन में इसे सक्षम करना अगला कदम है जिस पर भारत बल दे रहा है।
- भारत की 2021 उपग्रह नौवहन प्रारूप नीति में कहा गया है कि सरकार विश्व के किसी भी हिस्से में NavIC संकेतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय से वैश्विक तक कवरेज का विस्तार करने की दिशा में कार्य करेगी।

NavIC: तुलना

- मुख्य अंतर इन प्रणालियों द्वारा कवर किया जाने वाला उपयोज्य (सेवा योग्य) क्षेत्र है।
- जीपीएस संपूर्ण विश्व के उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है एवं इसके उपग्रह दिन में दो बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं,

जबकि नाविक (एनएवीआईसी) वर्तमान में भारत तथा आस-पास के क्षेत्रों में उपयोग के लिए है।

- जीपीएस की भांति, तीन अन्य नौवहन प्रणालियां हैं जिनमें वैश्विक कवरेज है - यूरोपीय संघ से गैलीलियो, रूस के स्वामित्व वाली ग्लोनास एवं चीन की बीडौ।
- जापान द्वारा संचालित QZSS, जापान पर ध्यान देने के साथ एशिया-ओशिनिया क्षेत्र को कवर करने वाली एक अन्य क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है।

NavIC का सामरिक महत्व

- भारत का कहना है कि नेविगेशन सेवा आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से "रणनीतिक क्षेत्रों" के लिए विदेशी उपग्रह प्रणालियों पर निर्भरता को समाप्त करने के उद्देश्य से NavIC की कल्पना की गई है।
- भारत का कहना है कि जीपीएस एवं ग्लोनास जैसी प्रणालियों पर विश्वास करना सदैव विश्वसनीय नहीं हो सकता है, क्योंकि वे संबंधित देशों की रक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित होते हैं।
- यह संभव है कि नागरिक सेवाओं को निम्नीकृत अथवा अस्वीकार किया जा सकता है।
- NavIC एक स्वदेशी स्थिति निर्धारण प्रणाली (पोजिशनिंग सिस्टम) है जो भारतीय नियंत्रण में है।
- किसी भी स्थिति में सेवा को वापस लेने अथवा अस्वीकार करने का कोई जोखिम नहीं है।

एक जड़ी बूटी, एक मानक

हाल ही में, आयुष मंत्रालय ने "वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड" के प्रचार एवं सुविधा के लिए अंतर-मंत्रालयी सहयोग हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

- भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी (आयुष मंत्रालय) तथा भारतीय औषधकोश आयोग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) के लिए औषधकोश आयोग के मध्य एक समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग/एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड- पीसीआईएम एंड एच तथा आईपीसी के मध्य समझौता ज्ञापन

- **प्रमुख उद्देश्य:** इस समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण हर्बल दवा मानकों के विकास को सुविधाजनक बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने हेतु पीसीआईएम एंड एच तथा आईपीसी के मध्य सहकारी प्रयासों का विकास करना है।
  - चूंकि पीसीआईएम एंड एच तथा आईपीसी दोनों समान उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं, अतः "वन हर्ब - वन स्टैंडर्ड" को प्राप्त करने के लिए मानकों में सामंजस्य स्थापित करना तर्कसंगत एवं सार्थक है।
- **महत्व:** यह समझौता ज्ञापन वैज्ञानिक सूचना एवं दवाओं हेतु कच्चे माल / अर्क, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण तथा विचार-मंथन कार्यक्रमों को साझा करके पारंपरिक चिकित्सा के मानकीकरण के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने हेतु सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।
  - मानकों का सामंजस्य "एक जड़ी बूटी, एक मानक एवं एक राष्ट्र" के उद्देश्य को पूरा करेगा तथा भारत में व्यापारिक सुगमता में सुधार करेगा तथा भारतीय वनस्पति विज्ञान के समग्र व्यापार में भी सुधार करेगा।
  - यह भारत के प्रधान मंत्री द्वारा प्रचारित आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
  - समझौता ज्ञापन मोनोग्राफ के प्रकाशन को सक्षम करेगा, जो सभी के लिए फायदेमंद होगा।
  - अन्य संबंधित तकनीकी कार्यों को संपादित करने के लिए औषधीय पौधों एवं उनके घटक लक्षकों (मार्करों) के चयन के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा।
  - समझौता ज्ञापन जड़ी बूटी युक्त औषधियों (हर्बल मेडिसिन) में निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं नियामकों जैसे समस्त हितधारकों को अपने-अपने क्षेत्रों में विश्व स्तर के मोनोग्राफ का उपयोग करने का अवसर प्रदान करने जा रहा है।

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी (पीसीआईएम एंड एच) के लिए औषधकोश आयोग

- **भारतीय चिकित्सा के लिए फार्माकोपिया आयोग (पीसीआईएम) के बारे में:** आयोग को प्रारंभ में 2010 में भारतीय चिकित्सा के लिए औषधकोश आयोग (फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन/पीसीआईएम) के रूप में स्थापित किया गया था एवं उसी वर्ष बाद में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था।
- **मूल मंत्रालय:** भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए औषधकोश आयोग (फार्माकोपिया कमीशन पोर्ट इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी/पीसीआईएम एंड एच) आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है।
- **पीसीआईएम एंड एच का गठन:** यह भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी (पीसीआईएम एंड एच) के औषधकोश आयोग एवं दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं को मिलाकर बनाया गया है-
  - भारतीय चिकित्सा हेतु भेषज प्रयोगशाला (फार्माकोपिया लैबोरेट्री फॉर इंडियन मेडिसिन/पीएलआईएम), गाजियाबाद एवं
  - होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला)होम्योपैथिक फार्माकोपिया लैबोरेट्री/HPL)
  - महत्वपूर्ण कार्य: आयोग आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथिक दवाओं के लिए भेषज मानकों के विकास में संलग्न है।
  - पीसीआईएम एंड एच भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी प्रणालियों के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य कर रहा है।

भारतीय चिकित्सा के लिए भेषज आयोग - प्रमुख उद्देश्य

- **गुणवत्ता मानक**
  - 'भारतीय औषधि' एवं 'होम्योपैथी' की दवाओं / सूत्रीकरण के लिए औषधकोश (फार्माकोपिया) विकसित करना 'भारतीय चिकित्सा' के सूत्र विकसित करना

For More Study Material
Visit: adda247.com

- प्रकाशित औषधकोश एवं सूत्रीकरण को संशोधित/अद्यतन/संशोधित करने के लिए जैसा आवश्यक समझा जाए
- पीसीआईएम एंड एच के कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित फार्माकोपिया / 'भारतीय चिकित्सा' एवं 'होम्योपैथी' के सूत्रीकरण एवं अन्य संबंधित वैज्ञानिक / नियामक सूचनाओं हेतु पूरक पूरक प्रकाशित करना

- **शीर्ष प्रयोगशाला**
  - 'भारतीय चिकित्सा' एवं 'होम्योपैथी' के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य करना
  - औषधि नियामक प्राधिकरणों एवं 'भारतीय चिकित्सा' तथा 'होम्योपैथी' से संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण में संलग्न कर्मियों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना
  - 'भारतीय चिकित्सा' एवं 'होम्योपैथी' तथा औषधि अनुसंधान की दवाओं / सूत्रीकरण के गुणवत्ता आश्वासन पर जागरूकता को पोषित करना एवं प्रोत्साहित करना
- **प्रामाणिक संदर्भ सामग्री के भंडार**
  - 'भारतीय चिकित्सा' एवं 'होम्योपैथी' में प्रयुक्त कच्चे माल का एक प्रामाणिक संदर्भ कच्चे माल (रेफरेंस रॉ मैटेरियल्स/आरआरएम) कोष को अनुरक्षित रखना
  - 'भारतीय चिकित्सा' एवं 'होम्योपैथी' की दवाओं / फॉर्मूलेशन के लिए स्थापित चिकित्सीय महत्व के साथ रासायनिक अंशो के एक प्रामाणिक संदर्भ रासायनिक मार्कर)आरसीएम) कोष को अनुरक्षित रखना
- **विविध**
  - पीसीआईएम एंड एच के कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित 'सरकार' के अन्य कानूनों/योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ-साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट), 1940 तथा उसके तहत नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन/प्रवर्तन को प्रचारित करने / प्रोत्साहित करने/सुधारने के लिए किसी भी गतिविधि का प्रयोग करना।

सचेत

सी-डॉट (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स) एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी/एनडीएमए), भारत सरकार संयुक्त रूप से कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली (इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम)-सचेत पर केंद्रित अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं।

- सी-डॉट दूरसंचार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम/डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।
- सचेत प्रणाली का उद्देश्य संपूर्ण भारत में संबंधित विभागों एवं विभिन्न आपदा प्रबंधन एजेंसियों को उनके अंतर्निहित मुद्दों एवं चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
- यह प्रभावी रीति से मुद्दों एवं चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करने में सहायता करेगा।

सीएपी आधारित इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम (सचेत)

- **सीएपी आधारित इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम (सचेत) के बारे में:** एकीकृत जन चेतावनी प्रणाली)इंटीग्रेटेड पब्लिक अलर्ट सिस्टम)-सचेत, आईटीयू के कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) पर आधारित एक आरंभिक चेतावनी प्लेटफॉर्म है।
- **विकास:** प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए सी-डॉट द्वारा सीएपी आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम (एसएसीएचईटी) विकसित किया गया है।
- **अधिदेश:** बाढ़, चक्रवात एवं कोविड महामारी जैसी आपात स्थितियों के दौरान सभी उपलब्ध मीडिया पर चेतावनी, सलाह एवं अन्य उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा सचेत प्लेटफॉर्म का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।
- **कार्यान्वयन:** सचेत प्रणाली 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व से ही क्रियाशील है।
  - विभिन्न आपदाओं जैसे चक्रवात (आसनी, यास, निवार, अम्फान), बाढ़ (असम, गुजरात), तड़ित झंझा (बिहार), इत्यादि के दौरान सचेत प्रणाली द्वारा 75 करोड़ से अधिक एसएमएस पहले ही भेजे जा चुके हैं।
  - अमरनाथ जी यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सचेत प्रणाली का भी उपयोग किया गया है।

सचेत प्लेटफॉर्म का महत्व
• सीएपी आधारित इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम (एसएसीएचईटी) एसएमएस के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में लक्षित अलर्ट के प्रसार के लिए एक अभिसरण मंच प्रदान करता है।
• आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री के 10 सूत्री कार्य सूची को साकार करने की दिशा में एकल बिंदु (वन-स्टॉप) समाधान एवं एक ठोस कदम के रूप में।
• शीघ्र ही सेल ब्रॉडकास्ट, रेडियो, टीवी, सायरन, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं मोबाइल अनुप्रयोग सहित सभी उपलब्ध संचार माध्यमों पर संदेश प्रसारित किए जाएंगे।

आंतरिक सुरक्षा

डेफएक्सपो 2022

हाल ही में, रक्षा सचिव ने नई दिल्ली में शीर्ष समिति की बैठक के दौरान आगामी डेफएक्सपो 2022 की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की।

डेफएक्सपो 2022

- **डेफएक्सपो 2022 के बारे में:** डेफएक्सपो 2022 का 12 वां संस्करण चार-स्थल प्रारूप में प्रथम बार आयोजित किया जा रहा है; जो रक्षा में 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए जनता को संलग्न करने तथा उन्हें अंतरिक्ष (एयरोस्पेस) एवं रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित करने का वादा करता है।
- **स्थान:** डेफएक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर में 18-22 अक्टूबर, 2022 के मध्य आयोजित किया जाने वाला है।
    - डेफएक्सपो 2022 पूर्व में 10-14 मार्च, 2022 तक निर्धारित किया गया था एवं उस चरण में प्रतिभागियों के समक्ष उपस्थित होने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण स्थगित कर दिया गया था।
- **प्रमुख उद्देश्य:** 12वें डेफएक्सपो का उद्देश्य घरेलू रक्षा उद्योग की क्षमता का प्रदर्शन करना है जो अब सरकार एवं राष्ट्र के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' संकल्प को शक्ति प्रदान कर रहा है।
- **थीम:** डेफएक्सपो 2022 की थीम 'पाथ टू प्राइड' है।
    - यह भारतीय एवं वैश्विक ग्राहकों के साथ भारतीय एयरोस्पेस तथा रक्षा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए साझेदारी का समर्थन, प्रदर्शन एवं विकसित करके भारत को एक मजबूत तथा आत्मनिर्भर राष्ट्र में रूपांतरित करने हेतु प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- **अनूठी विशेषताएं:** डेफएक्सपो 2022 का 12 वां संस्करण विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए प्रथम संस्करण है।
    - डेफएक्सपो 2022 के लिए, भारतीय कंपनियां, विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स/ओईएम) की भारतीय सहायक कंपनियां, भारत में पंजीकृत कंपनियों का डिवीजन, भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम वाले प्रदर्शकों को भारतीय प्रतिभागी माना जाएगा।

डेफएक्सपो 2022 में प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रम

- **इंडिया पवेलियन:** यह स्वदेशी रक्षा उत्पादों की परिपक्वता, स्टार्ट-अप, रक्षा में कृत्रिम प्रज्ञान (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सहित नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन करेगा एवं वर्ष 2047 के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेगा। इसे 'पाथ टू प्राइड' नाम दिया गया है।
    - भारतीय मंडप (इंडिया पवेलियन) रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख मंडप है।
- डेफएक्सपो 2022 सात नई रक्षा कंपनियों के गठन के एक वर्ष के उत्सव को भी चिह्नित करेगा, जो पूर्ववर्ती आयुध कारखानों से बना है।
    - ये सभी कंपनियां पहली बार डेफएक्सपो में भाग लेंगी।
- भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता (इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग/आईएडीडी): डेफएक्सपो 2022 प्रदर्शनी भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता (आईएडीडी) के दूसरे संस्करण की भी मेजबानी करेगी, जिसमें 53 अफ्रीकी देशों को आमंत्रित किया जाएगा।
- लगभग 40 देशों की भागीदारी के साथ एक पृथक हिंद महासागर क्षेत्र प्लस (इंडियन ओशन रीजन प्लस/IOR+) सम्मेलन भी तैयार है।
- डेफएक्सपो 2022 में सरकार, उद्योग जगत, उद्योग संघों, राज्यों, शिक्षाविदों, थिंक-टैंक इत्यादि के प्रतिष्ठित पैनलिस्टों के साथ आयोजित संगोष्ठियों में गहन वार्ता एवं विचार प्रस्तावित हैं।
    - यह इस क्षेत्र के आगे विकास के लिए महत्वपूर्ण सीख/निष्कर्ष/कार्रवाई बिंदु भी प्रदान करेगा।

अभ्यास काकाडू

आईएनएस सतपुड़ा एवं भारतीय नौसेना का एक पी 8 आई समुद्री गश्ती विमान रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू - 2022 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंचे।

अभ्यास काकाडू

- अभ्यास काकाडू, जो 1993 में प्रारंभ हुआ, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी/आरएएन) द्वारा आयोजित एवं ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना द्वारा समर्थित प्रमुख बहुपक्षीय क्षेत्रीय समुद्री अभ्यास है।
- अभ्यास द्विवार्षिक रूप से डार्विन एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास क्षेत्रों (नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज एरियाज/NAXA) में आयोजित किया जाता है।
- इसका नाम काकाडू राष्ट्रीय उद्यान से लिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में डार्विन से 171 किमी दक्षिण-पूर्व में, एक संरक्षित क्षेत्र है।
- अभ्यास के दौरान, बंदरगाह में पेशेवर आदान-प्रदान एवं जटिल सतह, उप-सतह एवं वायु कार्रवाईयों सहित समुद्र में विविध गतिविधियों से सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने एवं परिचालन कौशल का सम्मान करने में सहायता मिलेगी।

काकाडू अभ्यास: अभ्यास में भारत की उपस्थिति
• काकाडू में भारतीय नौसेना की भागीदारी क्षेत्रीय भागीदारों के साथ जुड़ने एवं एक संयुक्त वातावरण में सैन्य दलों (कांस्टेबुलरी) संचालन से लेकर सुदूर समुद्री युद्ध तक बहुराष्ट्रीय समुद्री गतिविधियों को प्रारंभ करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है।
• इसका उद्देश्य अंतर्संचालनीयता को बढ़ाना एवं भारत-प्रशांत वृत्तांत के साथ महत्व प्राप्त करने वाले समुद्री करवाईयों के लिए प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करना है।

आईएनएस विक्रांत

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) में भारत के प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया।

आईएनएस विक्रांत

- **आईएनएस विक्रांत के बारे में:** आईएनएस विक्रांत भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत है। आईएनएस विक्रांत को अत्याधुनिक स्वचालित यंत्र (ऑटोमेशन) विशेषताओं के साथ निर्मित किया गया है एवं यह भारत के सामुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जलपोत है।
- **निर्माण:** आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के इन-हाउस युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो (वारशिप डिजाइन ब्यूरो/डब्ल्यूडीबी) द्वारा डिजाइन किया गया है तथा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है।
- **प्रमुख विशेषताएं:** 262.5 मीटर लंबा एवं 61.6 मीटर चौड़ा आईएनएस विक्रांत लगभग 43,000 टन को विस्थापित करता है, जिसकी अधिकतम डिजाइन की गई गति 28 समुद्री मील एवं 7,500 समुद्री मील की सह्यता है।
    - आईएनएस विक्रांत जहाज में लगभग 2,200 कक्ष हैं, जिन्हें महिला अधिकारियों एवं नाविकों सहित लगभग 1,600 के चालक दल के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - विक्रांत विमान वाहक पोत को मशीनरी संचालन, जलपोत नौवहन एवं उत्तरजीविता के लिए अत्यंत उच्च स्तर के स्वचालन के साथ डिज़ाइन किया गया है।
    - आईएनएस विक्रांत वाहक अत्याधुनिक उपकरणों तथा प्रणालियों से लैस है।
- **क्षमताएं:** जलपोत स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर/एएलएच) तथा हल्के लड़ाकू विमान (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट/एलसीए) (नौसेना) के अतिरिक्त मिग -29 के लड़ाकू जेट, कामोव -31, एमएच -60 आर बहु-भूमिका हेलीकाप्टरों से युक्त 30 विमानों से युक्त एयर स्कंध के संचालन में सक्षम है।
    - शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी (STOBAR) नामक एक नवीन विमान संचालन (एयरक्राफ्ट-ऑपरेशन) मोड का उपयोग करते हुए, आईएनएस विक्रांत विमान को लॉन्च करने के लिए स्की-जंप एवं जहाज पर उनकी पुनर्प्राप्ति हेतु 'निरोधक तारों' के एक समुच्चय से लैस है।

आईएनएस विक्रांत का महत्व

- **आत्मनिर्भरता की ओर प्रमुख कदम:** आईएनएस विक्रांत ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के दौरान 'आत्मनिर्भर' प्रत्यायक का प्रदर्शन किया।
    - आईएनएस विक्रांत भी आत्मनिर्भरता एवं 'मेक इन इंडिया' के लिए राष्ट्र के संकल्प का एक वास्तविक प्रमाण है।
    - हिंद महासागरीय क्षेत्र (इंडियन ओशन रीजन/आईओआर) में सामुद्रिक सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना: हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने में देश के जोश एवं उत्साह का एक वास्तविक साक्षी है।
- **वैश्विक मान्यता:** आईएनएस विक्रांत के क्रियाशील होने के साथ, भारत ने राष्ट्रों के एक चुनिंदा समूह में प्रवेश किया है, जिसमें स्वदेशी रूप से डिजाइन करने तथा विमान वाहक पोत निर्मित करने की क्षमता है।
- **रोजगार सृजन:** 76 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ, आईएनएस विक्रांत के निर्माण से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के 2,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है।
    - इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप 550 से अधिक मूल उपकरण निर्माताओं (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स/ओईएम), उप-ठेकेदारों, सहायक उद्योगों तथा साथ ही 100 से अधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों (माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज/एमएसएमई) के लिए लगभग 12,500 कर्मचारियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था पर पुनः व्यापार का प्रभाव बढ़ा है।

सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम

असम में 28 जिलों, नागालैंड में 7 जिलों एवं मणिपुर में 6 जिलों में अफस्पा को निरसित किया गया है, जबकि एनएसएफ के अध्यक्ष केगवेहुन टेप ने कहा कि इसे सभी पूर्वोत्तर राज्यों में निरसित किया जाना चाहिए।

सशस्त्र सीधे शब्दों में कहें तो सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है।

- अफस्पा (AFSPA) सशस्त्र बलों को उचित चेतावनी देने के पश्चात बल प्रयोग करने या गोली चलाने का अधिकार देता है यदि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है।
- अधिनियम में आगे प्रावधान है कि यदि "उचित संदेह मौजूद है," तो सशस्त्र बल बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकते हैं; बिना वारंट के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं अथवा तलाशी ले सकते हैं एवं आग्नेयास्त्रों के स्वामित्व पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

अफस्पा (AFSPA)की पृष्ठभूमि
• AFSPA, 1958 दशकों पूर्व पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के संदर्भ में लागू हुआ था।
• यह सशस्त्र बलों को "विशेष शक्तियां" प्रदान करता है एवं सेना, वायुसेना तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों इत्यादि पर लागू होता है।
• यह लंबे समय से विवादित बहस रही है कि क्या अफस्पा (AFSPA) के तहत दी गई "विशेष शक्तियां" सशस्त्र बलों को उनके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करती हैं।

विशेष शक्तियां क्या हैं?

- **बल प्रयोग करने की शक्ति:** अशांत क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने या आग्नेयास्त्र एवं हथियार ले जाने इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने वाले निषेधाज्ञा लागू होने पर, गोली चलाने सहित, यहां तक कि मृत्यु का कारण बनने की सीमा तक;
- **संरचनाओं को नष्ट करने की शक्ति:** छिपने के ठिकाने, प्रशिक्षण शिविर अथवा ऐसे स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है जहां से हमले किए जाते हो अथवा किए जाने की संभावना है, इत्यादि;
- **गिरफ्तार करने की शक्ति:** वारंट के बिना तथा उद्देश्य के लिए बल प्रयोग करने हेतु;
- **परिसर में प्रवेश करने एवं तलाशी लेने की शक्ति:** बिना वारंट के बंधकों, हथियारों एवं गोला-बारूद तथा चोरी की संपत्ति इत्यादि की गिरफ्तारी अथवा बरामदगी।

ऐसे क्षेत्रों को कौन घोषित/अधिसूचित कर सकता है?

केंद्र सरकार या राज्य का राज्यपाल अथवा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संपूर्ण भाग को अथवा उसके हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है।

अफस्पा (AFSPA) के साथ मुद्दे

- **जान से मारने की शक्ति:** अधिनियम की धारा 4 ने अधिकारियों को मौत का कारण बनने तक "कोई भी कार्रवाई करने" का अधिकार प्रदान किया है।
- **सशस्त्र बलों द्वारा यौन दुराचार:** सशस्त्र बलों की कार्रवाइयों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा 2012 में गठित आपराधिक कानून (जस्टिस वर्मा समिति के रूप में लोकप्रिय) में संशोधन पर समिति के विचाराधीन था। इसने देखा कि- संघर्ष वाले क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा की उपेक्षा की गई थी।
- **निरंकुशता:** वास्तविकता यह है कि सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध उनकी ज्यादतियों के लिए उनके विरुद्ध किए गए किसी भी कार्रवाई का कोई साक्ष्य नहीं है।

अफस्पा को निरस्त करने की सिफारिशें

- **न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी आयोग:** 2004 की समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी, जिसकी रिपोर्ट को सरकार ने कभी भी आधिकारिक रूप से प्रकट नहीं किया, ने अफस्पा को निरस्त करने की सिफारिश की थी।
- **एआरसी II:** प्रशासनिक सुधार आयोग (एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी/एआरसी) ने 'लोक व्यवस्था' पर अपनी 5वीं रिपोर्ट में भी अफस्पा को निरस्त करने की सिफारिश की थी।

अफस्पा (AFSPA) को क्यों निरस्त किया जाना चाहिए?

- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** अफस्पा का निरसन न केवल संवैधानिक स्वस्थचित्तता को पुनर्स्थापित करने के लिए, बल्कि नागालैंड में हमारे आचरण के काले इतिहास को स्वीकार करने के एक तरीके के रूप में भी आवश्यक है।
- **व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित करने की आवश्यकता:** यदि भारतीय संविधान की व्यक्तिगत गरिमा की गारंटी को विस्तारित नहीं किया जाता है, तो नागालैंड (एवं अन्य सभी क्षेत्रों में जहां यह कानून लागू होता है) का राजनीतिक समावेश बाधित हो जाएगा।
- **अपवाद की स्थिति नहीं:** हम प्रायः "अपवाद की स्थिति" के संदर्भ में अफस्पा का वर्णन करते हैं। किंतु यह सैद्धांतिक शब्द भ्रामक है। 1958 से लगभग निरंतर अस्तित्व में रहे एक कानून को "अपवाद" के रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है।
- **मानवीय सहानुभूति का अभाव:** अफस्पा (AFSPA) के मूल में मानवीय सहानुभूति का गहन विघटन है।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर में स्थायी शांति लाने के लिए, सरकार को कमजोर बनाने वाले शांति समझौतों के जाल से बचने की आवश्यकता है। जबकि अफ्सपा को वापस लेने का कदम स्वागत योग्य है, इसे धीरे-धीरे समाप्त करने की जरूरत है। इसके लिए जमीनी हालात में बदलाव महत्वपूर्ण होगा। केवल धुएँ के संकेत या ढोल पीटने से काम नहीं चल सकता।

इतिहास, कला और संस्कृति

अरत्तुपुझा वेलायुधा पनिकर

हाल ही में रिलीज हुई मलयालम फिल्म पथोनपथम नूट्टंडु ('उन्नीसवीं सदी') केरल में एझवा समुदाय के एक समाज सुधारक अरत्तुपुझा वेलायुधा पनिकर के जीवन पर आधारित है, जो 19वीं शताब्दी में रहते थे।

अरत्तुपुझा वेलायुधा पनिकर कौन थे?
• केरल के अलप्पुझा जिले में व्यापारियों के एक संपन्न परिवार में जन्मे पनिकर राज्य में सुधार आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक थे।
• उन्होंने उच्च जातियों या 'सवर्णों' के वर्चस्व को चुनौती दी तथा पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के जीवन में बदलाव लाए।
• 19वीं शताब्दी में केरल में सामाजिक सुधार आंदोलन ने राज्य में मौजूदा जाति पदानुक्रम एवं सामाजिक व्यवस्था के बड़े पैमाने पर ध्वंस किया।
• पनिकर की 1874 में 49 वर्ष की आयु में उच्च जाति के पुरुषों के एक समूह द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह उन्हें केरल पुनर्जागरण का 'प्रथम शहीद' बनाता है।

सामाजिक सुधारों को आरंभ करने में पनिकर की भूमिका

- पनिकर को हिंदू भगवान शिव को समर्पित दो मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिसमें सभी जातियों एवं धर्मों के सदस्यों को प्रवेश की अनुमति थी।
- एक मंदिर का निर्माण 1852 में उनके अपने गांव अरट्टुपुझा में किया गया था एवं एक 1854 में थन्नीरमुकोम में, अलाप्पुझा जिले के एक अन्य गांव में किया गया था।
- उनके कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान केरल के पिछड़े समुदायों से संबंधित महिलाओं के अधिकारों के लिए विरोध करना थे।
- 1858 में, उन्होंने अलाप्पुझा के कायमकुलम में अचिप्पुडव समरम हड़ताल का नेतृत्व किया।
- इस हड़ताल का उद्देश्य उत्पीड़ित समूहों की महिलाओं को घुटनों से आगे तक नीचे के वस्त्र पहनने का अधिकार दिलाना था।
- 1859 में, इसे एथाप्पु समरम में विस्तारित किया गया, जो पिछड़ी जातियों की महिलाओं द्वारा ऊपरी शरीर के कपड़े पहनने के अधिकार के लिए संघर्ष था।
- 1860 में, उन्होंने निचली जाति की महिलाओं को 'मुक्कुठी' या नाक का छल्ला एवं अन्य सोने के गहने पहनने के अधिकार के लिए, पठानमथिट्टा जिले के पंडलम में मुक्कुठी समरम का नेतृत्व किया।
- इन संघर्षों ने सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने एवं सार्वजनिक जीवन में समाज के निचले तबके की महिलाओं की गरिमा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अन्य सामाजिक कार्य

- महिलाओं से संबंधित मुद्दों के अतिरिक्त, पनिकर ने केरल में खेतिहर मजदूरों की प्रथम हड़ताल का भी नेतृत्व किया, जो सफल रहा।
- उन्होंने 1861 में एझवा समुदाय के लिए पहला कथकली योगम भी स्थापित किया, जिसके कारण एझवा तथा अन्य पिछड़े समुदायों द्वारा कथकली प्रदर्शन किया गया।

दारा शिकोह

उपराष्ट्रपति ने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के "मजमा उल-बहरीन" का अरबी संस्करण जारी किया है।

दारा शिकोह कौन था?

- दारा शिकोह, जो मुगल बादशाह शाहजहाँ का पुत्र एवं अपेक्षित उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित होने के पश्चात 1659 में उसके भाई औरंगजेब के आदेश पर मारा गया था।
- वह मुगल सम्राट शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र एवं उत्तराधिकारी था।
- दारा को पद शहज़ादा-ए-बुज़ुर्ग मार्तबा (उच्च श्रेणी का राजकुमार) की उपाधि से सम्मानित किया गया था एवं उसके पिता तथा उसकी बड़ी बहन, राजकुमारी जहाँआरा बेगम द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में उसका समर्थन किया गया था।
- 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में दारा को उसके छोटे भाई राजकुमार मुहीउद्दीन (औरंगजेब) ने पराजित किया था।
- उसे 1659 में औरंगजेब के आदेश पर शाही सिंहासन के लिए एक द्वेषपूर्ण संघर्ष में मार डाला गया था।

दारा शिकोह की विरासत

- दारा शिकोह रूढ़िवादी औरंगजेब के विरोध में एक उदार-मस्तिष्क वाला एक अपरंपरागत मुसलमान था।
- उसने मजमा उल-बहरीन (दो समुद्रों का संगम) कृति की रचना की, जो इस्लाम में सूफी दर्शन एवं हिंदू धर्म में वेदांत दर्शन के सामंजस्य के लिए तर्क प्रस्तुत करता है।
- यह दारा शिकोह ही था जो उपनिषदों को पश्चिमी देशों में उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी था क्योंकि उसने इनका अनुवाद किया था।
- उसने योग वशिष्ठ का अनुवाद भी किया था।

- कला का एक महान संरक्षक, उसका झुकाव सैन्य गतिविधियों के स्थान पर दर्शन एवं रहस्यवाद की ओर भी अधिक था।
- उसने उपनिषदों एवं अन्य महत्वपूर्ण कृतियों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। वह आश्वस्त था कि उपनिषद वही हैं जिन्हें कुरान 'अल-किताब अल-मकनून' (गुप्त पुस्तक/द हिडन बुक) कहता है।

इरोड वेंकटप्पा रामासामी

हम पेरियार ई वी रामासामी की जयंती (17 सितंबर) को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं।

पेरियार कौन है?
• इरोड वेंकटप्पा रामासामी, पेरियार या थंथई पेरियार के रूप में प्रतिष्ठित, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने आत्म-सम्मान आंदोलन तथा द्रविड़ कड़गम की शुरुआत की थी।
• उन्हें 'द्रविड़ आंदोलन के जनक' के रूप में जाना जाता है।
• उन्होंने तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व एवं लिंग तथा जाति असमानता के विरुद्ध विद्रोह किया था।

स्वाभिमान आंदोलन

- स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना वी. रामास्वामी नायकर ने की थी, जिन्हें आमतौर पर पेरियार के नाम से जाना जाता है।
- यह एक गतिशील सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य समकालीन हिन्दू सामाजिक व्यवस्था को उसकी समग्रता में नष्ट करना एवं जाति, धर्म तथा ईश्वर के बिना एक नवीन, तर्कसंगत समाज का निर्माण करना था।

पेरियार: वायकोम के नायक

- वी. रामासामी पेरियार ने 1924 में प्रसिद्ध वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां दलित समुदायों के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।
- अंत में, त्रावणकोर सरकार ने इस तरह के पार्थक्य में छूट दी एवं लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की।
- पेरियार को 'वाइकोम के नायक' की उपाधि दी गई।
- सत्याग्रह का प्रारंभ केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सक्रिय समर्थन से हुआ।
- एक सप्ताह के भीतर उसके सभी नेता सलाखों के पीछे थे। जॉर्ज जोसेफ ने गांधी जी एवं सी. राजगोपालाचारी से निर्देश मांगे। उन्होंने पेरियार को भी पत्र लिखकर उनसे सत्याग्रह का नेतृत्व करने का अनुरोध किया।
- पेरियार राजनीतिक कार्यों में संलग्न थे क्योंकि वे उस समय तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, पेरियार ने 1924 में वायकोम पहुंचने से पूर्व राजाजी को अस्थायी प्रभार सौंपा।
- उस तारीख से 1925 में विजय समारोह के दिन तक, वह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इसे नेतृत्व देने के संघर्ष में थे।

पेरियार की भूमिका

- पेरियार ने कट्टरपंथियों एवं पुलिस के दमन के कारण हुई हिंसा तथा आक्रोश के विरोध में सत्याग्रह का नेतृत्व किया।
- समर्थन जुटाने के लिए, उन्होंने वायकोम एवं उसके आसपास के गांवों का दौरा किया तथा अनेक शहरों में सार्वजनिक भाषण दिए।
- जब केरल के नेताओं ने सत्याग्रह को अखिल भारतीय बनाने के लिए गांधीजी से अनुमति मांगी, तो गांधीजी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि तमिलनाडु के स्वयंसेवक इसे जीवित रखेंगे।
- ब्रिटिश रेजिडेंट ने मद्रास सरकार को अपनी रिपोर्ट में कहा: "वास्तव में, आंदोलन बहुत पहले ही ध्वस्त हो गया होता, किंतु इसे त्रावणकोर के बाहर से समर्थन ..." इतिहासकार टी.के. रवींद्रन ने देखा कि पेरियार के आगमन ने "आंदोलन को एक नया जीवन" दिया।

भविष्य के प्रति उनका दृष्टिकोण

- जब उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, तो उसमें सूक्ष्म भेद, सच्चरित्रता एवं एक स्पष्टवादिता उपस्थित थी, जिसने विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोगों को भी तर्कसंगतता एवं धर्म पर उनके विचारों पर चर्चा तथा बहस करने के लिए प्रेरित किया।
- पेरियार ने स्वयं कहा था, "प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी मत का खंडन करने का अधिकार है। किंतु किसी को भी इसकी अभिव्यक्ति को बाधित करने का अधिकार नहीं है।"
- पेरियार को प्रायः उनके विचारों की विद्रोही प्रकृति एवं जिस उत्साह के साथ उन्होंने कार्य किया, उसके लिए उन्हें एक मूर्ति भंजक (आइकॉनोक्लास्ट) के रूप में जाना जाता है।
- भविष्य के लिए उनकी दृष्टि उनके सभी कार्यों का एक हिस्सा थी एवं उनका उद्देश्य केवल सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन नहीं था; वह उन गतिविधियों को भी समाप्त करना चाहते थे जो सामूहिक रूप से समाज के मानकों मैं वृद्धि नहीं करते हैं।

तर्कवाद की नींव

- पेरियार का दृष्टिकोण समावेशी विकास एवं व्यक्तियों की स्वतंत्रता के बारे में था। अपने राजनीतिक रुख में स्पष्टता के कारण वे अपने समय के एक महत्वपूर्ण विचारक थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह राजनीतिक विचारों के विकास को समझते थे और इसके साथ समय के साथ आगे बढ़ने में सक्षम थे।
- उन्होंने कहा, "बुद्धिमत्ता विचार में निहित है। विचारों का आधार तर्कवाद है। " पेरियार अपने समय से काफी आगे थे। उन्होंने आगे कहा, "मैं जिससे प्यार करता हूं तथा घृणा करता

हूं, मेरा सिद्धांत समान है। अर्थात शिक्षित, समृद्ध एवं प्रशासक निर्धनों का खून नहीं चूसें।

- तमिलनाडु में अनेक समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने पिछली सदी में अपने क्रांतिकारी विचारों को लोगों के साथ साझा किया। उस स्पेक्ट्रम में, पेरियार एक विशिष्ट स्थान रखते हैं क्योंकि उन्होंने विभिन्न विश्व के अन्योन्य क्रिया को संभव बनाया है।

पेरियार ने कहा, "कोई भी विरोध तर्कवाद या विज्ञान अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है, कभी ना कभी, धोखाधड़ी, स्वार्थ, झूठ एवं षड्यंत्रों को प्रकट करेगा।"

निष्कर्ष

- ब्राह्मणवादी प्रभुत्व, तमिलनाडु में महिलाओं के उत्पीड़न, जाति प्रथा के विरुद्ध उनकी रचनाएं अनुकरणीय हैं।
- पेरियार ने तर्कवाद, स्वाभिमान, महिलाओं के अधिकार एवं जाति व्यवस्था की समाप्ति सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया।
- उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों के शोषण एवं उपेक्षा का विरोध किया तथा जिसे वे इंडो-आर्यन इंडिया मानते थे, उसे थोपने का विरोध किया।

मोहनजोदड़ो

पाकिस्तान में भारी बाढ़ ने सिंधु नदी के तट के समीप अवस्थित - मोहनजोदड़ो के पुरातत्व स्थल को "विलुप्त होने के कगार" पर धकेल दिया है।

- मोहनजोदड़ो को विश्व धरोहर सूची से हटाया जा सकता है, यदि इसके संरक्षण एवं जीर्णोद्धार पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया।

मोहनजोदड़ो
• मोहनजोदड़ो 5000 वर्ष प्राचीन पुरातात्विक स्थल है जो सुक्कुर शहर से लगभग 80 किमी दूर अवस्थित है।
• इसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के दो मुख्य केंद्रों में से एक के अवशेष शामिल हैं, दूसरा हड़प्पा है, जो पंजाब प्रांत में 640 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित है।
• मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है 'मृतकों का टीला', विश्व के सर्वाधिक प्राचीन शहरों में से एक था एवं इसे प्राचीन सभ्यता के नियोजित शहर के रूप में जाना जाता है।
• शहर का विशाल आकार एवं सार्वजनिक भवनों तथा स्थापनाओं के इसके प्रावधान, एक उच्च स्तर के सामाजिक संगठन का संकेत देते हैं।
• यद्यपि भग्नावशेषों में, गलियों में दीवारें एवं ईंट के फुटपाथ अभी भी संरक्षित स्थिति में हैं।

खोज

- शहर के भग्नावशेष लगभग 3,700 वर्षों तक बिना प्रलेख के, 1920 तक, बने रहे जब पुरातत्वविद् आर. डी. बनर्जी ने इस स्थल का दौरा किया।
- इसका उत्खनन 1921 में प्रारंभ हुआ एवं 1964-65 तक चरणों में जारी रही।
- विभाजन के दौरान यह स्थल पाकिस्तान में चला गया।

सिंधु घाटी के अन्य स्थल

- सिंधु घाटी सभ्यता अब पाकिस्तान एवं भारत के उत्तरी राज्यों (गुजरात, हरियाणा तथा राजस्थान) में विस्तृत है, यहां तक कि ईरानी सीमा तक भी फैली हुई है।
- इसके प्रमुख शहरी केंद्रों में पाकिस्तान में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तथा भारत में लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा एवं राखीगढ़ी शामिल थे।
- परिष्कृत सिविल इंजीनियरिंग तथा शहरी नियोजन के साथ मोहनजोदड़ो को अपने समय का सर्वाधिक उन्नत शहर माना जाता है।
- जब 19 वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का अकस्मात रूप से पतन हुआ, तो मोहनजोदड़ो परित्यक्त कर दिया गया।

वर्तमान स्थिति

- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐतिहासिक भग्नावशेषों की अनेक गलियां एवं मल निकास व्यवस्था के नाले बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
- हालांकि बाढ़ के कारण जमा हुए तलछट को हटाने का काम अभी भी जारी है।
- किंतु यदि इस तरह की बाढ़ की पुनरावृत्ति होती है, तो यह विरासत स्थल एक बार पुनः जमीन के नीचे दब सकता है, पुरातत्वविदों का कहना है।
- यह अपेक्षित है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 11 सितंबर को अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान इस स्थल का दौरा करेंगे।
- यह यात्रा इस बारे में कुछ स्पष्टता प्रदान कर सकती है कि क्या इस स्थल ने अपनी कुछ विशेषताओं को खो दिया है जो इसके प्रतिष्ठित विश्व विरासत टैग को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

विश्व विरासत स्थल का दर्जा खोना

- इसके 167 सदस्य देशों में लगभग 1,100 यूनेस्को सूचीबद्ध स्थल हैं।
- विगत वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने 'लिवरपूल - मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी' (यूके) की संपत्ति को विश्व विरासत सूची से हटाने का निर्णय लिया था।
- यह संपत्ति के बकाया सार्वभौमिक मूल्य को व्यक्त करने वाली विशेषताओं के अपरिवर्तनीय नुकसान के कारण था।
- यह संपत्ति के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को व्यक्त करने वाले अभिलक्षणों की अपरिवर्तनीय हानि के कारण था।
- लिवरपूल को 2004 में विश्व विरासत सूची में 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में विश्व के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक के रूप में

अपनी भूमिका - तथा इसकी अग्रणी बंदरगाह तकनीक, परिवहन प्रणाली एवं बंदरगाह प्रबंधन की मान्यता में जोड़ा गया था।

- इसके पूर्व, अवैध शिकार एवं पर्यावास स्थल के क्षरण पर चिंताओं के पश्चात, 2007 में, यूनेस्को पैनल द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम स्थान ओमान में अरेबियन ओरिक्स अभ्यारण्य था।
- 2009 में विश्व विरासत सूची से हटाया जाने वाला एक अन्य स्थल जर्मनी के ड्रेसडेन में, एल्ब नदी के पार वाल्डस्क्लोएशन रोड ब्रिज के निर्माण के पश्चात एल्ब घाटी थी।

रामकृष्ण मिशन का 'जागृति' कार्यक्रम

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली से पांचवीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के 'जागृति' कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

- उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी/एनईपी) 2020 स्वामी विवेकानंद के दर्शन से गहराई से प्रेरित है एवं हमें कक्षा एक से आठवीं के लिए कार्यक्रम बनाने के अतिरिक्त 9वीं से 12वीं के लिए इस तरह के मूल्य-आधारित शैक्षिक कार्यक्रम बनाने पर बल देना चाहिए।
- मंत्री ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन/सीबीएसई) से जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार रहने एवं राष्ट्रीय प्रगति तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रतिभा पूल निर्मित करने हेतु बाल वाटिका से बारहवीं कक्षा तक सभी विद्यालयों में मूल्य-आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु एक सलाहकार ढांचा स्थापित करने का आह्वान किया।

रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की पृष्ठभूमि

- रामकृष्ण मिशन, दिल्ली शाखा, 2014 से, मध्य विद्यालय के छात्रों के लिए जागृत नागरिक कार्यक्रम (अवेकन्ड सिटीजन प्रोग्राम/एसीपी) का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है।
- लगभग 6,000 विद्यालय (केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सरकारी तथा निजी विद्यालय) जिनमें 55,000 शिक्षक एवं 12 लाख छात्र शामिल हैं, एसीपी के तहत लाभान्वित हुए हैं।
- 'जागृति' नामक एक कार्यक्रम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 से निकटता से जुड़ा हुआ है, को 126 विद्यालयों में डिजाइन तथा संचालित किया गया है।
- कोविड महामारी के दौरान, इस प्रायोगिक कार्यक्रम ने संघर्षरत शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों को बहुत सांत्वना दी, जैसा कि प्रतिभागियों से प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया में दर्शाया गया है।
  - सफलतापूर्वक संचालन के पश्चात, सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम "जागृति" का शुभारंभ किया गया था।

रामकृष्ण मिशन का 'जागृति' कार्यक्रम

- **रामकृष्ण मिशन के 'जागृति' कार्यक्रम के बारे में:** यह 'जागृति' कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के दर्शन के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है।
- **अधिदेश:** रामकृष्ण मिशन के 'जागृति' कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को "आत्माश्रद्धा/ATMASHRADDHA" (आत्म-सम्मान) निर्मित करने तथा जिम्मेदार विकल्प बनाने में सक्षम बनाना है।
  - रामकृष्ण मिशन का 'जागृति' कार्यक्रम उन्हें जीवन की सभी समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता करता है।
- **महत्व:** रामकृष्ण मिशन की 'जागृति' पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दर्शन के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

रामकृष्ण मिशन
• **आरंभ:** स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
• **उद्देश्य:** रामकृष्ण मिशन के माध्यम से, स्वामी विवेकानंद ने श्रेष्ठतम विचारों को सर्वाधिक निर्धन एवं वंचित व्यक्तियों के दरवाजे तक लाने का लक्ष्य रखा।
• **प्रमुख भूमिका:** रामकृष्ण मिशन मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा एवं आदिवासी कल्याण तथा राहत एवं पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करता है।

रंग स्वाधीनता

हाल ही में, संगीत नाटक अकादमी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रंग स्वाधीनता मनाई।

रंग स्वाधीनता

- **रंग स्वाधीनता के बारे में:** रंग स्वाधीनता स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को संजोने का त्योहार है जिन्होंने भारत को साम्राज्यवाद की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
- **स्थान:** रंग स्वाधीनता उत्सव 27 से 29 अगस्त, 2022 तक मेघदूत सभागार में आयोजित किया गया था।
- **आयोजन निकाय:** संगीत नाटक अकादमी द्वारा रंग स्वाधीनता उत्सव का आयोजन किया गया।
- **भागीदारी:** भारत के नौ राज्यों के कुल बारह टीमों एवं लगभग सौ कलाकारों ने रंग स्वाधीनता उत्सव में भाग लिया।
- **फोकस क्षेत्र:** रंग स्वाधीनता महोत्सव 2022 इन अर्थों में विशिष्ट था कि यह लोक गायन शैलियों पर केंद्रित था।
  - रंग स्वाधीनता देश भर से लोक संगीत परंपराओं को प्रदर्शित करता है।

संगीत नाटक अकादमी
• **संगीत नाटक अकादमी के बारे में:** संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में संगीत, नृत्य एवं नाटक के रूपों में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण एवं प्रचार हेतु की गई थी।
○ संगीत नाटक अकादमी देश में कला प्रदर्शन के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है।
• **स्थान:** अकादमी का पंजीकृत कार्यालय रवीन्द्र भवन, 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में है।
• **मूल मंत्रालय:** संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है।
• **संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार:** यह पेशेवर कलाकारों को प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता है।

संगीत नाटक अकादमी- संघटक इकाइयाँ

संगीत नाटक अकादमी की अब तीन घटक इकाइयाँ हैं, जिनमें से दो नृत्य-शिक्षण संस्थान हैं-

- **इंफाल में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी (जेएनएमडीए):** जेएनएमडीए की उत्पत्ति अप्रैल 1954 में भारत सरकार द्वारा स्थापित मणिपुर नृत्य महाविद्यालय में हुई थी।
  - अपनी स्थापना के बाद से अकादमी द्वारा वित्त पोषित, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी (जेएनएमडीए) 1957 में अकादमी की एक घटक इकाई बन गई।
- **दिल्ली में कथक केंद्र:** कथक केंद्र कथक नृत्य में अग्रणी शिक्षण संस्थानों में से एक है।
  - दिल्ली में स्थित, यह कथक नृत्य एवं स्वर संगीत तथा पखवाज में विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

Adda247

विविध

सामाजिक कार्यकर्ता-लेखक अन्नाभाऊ साठे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं अन्य नेता विदेशी साहित्य के लिए अखिल रूसी राज्य पुस्तकालय में लोक शाहिर (बैलाडर) अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मास्को में हैं।

- साठे की रचनाएं रूसी क्रांति एवं कम्युनिस्ट विचारधारा से अत्यधिक प्रेरित थीं। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया/सीपीआई) के सदस्य थे एवं भारत के उन चुनिंदा लेखकों में शामिल थे जिनकी रचनाओं का रूसी भाषा में अनुवाद किया गया था।

अन्नाभाऊ साठे कौन थे?
• तुकाराम भाऊराव साठे, जिन्हें बाद में अन्नाभाऊ साठे के नाम से जाना जाने लगा, का जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के वटेगांव गांव में एक दलित परिवार में हुआ था।
• 1930 में उनका परिवार गांव छोड़कर मुंबई आ गया। यहां, उन्होंने कुली, फेरीवाले एवं यहां तक कि एक कपास मिल सहायक के रूप में काम किया।
• 1934 में, मुंबई में लाल बावटा मिल वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों की हड़ताल हुई, जिसमें उन्होंने भाग लिया।
• माटुंगा श्रम शिविर में अपने दिनों के दौरान, महाड में प्रसिद्ध 'चावदार झील' सत्याग्रह में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के सहयोगी आर. बी. मोरे से उनका परिचय हुआ एवं श्रम अध्ययन मंडल में शामिल हो गए।
• दलित होने के कारण उन्हें उनके गांव में विद्यालयी शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। इन अध्ययन मंडलियों के दौरान ही उन्होंने पढ़ना एवं लिखना सीखा।

अन्ना की रचनाएं

- साठे ने अपनी पहली कविता श्रमिक शिविर में मच्छरों के कष्टों पर लिखी थी।
- उन्होंने दलित युवक संघ, एक सांस्कृतिक समूह का गठन किया एवं श्रमिकों के विरोध, आंदोलन पर कविताएं लिखना प्रारंभ किया।
- समूह मिल गेट के सामने रचनाओं का प्रदर्शन करता था।
- प्रेमचंद, फैज अहमद फैज, मंटो, इस्मत चुगताई, राहुल सांकृत्यायन, मुल्कराज आनंद जैसे सदस्यों के साथ एक ही समय में राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया गया था।
- समूह मैक्सिम गोर्की, एंटोन चेखव, लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुर्गनेव की रूसी रचनाओं का मराठी में अनुवाद करेगा, जिसने साठे को प्रोत्साहित किया।
- इसका न केवल उन पर वैचारिक प्रभाव पड़ा, बल्कि उन्हें नुक्कड़ नाटक, कहानियाँ, उपन्यास इत्यादि लिखने के लिए प्रेरित किया। 1939 में, उन्होंने अपना पहला गाथागीत 'स्पेनिश पोवाडा' लिखा।

अन्नाभाऊ का उदय

- साठे एवं उनके समूह ने पूरे मुंबई में मजदूरों के अधिकारों के लिए अभियान चलाया।
- अपने 49 वर्षों में से, साठे, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष की आयु के पश्चात ही लिखना प्रारंभ किया, ने 32 उपन्यास, 13 लघु कथाओं के संग्रह, चार नाटक, एक यात्रा वृत्तांत एवं 11 पोवदास (गाथागीत) की रचना की।
- उनकी अनेक कृतियाँ जैसे 'अकलेची गोष्ट', 'स्तालिनग्रादचा पोवड़ा,' 'माज़ी मैना गावावर रहीली,' 'जग बदल घालुनी घाव' राज्य भर में लोकप्रिय थीं।
- उनके लगभग छह उपन्यासों को फिल्मों में रूपांतरित किया गया एवं अनेक का रूसी सहित अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया।
- बंगाल के अकाल पर उनके 'बंगालची हक' (बंगाल की पुकार) का बंगाली में अनुवाद किया गया तथा बाद में लंदन के रॉयल थियेटर में प्रस्तुत किया गया।
- उनका साहित्य उस समय के भारतीय समाज की जाति एवं वर्ग वास्तविकता को प्रदर्शित करता है।

वामपंथी झुकाव

- साठे की रचनाएं मार्क्सवाद से प्रभावित थी, किंतु साथ ही उन्होंने जाति व्यवस्था की कठोर वास्तविकताओं को सामने लाया।
- 1943 में, उन्होंने लाल बावटा कलापथक का गठन किया।
- समूह ने जाति अत्याचार, वर्ग संघर्ष एवं श्रमिकों के अधिकारों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया।
- उन्होंने अपना सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास फकीरा डॉ. भीमराव अम्बेडकर को समर्पित किया।

रूसी संबंध

- उन्हें कभी महाराष्ट्र का मैक्सिम गोर्की कहा जाता था।
- वह गोर्की की 'द मदर' एवं रूसी क्रांति से अत्यधिक प्रेरित थे, जो उनके लेखन में परिलक्षित होता था।
- 1961 में उन्होंने अन्य भारतीयों के एक समूह के साथ रूस की यात्रा की।

मान्यता के पात्र

- साठे दलितों में मातंग समुदाय से संबंधित थे।

- वामपंथी अपनी कलात्मक विरासत का दावा करने में विफल होने के कारण, साठे अब एक विशेष समुदाय के प्रतीक के रूप में प्रतिबंधित हैं।
- दक्षिणपंथी साठे को वैश्विक प्रतीक (ग्लोबल आइकॉन) बनाने का श्रेय लेने का दावा कर रहे हैं।
- मॉस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में साठे की तैल चित्रकला को स्थापित करने से यह भी ज्ञात होता है कि केंद्र सरकार इस अवसर का उपयोग दो देशों के मध्य सांस्कृतिक संवाद बढ़ाने के लिए कर रही है।

एशिया कप

एशिया कप क्रिकेट में एकमात्र महाद्वीपीय चैम्पियनशिप है एवं जीतने वाली टीम एशिया की चैंपियन बन जाती है।

एशिया कप- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एशियाई क्रिकेट परिषद (एशियन क्रिकेट काउंसिल) एशिया कप पुरुषों का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एवं ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। 1983 में स्थापित होने के पश्चात एशिया क्रिकेट परिषद ने एशियाई देशों के मध्य सद्भावना को प्रोत्साहित करने के उपाय के रूप में 1984 से एशिया कप की मेजबानी प्रारंभ की। यह मूल रूप से प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित होने वाला था।

2009 के पश्चात से एशिया कप एशियाई क्रिकेट परिषद के दायरे में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाना था एवं सभी मैचों को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय माना जाना था।

यद्यपि 2015 में एशियाई क्रिकेट परिषद का आकार छोटा कर दिया गया था एवं आईसीसी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 2016 से एशिया कप की घटनाओं को आगामी विश्व आयोजनों के प्रारूप के आधार पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तथा ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के मध्य रोटेशन के आधार पर खेला जाएगा। परिणाम स्वरूप, 2016 टी20 प्रारूप में खेला जाने वाला पहला संस्करण था एवं 2016 आईसीसी विश्व ट्वेंटी 20 से पूर्व एक प्रारंभिक टूर्नामेंट के रूप में कार्य किया।

यद्यपि पाकिस्तान 2020 में एशिया कप का मूल मेजबान था, जिसे कोविड के प्रकोप के कारण 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य भू-राजनीतिक मोर्चे पर तनावपूर्ण स्थिति के कारण श्रीलंका को मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसने संभवतः भारत को प्रतियोगिता से बाहर होने के लिए बाध्य कर दिया था।

इस स्थिति को टालने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका को मेजबानी के अधिकार सौंपने का निर्णय लिया, किंतु चूंकि श्रीलंका देश में गहरे संकट का सामना कर रहा था, अतः टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (यूनाइटेड अरब एमिरेट्स/यूएई) में श्रीलंका के आधिकारिक मेजबान होने के बैनर तले किया गया था।

एशिया कप का 15वां संस्करण श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को पराजित कर टूर्नामेंट के आरंभिक मैच में अफगानिस्तान से पराजित होने के पर शानदार वापसी करते हुए जीता था। अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी 20 विश्व कप में सीधे प्रवेश से वंचित होने के बाद श्रीलंका ने टूर्नामेंट में एक सुखद वृद्धि देखी एवं शीर्ष पर पहुंचने के लिए लगातार 5 टी 20 जीते।

एशिया कप के विजेताओं की सूची (1984-2022)

भारत टूर्नामेंट में सात खिताब (छह वनडे एवं एक टी 20 अंतरराष्ट्रीय) के साथ सर्वाधिक सफल टीम है। श्रीलंका दूसरी सर्वाधिक सफल टीम है, जिसमें छह नवीनतम एशिया कप 2022 हैं। श्रीलंका ने सर्वाधिक एशिया कप (14) खेले हैं, उसके बाद भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश ने 13-13 मैच खेले हैं। बांग्लादेश ने आज तक कभी कोई एशिया कप नहीं जीता है किंतु वह 3 बार फाइनल में खेल चुका है।

वर्ष	विजेता	उपविजेता	मेजबान
1984	भारत	श्रीलंका	यूएई
1986	श्रीलंका	पाकिस्तान	श्रीलंका
1988	भारत	श्रीलंका	बांग्लादेश
1991	भारत	श्रीलंका	बांग्लादेश
1995	भारत	श्रीलंका	यूएई
1997	श्रीलंका	भारत	श्रीलंका
2000	पाकिस्तान	श्रीलंका	बांग्लादेश
2004	श्रीलंका	भारत	श्रीलंका
2008	श्रीलंका	भारत	पाकिस्तान
2010	भारत	श्रीलंका	श्रीलंका
2012	पाकिस्तान	बांग्लादेश	बांग्लादेश
2014	श्रीलंका	पाकिस्तान	बांग्लादेश
2016	भारत	बांग्लादेश	बांग्लादेश
2018	भारत	बांग्लादेश	यूएई
2022	श्रीलंका	पाकिस्तान	यूएई

धारावी पुनर्विकास परियोजना

महाराष्ट्र सरकार ने प्रथम बार प्रस्तावित किए जाने के लगभग दो दशक पश्चात धारावी पुनर्विकास परियोजना में नवीन निविदाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

धारावी के बारे में

- विश्व की सर्वाधिक वृहद मलिन बस्तियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध धारावी, भारत की वित्तीय राजधानी - मुंबई के केंद्र में अवस्थित है।
- धारावी मलिन बस्ती 1884 में अस्तित्व में आई। यह मूल रूप से मछुआरों द्वारा बसा हुआ था जब यह क्षेत्र अभी भी खाड़ी, दलदल था।
- एक शहर के भीतर एक शहर, यह संकरी गंदी गलियों, खुले सीवरों और तंग झोपड़ियों का एक अंतहीन विस्तार है।
- यह दक्षिण मुंबई एवं अन्य स्थानों के प्रवासी श्रमिकों के लिए आकर्षक हो गया जब प्राकृतिक एवं कृत्रिम कारणों से दलदल भरने लगा।
- यह क्षेत्र बढ़ता गया क्योंकि निर्धन ग्रामीण भारतीय, शहरी मुंबई में प्रवास कर गए।
- आज, धारावी में अनुमानित 600,000 से 10 लाख लोग ठसाठस भीड़-भाड़ में रहते हैं।
- जबकि भूमि (535 एकड़ का क्षेत्र) सरकार के स्वामित्व में है, घरों का रखरखाव व्यक्तियों द्वारा स्वयं किया जाता है।

धारावी पुनर्विकास परियोजना: आर्थिक महत्व

- धारावी भारत के सर्वाधिक समृद्ध व्यापारिक जिले, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के समीप अवस्थित है, जहां वाणिज्यिक कार्यालय प्रीमियम देश में सर्वाधिक संख्या में हैं।
- 2.8 वर्ग किमी में फैली हुई झुग्गी बस्ती चमड़े एवं मिट्टी के बर्तन के एक अनौपचारिक उद्योग का घर है जिसमें एक लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं।

धारावी पुनर्विकास परियोजना क्या है?
• राज्य ने इस विस्तार को बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे के साथ ऊंची इमारतों के समूह में रूपांतरित करने की परिकल्पना की थी।
• इसमें झुग्गी-झोपड़ियों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाले लोगों सहित 68,000 लोगों का पुनर्वास सम्मिलित था।
• राज्य को निवासियों को 300 वर्ग फुट के घर निशुल्क में इस साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराने थे कि उनकी झुग्गी संरचना 1 जनवरी 2000 से पूर्व अस्तित्व में थी।
• इस परियोजना का प्रारंभ 2004 में हुआ था, किंतु विभिन्न कारणों से यह वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हुआ।

धारावी पुनर्विकास परियोजना: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1999 में, सरकार ने प्रथम बार धारावी के पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा।
- इसके बाद, महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2003-04 में धारावी को एक एकीकृत नियोजित टाउनशिप के रूप में पुनर्विकास करने का निर्णय लिया।
- पुनर्विकास की कार्ययोजना को सरकारी प्रस्ताव जारी कर स्वीकृति प्रदान की गई।
- स्लम पुनर्वास योजना के आधार पर एक विक्रय घटक के माध्यम से विकास की लागत को क्रॉस-सब्सिडी देने हेतु संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके धारावी को विकसित करने का निर्णय लिया गया।
- सरकार ने पूरे धारावी को अविकसित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने एवं इसके विकास के लिए एक विशेष योजना प्राधिकरण नियुक्त करने का भी निर्णय लिया।
- 2011 में, सरकार ने सभी निविदाओं को रद्द कर दिया तथा एक महायोजना (मास्टर प्लान) तैयार की।

फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 17 महिला विश्व कप 2022 के तहत फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा (की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022

- **पृष्ठभूमि:** भारत ने 6 से 28 अक्टूबर, 2017 तक देश में नई दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, गोवा, कोच्चि एवं कोलकाता जैसे 6 अलग-अलग स्थानों पर फीफा अंडर -17 पुरुष विश्व कप भारत-2017 की सफलतापूर्वक मेजबानी की।
- **फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप 2022 के बारे में:** फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप 2022 भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित होने वाला है।
- **भागीदारी:** फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप भारत 2022 टूर्नामेंट का 7 वां संस्करण होगा जिसमें भारत सहित 16 टीमें भाग लेंगी।
- **प्रमुख उद्देश्य:** फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप भारत 2022 में देश में महिला फुटबॉल को सुदृढ़ करने की क्षमता है। एक सकारात्मक विरासत को पीछे छोड़ने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार किया गया है:
  - फुटबॉल नेतृत्व एवं निर्णय निर्माण वाली संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना
  - अधिक लड़कियों को भारत में फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करना
  - छोटी आयु से समान खेल की अवधारणा को सामान्य बनाकर लिंग-समावेशी भागीदारी की वकालत करना
  - भारत में महिलाओं के लिए फुटबॉल मानकों में सुधार का अवसर प्रदान करना
  - महिलाओं के खेल के व्यावसायिक मूल्य में सुधार।

- **फीफा अंडर 17 विश्व कप स्थल:** एआईएफएफ ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप प्रतियोगिता के मैच 3 स्थानों पर आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है;
  - भुवनेश्वर;
  - नवी मुंबई एवं
  - गोवा
- **वित्त पोषण:** अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन/एआईएफएफ) को खेल के रखरखाव, स्टेडियम की बिजली, ऊर्जा एवं केबलिंग, स्टेडियम तथा प्रशिक्षण स्थल ब्रांडिंग इत्यादि के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता के वित्तीय परिव्यय को राष्ट्रीय खेल संघों (नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस/एनएसएफ) को सहायता योजना के लिए बजटीय आवंटन से पूरा किया जाएगा।।

भारत के लिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का महत्व

- भारत महिला फुटबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण की तैयारी कर रहा है जब संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ युवा महिला फुटबॉल खिलाड़ी प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाने के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगी।
- फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 फीफा अंडर -17 पुरुष विश्व कप 2017 से सकारात्मक विरासत को आगे बढ़ाएगा।
- फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप एक प्रतिष्ठित आयोजन है एवं भारत में प्रथम बार आयोजित किया जाएगा।
- यह अधिक युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा भारत में फुटबॉल के खेल को विकसित करने में सहायता करेगा।
- यह आयोजन न केवल भारतीय बालिकाओं के मध्य पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि एक स्थायी विरासत छोड़ने के लिए भी तैयार है जो देश में बालिकाओं एवं महिलाओं को सामान्य रूप से फुटबॉल तथा खेल को अपनाने में सुविधा प्रदान करेगा।

फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप
• **पृष्ठभूमि:** फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन 2008 में प्रारंभिक हुआ एवं पारंपरिक रूप से सम-संख्या वाले वर्षों में आयोजित किया जाता है।
○ इस आयोजन का छठा संस्करण उरुग्वे में 13 नवंबर से 1 दिसंबर, 2018 तक आयोजित किया गया था।
• **फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप के बारे में:** फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप फीफा द्वारा आयोजित 17 वर्ष से कम अथवा इस आयु तक की महिला खिलाड़ियों के लिए विश्व चैंपियनशिप है।
• **फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्तमान चैंपियन:** स्पेन फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप का मौजूदा चैंपियन है।

भारत एवं इसके सैन्य झंडे तथा चिन्हों को अपनाना

नई नौसेना पताका (ध्वज), जिसका कोच्चि में प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण किया जाएगा, ने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय सेना द्वारा अपनाए गए झंडों एवं रैंकों पर ध्यान केंद्रित किया है।

- भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि भारत के पूर्व वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने नए झंडे तथा रैंक चिन्ह का सुझाव देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी।
- यह तब की बात है जब 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बनने वाला था।

तथ्य

युगल स्वर्णिम सीमाओं के साथ अष्टकोणीय आकार महान भारतीय सम्राट, छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरणा ग्रहण करता है, जिनके दूरदर्शी सामुद्रिक दृष्टिकोण ने एक विश्वसनीय नौसैनिक बेड़े की स्थापना की थी।

भारत ने ब्रिटिश युग के झंडे एवं रैंक को कब बदला?

- 26 जनवरी 1950 से पूर्व, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बन गया था, सेना के रैंकों के झंडे तथा चिन्ह (बैज) ब्रिटिश पैटर्न के थे।
- थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना के झंडों के नवीन, भारतीय प्रतिरूप तथा सेना के रेजिमेंटल झंडे एवं तीनों सेवाओं के रैंकों के बैज को 26 जनवरी, 1950 को अपनाया गया था।
- भारतीय सैन्य अधिकारियों को दिए गए 'किंग्स कमीशन' को भी उसी तिथि में परिवर्तित कर 'इंडियन कमीशन' कर दिया गया।
- तथा बाद की तिथि में भारतीय सैन्य अकादमी (इंडियन मिलिट्री अकैडमी/IMA), देहरादून में विभिन्न रेजिमेंटों के किंग्स कलर को त्याग दिया गया।

लॉर्ड माउंटबेटन एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार

- राष्ट्रीय अभिलेखागार में 1949 की फाइलें हैं, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन से सशस्त्र बलों के नाम, झंडे तथा रैंक के बारे में एक विस्तृत नोट एवं फिर माउंटबेटन के सुझावों के बारे में तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को प्रधानमंत्री नेहरू का पत्र शामिल है।
- अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यह नोट नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने तब दिया था जब दोनों लंदन में मिले थे।
- यह नोट 24 मई, 1949 को प्रधानमंत्री कार्यालय से तत्कालीन गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी के कार्यालय में भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि यह भारत के गणतंत्र बनने के पश्चात 'भारतीय सशस्त्र बलों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह' के मुद्दे पर है।
- पत्र में यह भी कहा गया है कि नोट को गवर्नर जनरल के समक्ष रखा जाना चाहिए।

- नोट की शुरुआत यह कहते हुए होती है कि गणतंत्र बनने के अच्छा भारत की थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना से 'रॉयल' शब्द हटा दिया जाएगा।
- माउंटबेटन ने दृढ़ता से सिफारिश की कि 'स्टेट' ऑफ 'रिपब्लिकन' के जैसे किसी अन्य शब्द द्वारा 'रॉयल' शब्द को प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
- ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे भारत की सेनाओं को राष्ट्रमंडल में अन्य सेवाओं से मनोवैज्ञानिक रूप से पृथक किए जाने का प्रभाव पड़ेगा।
- उन्होंने पत्र में आगे सुझाव दिया कि मुकुट (क्राउन) को प्रतीक चिन्ह से बदल दिया जाना चाहिए एवं "अशोक स्तंभ के तीन सिंहों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- नौसेना की पताका (नेवल एनसाइन) के बारे में उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल की सभी नौसेनाएं एक ही झंडा फहराती हैं जिसमें रेड-क्रॉस के साथ एक बड़ा सफेद झंडा होता है एवं छड़ी के पास ऊपरी कोने में यूनियन जैक होता है तथा इसे श्वेत पताका ('व्हाइट एनसाइन') के रूप में जाना जाता है।
- नोट में सुझाव दिया गया है कि, नए पताका में रेड-क्रॉस जारी रहना चाहिए, किंतु भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को यूनियन जैक को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि राष्ट्रमंडल ध्वज के साथ समानता हो सके।

वर्दी के लिए परिवर्तन

- उन्होंने दृढ़ता से आग्रह किया कि वर्तमान वर्दी को यथासंभव न्यूनतम रूप से बदला जाना चाहिए।
- उन्होंने कहा कि मेजर एवं उससे ऊपर के रैंक के बैज पर पहने जाने वाले क्राउन को "अशोक के तीन सिंहों" से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- द स्टार ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द बाथ को स्टार ऑफ़ इंडिया या किसी अन्य प्रकार के स्टार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जनरलों के रैंक के बैज पर क्रॉस तलवार एवं डंडों को बरकरार रखा जाना चाहिए।
- पूर्व वायसराय ने नौसेना एवं वायु सेना में रैंक की धारियों को बनाए रखने की वकालत करते हुए कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग समान हैं।

माउंटबेटन के सुझावों पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया

- नेहरू ने सितंबर 1949 में तत्कालीन रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि वह पूर्व गवर्नर जनरल द्वारा दिए गए सुझावों से सहमत हैं कि जितना संभव हो उतना कम बदलाव होना चाहिए।
- तत्कालीन प्रधान मंत्री ने विशेष रूप से नौसेना के लिए माउंटबेटन द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों का उल्लेख किया।
- तत्कालीन गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी ने भी मई 1949 में ही माउंटबेटन के सुझावों पर सहमति व्यक्त करते हुए नेहरू को पत्र लिखा था।
- अंत में, माउंटबेटन के लगभग सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया गया एवं 26 जनवरी, 1950 से लागू किया गया।

कर्तव्य पथ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर, 2022 को 'कार्तव्य पथ' का उद्घाटन किया।

- प्रधानमंत्री इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।

'कर्तव्य पथ'

- **कर्तव्य पथ के बारे में:** भारत सरकार ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के अवशेषों का त्याग करने हेतु राजपथ एवं सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की घोषणा की है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - कर्तव्य पथ पर, नए पैदल यात्री अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थान, नए प्रदर्शनी पैनल एवं रात्रि काल में प्रकाश की उन्नत व्यवस्था कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो सार्वजनिक अनुभव में वृद्धि करेगी।
  - 'कर्तव्य पथ' में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफानी जल प्रबंधन, उपयोग किए गए जल का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण एवं ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्था जैसी अनेक धारणीय विशेषताएं शामिल हैं।
  - कर्तव्य पथ में सुंदर परिदृश्य, उद्यानपथों (वॉकवे) के साथ लॉन, अतिरिक्त हरे भरे स्थान, नवीनीकृत नहरें, नए सुविधा ब्लॉक, बेहतर साइनेज एवं वेंडिंग कियोस्क प्रदर्शित होंगे।
- **महत्व:** ये कदम अमृत काल में नवीन भारत के लिए प्रधानमंत्री के दूसरे 'पंच प्राण' के अनुरूप हैं: 'औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी अवशेष को समाप्त कर दें'।
  - यह सत्ता के प्रतीक के रूप में पूर्ववर्ती राजपथ से सार्वजनिक स्वामित्व एवं अधिकारिता का एक उदाहरण होने के नाते कर्तव्य पथ में बदलाव का प्रतीक होगा।

'कर्तव्य पथ' के विकास की आवश्यकता

- वर्षों से, राजपथ एवं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के क्षेत्रों में आगंतुकों के बढ़ते यातायात का दबाव देखा जा रहा था, जिससे इसकी आधारिक संरचना पर दबाव पड़ा।
- इसमें सार्वजनिक शौचालय, पेयजल, स्ट्रीट फर्नीचर एवं पर्याप्त पार्किंग स्थल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था।
- इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त साइनेज, जल संरचनाओं का खराब रखरखाव एवं बेतरतीब पार्किंग थी।
- साथ ही, गणतंत्र दिवस परेड एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कम विघटनकारी तरीके से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें सार्वजनिक आवागमन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो।

- वास्तुशास्त्रीय चरित्र की अखंडता एवं निरंतरता को सुनिश्चित करते हुए इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्विकास किया गया है।

इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में

- **नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में:** नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जा रही है, जहां इस वर्ष के प्रारंभ में पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था।
- **प्रमुख विशेषताएं:** ग्रेनाइट से निर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है एवं उनके प्रति देश के आभार का प्रतीक होगी।
    - श्री अरुण योगीराज, जो मुख्य मूर्तिकार थे, द्वारा तैयार की गई, 28 फीट ऊंची प्रतिमा को एक एकात्मक ग्रेनाइट पत्थर से उत्कीर्ण किया गया है एवं इसका वजन 65 मीट्रिक टन है।

शिक्षक दिवस 2022

शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली (5 सितंबर, 2022) में आयोजित एक समारोह में देश भर के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।

शिक्षक दिवस 2022

- 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस शिक्षकों एवं उनके छात्रों के जीवन को आकार देने में उनकी भूमिका को समर्पित है।
- भारत प्रतिवर्ष डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को उनके योगदान एवं उपलब्धियों के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है।
    - शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की स्मृति का सम्मान करने एवं हमारे जीवन में शिक्षकों के महत्व का स्मरण करने हेतु मनाया जाता है।
- एक बार, डॉ. राधाकृष्णन ने आग्रह किया, "मेरा जन्मदिन मनाने के स्थान पर, यह मेरे लिए गर्व की बात होगी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए।"
    - तभी से 1962 से देश में उनके जन्मदिन को 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाने लगा।
- भारत में शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए पारंपरिक रूप से एक और समान दिन होता है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, जो आमतौर पर जुलाई में पड़ता है कथा चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है।

शिक्षक दिवस 2022- महत्व

- शिक्षक दिवस को विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है।
- शिक्षक दिवस पर, विद्यालय आमतौर पर शिक्षकों एवं छात्रों के लिए विशेष उत्सव गतिविधियों का आयोजन करते हैं।
- छात्र आमतौर पर प्रशंसा के एक संकेत के रूप में, उनके शिक्षकों द्वारा उनके लिए वर्ष भर की गई कठिन परिश्रम हेतु एक तरह का स्मरण एवं सम्मान प्रस्तुत करते हैं।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
• **जन्म:** डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर, 1888 को एक निर्धन तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
• **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में:** डॉ. राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। वह एक विद्वान, दार्शनिक सत्ता भारत रत्न से सम्मानित भी थे।
• **शिक्षा:** डॉ. राधाकृष्णन ने अपनी पूरी शिक्षा छात्रवृत्ति के माध्यम से पूर्ण की थी।
• **साहित्यिक रचनाएं:** उन्होंने दर्शनशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की एवं 1917 में 'द फिलॉसफी ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर' पुस्तक लिखी।
• **प्रमुख उपलब्धियां:**
o उन्होंने 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति एवं 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के कुलपति के रूप में मदन मोहन मालवीय के उत्तराधिकारी के रूप में भी कार्य किया।
o उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया।
o डॉ. राधाकृष्णन को भारत रत्न - 1954 में भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
o डॉ. राधाकृष्णन को 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट के मानद सदस्य के रूप में भी स्वीकृत किया गया था।

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022

- **शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के बारे में:** शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 भारत के राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के अद्वितीय एवं प्रमुख योगदान का उत्सव मनाने के लिए है।
    - शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का उत्सव मनाना एवं उनका सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता एवं कठिन परिश्रम के माध्यम से न केवल विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है।
- **संबद्ध मंत्रालय:** विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पर देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को -शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर के समारोह का आयोजन करता है।

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 विजेता

- शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में शिक्षक 2022 को 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया।
- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किए गए 45 शिक्षकों में से दो शिक्षकों में से एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से तथा एक अन्य उत्तराखंड से विकलांग शिक्षकों हेतु विशेष श्रेणी के तहत सम्मानित किया जाएगा।

ट्रिपल-डिप ला नीना

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन/डब्लूएमओ) के अनुसार, दुर्लभ "ट्रिपल डिप ला नीना" घटना के एक भाग के रूप में, विश्व के कुछ हिस्सों में शेष वर्ष तथा 2023 में प्रचण्ड मौसम का अनुभव होने की संभावना है।

अल नीनो एवं ला नीना

- जबकि अल नीनो, अधिक सामान्य अभिव्यक्ति, प्रशांत महासागर के पूर्वी एवं मध्य क्षेत्रों (पेरू तथा पापुआ न्यू गिनी के मध्य का क्षेत्र) के साथ देखी जाने वाली असामान्य सतह का तापन है।
- ला नीना इन सतही जल का असामान्य रूप से ठंडा होना है।
- अल नीनो (ऊष्ण चरण) एवं ला नीना (शीतल चरण) की घटनाओं को एक साथ अल नीनो दक्षिणी दोलन (अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन/अल नीनो दक्षिणी दोलन) कहा जाता है।
- ये व्यापक स्तर पर घटित होने वाली पर समुद्री घटनाएं हैं जो वैश्विक मौसम- पवनों, तापमान एवं वर्षण को प्रभावित करती हैं । उनके पास विश्व स्तर पर सूखे, बाढ़, ऊष्ण एवं शीतल परिस्थितियों जैसे मौसम की चरम घटनाओं को प्रेरित करने की क्षमता होती है।
- प्रत्येक चक्र 9 से 12 माह के मध्य कहीं भी बने रह सकता है, कभी-कभी 18 माह तक बढ़ सकता है - एवं प्रत्येक तीन से पांच वर्ष पश्चात पुनः घटित होता है।
- मौसम विज्ञानी इस भूमध्यरेखीय पट्टी के साथ चार पृथक पृथक क्षेत्रों के लिए समुद्र की सतह के तापमान को रिकॉर्ड करते हैं, जिन्हें नीनो क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है।
- तापमान के आधार पर, वे या तो एल नीनो, एल नीनो दक्षिणी दोलन (अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन/ENSO) तटस्थ चरण अथवा ला नीना का पूर्वानुमान लगाते हैं।

"ट्रिपल-डिप" ला नीना क्या है?

- एक "ट्रिपल-डिप" ला नीना भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर की सतह के तापमान का एक बहुवर्षीय शीतलन है, जो सूखे, भयंकर पवनों एवं भारी वर्षा का कारण बन सकता है।
- डब्लूएमओ के अनुसार, वर्तमान ला नीना के लगातार तीन उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की अवधि में विस्तृत रहने का अनुमान है। इसकी शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी।
- डब्लूएमओ का कथन है, यदि यह आगामी छह माह तक जारी रहता है, तो यह 21वीं सदी की पहली "ट्रिपल-डिप" ला नीना घटना होगी।

यह ट्रिपल-डिप कितना दुर्लभ है?

- ला नीना की घटना का निरंतर तीन वर्ष तक होना असाधारण है।
- इसका शीतलन प्रभाव अस्थायी रूप से वैश्विक तापमान में वृद्धि को धीमा कर रहा है - किंतु यह दीर्घकालिक वैश्विक तापन की प्रवृत्ति को रोक या प्रतिलोमित नहीं कर देगा।
- ला नीना आमतौर पर अल नीनो से पूर्व गठित होते हैं, एक मौसम प्रतिरूप जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह को गर्म करता है।
- यद्यपि, वर्तमान ला नीना से पूर्व अल नीनो की घटना घटित नहीं हुई थी।

ट्रिपल-डिप ला नीना: पूर्ववर्ती उदाहरण

- ला नीना 1903 से 2010 एवं 2010 से 2012 के मध्य कई बार घटित हुआ।
- यह इस सदी का पहला "ट्रिपल-डिप" ला नीना होगा।
- यद्यपि, मौसम के प्रतिरूप के लिए नौ माह से अधिक एक वर्ष तक जारी रहने हेतु यह अभूतपूर्व नहीं है, जो कि ला नीना के लिए आदर्श है।

ट्रिपल-डिप ला नीना: प्रभाव

- भारतीय संदर्भ में, ला नीना मानसून की ऋतु में अच्छी वर्षा के साथ संबंधित हुआ है।
- यह अल नीनो के विपरीत है जो मानसूनी वर्षा को अवरोधित करने के लिए जाना जाता है।
- इस प्रकार, ला नीना के एक निरंतर दौर से मानसून के दौरान एक अन्य वर्ष अच्छी या सामान्य वर्षा की संभावना हो सकती है।
- अब तक इस वर्ष मानसून ऋतु में सामान्य से 7% अधिक वर्षा हुई है। विगत वर्ष मौसमी वर्षा लगभग 100% थी।
- किंतु, शक्तिशाली होने के बावजूद, अल नीनो दक्षिणी दोलन की स्थिति भारत में मानसूनी वर्षा को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों में से मात्र एक कारक है।

ट्रिपल-डिप ला नीना: वर्षा पर प्रभाव

- अल नीनो दक्षिणी दोलन की स्थिति एवं वर्षण की मात्रा के मध्य कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।
- साथ ही, अल नीनो दक्षिणी दोलन का प्रभाव वृहद स्तर पर है।
- स्थानीय स्तर पर वर्षा में व्यापक भिन्नताएँ हैं, जो जलवायु परिवर्तन से विकराल होती जा रही हैं।

इस ट्रिपल-डिप घटना के विभेदक प्रभाव

- ला नीना का आगे 2023 में जारी रहना भारतीय दृष्टिकोण से बुरी खबर नहीं है। किंतु यह कई अन्य क्षेत्रों के लिए समान नहीं है जहां ला नीना का बहुत अलग प्रभाव है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में, उदाहरण के लिए, ला नीना अत्यंत शुष्क शीत ऋतु से संबंधित है।
- ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया में तथा आम तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ला नीना से अधिक वर्षा होने की संभावना है।
- पाकिस्तान में अत्यधिक वर्षा, जो अपनी सर्वाधिक भीषण बाढ़ आपदा का सामना कर रही है, के लिए आंशिक रूप से ला नीना को भी दोषी ठहराया जा सकता है।
- इसमें कहा गया है कि ला नीना के बने रहने से अफ्रीका में सूखे की स्थिति के और बिगड़ने की संभावना है।

ट्रिपल-डिप ला नीना: जलवायु परिवर्तन से संबंध

- इन दिनों असामान्य मौसम की प्रत्येक घटना को जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, किंतु विज्ञान अभी निर्णायक नहीं है।
- अल नीनो या ला नीना की घटनाएं बहुत नियमित नहीं हैं।
- कभी-कभी वे प्रत्येक दो वर्ष में उदित हो जाती हैं, तो कभी सात वर्ष का भी अंतराल होता है।
- ऐतिहासिक रिकॉर्ड अतीत में बहुत दूर तक प्राप्त नहीं होते हैं।
- परिणामस्वरुप, अल नीनो दक्षिणी दोलन की प्राकृतिक परिवर्तनशीलता बहुत स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है।
- और जब प्राकृतिक परिवर्तनशीलता स्वयं स्पष्ट नहीं है, तो वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) के प्रभाव का परिमाण निर्धारित करना अत्यंत कठिन है।
- किंतु वैश्विक तापन के साथ एक और तरह के जुड़ाव के स्पष्ट प्रमाण हैं।
- ला नीना वर्षों के दौरान, ठंडी सतहें महासागरों को वातावरण से अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने की अनुमति प्रदान करती हैं।
- परिणामस्वरुप, हवा का तापमान नीचे चला जाता है, जिससे शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है।

द्वेष वाक् (हेट स्पीच)

टीवी चैनलों पर चर्चाओं/बहस के माध्यम से घृणास्पद भाषणों पर अपनी पीड़ा एवं क्षोभ व्यक्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने "दृश्य मीडिया" को "घृणास्पद भाषण (हेट स्पीच) का मुख्य माध्यम" कहा तथा सरकार से प्रश्न किया कि जब यह सब हो रहा है तो यह "एक मूक दर्शक के रूप में क्यों चुपचाप देख रहा है" " तथा इसे" एक साधारण मामला "के रूप में मानता है।

पीठ ने रेखांकित किया कि "घृणा टीआरपी को बढ़ाती है, जो लाभ को बढ़ाता है" मूल रूप से मीडिया नैतिकता के विरुद्ध जा रहा है एवं कहा कि यह कुछ दिशा निर्देश निर्मित करने पर विचार करेगा जो तब तक लागू रहेंगे जब तक कि विधायिका इस मामले पर कानून नहीं बनाती। यह इंगित करते हुए कि "हेट स्पीच विभिन्न रूपों में हो सकती है ... एक समुदाय का उपहास करना" एवं दृश्य मीडिया के माध्यम से इसके प्रसार का "विनाशकारी प्रभाव" हो सकते हैं, इस तरह की बहसों को विनियमित करने के इच्छुक न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ एवं हृषिकेश रॉय की पीठ ने केंद्र से यह बताने को कहा कि क्या उसने इस विषय पर किसी कानून के निर्माण का प्रस्ताव रखा है।

हेट स्पीच
संयुक्त राष्ट्र संघ की हेट स्पीच पर रणनीति एवं कार्य योजना हेट स्पीच को **"भाषण, लेखन या व्यवहार में किसी भी प्रकार के संचार के रूप में परिभाषित करती है,** जो किसी व्यक्ति या समूह के संदर्भ में अपमानजनक अथवा भेदभावपूर्ण भाषा का उपयोग करती है, इस आधार पर कि वे कौन हैं अन्य शब्दों में, **उनके धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल, रंग, वंश, लिंग अथवा अन्य पहचान कारकों के आधार पर।"**

नैतिक पत्रकारिता के पांच मूल सिद्धांत

सत्य एवं सटीकता

पत्रकार सदैव 'सत्य' की गारंटी नहीं दे सकते, किंतु **सही तथ्यों को प्राप्त करना पत्रकारिता का मुख्य सिद्धांत है।** सदैव सटीकता के लिए प्रयास करना, हमारे पास मौजूद सभी प्रासंगिक तथ्य प्रदान करना एवं सुनिश्चित करना कि उनकी जाँच की गई है।

स्वतंत्रता

पत्रकारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति चाहिए; विशेष हितों की ओर से औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वह राजनीतिक हों, व्यावसायिक घरानों के हों अथवा सांस्कृतिक हों।

न्यायसंगति एवं निष्पक्षता

निष्पक्षता सदैव संभव नहीं होती है एवं सदैव वांछनीय नहीं हो सकती है)क्रूरता या अमानवीयता के उदाहरण के लिए), किंतु निष्पक्ष रिपोर्टिंग विश्वास एवं आत्मविश्वास का निर्माण करती है।

मानवता

पत्रकारों को कोई क्षति नहीं करनी चाहिए। जो प्रकाशित अथवा प्रसारित होता है वह हानिकारक हो सकता है, किंतु हमें दूसरों के जीवन पर हमारे शब्दों एवं छवियों के प्रभाव के बारे में जागरूक होना चाहिए।

जवाबदेही

व्यावसायिकता एवं उत्तरदायी पत्रकारिता का एक निश्चित संकेत स्वयं को जवाबदेह ठहराने की क्षमता है।

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आईडीपी)

हाल ही में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) जारी करने में नागरिकों की अधिक सुविधा के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP)
• भारत, 1949 के अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात अभिसमय (जिनेवा कन्वेंशन) का एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसे स्वीकार करने के लिए, इस अभिसमय (कन्वेंशन) के तहत प्रावधानित अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र (आईडीपी) जारी करना आवश्यक है।
• **वर्तमान मानदंडों के साथ चिंताएं:** वर्तमान में, जारी किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र (आईडीपी) का प्रारूप, आकार, पैटर्न, रंग इत्यादि भारत में सभी राज्यों में भिन्न था।
○ इसके कारण, अनेक नागरिकों को विदेशों में अपने-अपने आईडीपी के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

भारत में आईडीपी में हालिया संशोधन

- हाल के संशोधन के माध्यम से, आईडीपी के प्रारूप, आकार, रंग इत्यादि को संपूर्ण भारत में जारी करने एवं जिनेवा अभिसमय के अनुपालन में मानकीकृत किया गया है।
- आईडीपी को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान किया गया है।
- नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न अभिसमयों एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी जोड़ा गया है।
- देश भर में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करने में नागरिकों की समय पर शिकायत निवारण एवं सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल भी प्रदान किए गए हैं।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करना एवं इसकी आवश्यकताएँ

- **जारी करना:** अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट एक ऐसे आवेदक को जारी किया जाएगा जिसके पास वैध भारतीय लाइसेंस है एवं जो भारत का निवासी हो।
    - आवेदन पत्र 2 में या आरटीओ को लिखित रूप में किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक निवास करता है, जिसमें दौरा किए जाने वाले देशों तथा ठहरने की अवधि इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा।
- **आवश्यकताएँ:** अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों एवं शुल्क की आवश्यकता है -
    - आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं उसकी प्रतियां।
    - सत्यापन के लिए पासपोर्ट, वीजा (जहां लागू हो) तथा हवाई टिकट की प्रतियां।
    - उपयोगकर्ता शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क।

अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) क्या है?

- **अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) के बारे में:** एक अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी(एक घरेलू ड्राइविंग लाइसेंस का एक संस्करण है जो धारक को किसी भी देश या अधिकार क्षेत्र में एक निजी मोटर वाहन चलाने की अनुमति देता है जो दस्तावेज़ को मान्यता प्रदान करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र शासन:** अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट तीन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों द्वारा शासित होते हैं-
    - मोटर यातायात से संबंधित 1926 पेरिस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय,
    - सड़क यातायात पर 1949 जेनेवा अभिसमय, तथा
    - सड़क यातायात पर 1968 वियना अभिसमय।
- **राज्यों द्वारा कार्यान्वयन:** उपरोक्त तीन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों में से किसी पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को इन अभिसमयों के नियमों के अनुसार आईडीपी जारी करना आवश्यक है।
    - जब एक राज्य को एक से अधिक अभिसमयों के लिए अनुबंधित किया जाता है, तो नवीनतम अभिसमय पूर्ववर्ती अभिसमय को समाप्त एवं प्रतिस्थापित कर देता है।

Adda247

संपादकीय विश्लेषण

इंगेज विद कॉशन

हाल ही में, भारत एवं चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ पूर्वी लद्दाख में पांचवें संघर्ष बिंदु से अपने सैनिकों की वापसी की पुष्टि की।

भारत-चीन सीमा संघर्ष- हालिया समझौता

- गोगरा-गर्म सोता (हॉट स्प्रिंग्स) क्षेत्र में पेट्रोलिंग प्वाइंट (पीपी) 15 से सैनिकों की नवीनतम वापसी के साथ, अब दोनों पक्षों द्वारा पांच स्थानों पर बफर जोन स्थापित किए गए हैं।
    - इन स्थानों में पैंगोंग झील के उत्तर तथा दक्षिण में गलवान घाटी एवं गोगरा में पीपी 17 ए शामिल हैं।
- पूर्व से स्थापित चार बफर जोन में व्यवस्थाओं ने अब तक विगत दो वर्षों में शांति बनाए रखने में सहायता की है।
- बफर ज़ोन में किसी भी पक्ष द्वारा कोई गश्त नहीं की जानी है, जो भारत एवं चीन दोनों द्वारा दावा किए गए क्षेत्र पर स्थापित किए गए हैं।
- नवीनतम (सैन्य) विलगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन/एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के तीन दिन पूर्व आया था।

कदम का महत्व

- बफर जोन निर्मित करने का समझौता संघर्ष की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एक अस्थायी उपाय के रूप में कार्य कर सकता है।
    - यद्यपि, वास्तविकता यह है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे भारत पर थोपा गया है।
- भारतीय सेना, अपने दृष्टिकोण को दृढ़ता से बनाए रखने हेतु एवं चीन की तैनाती के अनुरूप होने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, पांच क्षेत्रों में अप्रैल 2020 के चीन के अनेक क्षेत्रीय संघर्षों को उलटने में सक्षम रही है।
    - यह भारत की उन गश्त बिंदुओं तक पहुंचने की क्षमता की कीमत पर आया हो सकता है जो वह पूर्व में पहुंच रहा था।
    - चीन के पक्ष से अनुकूल सम्भारिकी (लॉजिस्टिक्स) और इलाके को देखते हुए यह चीन का गेम-प्लान हो सकता है, जो तीव्रता से सैन्य तैनाती को सक्षम बनाता है।

संबद्ध चिंताएं

- चीन न तो डेमचोक एवं देपसांग में गतिरोध को हल करने के लिए सहमत हुआ है, यह सुझाव देते हुए कि वे मौजूदा तनावों को पूर्व-दिनांकित करते हैं तथा न ही डी-एस्केलेट करने की कोई भावना प्रदर्शित की है।
    - इसके स्थान पर चीन एलएसी के करीब बड़ी संख्या में सैनिकों को स्थायी रूप से आवास देने के उद्देश्य से सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखे हुए है।
- संकेत हैं कि दोनों पक्ष पिछले सीमा समझौतों के उल्लंघन में, अप्रैल 2020 में हजारों सैनिकों को जुटाने के चीन के निर्णय के कारण सीमाओं पर अनिश्चितता की लंबी अवधि के लिए हैं।
- जब तक बीजिंग अपने हालिया एवंअभी भी अस्पष्टीकृत, एलएसी का सैन्यीकरण करने के लिए कदम नहीं उठाता है और इस प्रक्रिया में सावधानी से निर्मित व्यवस्थाओं को पूर्ववत नहीं करता है, जिसने 40 वर्षों तक शांति बनाए रखने में सहायता की है, भारत के पास संबंधों में वापसी पर विचार करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन होगा क्योंकि वे 2020 से पूर्व अस्तित्व में थे।

भारत-चीन सीमा संघर्ष- निष्कर्ष

- नवीनतम सैन्य विलगन, जबकि निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है, इसका तात्पर्य सीमा पर संकट का अंत नहीं है।
- चाहे वे एससीओ शिखर सम्मेलन में मिलें - 14 सितंबर तक, किसी भी पक्ष ने बैठक की पुष्टि या इनकार नहीं किया था - या इस वर्ष के अंत में इंडोनेशिया में जी 20 में, भारत को सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी क्योंकि यह अनिवार्य रूप से चीन के साथ उच्च स्तरीय जुड़ाव को पुनः प्रारंभ करता है।

फ्लड्स एंड फोज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, हाल ही में एक ट्वीट में, पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करना, एक स्वागत योग्य भाव है।

- पाकिस्तान हाल के दिनों में बाढ़ के रूप में सर्वाधिक भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है।

पाकिस्तान में बाढ़- जीवन एवं संपत्ति की हानि

- 1,100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है एवं 33 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जैसा कि अधिकारियों का कहना है कि देश का एक तिहाई बाढ़ की चपेट में है तथा घरों, सड़कों एवं आधारिक संरचना को लगभग 10 बिलियन डॉलर के नुकसान का अनुमान है।
- बाढ़ ने खड़ी फसलों को भी प्रभावित किया है एवं जैसे-जैसे बाढ़ का पानी कम होता है, रोगों के साथ-साथ भोजन की कमी की आशंका बढ़ जाती है।
- इसके अतिरिक्त, यह चिंता कि जलवायु परिवर्तन के कारण विनाशकारी बाढ़ आई है, संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय है, जो विश्व के उन क्षेत्रों में से एक है जो वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं।

पाकिस्तान में बाढ़- अन्य देशों से सहयोग

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान को सहायता के लिए एक वैश्विक अपील प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने कहा कि "मानसून ऑन स्टेरॉयड्स " की चपेट में आ गया था, जो अप्राकृतिक जलवायु प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है।

- ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर एवं तुर्की जैसे देशों ने पहले ही पाकिस्तान को सहायता भेज दी है तथा कई अन्य ने सहायता का वादा किया है।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (इंटरनेशनल मोनेटरी फंड/आईएमएफ) ने पहले से ही आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के साथ जारी समझौतों के हिस्से के रूप में 1.1 अरब डॉलर के बेलआउट किश्त की घोषणा की।

पाकिस्तान में बाढ़- भारत द्वारा सहायता

- पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि वह 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव कर सकते हैं, ताकि भारतीय सब्जियों एवं आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जा सके।
- अब तक, इस्लामाबाद ने मात्र कोविड-19 महामारी के दौरान भारत से दवा आयात एवं अफगानिस्तान को भारत की मानवीय सहायता के लिए अपवाद निर्मित किया है।

पाकिस्तान में बाढ़- आगे की राह

- भारत-पाकिस्तान संबंधों की खराब स्थिति के बावजूद, नई दिल्ली एवं इस्लामाबाद दोनों को अपने घरेलू विचारों को अलग रखना चाहिए तथा बाढ़ में फंसे लोगों की यथासंभव सहायता करने हेतु इस क्षण का लाभ उठाना चाहिए।
- भारत के साथ व्यापार प्रतिबंधों जिसने केवल इस के हितों का नुकसान किया है, को हटाने के अवसर को अस्वीकार करना एवं ऐसी आपदा के समय सस्ती आपूर्ति के स्रोत को छोड़ना पाकिस्तान के लिए यह अशिष्ट एवं अदूरदर्शी होगा।

निष्कर्ष

- यह दुखद एवं हास्यास्पद दोनों होगा यदि दोनों देशों के मध्य शत्रुता उन्हें ऐसे समय में एक साथ काम करने की अनुमति नहीं देगी, भले ही उनकी सरकारें अपनी क्रिकेट टीमों को वित्तीय कारणों से एक-दूसरे से खेलने की अनुमति दें।
- आतंकवाद के मुद्दे पर लगभग एक दशक से दोनों देशों के मध्य एक अधिक स्थायी वार्ता को निलंबित कर दिया गया है, किंतु नेताओं को आपदा का शमन करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए समय निकालना चाहिए।

आंतरिक लोकतंत्र

भारतीय निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया/ईसीआई) ने एक दल के लिए 'स्थायी अध्यक्ष' के विचार को अस्वीकृत कर दिया है, जबकि युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के साथ मुद्दा उठाते हुए, जो आंध्र प्रदेश पर शासन करता है।

- पार्टी ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को जुलाई 2022 में आजीवन इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

आंतरिक लोकतंत्र पर निर्वाचन आयोग का दृष्टिकोण

- निर्वाचन आयोग का कहना है कि किसी दल के लिए 'स्थायी अध्यक्ष' का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र विरोधी है।
- भारतीय निर्वाचन आयोग के दृष्टिकोण एवं आंतरिक लोकतंत्र पर इसके द्वारा बल दिए जाने में एक गुण है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आजीवन नेता चयनित नहीं किया जाना चाहिए।
- कोई भी दल जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेता है एवं शासन करना तथा विधान निर्मित करना चाहती है, उसे एक संघ के रूप में कार्य करने के तरीके के रूप में पदाधिकारियों के औपचारिक एवं आवधिक निर्वाचन को शामिल करना चाहिए।
- निर्वाचन आयोग ने समय-समय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उपयोग किया है ताकि राजनीतिक दलों को निर्वाचन कराने हेतु स्मरण कराया जा सके एवं यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पांच वर्ष में उनका नेतृत्व नवीनीकृत, बदला अथवा पुनर्निर्वाचित हो।

भारत में राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रकार

भारतीय राजनीतिक दल असंख्य प्रकार के होते हैं - उनमें से कुछ, निम्नलिखित हैं-

- **वैचारिक रूप से संचालित दल:** भारतीय जनता पार्टी अथवा कम्युनिस्ट पार्टी, संरचित, कैडर-आधारित संगठन हैं जो एक वैचारिक लक्ष्य या सिद्धांत की दिशा में कार्य करते हैं;
- **उदारवादी पार्टियां:** कांग्रेस, अलग-अलग विचारों वाले व्यक्तियों का अधिक शिथिल संरचित संग्रह है, किंतु एक ऐसे संघ के भीतर कार्य करती है जिसमें मूल आदर्श होते हैं;
- **क्षेत्रीय दल:** वे भारतीय समाज की सामाजिक या क्षेत्रीय दरारों को प्रदर्शित करते हैं।

एक व्यक्ति के प्रभुत्व वाले दलों के उदय का कारण

- **भारतीय राजनीति का विखंडन:** एक संघीय, बहुदलीय प्रणाली में भारत की राजनीति के विखंडन ने भी "करिश्माई" व्यक्तियों या उनके परिवारों के वर्चस्व का मार्ग प्रशस्त किया है।
  - यह मुख्य रूप से समर्थन की प्रकृति के कारण हुआ है जो इन दलों द्वारा उपभोग की जाती है अथवा उनके वित्तपोषण ढांचे के कारण होती है जिसके लिए एक एकल अंतर्गुट या एक परिवार द्वारा केंद्रीकृत नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
- **सार्थक आंतरिक लोकतंत्र का अभाव:** आज अनेक राजनीतिक दल अपने नेतृत्व को सुरक्षित करने के लिए आंतरिक निर्वाचन कराने पर बल नहीं देते हैं।
  - यहां तक कि यदि वे चुनाव करा भी लेते हैं, तो भी उनके पास पर्याप्त प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है एवं ऐसा आलाकमान के प्रभुत्व की पुष्टि करने के लिए किया जाता है।
  - कुछ मामलों में, चुनावी राजनीति एक शून्य-राशि का खेल होने के कारण, राजनीतिक दल आंतरिक प्रतियोगिताओं को अनुमति प्रदान करने से कतराते हैं, इस भय से कि यह

असहमति को बढ़ावा दे सकता है, जैसा कि नेतृत्व पर नामांकन एवं सर्वसम्मति-निर्माण के विपरीत है।

- **भारत के निर्वाचन आयोग की मौलिक शक्ति का अभाव:** निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने अथवा चुनावों को अनिवार्य घोषित करने के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं है।
  - इस तरह की वास्तविक शक्ति के अभाव के कारण ही राजनीतिक दल भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के आदेशों को यांत्रिक तरीके से लागू करती हैं।

निष्कर्ष

वंशवाद एवं आंतरिक लोकतंत्र का अभाव सार्वजनिक चर्चा का विषय बनने के साथ, संभवतः जनता का दबाव अंततः राजनीतिक दलों पर उचित कार्य करने हेतु प्रभाव डालेगा।

ओवर द टॉप

हाल ही में मसौदा दूरसंचार विधेयक 2022 को विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक प्रयोग क्षेत्र में रखा गया था।

भारतीय दूरसंचार विधेयक के प्रारूप के साथ संबद्ध सरोकार

- **बढ़ा हुआ सरकारी नियंत्रण:** यह विधेयक अनेक प्रकार के डिजिटल अनुप्रयोग एवं ओवर-द-टॉप स्ट्रीमिंग सेवाओं पर अधिक नियंत्रण के लिए एक चिंतित करने वाली सरकारी खोज का संकेत देता है, जिसका उपयोग लाखों भारतीय प्रतिदिन करते हैं।
- **लाइसेंस राज:** दूरसंचार विधेयक डिजिटल अनुप्रयोगों एवं अति-शीर्ष स्ट्रीमिंग सेवाओं को दूरसंचार सेवाओं के दायरे में लाकर सरकार के नियंत्रण में वृद्धि करने का प्रयास करता है।
  - दूरसंचार सेवाओं के संचालन हेतु लाइसेंस की आवश्यकता होगी- यदि मसौदा प्रावधानों को पूरा किया जाता है।
  - इसका तात्पर्य है कि व्हाट्सएप, जूम एवं नेटफ्लिक्स को दूरसंचार सेवाएं माना जाएगा।
  - तथा इसी तरह डिजिटल सेवाओं की एक संपूर्ण श्रृंखला जो अन्यथा भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा विनियमित होती है।
- **दूरसंचार सेवाओं की व्यापक परिभाषा:** मसौदा विधेयक दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा को विस्तृत करता है जिसमें सब कुछ सम्मिलित है-
  - प्रसारण सेवाओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मेल तक,
  - ध्वनि मेल से ध्वनि, वीडियो एवं डेटा संचार सेवाओं तक,
  - इंटरनेट एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं से लेकर शीर्ष संचार सेवाओं तक, जिनमें वे सेवाएं भी सम्मिलित हैं जिन्हें सरकार अलग से अधिसूचित कर सकती है।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएं:** सरकार के पास "किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में" संदेश को प्रसारित होने से रोकने की शक्तियां हैं।
  - मसौदा विधेयक में एक अन्य खंड के लिए एक इकाई की आवश्यकता होती है जिसे "उस व्यक्ति की स्पष्ट रूप से पहचान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है जिसे वह सेवाएं प्रदान करता है"।
  - विगत वर्ष लाए गए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत एक समान खंड- मैसेजिंग ऐप्स को "अपने कंप्यूटर संसाधन पर सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करने" की आवश्यकता होती है - को न्यायालय में चुनौती दी गई है।

दूरसंचार विधेयक के नए प्रारूप के लिए सरकार का औचित्य
औपनिवेशिक विरासत को तोड़ना: देश को 21वीं सदी की वास्तविकताओं से निपटने के लिए एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता है, न कि मौजूदा कानून जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 पर आधारित है।

मसौदा दूरसंचार विधेयक- निष्कर्ष

- सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बढ़ती चुनौतियों को कम नहीं आँकते हुए, सरकार द्वारा सभी प्रकार के संचार में टैप करने में सक्षम होने के पुनरावर्ती प्रयास, यह सुनिश्चित किए बिना कि आम आदमी के पास डेटा सुरक्षा कानून के रूप में कानूनी कवच उपलब्ध है, अत्यंत समस्याग्रस्त है।
- सरकार को उपयोगकर्ताओं एवं गोपनीयता पर अपने विचार को उन्नत करने की आवश्यकता है। इस प्रारूप को ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाने की आवश्यकता है।

रिफॉर्म्स एंड द टास्क ऑफ गेटिंग टीचर्स ऑन बोर्ड

हाल ही में, आंध्र प्रदेश में वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार

- **मिशन:** शैक्षिक सुधारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को न्यायसंगत एवं समावेशी कक्षा के वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।
  - ये सुधार प्रत्येक छात्र की विविध पृष्ठभूमि एवं विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं को ध्यान में रखेंगे, जिससे वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनेंगे।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य सामग्री प्रतिधारण से महत्वपूर्ण विचार एवं समस्या-समाधान क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है, सीखने की प्रक्रिया को अधिक अनुभवजन्य, समग्र, एकीकृत, अन्वेषण-संचालित तथा आनंददायक बनाना है।
  - इसके लिए, सरकार शिक्षकों के कार्यों, प्रशिक्षण प्रतिरूप एवं व्यावसायिक विकास मोड को पुनः परिभाषित कर रही है।
- **विद्यालय पुनर्गठन कार्यक्रम:** यह प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा तीन से पांच तक के उच्च विद्यालयों के साथ विलय का आह्वान करता है।

- **ऐप आधारित उपस्थिति प्रणाली:** ऐप-आधारित नवीन उपस्थिति प्रणाली एक प्रायोगिक परियोजना है जिसे सरकार द्वारा अगस्त में राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रारंभ किया गया था।
  - शिक्षकों की उपस्थिति के दौरान उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूनिफाइड डिस्टिक इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन/यू-डीआईएसई) से जुड़ी प्रणाली उस स्थान के देशांतर एवं अक्षांश जैसे मात्रिकों (मेट्रिक्स) को अभिलिखित करती है जहां वे उपस्थित हैं।
  - अधिकारियों को एसएमएस के माध्यम से उपस्थिति भेजी जाती है।
  - माता-पिता (अभिभावकों) को अपने बच्चे के विद्यालय से आने एवं जाने पर एसएमएस अपडेट भी प्राप्त होगा।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार- शिक्षक संघों की चिंता

- शिक्षक संघ इन सुधारों के परिणामों को लेकर संशय में हैं, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी/एनईपी) 2020 के साथ अनुयोजित किया जा रहा है।
- **विद्यालय पुनर्गठन कार्यक्रम:** विश्वास है कि यह विद्यालय त्याग की दर में और योगदान देगा क्योंकि यह उन छात्रों की एक बड़ी आबादी को शिक्षा से वंचित करेगा जो दूरस्थ ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- **कार्यभार में वृद्धि:** उनका यह भी कहना है कि राज्य में शिक्षण कर्मचारियों के पुनर्निर्धारण पर सरकार के 117 के आदेश से शिक्षक के वर्तमान में मौजूद पदों को संकुचित करने के अतिरिक्त मात्र उनके कार्यभार में वृद्धि होगी।
- **फेशियल रिकॉग्निशन ऐप से संबंधित चिंताएँ:** स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक चेहरा पहचान (फेस रिकग्निशन) ऐप का प्रारंभ, शिक्षकों को इसे अपने निजी मोबाइल फोन पर डाउनलोड करने एवं अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहने से शिक्षकों में और नाराजगी है।
  - आभासी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, शिक्षक संघों ने निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया है एवं राज्य भर के शिक्षकों से ऐप के उपयोग का बहिष्कार करने का आग्रह किया है।
  - उन्होंने मांग की है कि सरकार उन्हें पूर्व की भांति उपकरण उपलब्ध कराए, जब उन्होंने आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज की।

आगे की राह

- **त्रुटियों को सुधारना:** मंत्री ने गांवों एवं जनजातीय (आदिवासी) बस्तियों में खराब अथवा इंटरनेट संपर्क नहीं होने जैसे अन्य मुद्दों को हल करने का वादा किया है।
- **प्रौद्योगिकी संचालित दृष्टिकोण:** शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति को रोकने के लिए इस तरह के प्रौद्योगिकी संचालित प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है।
  - पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए हमें एक त्रुटि रहित प्रणाली की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- जबकि राज्य ने पाठ्यक्रम, विद्यालय-पुनर्गठन एवं शिक्षण की विधियों में आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं, शिक्षक संघ अडिग हैं।
- यह अपेक्षा की जाती है कि अब उन्हें कक्षा में शैक्षणिक सामग्री को पढ़ाने की अपनी पारंपरिक भूमिका से बाहर निकल जाना चाहिए एवं इसके स्थान पर, नई क्षमताओं, कौशल प्राप्त करने तथा अधिक प्रतिबद्धता के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

स्लो इंप्रूवमेंट

हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस/एनएसओ) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नवीनतम आधिकारिक जीडीपी अनुमान जारी किया।

एनएसओ का आधिकारिक जीडीपी अनुमान 2022- प्रमुख निष्कर्ष

- **त्रैमासिक वृद्धि:** एनएसओ का अनुमान है कि अप्रैल-जून की अवधि से पूर्व के सकल घरेलू उत्पाद (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट/जीडीपी) में 13.5% की वृद्धि होगी।
- **अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन:**
  - केवल दो सेवा क्षेत्रों - बिजली, गैस, पानी एवं अन्य उपादेयता सेवाओं तथा वित्तीय एवं व्यावसायिक सेवाओं - ने जनवरी-मार्च तिमाही से क्रमशः 12.6% एवं 23.7% की वृद्धि दर्ज की।
  - कृषि, विनिर्माण, निर्माण एवं संपर्क-सघन व्यापार, होटल तथा परिवहन सेवा क्षेत्र के प्रमुख रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों को क्रमशः 13.3%, 10.5%, 22.3% एवं 24.6% की तिमाही-दर-तिमाही संकुचन का सामना करना पड़ा।
- **निजी अंतिम उपभोग व्यय**, अर्थव्यवस्था का आवश्यक कवच, 25.9% के साल-दर-साल विस्तार के साथ पुनर्जीवित हुआ, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में अपना हिस्सा सिर्फ 60% तक बढ़ गया।
- **सरकारी व्यय एवं सकल अचल पूंजी निर्माण** दोनों, जिसे निजी निवेश के लिए एक प्रतिनिधित्व (प्रॉक्सी) के रूप में देखा जाता है, तिमाही-दर-तिमाही में क्रमशः 10.4% एवं 6.8% कम हो गया, जिससे समग्र उत्पादन कम हो गया।

एनएसओ के आधिकारिक जीडीपी अनुमान 2022 के साथ संबद्ध चिंताएं

- **आरबीआई के अनुमान से कमी:** यह विगत माह भारतीय बैंक ऑफ इंडिया (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/आरबीआई) द्वारा अनुमानित 16.2% की गति की तुलना में निराशाजनक रूप से मंद है।

- यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करता है जो अभी भी एक मजबूत आधार की तलाश में है।
- **धीमी वृद्धि की ओर प्रेरित कर सकता है:** वैश्विक मंदी एवं यूक्रेन युद्ध के संकेतों का सामना करना पड़ रहा है- पहली तिमाही की जबरदस्त गति अर्थव्यवस्था को बहुत कम विकास प्रक्षेपवक्र में डाल सकती है।
    - यह तब और भी चिंताजनक है जब स्वीकार्य से तीव्र मुद्रास्फीति उपभोक्ता विश्वास को समाप्त कर देती है।
- **असमान विकास:** आठ विस्तृत क्षेत्रों में उत्पादन से पता चलता है कि जहां साल-दर-साल सभी क्षेत्रों का विस्तार हुआ, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में 26.3% की वृद्धि हुई, इनमें से छह क्षेत्रों ने क्रमिक संकुचन दर्ज किए।
    - इन आठ विस्तृत क्षेत्रों में उत्पादन सकल मूल्य वर्धित (ग्रॉस वैल्यू ऐडेड/जीवीए) प्रदान करने के लिए संयुक्त होते हैं।
- **क्रमिक आधार पर निराशाजनक प्रदर्शन:** जीडीपी में क्रमिक रूप से 9.6% का संकुचन, नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

भारत के विकास के लिए संभावित प्रतिकूल दशाएं

- यह देखते हुए कि इस वर्ष के मानसून ने एक अनियमित बिखराव प्रतिरूप में वर्षा का वितरण किया है, जिसने उत्तरी एवं पूर्वी भारत में प्रमुख धान एवं दलहन उत्पादन वाले क्षेत्रों को आद्रता के अभाव के कारण कुछ हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ ला दिया है, ग्रामीण इलाकों में कृषि उत्पादन एवं उपभोक्ता व्यय दोनों के ही क्षति उठाने की संभावना है।
- वैश्विक व्यापार भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र मंदी के बीच मंद हो गया, भारत के व्यापारिक निर्यात में , डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्यह्रास से कोई लाभ होने के बावजूद गति में कमजोर होना निश्चित है।

निष्कर्ष

चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, अतः राजकोषीय अधिकारियों पर उपभोग एवं निवेश को प्रेरित करने का दायित्व है।

जेंडर पे गैप, हार्ड ट्रुथ्स एंड एक्शन्स नीडेड

हाल ही में, संपूर्ण विश्व लोगों ने तीसरा अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2022 मनाया।

- अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2022 प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को पड़ता है।
- एक देश में भारत का आकार एवं विविधता, विषमताएं अभी भी देश के श्रम बाजार में मौजूद हैं।

लैंगिक वेतन अंतर पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

- रोजगार एवं आय की हानि के मामले में कोविड -19 महामारी का महिला श्रमिकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा।
- जबकि महामारी के पूर्ण प्रभाव का अभी पता नहीं चल पाया है, यह स्पष्ट है कि इसका प्रभाव विषम रहा है, जिसमें महिलाएं अपनी आय सुरक्षा के मामले में सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित हैं।
    - यह आंशिक रूप से पारिवारिक उत्तरदायित्व के लैंगिक विभाजन के साथ संयुक्त रूप से कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधित्व के कारण है।
- अनेक महिलाएं महामारी के दौरान बच्चों एवं बुजुर्गों की पूर्णकालिक देखभाल में लौट आईं, ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी आजीविका छोड़ दी।
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन/ILO) की "वैश्विक श्रम रिपोर्ट 2020-21": यह सुझाव देती है कि संकट ने पारिश्रमिक पर भारी दबाव डाला तथा पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कुल पारिश्रमिक को अनुपातहीन रूप से प्रभावित किया।
    - महिलाओं के लिए वेतन में इस व्यापक कमी का तात्पर्य है कि पूर्व से मौजूद लैंगिक वेतन अंतर अधिक व्यापक हो गया है।

भारत में लैंगिक वेतन अंतर

- भारत में समय के साथ लैंगिक वेतन अंतर को समाप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, अंतर अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा उच्च बना हुआ है।
    - 1993-94 में भारतीय महिलाओं ने अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में औसतन 48% कम आय अर्जित की।
    - तब से, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस/NSSO) के श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में यह अंतर घटकर 28% रह गया।
- महामारी ने दशकों की प्रगति को प्रतिलोमित कर दिया क्योंकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीरियोडिक लेबर फॉर सर्वे/पीएलएफएस) 2020-21 के आरंभिक अनुमानों में 2018-19 और 2020-21 के मध्य 7% की वृद्धि हुई है।
- आंकड़े आगे बताते हैं कि महामारी के दौरान महिलाओं को प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक में तेजी से गिरावट ने पुरुषों को प्राप्त पारिश्रमिक में तीव्र वृद्धि की तुलना में इस गिरावट में योगदान दिया, जिसके लिए तत्काल नीति पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

लैंगिक वेतन अंतर के कारण

- **सामान्य कारण:** जबकि शिक्षा, कौशल या अनुभव जैसी व्यक्तिगत विशेषताएं लैंगिक वेतन अंतर के हिस्से की व्याख्या करती हैं, लैंगिक वेतन अंतर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी

विशुद्ध रूप से किसी के लिंग या लैंगिक आधार पर विभेद के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

- लिंग आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं में शामिल हैं:
  - महिलाओं को समान मूल्य के कार्य के लिए कम मजदूरी का भुगतान;
  - अत्यधिक नारीवादी व्यवसायों एवं उद्यमों में महिलाओं के कार्य का कम मूल्यांकन, तथा
  - मातृत्व वेतन अंतर - गैर-माताओं की तुलना में माताओं के लिए निम्न पारिश्रमिक।

लैंगिक वेतन अंतर को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र ने अपने कार्रवाईयों के केंद्र में लैंगिक असमानता के विभिन्न रूपों को समाप्त करने की चुनौती रखी है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने संविधान एवं महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वूमेन/CEDAW) में 'समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन' को सम्मिलित किया है।
  - कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वूमेन लैंगिक समानता को साकार करने एवं महिलाओं तथा बालिकाओं के मध्य विभेद एवं असमानताओं के प्रतिच्छेदन रूपों को संबोधित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय विधिक ढांचा प्रदान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 8 2030 तक "युवा व्यक्तियों एवं विकलांग व्यक्तियों सहित सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार तथा कार्य की उचित दशाएं प्राप्त करना एवं समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन" प्राप्त करना है।
  - सतत विकास लक्ष्य 8 के समर्थन में, समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (इक्वल पे इंटरनेशनल कोएलिशन/EPIC), 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूएन वूमेन तथा ओईसीडी के नेतृत्व में एक बहु-हितधारक पहल के रूप में प्रारंभ किया गया था, जो प्रत्येक स्थान पर महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन प्राप्त करना चाहता है।

लैंगिक वेतन अंतर को समाप्त करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **विधिक उपाय:** भारत 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने वाले अग्रणी देशों में से एक था एवं इसके बाद 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम को अंगीकृत किया गया था।
  - 2019 में, भारत ने दोनों विधानों में व्यापक सुधार किए तथा पारिश्रमिक पर संहिता को अधिनियमित किया।
- **मनरेगा योजना की भूमिका:** साक्ष्य से ज्ञात होता है कि 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट/मनरेगा) ने ग्रामीण महिला श्रमिकों को लाभान्वित किया तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लैंगिक वेतन अंतर को कम करने में सहायता की।
  - प्रत्यक्ष रूप से, कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिला कामगारों के वेतन स्तर को बढ़ाकर, एवं
  - परोक्ष रूप से, उच्च आय के माध्यम से कृषि व्यवसायों में सम्मिलित महिलाओं को प्राप्त लाभ, क्योंकि मनरेगा ने देश में समग्र ग्रामीण एवं कृषि मजदूरी में तीव्र गति से वृद्धि में योगदान दिया।
- **मातृत्व हितलाभ (संशोधन) अधिनियम 2017:** इसने 10 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाली सभी महिलाओं के लिए 'वेतन सुरक्षा के साथ मातृत्व अवकाश' को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया।
  - इससे औपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले मध्यम तथा उच्च वेतन भोगियों में माताओं के मध्य मातृत्व वेतन अंतर को कम करने की संभावना है।
- **स्किल इंडिया मिशन:** स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से महिलाओं को सीखने-से-आजीविका के अंतर एवं लैंगिक वेतन अंतर को पाटने के लिए बाजार से संबंधित कौशल से सुसज्जित करने का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष

लैंगिक वेतन अंतर को पाटने के लिए समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन आवश्यक है। कामकाजी महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करने के साथ-साथ संपूर्ण देश के लिए आर्थिक विकास हेतु लैंगिक वेतन अंतर को समाप्त करना महत्वपूर्ण है।

द आउटलाइन ऑफ एन एसेंशियल ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन/डब्ल्यूएचओ) ने 80 से अधिक देशों (अगस्त 2022) से 32,000 से अधिक मामलों के साथ मंकी-पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न/पीएचईआईसी) घोषित किया है।

- इससे विश्व के समक्ष एक और स्वास्थ्य संकट का खतरा मंडरा रहा है।
- विश्व स्वास्थ्य सभा (WHASS) के विशेष सत्र में एक वैश्विक महामारी संधि का प्रस्ताव किया गया था।
- अंतर्निहित तर्क यह था कि जैसा कि वैश्विक शासन महामारी के दौरान विफल रहा था, हमें भविष्य की चुनौतियों का शमन करने हेतु राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी।

विश्व पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

- कोविड-19 को विगत 100 वर्षों में देखे गए विश्व की कुछ सर्वाधिक गंभीर महामारियों में गिना जाएगा।
- **मृत्यु:** कोविड-19 से अनुमानित 18 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है, विभिन्न विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से इतने वृहद स्तर की हानि नहीं देखी गई।
- **अर्थव्यवस्था:** 120 मिलियन से अधिक लोगों को अत्यधिक निर्धनता की ओर धकेल दिया गया है तथा एक विशाल वैश्विक मंदी के साथ, कोई भी सरकार या संस्थान अकेले इस आपात स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है।

व्यापक वैश्विक स्वास्थ्य असमानता

- **व्यापक असमानता:** स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को उनकी क्षमता से अधिक विस्तारित किया गया है एवं संपूर्ण विश्व में टीकों, निदान तथा चिकित्सा विज्ञान के वितरण में सकल स्वास्थ्य असमानता देखी गई है।
    - जबकि उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्थाएं अभी भी बाद के प्रभावों से उबर रही हैं, निम्न तथा निम्न मध्यम-आय वाले देशों में नोवेल कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक परिणाम अपरिवर्तनीय हैं।
- **असमानता के बावजूद मुनाफाखोरी:** फाइजर, बायोएनटेक तथा मॉडर्न जैसी कंपनियों ने कोविड-19 महामारी के पश्चात से अरबपतियों की नई संख्या का निर्माण किया एवं लाभ में 1,000 डॉलर प्रति सेकंड से अधिक कमाए, यहां तक कि उनके टीके कम आय वाले देशों में लोगों तक पहुंचे।
    - मार्च 2022 तक, निम्न आय वाले देशों में मात्र 3% लोगों को कम से कम एक खुराक के साथ टीका लगाया गया था, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह 60.18% था।
    - 2022 के मध्य तक कोविड-19 के प्रति विश्व की 70% आबादी का टीकाकरण करने का अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य चूक गया क्योंकि निर्धन देश "कतार के पीछे" थे जब टीके लगाए गए थे।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** जब विश्व के नेताओं ने एक डिजिटल अनुदान संग्रह समारोह (फंडरेजर) में एक कोरोना वायरस के टीके एवं उपचार विकसित करने के लिए € 7.4 बिलियन (8.07 बिलियन डॉलर) का वादा किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा इस प्रकार, असमानता भी महामारी के प्रवाह को लम्बा खींच रही है।

कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में भारत की अग्रणी भूमिका

- कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया एवं अपनी स्वयं की क्षमता का लाभ उठाकर वैश्विक साम्यता को पुनर्स्थापित करने के संपूर्ण विश्व के नीति निर्माताओं के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है।
    - भारत विश्व के लगभग 60% टीकों का उत्पादन करता है।
    - भारत को संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक वैक्सीन क्रय का 60% - 80% हिस्सा - स्वास्थ्य असमानता के विरुद्ध प्रतिबद्धता के साथ "वैक्सीन कूटनीति" या "वैक्सीन मैत्री" गठित करता है।
- भारत घरेलू उपयोग के लिए टीकों की कमी का सामना कर रहा था, तब भी टीकों एवं अन्य निदानों के शिपमेंट को जारी रखने के अपने संकल्प में बंधन मुक्त था।
    - भारत में कोविड-19 के दूसरी लहर के चरम के दौरान केवल कुछ ही हफ्तों की अवधि थी जब वैक्सीन मिशन को रोक दिया गया था।
    - 2021 तक, भारत ने - वैश्विक सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 'मेड-इन-इंडिया' कोविड-19 टीकों की 594.35 लाख खुराक 72 देशों को भेज दी।
    - इनमें से 81.25 लाख खुराक उपहार थे, 339.67 लाख खुराक व्यावसायिक रूप से वितरित किए गए थे एवं 173.43 लाख खुराक गावी, वैक्सीन मैत्री के तत्वावधान में कोवैक्स कार्यक्रम के माध्यम से वितरित किए गए थे।
- भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ, विश्व व्यापार संगठन को 'सभी देशों को महामारी की अवधि के लिए कोविड-19 की दवाओं, टीकों, निदान एवं अन्य तकनीकों से संबंधित पेटेंट तथा अन्य बौद्धिक संपदा को न तो अनुदान देने एवं न ही लागू करने की अनुमति देने के लिए कहने का प्रस्ताव दिया, जब तक वैश्विक समुदाय प्रतिरक्षा हासिल न कर ले'।
    - भले ही इस प्रस्ताव को कुछ प्रमुख देशों द्वारा सहयोग प्रदान करने से मना कर दिया गया था, किंतु जून 2022 में ही विश्व व्यापार संगठन ने कड़े प्रयासों के पश्चात कोविड-19 टीकों के निर्माण में बौद्धिक संपदा प्रतिबंधों को कम करने का निर्णय लिया गया।

एक आवश्यक वैश्विक महामारी संधि की आवश्यकता

- **वैश्विक महामारी संधि को अंतिम रूप प्रदान करना:** डब्लूएचओ की छत्रछाया में एक संधि, जैसा कि बीएमजे पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया है, सामंजस्य का निर्माण करेगी एवं विखंडन से बचाएगी।
    - इस तरह की संधि में उभरते हुए वायरस के डेटा साझाकरण तथा जीनोम अनुक्रमण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।
- इसे औपचारिक रूप से सरकारों एवं संसदों को एक आरंभिक चेतावनी प्रणाली तथा एक उचित रूप से वित्त पोषित त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, इसे राष्ट्र राज्यों को स्वास्थ्य निवेश एवं उन निवेशों पर वापसी से संबंधित सामान्य मात्रिकों (मीट्रिक) के एक समुच्चय पर सहमत होने हेतु प्रेरित करना चाहिए।
    - इन निवेशों का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी क्षेत्र के अंतर को कम करना होना चाहिए।

निष्कर्ष

एक वैश्विक महामारी संधि न केवल राष्ट्र राज्यों में सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करेगी बल्कि भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए वैश्विक महामारी के प्रति तत्परता में भी वृद्धि करेगी। इसमें भारत को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

1971 की आत्मा

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की जारी राजकीय यात्रा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के परिणामस्वरूप अनेक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की राजकीय यात्रा - प्रमुख परिणाम

- **बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की जारी राजकीय यात्रा** के सकारात्मक परिणाम एवं सात समझौते हुए हैं।
- इन **सात समझौतों** में शामिल हैं-
    - 26 वर्ष उपरांत प्रथम जल बंटवारे समझौते का निष्कर्ष,
    - विशेष रूप से रेलवे क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता वार्ता एवं आधारिक अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ।
    - अंतरिम अवधि में फेनी से 1.82 क्यूसेक पानी की निकासी पर समझौता।

जल बंटवारे पर कुशियारा समझौते का महत्व

- कुशियारा पर जल बंटवारा समझौता जल प्रबंधन को हल करने पर एक विशेष रूप से आशान्वित संकेत है तथा 54 सीमा पार नदियों का एक अत्यंत ही विवादास्पद मुद्दा है।
- कुशियारा समझौता पहली बार है जब केंद्र 1996 की गंगा जल संधि के पश्चात से समझौते के लिए असम एवं अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों को बोर्ड में लाने में सक्षम हुआ है।

भारत - बांग्लादेश संबंध की पृष्ठभूमि

- शेख हसीना की यात्रा, जो 2017 में उनकी विगत राजकीय यात्रा एवं 2021 में श्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा के पश्चात हुई, ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को एक मजबूत आधार पर एवं निश्चित रूप से व्यापार, संपर्क तथा व्यक्तियों से व्यक्तियों के मध्य घनिष्ठ जुड़ाव के लिए स्थापित किया है।
- यद्यपि, संबंधों में सकारात्मक प्रवृत्ति 2009 में सुश्री हसीना के सत्ता में आने, आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को बंद करने एवं 20 से अधिक वांछित अपराधियों तथा आतंकी संदिग्धों को भारत को सौंपने के लिए उनके एकपक्षीय प्रयासों तक जाती है।

भारत - बांग्लादेश संबंध में संबद्ध चिंताएं

- **तीस्ता समझौते का मुद्दा:** 2011 का तीस्ता समझौता, जिसे पश्चिम बंगाल ने रोक दिया था, अब भी दुर्ग्राह्य बना हुआ है, यह बात सुश्री हसीना ने कई बार कही।
    - तीस्ता नदी समझौते के लिए मोदी सरकार द्वारा और अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी एवं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से लोच शीलता की आवश्यकता होगी यदि समझौते को शीघ्र परिणति देनी है।
    - यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर तीन कार्यकाल के पश्चात आगामी वर्ष के अंत में चुनाव आयोजित होने वाले हैं।
- **अल्प भारतीय निवेश:** भारतीय उद्योग द्वारा निवेश बांग्लादेश के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट/एफडीआई) प्रवाह का एक छोटा सा अंश है।
- **रोहिंग्या मुद्दा:** सत्ताधारी दल के नेताओं ने इस पर अनेक निष्ठाहीन टिप्पणी की-
    - रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करना,
    - अनिर्दिष्ट प्रवासियों की तुलना "दीमक" से करना एवं नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, तथा
    - "अखंड भारत" के लिए बांग्लादेश को जोड़ने के लिए हालिया संदर्भ।

निष्कर्ष

जबकि दक्षिण एशिया में सीमा पार की संवेदनशीलता प्रायः इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी से अधिक तीव्र होती है, यह आवश्यक है कि नई दिल्ली एवं ढाका अपने भविष्य के लिए आपसी सहयोग पर केंद्रित रहें, जो उनकी पिछली साझेदारी पर स्थापित हो एवं जिसे "1971 की आत्मा" कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्नावली

प्रश्न सेट 01

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. ला नीना घटना के दौरान, मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागरों में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है।
   2. ट्रिपल डिप इवेंट के दौरान, ला नीनो दक्षिणी गोलार्ध में तीन सर्दियों के मौसम में रहता है
   3. ला नीना में एक ट्रिपल डिप के दौरान भारत के लिए एक विस्तारित दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम है

   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3
2. विशेष मातृत्व अवकाश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. यह महिला कर्मचारियों के लिए 2 माह का मातृत्व अवकाश है, यदि मृत शिशु का जन्म या जन्म के कुछ दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु हो जाती है।
   2. 28 सप्ताह के गर्भ में या उसके बाद जीवन के कोई लक्षण नहीं पैदा होने वाले शिशु को स्टिलबर्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है
   3. विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ संगठित या असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों में दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला के लिए स्वीकार्य है।

   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3
3. हाल ही में लॉन्च किए गए स्पार्क प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. स्पार्क का उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में आयुर्वेद कॉलेजों में नामांकित युवा स्नातक छात्रों के शोध विचारों का समर्थन करना है।
   2. यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा आरंभ किया गया था।

   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
4. नुआखाई एक वार्षिक फसल उत्सव है। यह कहाँ मनाया जाता है?
   (a) मणिपुर (b) उड़ीसा
   (c) उत्तराखंड (d) झारखंड
5. शिकायत निवारण सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के सूचकांक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) शीर्ष पर है।
   2. यह रैंकिंग रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की गई थी।

   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
6. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. यह सभी प्लास्टिक बैग के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।
   2. प्लास्टिक के सबसे रिसाइकिल प्रकारों में गिने जाने वाली पीईटी बोतलों को प्रतिबंध के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
7. हिन्नामनोर शब्द हाल ही में खबरों में देखा गया था। यह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
   (a) पश्चिमी घाट में मिली गेको की नई प्रजाति
   (b) 2022 का सबसे प्रबल उष्णकटिबंधीय तूफान
   (c) आंध्रप्रदेश के जनजातीय समुदाय
   (d) पारंपरिक जल संचयन तकनीक
8. समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. यह भारत के अलावा सभी आसियान देशों के प्रारंभिक साझेदारों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में है।
   2. व्यापार और कर और डीकार्बोनाइजेशन ढांचे के चार स्तंभों में से हैं।

   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
9. सर्वावैक वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. यह कोविड-19 के विरुद्ध देश की प्रथम एम-आरएनए वैक्सीन और इंट्रानैसल वैक्सीन कैन्डिडेट है।
   2. वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के समान वीएलपी (वायरस जैसे कण) पर आधारित है।

   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
10. एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना एक जिले और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की क्षमता और ताकत के आधार पर प्रति जिले में एक उत्पाद की पहचान करना है। यह योजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी?
    (a) विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी)
    (b) खाद्य उद्योग मंत्रालय
    (c) ग्रामीण विभाग मंत्रालय
    (d) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

उत्तर

1. (c)	2. (a)	3. (a)	4. (b)	5. (a)
6. (b)	7. (b)	8. (b)	9. (b)	10. (b)

प्रश्न सेट 02

1. निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए को पूरी तरह से रद्द कर दिया,जिसने कथित रूप से "आक्रामक और खतरनाक" ऑनलाइन पोस्ट के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कैद करने की सरकारी शक्ति की अनुमति दी, क्योंकि इसे अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन बताया गया था?
   (a) लिली थॉमस केस
   (b) इंद्र साहनी निर्णय
   (c) एम नागराज बनाम भारत संघ
   (d) श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ

2. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. रूसी और चीनी एससीओ की केवल दो आधिकारिक भाषाएं हैं।
   2. वाराणसी को 2022-23 के लिए एससीओ क्षेत्र की पहली "पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी" के रूप में चुना गया है।
   3. राष्ट्राध्यक्षों का एससीओ शिखर सम्मेलन ताजिकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा।
   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

3. रेड-ईयर स्लाइडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. रेड-ईयर स्लाइडर दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको का मूल निवासी है।
   2. यह दुनिया में सबसे आक्रामक और सबसे अधिक कारोबार करने वाला कछुआ है।
   3. यह आईयूसीएन सूची में संकटग्रस्त सूचीबद्ध है।
   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

4. निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के घटक हैं?
   1. जीवन प्रत्याशा सूचकांक
   2. स्कूली शिक्षा के अपेक्षित और औसत वर्ष
   3. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय
   सही कूट का चयन कीजिए-
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

5. मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. इसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है।
   2. इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा।
   3. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) में उल्लेखनीय गिरावट के कारण भारत 132वें स्थान पर आ गया।
   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

6. मोक्सी प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. इसका उद्देश्य मंगल ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ऑक्सीजन का उत्पादन करना है।
   2. मोक्सी रोवर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक्सोमार्स मिशन का हिस्सा है।
   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

7. नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. यह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।
   2. यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
   3. यह आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों को 100% गारंटी प्रदान करता है।
   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

8. इनौये सोलर टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. यह नासा द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर दूरबीन है जिसने हाल ही में सूर्य के क्रोमोस्फीयर की छवियां ली हैं।
   2. यह कुरील द्वीप समूह में स्थापित है।
   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) दोनों 1 नाद 2 (d) न तो 1 और न ही 2

9. क्यूआरएसएएम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) प्रणाली है।
   2. यह मुख्य रूप से दुश्मन के हवाई हमलों से सेना के बख्तरबंद स्तंभों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

10. 103वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है?
(a) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण कोटा
(b) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली में सुधार
(c) अनुच्छेद 370 का निरसन
(d) जीएसटी कराधान की उत्पत्ति

उत्तर

1.	**(d)**	**2.**	**(a)**	**3.**	**(a)**	**4.**	**(d)**	**5.**	**(a)**
6.	**(a)**	**7.**	**(d)**	**8.**	**(a)**	**9.**	**(b)**	**10.**	**(a)**

प्रश्न सेट 03

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. भारत में 12 बड़े बंदरगाह और 212 छोटे बंदरगाह हैं।
   2. प्रमुख बंदरगाह संघ सूची में आते हैं और छोटे बंदरगाह विधायी विषयों की राज्य सूची में हैं।
   3. समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) भारत के प्रमुख बंदरगाहों और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के समन्वित विकास के लिए शीर्ष सलाहकार निकाय है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. कोंगका दर्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. कोंगका दर्रा सिक्किम में स्थित है और चीन और भारत के बीच एक मार्ग बनाता है।
   2. यह काराकोरम पर्वतमाला के ऊपर स्थित है जो चांग चेन्मो घाटी में घुसपैठ करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

3. चार्डिंग नाला या डेमचोक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. यह डेल्टा नहीं बनाता है।
   2. यह अंततः सतलुज नदी के मुहाने पर गिरती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

4. G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. ट्रोइका शब्द G20 के भीतर अंतिम तीन प्रेसीडेंसियों के समूह को संदर्भित करता है।
   2. वर्तमान में, G20 ट्रोइका में इंडोनेशिया, इटली और जापान शामिल हैं।
   3. भारत 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में भारत में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

5. टीकवुड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. भारत राउंडवुड (लॉग्स) के रूप में सागौन का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है।
   2. भारत 2025 में अपने पहले विश्व सागौन सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

6. भारत में रबड़ उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. भारत वर्तमान में प्राकृतिक रबर का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।
   2. केरल भारत के कुल उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

7. आवश्यक चिकित्सा की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. एनएलईएम पहली बार 1996 में तैयार किया गया था।
   2. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) एनएलईएम के तहत सूचीबद्ध दवाओं को सीमित करता है।
   3. एनएलईएम की कीमत थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पर आधारित होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

8. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. यह आसनों और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

2. यह फार्मास्युटिकल विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

9. तटीय विनियमन क्षेत्र, 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

आरजेड का प्रकार	लागू क्षेत्र
1. सीआरजेड-I	: पारिस्थितिक संवेदनशील
2. सीआरजेड-II	: निर्मित क्षेत्र
3. सीआरजेड-III	: ग्रामीण क्षेत्र
4. सीआरजेड-IV	: प्रादेशिक जल क्षेत्र

निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए :

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

10. शैलेश नायक समिति जो कई बार समाचारों में देखी जाती है, संबंधित है-

(a) रक्षा खरीद नियमों की समीक्षा।
(b) एफसीआई के खरीद कार्य।
(c) स्वयं सहायता समूहों के बीच माइक्रोफाइनेंस उधार।
(d) तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) विनियमों से संबंधित मुद्दों की जांच करना।

उत्तर

1. (c)	2. (b)	3. (d)	4. (c)	5. (b)
6. (b)	7. (d)	8. (d)	9. (d)	10. (d)

प्रश्न सेट 04

1. परमाणु घड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. परमाणु घड़ियां अधिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणुओं के एक समूह के साथ एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसीलेटर को जोड़ती हैं।
2. यह समय अंतराल को पकड़ने के लिए रेडियोधर्मी क्षय का उपयोग करता है और इसलिए वे क्वार्ट्ज घड़ियों की तुलना में अधिक सटीक हैं।
3. यह परमाणुओं की गुंजयमान आवृत्ति की निगरानी करके समय को मापता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

2. राष्ट्रीय रसद नीति 2022 का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में देश की रसद लागत को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 13-14 प्रतिशत से एक अंक तक कम करना है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय रसद नीति 2022 तैयार की है?

(a) नीति आयोग
(b) 15वां वित्त आयोग
(c) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(d) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

3. ग्रेटर नगालिम को अक्सर नगा शांति प्रक्रिया के संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र इसमें शामिल हैं:

1. मणिपुर
2. असम
3. अरुणाचल प्रदेश
4. त्रिपुरा
5. म्यांमार के कुछ क्षेत्र

निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए:

(a) 1,2,4 (b) 2,3,5
(c) 1,3,4,5 (d) 1,2,3,5

4. ग्रीन फिन्स हब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य स्थायी गोताखोरी और स्नॉर्कलिंग को बढ़ावा देकर प्रवाल भित्तियों की रक्षा करना है।
2. यह समुद्री पर्यटन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एकमात्र पर्यावरण मानक प्रदान करता है।
3. इसे वर्ल्ड विल्फ लाइफ फंड और एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

5. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसकी स्थापना 1997 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सामने आने वाली राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत करने के लिए की गई थी।
2. भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
3. इसकी अध्यक्षता हमेशा आसियान सदस्य करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

6. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
   1. वैश्विक वेतन रिपोर्ट-विश्व बैंक।
   2. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट-वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।

   ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
7. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?

रंग क्रांति	देश
(a) चमेली क्रांति	ट्यूनीशिया
(b) नारंगी क्रांति	ईरान
(c) ट्यूलिप क्रांति	किर्गिस्तान
(d) गुलाब क्रांति	जॉर्जिया

8. सोवा (SOVA) वायरस। एन्यूबिस और रोमिंग मेंटिस को हाल ही में खबरों में देखा गया हैं ।यह क्या है?
   (a) एक्सोप्लैनेट
   (b) क्रिप्टोकुरेंसी
   (c) ट्रोजन मोबाइल बैंकिंग वायरस
   (d) मिनी उपग्रह
9. निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है?
   (a) अनुच्छेद 23 (b) अनुच्छेद 24
   (c) अनुच्छेद 25 (d) अनुच्छेद 28
10. निम्नलिखित में से कौन G4 राष्ट्रों का हिस्सा हैं?
   1. जापान
   2. ब्राजील
   3. भारत
   4. दक्षिण कोरिया

   निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए:
   (a) 1,3 और 4
   (b) 2,3 और 4
   (c) 1,2 और 3
   (d) 1,2,3 और 4

उत्तर

1. (d)	**2. (c)**	**3. (d)**	**4. (a)**	**5. (b)**
6. (b)	**7. (b)**	**8. (c)**	**9. (c)**	**10. (c)**

प्रश्न सेट 05

1. निर्णायक एजेंडा रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. यह 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ प्रौद्योगिकी योजना है।
   2. यह पांच प्रमुख क्षेत्रों - बिजली, सड़क परिवहन, इस्पात, हाइड्रोजन और कृषि में स्थायी निवेश पर केंद्रित है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन का 60% हिस्सा है।
   3. यह यूएनईपी की एक पहल है।

   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3
2. निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई पाम तेल गठबंधन का सदस्य है/हैं?
   1. बांग्लादेश
   2. भारत
   3. श्रीलंका
   4. नेपाल
   5. म्यांमार

   सही कूट का चयन कीजिए:
   (a) 1,3 और 5 (b) 1,2,3 और 4
   (c) 2,3 और 5 (d) 1,2,3,4 और 5
3. हाल ही में खबरों में रही एम.ए. खादर समिति का संबंध किससे है?
   (a) स्कूली शिक्षा में सुधार।
   (b) न्यायपालिका में लंबित मामलों की जांच करना।
   (c) एक साथ चुनाव की संभावना की जांच करना।
   (d) भारत में जेलों की विभिन्न समस्याओं का परीक्षण करना।
4. इसरो द्वारा विकसित हाइब्रिड मोटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. एक हाइब्रिड मोटर तरल ईंधन और एक ठोस ऑक्सीडाइज़र का उपयोग करती है।
   2. तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) ऑक्सीडाइज़र के रूप में कार्य करता है और हाइड्रॉक्सिल-टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन (एचटीपीबी) मोटर के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है।

   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
5. पुनीत सागर अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. यह स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के समुद्र तटों को साफ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान है।

2. इसे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

6. अहिंसा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. पहला नाम (NAM) शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ था।
2. बांडुंग के दस सिद्धांत नाम (NAM) की नीति के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य हैं।
3. यूगोस्लाविया, भारत और दक्षिण अफ्रीका नाम (NAM) के तीन संस्थापक सदस्य हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

7. रेबीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. रेबीज लाइसावायरस के कारण होता है।
2. रेबीज वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है।
3. वैश्विक रेबीज से होने वाली मौतों का एक तिहाई भारत में दर्ज किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

8. महारत्न की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किजिए।

1. महारत्न का दर्जा वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
2. स्थिति बोर्ड को भारत और विदेशों में विलय और अधिग्रहण करने की भी अनुमति देती है, जो एक सीमा के अधीन है।
3. हाल ही में आरईसी लिमिटेड देश में 12वां महाराणा बन गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

9. जी4 राष्ट्र भारत सहित चार देशों का एक समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की बोली का समर्थन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जी4 राष्ट्रों का हिस्सा नहीं है?

(a) ब्राजील (b) जर्मनी

(c) जापान (d) दक्षिण कोरिया

10. पूर्ववर्ती मध्याह्न भोजन योजना या पीएम पोषण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. पीएम पोषण योजना का उद्देश्य 2021-22 से 2024-25 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है।
2. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है।
3. स्कूलों में न्यूट्री गार्डन विकसित किए जाएंगे।
4. उच्च रक्ताल्पता वाले आकांक्षी जिलों और जिलों के बच्चों को पूरक पोषाहार सामग्री प्रदान की जाएगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1,2 और 4 (b) 2,3 और 4

(c) 2 और 3 (d) 1,2,3 और 4

उत्तर

1. (a)	**2. (b)**	**3. (a)**	**4. (c)**	**5. (a)**
6. (a)	**7. (c)**	**8. (d)**	**9. (d)**	**10. (b)**

BILINGUAL
UPSC
UPSC CSE
KA MAHAPACK
Live Classes, Video Course,
Test Series & Ebooks
24 Months Validity

BILINGUAL
TARGET 28th May
UPSC CSE 2023 Prelims
(Paper I + II)
Complete Batch
Start Dec 19, 2022
7 PM

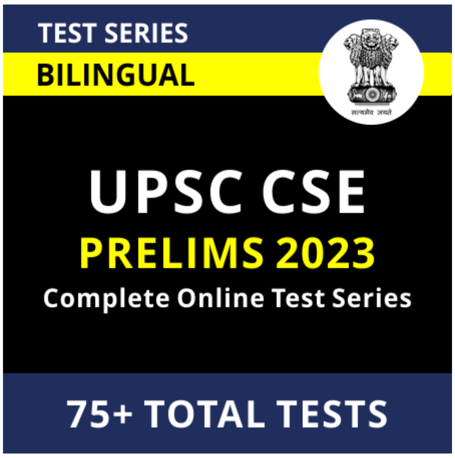
TEST SERIES
BILINGUAL
UPSC CSE
PRELIMS 2023
Complete Online Test Series
75+ TOTAL TESTS

BILINGUAL
NCERT
• Live Course
FOR UPSC & STATE PSC
Start Dec 15, 2022
12 PM to 2 PM

BILINGUAL
CSAT
Foundation Batch
for UPSC &
State PSC
• Live Classes
Starts Dec 20, 2022
12 PM to 2 PM

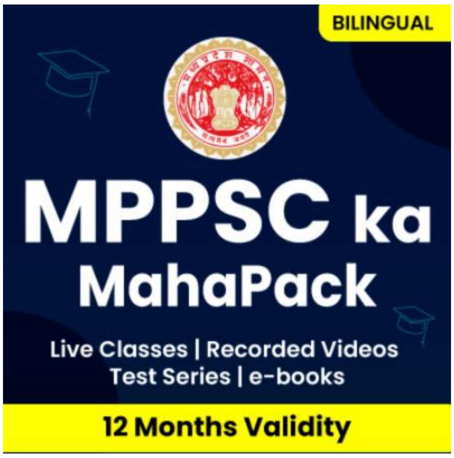
BILINGUAL
MPPSC ka
MahaPack
Live Classes | Recorded Videos
Test Series | e-books
12 Months Validity

BPSC
KA MAHAPACK
Live Classes, Video Course,
Test Series & Ebooks
12 Months Validity

UPPSC
UPPSC ka
Mahapack
Live classes, Video Courses,
Test Series, eBooks
12 Months Validity

Hinglish
HPSC HCS
KA MAHAPACK
Live Classes, Test Series,
eBooks

RPSC RAS
MAHAPACK
Live Classes, Video Course,
Test Series & Ebooks
12 Months Validity

BILINGUAL
वैशाली 2.0
68th BPSC
बिहार PCS Prelims (P.T.)
Final Selection batch
Start Dec 19, 2022
12 PM to 4 PM

TEST SERIES
BILINGUAL
68th BPSC 2023
Combined Competitive
Examination (CCE)
PRELIMS
70+ TOTAL TESTS